(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का एकादशम् दिवस [संख्या 8

शुक्रवार,

दिनांक 6 जुलाई, 1990

(विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग यहां पर घुसे बैठे हैं हम लोग अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हमें वहां की स्थिति का पता नहीं है लूणी नदी के अन्दर कितना पानी बह रहा है। कौन-कौन से गांव चपेट में आ गये हैं। मैं आपसे सदस्यों की चिंता अवगत कराते हुए हमारी मदद की गुजारिश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री रतना राम (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय जो जालौर जिले में अतिवृष्टि से वहां बाढ़ आई हुई है और हम भी यहां फंसे हुए हैं। हम भी अपने विधान सभा क्षेत्र, रानीवाड़ा जिला जालौर विधान सभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कृपया हमारे जाने का कुछ इन्तजाम हो ताकि वहां की स्थिति जाकर देख सकें।

श्री अचला राम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देसूरी क्षेत्र में हम लोग अपने क्षेत्र में पहुंच जाए, जोधपुर तक हमारे पहुंचने की व्यवस्था हो जाये। रेलवे लाइन के नीचे से सारी मिट्टी पानी के कारण, बरसात के कारण खिसक कर अलग हो गई है और वहां पर यातायात ठप्प हो गया है और अनेक गांव हैं जो यातायात से अवरूद्ध हो गये हैं और पानी से घिर गये हैं वहां सम्पर्क के लिए जाने हेतु जाना जरूरी है हम साधन दिलाये जाने हेतु निवेदन करते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मामला जैसा सदन में उठाया गया, गम्भीर प्रकृति का है हम वहां पर कैसे पहुंचें, हमारे क्षेत्र में हमको पहुंचाया जाये। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोगों को अपने पहुंचने के लिए, जोधपुर जाने के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जावे ताकि जो लोग वर्षा, अतिवृष्टि से घिरे हैं वहां तक हम पहुंच सकें और पहुंच करके वहां हमारे लोगों को सम्भाल सकें।

(2)

एक माननीय सदस्य : दो दिन के लिये विधान सभा स्थगित करके सभी विधायकों का अपने-अपने क्षेत्र में जाने का इन्तजाम करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई व्यवस्था करा करके उनको वहां पहुंचाइये। राज्य सरकार के पास बहुत साधन हैं। हैलीकॉप्टर से सबको पहुंचाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। सरकार बोल रही है, आप बिराजिये। (व्यवधान)

मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय; सिरोही नगर, उसके आस पास के गांव जामोतरा ऊड बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं और हम जाना चाहते हैं। कैसे भी हमें भिजवायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति बनी है सचमुच बहुत भयंकर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहां से सारी स्थिति का अवलोकन करने के लिए गये हुये हैं फिर भी कई माननीय सदस्य उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि पता नहीं सड़कें कहां-कहां टूट गई हैं कोई व्हीकल मुहैया करवाने के पश्चात भी वे अपने निश्चित स्थान पर पहुंच पायेंगे या नहीं पहुंच पायेंगे। क्योंकि हेलीकॉप्टर तो उनके साथ गया है प्रश्न आखिर यह खड़ा होता है कि जो साधन हेलीकॉप्टर से जाने का वह तो मुख्यमंत्री जी के साथ गया है इसलिए वह सम्भव नहीं है। कोई व्हीकल उपलब्ध कराई जा सकती है, पानी नहीं भरे, इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : वायरलेस से पता कर लीजिये कि सड़क कहां टूटी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां तो इसलिए एक तो जो जाने वाले या तो एक बात है थोड़ा सा माननीय मुख्य मंत्रीजी आज शाम को लौट आयेंगे तो उसके बाद व्यवस्था हो जाएगी तब तक यह जानकारी भी कर लेंगे कि कहां-कहां जाना सम्भव है। राज्य सरकार जो भी माननीय सदस्य जाना चाहेंगे उनकी पूरी व्यवस्था पहुंचाने की की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हो गई बात।

एक माननीय सदस्य : सेना से इस प्रकार के व्हीकल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां करा रहे हैं ना वो। सरकार इस सम्बन्ध में व्यवस्था कर रही है।

श्री अमृतलाल (बाली) : मेरे बाली और फालना शहर में भी बाढ़ आ चुकी है। पूरा फालना बाढ़ से घिर चुका है। मैं भी अभी फोन पर बात करके आया हूं।

श्री अध्यक्ष : वो अब जा करके देख लेना।

श्री अमृतलाल : यह अत्यन्त गम्भीर है।

एक माननीय सदस्य : अभी हालात क्या हैं ? इसकी जानकारी दे दें कम से कम।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय एक बात की सूचना चाहता हूं मंत्री महोदय से।

एक माननीय सदस्य : जयपुर से अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : हो गया न आपका अब। आप बैठिये, अब आप सुनिए, बिराजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मंत्री महोदय यह बताएं कि बाढ़ नदियों में आई या स्थानीय वर्षा से गांव घिर गये हैं। बाढ़ आई है तो कौन सी नदियों में आई है। इसका बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं उस सारी स्थिति को देखने के लिए गये हैं। बाढ़ मंत्रीजी भी वहां गई हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही बात है वैसे नदियों में आ रही है और ऊपर से भी आ रही है दोनों।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे ख्याल से नदियों में इतनी बाढ़ नहीं आई। स्थानीय....

श्री अध्यक्ष : हां दोनों ही हैं। अब जालौर में 500 मि.मी. बरसात हुई है तो बहुत अच्छी वर्षा हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको जानकारी होगी 1978-79 की। माननीय सदस्य को जानकारी होगी ऊपर से पानी पड़ने के कारण जो लूणी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी वहां का बीच हो गया था वहां का सारा का सारा वह बांध और उसके कारण स्थिति बनी थी अब थी अब क्या एग्जेक्ट स्थिति है आज बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : खैर आप व्यवस्था करिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां जी। जो जाना चाहेंगे उनकी व्यवस्था की जायेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज शाम तक हमारे वहां सिरोही, बाली और जालौर हम एक ही रूट पर हैं।

श्री अध्यक्ष : हां हां सबकी व्यवस्था हो जावेगी। आपकी भी होगी। अपवाद नहीं, आपकी भी होगी। (व्यवधान)

हां बता दी जाएगी। बिराजिये आप। बिलकुल। अमृतजी। माननीय अमृतजी। अब सारी बात हो गई। मुख्य मंत्री जी गये हैं। आपको आने के बाद बाढ़ की लेटेस्ट स्थिति बता देंगे। सरकार व्यवस्था कर रही है। शाम तक आज सारी व्यवस्था हो जावेगी। जो माननीय सदस्य जाना चाहें वो वहां जायेंगे। बिराजिए।

एक माननीय सदस्य : नहीं मैं रास्ता बताऊ साहब। रास्ता है। यहां से अजमेर और....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बता रहे हो। वो तय कर लेंगे। है तो भेज देंगे।

श्री अमृतलाल : ये सादड़ी से जाने वाला रणतु रोड भी है जो पूरा का पूरा....

श्री अध्यक्ष : हां जो भी रास्ता होगा भेज देंगे। कनफर्म कर लेंगे वे।

जवाहर रोजगार योजना, पाली

183. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य में किन-किन जिलों में कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या जिला कलक्टर पाली ने पंचायत समितियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने स्तर से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी नहीं करें?

3. यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने जिलाधीश, पाली को इस तरह के आदेश दिये हैं? यदि नहीं, तो जिला कलक्टर ने किस प्रावधान के तहत अथवा ऑथोरिटी से ऐसे निर्देश जारी किये?

एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सम्पत राम) : 1. सभी जिलों में कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। वर्ष 1990-91 में आवंटित राशि तथा प्रथम किश्त में रिलीज की गई राशि का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

2. जी, नहीं। जिलाधीश पाली द्वारा पंचायत समितियों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

3. जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न 183 के खण्ड दो में जो उत्तर दिया है "जी, नहीं।" यह बिल्कुल गलत है। जहां तक मेरी जानकारी है जिला कलक्टर पाली ने सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को निष्क्रिय बना कर रख दिया व टेलीग्राम द्वारा समितियों को निर्देश दिये हैं। सरकार ने इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं ली है और अधिकारियों ने गलत उत्तर दिये हैं। मैं इसकी जांच कराने की मांग करता हूं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैंने पूर्ण रूपेण जानकारी ली है और जब माननीय सदस्य का यह प्रश्न आया तो स्वतः ही मेरे दिमाग में यह बात आई कि कोई न कोई इस मामले में गड़बड़ है। इसके बाद में फिर मैंने यह कहा कि यदि इसके विपरीत सिच्युएशन पैदा हुई तो जिसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा उसके आप जिम्मेदार होंगे यदि इसके अलावा कोई तार या प्रतिलिपि मेरे सामने लाई जाये तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ वह कार्यवाही की जायेगी ताकि भविष्य में कोई अधिकारी गलत सूचना देने का आदी न बने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण : अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर, पाली ने दिनांक 29.11.89 को पंचायत समिति, सोजत में विकास अधिकारी को तार प्रेषित कर पंचायत

(श्री लक्ष्मीनारायण)

जे. आर.वाई. के जितने भी काम हैं उनको स्थगित करने का तार प्रेषित किया था। क्या जिला कलेक्टर को इस प्रकार के जे. आर. वाई. के काम को स्थगित करने का अधिकार है ? दूसरा प्रश्न, क्या जे. आर. वाई. एक्ट के तहत जिला कलक्टर कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकारी है ? और अगर नहीं है तो क्या पाली जिला कलक्टर ने इस प्रकार की स्वीकृतियां की है। और क्या मंत्री महोदय के, राज्य सरकार के द्वारा जिला कलक्टर ने जे. आर. वाई. के कार्य स्वीकृत कर दिये हैं और पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकारों में हस्तक्षेप कर जो कार्य स्वीकृत किये हैं, उन कार्यों को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिये हैं ? मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह जवाहर रोजगार योजना ग्रास रूट्स से चालू होने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह योजना पंचायतों के स्तर पर दी जाती है और यह एम्पालयमेंट प्रोग्राम है जो आमतौर से पंचायतों के स्तर से ही पूरा होता है। गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसके बाद वह नीचे चला जाता है, उसका बंटवारा होता है और नीचे चला जाता है। जिलाधीश का ज्यादा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो निगम बने हुए है कितने पर्सेन्टेज में कितना कितना पैसा कैसे कैसे खर्च हो वह पापुलेशन के आधार पर हर पंचायत को वितरण होता हैं और सरपंच अपने लेवल पर प्लान बनाता है। यदि वह दस हजार तक का वर्क है अपने स्तर पर कर लेंगे, इससे बड़ा होता है एक लाख तक का पंचायत समिति के स्तर पर आता है। इससे बड़ा होता है वह डी. आर. डी. ए. के स्तर पर आता है। इसलिये जिलाधीश को अपने आप हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और जिलाधीश ही नहीं, राज्य सरकार को भी नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बहुत ही हल्के तरीके से इस सवाल का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है मैं माननीय मंत्री को आगाह करना चाहता हूं जब से जिला कलक्टर पाली श्याम एस. अग्रवाल ने पाली जिले में कार्यभार संभाला उसके बाद इस जवाहर योजना के तहत जितने भी पैसे मिलने वाले थे उस पर इतना जबरदस्त कन्ट्रोल किया एक-एक पाई के बारे में, एक एक पैसे के बारे में यह जैसा प्रश्नकर्ता ने कहा है ग्राम पंचायतों को, जन प्रतिनिधियों को, प्रधानों को विकास अधिकारियों को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है। वह मानीटरिंग के नाम पर कि कितना पैसा पंचायत खर्च कर रही है हर 15 दिन में उसकी मानीटरिंग करो। उस व्यवस्था के साथ भी सारे अधिकारी, सारे ही सरपंच बाध्य हुए। इन सबके बावजूद भी मानीटरिंग करने का जो सिस्टम रखा, हमने कई बार बैठकों में उनसे आग्रह किया कि आप मानीटरिंग करने वाला सिस्टम रख रहे हो या तो इसके लिये एक अलग से सेल खोलो, हर पंचायत का पंचायत समिति के द्वारा वहां पर लेखा जोखा निश्चित समय पर आ जाता है। उन सबके बावजूद सारी बातों को टालते हुए, जैसा माननीय मंत्री महोदय कह रहे है कि जिला कलक्टर का और सरकार का जवाहर योजना के पैसों पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार

(6)

(श्री हीरासिंह चौहान)

से मांग करता हूं जो यह प्रश्न है सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करें और उच्च स्तरीय जांच करके इस जिला कलक्टर पाली के खिलाफ एक्शन लेवें। आप पायेंगे इस जिला कलक्टर पाली ने पिछले छः महीने में पाली जिले को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया। मेरी सरकार से मांग है कि इसका एक एक रिकार्ड तलब किया जाये और इसके खिलाफ उच्च स्तरीय या हमारे इस सदन की कमेटी से जांच की जाये, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं होने दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गम्भीर सवाल हो तो सुनना पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा जोर दे रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : जिला कलक्टर ने पिछले छः महीने से कोई काम नहीं होने दिया। मैंने तो यहां तक आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में हम ठीक थे लेकिन जिलाधीश जी आपने आने के बाद में सारे काम रोक दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं नं. 1 में जो इन्होंनें उत्तर दिया है कि हमने वर्ष 1990-91 में 12805.28 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को आवंटित किये हैं उसमें पाली जिले को 811.57 लाख रुपये आवंटित हुए हैं और यह भी बताया गया है कि 202.89 लाख रुपये पंचायतों को दे दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं यह जो प्रथम किश्त का 202.89 लाख रुपया है यह राज्य सरकार द्वारा कब जिला कलक्टर पाली को भेजे गये और क्या यह राशि ग्राम पंचायतों को वितरित हो गई है या नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार ग्राम पंचायतों को ही काम कराने की छूट दी गई है ऐसा नहीं है। जैसा माननीय हीरा सिंहजी कह रहे हैं वह बात बिल्कुल ठीक है। कलक्टर और डी. आर. डी. ए. के अधिकारी जो डी. आर. डी. ए. में भ्रष्ट लोग बैठे हैं वह इसमें अन्तिम रूप से हस्तक्षेप करते हैं। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जयपुर जिले में जगह पर सरपंच के चाहते हुए ग्राम पंचायत के चाहते हुए कितने ग्राम पंचायतों पर निर्माण कमेटी बनाई। मेरी जानकारी में यह भी है कि कई कमेटियों को भंग करके सरपंच से फिर निर्माण कमेटी से ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि डी. आर. डी. ए. जयपुर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। सबकी निगाह में है। वहां पर जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में पूरे जयपुर जिले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और जिस सरपंच ने सही काम करवाया, जिसकी स्वीकृति जारी हो गई, पूरा काम करवा दिया, वैल्युशन हो गया उसके बाद भी वहां पर निर्माण कमेटियां बनाई गई हैं। मंत्री जी, यदि ऐसा मामला पाया गया तो डी. आर. डी. ए. के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जयपुर जिले के संबंध में जो कुछ माननीय सदस्य ने फरमाया, वह मेरी जानकारी में नहीं है। यदि वह कोई चीज मेरी जानकारी में लायेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसकी जांच कराऊंगा और इस तरीके की जांच कराऊंगा ताकि माननीय सदस्य को यह सन्देह न रह जाये कि ब्यूरोक्रेटिक सैट-अप के किसी आदमी ने जांच की है। आपने जो फरमाया कि कलक्टर ने जो अवरोध पैदा किया है मैंने अध्यक्ष महोदय, जो वस्तु स्थिति थी वह मैंने आपको अर्ज कर दी। इसका मतलब ही यही था कि पंचायतों को स्ट्रांग बनाया जाये और उनके स्तर पर सरपंचों को, पंचायतों को यह कार्यक्रम दिये जायें वह पूरा करें। यदि इसके विपरीत जिलाधीश ने कोई काम किया है तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें। जहां तक यह कहा कि सूचना गलत दी है, वह मैंने पहले ही आपसे अर्ज कर दिया। तार या ऐसी कोई चीज दे दी जायेगी जिससे यह साबित हो जाये कि उन्होंने कोई नाजायज दखलन्दाजी की है तो कार्यवाही की जा सकती है और कोई शिकायत हो तो आप बता दें उसके ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमृत लाल जी।

श्री अमृतलाल परमार(बाली) : अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर पाली ने पाली की गत मीटिंग में हम सब विधायक वहां थे, उनको कई आश्वासन देने के बाद भी अभी तक एक भी कार्य नहीं हुआ है। जहां हुए अपनी मर्जी से किये। माननीय हीरासिंह जी बोले, मैं भी वहां जोरदार बोला था। हमने वहां डी.आर.डी.ए. में सूची दी कि यह काम बाकी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अभी तक एक भी काम वहां नहीं हुआ है। अपनी मनमानी की है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये अन्यथा पाली जिले में जो भी आफिसर आयेगा वह अपनी मनमानी करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के तहत वहां जितने काम होने चाहिये थे वह वहां पर नहीं हुए हैं, मनमानी की है....

श्री अध्यक्ष : आपने मंत्रीजी का जवाब सुना ?

श्री अमृतलाल परमार : सुना है, खाली सुनने से क्या होता है ? उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी शिकायत लिख कर दे दीजिये, जांच करेंगे। यह कह रहे हैं कि ऐसी जांच करूंगा कि आपको पता चल जायेगा जिस तरह इन्टरफीयरेन्स करने वाले को सजा दी जाती है...

श्री अमृतलाल परमार : जो दोषी अधिकारी हैं वह बैठे हैं, क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : दवे साहब। आप बैठें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से यह था कि क्या पाली जिला कलक्टर ने जे. आर. वाई. के कार्य स्वयं ने स्वीकृत किये थे और क्या विशिष्ठ योजना संगठन के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

जे. आर. वाई. के अन्तर्गत पाली कलक्टर ने स्वीकृत किये, उन कार्यों को यहां से निरस्त किया गया, उसकी जानकारी चाहता हूं। और क्या पाली कलक्टर जे. आर. वाई. के कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकारी है इसकी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सब बात पहले ही स्पष्ट कर चुका। यदि इस नीति के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, आप माननीय सदस्य मुझे दे दें, मैं इसकी जांच कराऊंगा...

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि क्या यह जिला कलक्टर को अधिकार था।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले ही अर्ज किया है कि पैसा सीधा पंचायतों के पास जाता है। योजनायें पंचायतें बनाती हैं और वह इस नुक्तेनजर से बनाती हैं कि इसमें जो भी काम लिया जाये उसमें 60 प्रतिशत लेबर लगे और 40 प्रतिशत मैटीरियल लगे...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, नियम का सवाल नहीं है। उनका एक ही सवाल है। आपकी नीति तो यह बता रही है कि रुपया सीधा पंचायतों को जाना चाहिये। पंचायत योजना बनायेगी, कलक्टर इन्टर–फीयर कर रहे हैं, पंचायत की सलाह मान नहीं रहे हैं अपनी मर्जी से स्वीकृत करते हैं अपनी मर्जी से अस्वीकृत करते हैं। यह है। This is their question.

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं पहले भी स्पष्ट किया कि कलक्टर तो डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होता है उसमें कहीं अनियमिततायें होती हैं तो उसकी जांच करा सकते हैं लेकिन जो प्रस्ताव वहां से आते हैं वह प्रस्ताव मान्य होंगे उन्हें अपने स्तर पर क्वैश नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था माननीय मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि आप लिख कर दीजिये। पाली जिले के पांच विधायक आपके सामने सदन में बोल रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया।

श्री हीरासिंह चौहान : जरा निवेदन सुनो साहब। अब कहते हैं लिख कर दीजिये। हम तो कहते हैं उसने सारे ही काम का बंटाढार कर दिया है। जवाहर योजना के अन्तर्गत पिछले छः महीने में जिला कलक्टर पाली ने काम नहीं होने दिया है...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जांच आप करा लें।

श्री हीरासिंह चौहान : क्या इस बात का काग्निजेंस माननीय मंत्री महोदय नहीं ले रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आप बैठें एक मिनट।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो कहते हैं आन दी होल, कोई पार्ट नहीं है कि अमुक काम को ही रोका है..

श्री अध्यक्ष : माननीय हीरासिंह, जी, आप भाषण दे रहे हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : इसकी तुरन्त जाँच करायें।

श्री अध्यक्ष : आपको काम की बात करनी है या भाषण। आप बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : कैसे तकलीफ पायें हम ?....कैसे नहीं बोलेंगे। बड़ा दुख और दर्द है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो आपत्ति उठाई है कि जिला कलक्टर पाली ने अपनी मर्जी से पंचायतों के प्रस्तावों को अस्वीकार करके अपनी मर्जी से किया, उसकी जांच करा लीजिये आप।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पाली जिला कलक्टर ने क्या जे. आर. वाई. एक्ट के तहत कामों की स्वीकृति दी और अगर उन्होंने

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, अब मैं कह रहा हूं आप बैठिये। देखिये मंत्रीजी ने साफ कहा है रुपया पंचायतों के पास भेजते हैं और स्कीमें पंचायतें बनाती हैं, सुनिये आप, कलक्टर चूंकि डी. आर. डी. ए. का चैयरमैन है, यह अनियमितताओं के बारे में हस्तक्षेप कर सकता है। बाकी योजनाओं में नहीं कर सकते, कह दिया उन्होंने। अब आपके पाली कलक्टर ने इसके विपरीत काम किया है तो इसकी जांच मन्त्री जी भी करा लेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मामला यह नहीं है अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों को जो जिला कलक्टर ने किये थे उनको उन्होंने निरस्त किया है, क्या यह जानकारी माननीय मंत्री महोदय को है ?

श्री अध्यक्ष : अब मान गये हैं मंत्री महोदय।

श्री अचला राम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, कलक्टर महोदय ने जो अनियमितताओं में हस्तक्षेप कर सकता है तो यह भी बता दीजिये कि पाली जिले में कहां-कहां अनियमितताएं हुई और अनियमितताओं के बारे में आज कार्य रोक दिये गये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बिराजिये। माननीय श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह आर्डर दिये हैं कि कलक्टर पंचायतों के कामों की मोनिटरिंग करेगा और जो यह कार्यवाही चल रही है कि सब पंचायतों की पुनः जांच हो रही है कि क्या-क्या काम किये गये हैं ? यह सरकारी आर्डर है, इसके तहत कलक्टर के बन्द किये गये काम क्या-क्या हैं ? मेरा एक सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह यादव। (व्यवधान) सदस्य चाहें तो चले जाएं।

श्री जगमालसिंह यादव (ति[illegible] पिछले वर्षों से इस बात प[illegible] हुई कि जिले स्तर पर [illegible] उन कमेटियों के [illegible]

(श्री जगमालसिंह यादव)

अधिकारी न बनाया जाकर, चाहे यह मैम्बर आफ पालियामेन्ट हो, चाहे वह किसी क्षेत्र का मन्त्री हो और चाहेकिसी क्षेत्र का विधायक हो, जन प्रतिनिधि हो, को ही किसी जिला स्तर पर कमेटी का मेम्बर बनाया जाय। मेरी राय यह है सारी जो समस्या है, मूल जो समस्या है कि वह यह है कि सारा प्रशासन और कन्ट्रोल आपने प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में दिया है। मेरा निवेदन है आपसे, सरकार से निवेदन है कि जहां-जहां जिले में जो कमेटियां हैं उन कमेटियों के अध्यक्ष जन प्रतिनिधियों को बनाया जाय। यह सारी समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आपका हो गया। माननीय इन्दलिया जी, आप बोलिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो सीधा-सादा है कलक्टर डी. आर. डी. ए. का चैयरमैन है और माननीय सदस्य उसके मेम्बर हैं। अध्यक्ष महोदय, जिला एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, ऐसी जिला एडवाइजरी कमेटी के माननीय सदस्य मेम्बर होते हुए भी नहीं गये हैं और मीटिंग में अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा होता है। उनको राइट है लेकिन माननीय सदस्यों की गैर हाजिरी में सदन के सदस्य बने हुए हैं। चैयरमेन कलक्टर है अकेला काम करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसने अकेले ने किया है तो राज्य सरकार क्या कलक्टर के खिलाफ एक्शन लेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मन्त्री जी। (व्यवधान) बहुत हो गया। I won't allow anybody.

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है और अब माननीय कमलेन्द्र जी ने भी उठाया है, मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ी होगी ही तब इतनी आवाज आ रही है। मैं चाहता हूं कि वह पंचायतों के नाम कुछ लिखकर दें। सारे जिले की जांच कोई अधिकारी कर नहीं सकेगा वह लिमिटेड नम्बर ऑफ पंचायत, जो उनके ख्याल से सबसे ज्यादा गडबडी किया है या किसी ने इन्ट्रप्शन किया है, उनकी लिस्ट दे दें। मैं सम्भागीय कमिश्नर को यह आदेश दूंगा कि यह मौके पर जाकर गांवों में जावे। वहां जाकर के उसकी जांच करे। इसके अलावा अगर यह भी होगा कि और भी कुछ गांव देंगे तो मैं विभागीय सचिव को यह कहूंगा कि वह भी मौके पर जाकर काम काज देखें और वह शिकायत जो हमारे सामने कहां तक सही है और कहां तक गलत है। वह आ जायेंगे आप उनको देखेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री कुंजी लाल जी, माननीय श्री कुंजी लाल जी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : यह जांच कितने समय में हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय कुंजीलाल जी प्रश्न सं॰ 184.

सवाई माधोपुर जिले में पम्पसैट्स का वितरण

184. **श्री कुंजीलाल मीणा**(बामनवास) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सवाई माधोपुर में पंचायत समितिवार किन-किन व्यक्तियों को सामूहिक डीजल पम्प सैट दिये गये ? जिन व्यक्तियों को डीजल पम्प सैट मिले हैं उनके स्वयं के कूप थे या सामूहिक कूप थे तथा क्या उक्त डीजल पम्प सैट अब भी उनके कूपों पर लगे हुए हैं ? कूप नं. सहित एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों ने सामूहिक कूप के लिए डीजल पम्पसेट नहीं खरीदे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं 184 स्थगित किया जाता है। (व्यवधान) नैक्स्ट श्री परसादी लाल, माननीय श्री परसादी लाल।

भू–संरक्षण कार्य

185. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कृषि निदेशालय स्तर पर राज्य भर में हो रहे भू–संरक्षण कार्यो की सूचना संकलित रहती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या कभी उक्त कार्यों की निष्पक्ष लोगों द्वारा आकस्मिक जांच कराई गई है ? यदि हां, तो कब कब ?

(3) क्या भू-संरक्षण से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जुड़े लोगों को अलग रख आकस्मिक जांच दल बनाया जाकर कार्य स्थलों पर श्रम व सामग्री की जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(4) क्या यह सही है कि भू–संरक्षण कार्य में अनियमितताओं की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इनकी जांच करने व भविष्य में स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

(1) यह सही है, राज्य भर में भू-संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय कन्सोलिडेटेड प्रगति की सूचना रहती है। यह वर्ष 1986-87 से रखी जा रही है।

(2) सभी भू–संरक्षण कार्यों की आकस्मिक जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। सुपरविजन करने वाले अधिकारी समय-समय पर जांच करते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (3) जी नहीं।

(4) यदा कदा भू–संरक्षण कार्यों में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनकी आवश्यकतानुसार जांच कराई जाती है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं हों, इस हेतु सुपरवीजन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि भू-संरक्षण कार्यों में यदा-कदा ही शिकायतें मिलती रहती हैं। जबकि इस विभाग में ज्यादातर भ्रष्टाचार होता है, फर्जी काम होते हैं और जितनी शिकायतें मिलती हैं, उनका निपटारा कौन करता है ? नीचे इंजीनियर्स, ए. ई. एन, एक्स. ई. एन. होते हैं, ऊपर भी होते हैं, कृषि विस्तार का जो एडिशनल डाइरेक्टर होना चाहिये, उसकी जगह वहां इंजीनियरिंग सर्विस के व्यक्तियों की ही, यहां तक एडिशनल डाइरेक्टर बना रहा है तो जो काम की शिकायतें नीचे से होंगी और जो भ्रष्टाचार नीचे से होता है और ऊपर तक पहुंचता है और जब नीचे होगा तो ऊपर का जो इंजीनियर बैठता है वह कैसे इस काम को करेगा तो मेरा इस सम्बन्ध में कहना है आपने जो भू-संरक्षण कार्यों के लक्ष्य फाइनेन्शियल न हो कर के वर्तमान में आपके फाइनेन्शियल लक्ष्य होते हैं। कितने रुपये खर्च किये जायेंगे, जबकि आपके लक्ष्य होने चाहिये भौतिक कि इतनी जमीन इस वर्ष ठीक हो जायेगी। फलां जिले में इतनी जमीन ठीक करने के लिए पैसा दिया जायेगा तो मन्त्री महोदय, मेरा आपसे कहना है कि जो भू-संरक्षण के कार्य हैं वे केवल मिट्टी को इधर-उधर करके सारे फर्जी काम करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक आपके इंजीनियर्स आपके विभाग में एडिशनल डाइरेक्टर तक इंजीनियर बैठा है। भू-संरक्षण एक्ट 1968 में कृषि विस्तार में क्या अधिकारी लगाने का प्रोवीजन है, यदि प्रोवीजन है तो उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विस का जो आज एडिशनल डाइरेक्टर बैठा है और उसको क्यों, किसने और किसलिये लगाया गया था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह तो कहा है कि फिजिकल और फाइनेन्शियल टारगेट्स के साथ-साथ फिजिकल टारगेट्स होते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करूं कि 86–87 में 70000 हैक्टेयर का टारगेट था, 87–88 में 42000 का, 88–89 में 36000 का और 89–90 में 43000 का। इसलिए फाइनेन्शियल टारगेट के साथ-साथ और उनके अनुसार फिजिकल टारगेट्स का लक्ष्य रखा जाता है और फिर ये योजनाएं बनती हैं। जहां तक इन्क्वायरी का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिर्फ जे.ई.एन. है और जे.ई.एन की अगर कम्प्लेन्ट आएगी तो उसके ऊपर का जो सीनियर अफसर है यह उसके ऊपर इन्क्वायरी करता है और ए. ई. एन. अगर इन्वाल्व है तो उसके ऊपर एक्स. ई. एन करेगा। और अगर एक्स. ई. एन. की है तो उसके ऊपर एस. ई. करेगा। यहां पर आलरेडी रूल्स रेगुलेशन के अनुसार यह इन्क्वायरी होती है और इन्क्वायरी ही करके कार्यवाही होती है। जहां तक एडिशनल डाइरेक्टर जो आज भू-संरक्षण की पोस्ट पर बैठा है, उसके सम्बन्ध में आपने कहा कि वह इंजीनियरिंग का है और इसलिए वह सही तरीके से जांच नहीं कर पाता। यह मैं समझता हूं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें एग्रीकल्चर सर्विस का ही हो, यह इंजीनियरिंग में है और इंजीनियरिंग सैल

(श्री दिग्विजय सिंह)

का भी एडीशनल डाइरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में उनकी ज्यादा उपयोगिता इसलिए है यह जो एनीकट्स का निर्माण होता है, उसके अन्दर टेक्नीकल एडवाइस और टेक्नीकल दृष्टि से देखने की आवश्यकता है इसलिए अगर एडिशनल डाइरेक्टर इंजीनियरिंग सैल से हो तो इसमें कोई गलत नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या चम्बल बीहड़ सुधार कार्यक्रम के बारे में स्थानीय अधिकारियों ने स्वयं या विधान सभा सदन में मैंने लिखित में और यहां बोलकर मामला उठाया है और इसकी जांच करवाई जायेगी या जांच करवाई गई है ?

दूसरा क्या केशोरायपाटन में 36 कट्टे सीमेन्ट चोरी ले जाते हुए स्थानीय ए.सी. एम. ने पकड़े और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के बाद में भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या यह विभाग की निकृष्टता का नमूना नहीं है। दूसरा, क्या इन सब बातों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? विशेष तौर से इन सारे भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। ए.डी.एम. ने रिपोर्ट की है ए.सी.एम. ने कट्टे पकड़े हैं, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं होना मेरा पुनः आपसे निवेदन है, क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मुद्दों को जो जनता के बीच में आये हैं, अगर दबाया जायेगा तो सरकार की बदनामी होगी और सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाकर दोषी अधिकारियों को दंडित करने का सरकार का विचार है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भू-संरक्षण का काम मुख्य तौर से पूर्वी राजस्थान में जयपुर और अलवर जिले में सबसे ज्यादा हो रहा है। मेरा एक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से, 1986 में मेरे साथ माननीय मंत्रीजी ने एक सवाल उठाया था कि 86 में जब बरसात हुई तो भू-संरक्षण का काम करने वाले जितने एनीकट बनाये गये थे वह अलवर जिले में 90 फीसदी ध्वस्त हो गये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जो भू-संरक्षण करने वाली विंग है उससे यह जांच आपने करवाई है कि जितने एनीकट आपने बनवाये हैं, जयपुर और अलवर में उससे भू-संरक्षण का कितना काम हुआ है, भू-संरक्षण कितना रुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है, केवल आपका एग्रीकल्चर विंग ही नहीं कर रहा है इसमें, साबी परियोजना के नाम से साबी नदी पर जमीन का जो कटाव होता है इसमें तो फोरेस्ट विभाग ही कर रहा है लेकिन मैं तो आपसे ही एक प्रश्न करता हूं

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कि 86 में आपने जिन एनीकट का निर्माण करवाया, खास कर अलवर जिले में जहां मैंने देखा है फिजीकली जाकर, आप एक जांच कमेटी अपने किसी विश्वसनीय अधिकारी की या माननीय सदस्यों की बना दें, 86 में जो काम चालू हुआ, चार साल में अगर आपको दस फीसदी भू-संरक्षण का काम आज भी बदस्तूर मिल जाय तो मैं इस बात का दोषी हूं कि मैं सदन को गुमराह कर रहा हूं। जितना भू संरक्षण का काम हो रहा है इसमें सारे घोटाले ही हैं, कोई मौके पर खेत पर जाकर नहीं देखता क्या लेबर देते हैं, किस रेट से करते हैं। इसमें इतने घोटाले हैं, माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि अलवर और जयपुर में....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, माननीय पूनमचन्द जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मैं खास तौर से जोधपुर डिवीजन के जिला पाली, जालौर और बाड़मेर की एक समस्या की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में जो भू-संरक्षण के कार्य होते हैं, अधिकतर एक व्यक्ति या दस व्यक्ति या पाँच व्यक्तियों से संबंधित कार्य होते हैं। लेकिन हमारे वहां पर यह है कि आहोर तहसील, पाली तहसील के अन्दर बहुत बड़ा भू-भाग है, अच्छी वर्षा होने से उसमें पानी एकत्र होता है और बारानी रबी होती है। लेकिन उसमें समस्या यह आ जाती है कि कहीं तो पानी दस फीट गहरा हो जाता है और फसल बोने तक सूखता नहीं है। तो क्या आप कोई ऐसी योजना बनायेंगे पाली के लिये, पाली तहसील, सिवाना तहसील और आहोर तहसील के लिये कि जो पानी हो, एक जगह इकट्ठा नहीं हो, उसमें समान रूप से काफी बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हो ? तो तहसील के स्तर की ऐसी कोई भू-संरक्षण की योजना बनायेंगे ताकि अधिक से अधिक बारानी रबी खेती हो ? इसकी कोई योजना है क्या आपके यहां, या ऐसी बनाई है आपने ?

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में काफी भूमि में कटाव है। इसको देखने के लिये यहां एक दल बना और उस दल के बनने के बाद में यहां पर कोई कार्य नहीं हुआ। जो एक दो कार्य स्वीकृत हुए हैं वह इन अधिकारियों के तालमेल से जैसा मेरे इलाके में इनन्डेशन का कार्य है वह अधूरा पड़ा है और जो आदमी कार्य कर रहा है उसको अपयशी करके निकालने की योजना है और जिन लोगों ने उसमें पैसे खाये, कट्टे चोरी किये हैं उन लोगों को वहां पर जमाये रखने की योजना है। मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगी, क्या इस प्रकार का कार्य विभाग में आगे होने देंगे या इसको ठीक करेंगे ? दूसरा मेरा यह निवेदन है। जो कार्य भू-संरक्षण के लिये किया जाता है, तो जल अधिग्रहण क्षेत्र में जो नदियों का जल आता है उस क्षेत्र में आगे इस तरह से एनीकट बनने से रोकेंगे कि नहीं ? जिस प्रकार जमवा रामगढ़ के क्षेत्र में चालीस एनीकट बना कर बांध का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया, आप इस विभाग पर नियंत्रण करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त करें कि आप इन सारे कार्यों की एक बार भौतिक स्थिति देखने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कनिष्ठ अभियन्ता की शिकायत होती है तो इसकी सहायक अभियन्ता से जांच करवाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि कनिष्ठ अभियन्ता की शिकायत की सहायक अभियन्ता क्या जांच करेगा, स्वयं बांटा लेता है, बटवारा लेता है। तो मेरा निवेदन है कि दूसरे विभाग के अधिकारी को जांच करने के लिये लगाया जाय और ऐसा प्रावधान किया जाय कि दूसरे विभाग का अधिकारी उसकी जांच करे। दूसरा मेरा निवेदन है कि भू–संरक्षण के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा गांव है जो चारों तरफ से नालों से कट चुका है और कुछ दिनों तक उसको नहीं संभाला, उस गांव का नाम आटोरा है, तो शायद वह गांव उजड़ जायगा, वहां के मकान नाले के नजदीक हैं जो गिरते हुए चले जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि भू-संरक्षण विभाग के द्वारा उसको ठीक किया जाय और वहां भू संरक्षण किया जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, परसादीलालजी।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, इस विभाग में न तो कोई जन–प्रतिनिधि होता है, इन्होंने कहा दूसरे विभाग के भी कोई अधिकारी से जांच कराने का सवाल नहीं है। सारे नीचे से लेकर ऊपर तक इंजीनियर हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, क्या इस प्रकार की व्यवस्था को आप ठीक मानते हैं ? क्योंकि हम तो भुगतभोगी हैं, गांवों में देखते हैं कि यह विभाग के अधिकारी क्या करते हैं। न कोई एम. एल. ए. को पूछते हैं, न कोई प्रधान, न कोई सरपंच और न किसी और को पूछते हैं। तो उसके बाद इनके कामों की कौन तो शिकायत करेगा, कौनसी एजेन्सी इसकी जांच करेगी, जांच करेगी तो उसकी रिपोर्ट कौन देखेगा ? वही एडीशनल डायरेक्टर। इससे पहले कृषि विस्तार का एडीशनल डायरेक्टर था उसकी जगह पर इसको क्यों लगाया ? क्या सरकार की कोई मजबूरी थी या सरकार को उसने कुछ गड़बड़ किया था ? मानलो पहले की सरकार गड़बड़ कर गई तो इसमें बहुत शिकायतें हैं, सारे माननीय सदस्यों की चिन्ता है, यह गांवों से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको सही बताना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में जितने काम किये वह सारे के सारे काम बेकार हैं, एक भी काम वहां पर ठीक नहीं है। आप किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लो। तो इस प्रकार दूसरे विभाग से जांच नहीं करवायेंगे तो इसको देखेगा कौन ? आपने कहा, सुपरवीजन कौन करेगा। जब सुपरवीजन ठीक नहीं होगा तो फिर यह काम ठीक कैसे होगा, आप इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : व्यासजी, पूछ रहे हैं आप ? (व्यवधान) आप कहां से खड़े हो गये। मैं दस मिनट से नाम देख रहा हूं, मेरे पास सब लिखे हुए हैं, आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक्ट में प्रोवाइडेड है कि कृषि विस्तार का एडीशनल डायरेक्टर होना चाहिये। फिर आपने इंजीनियर को क्यों लगाया, यह मौलिक बात है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके क्षेत्र में कुछ कट्टे चोरी जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। हालांकि इस प्रश्न से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं जानकारी के लिये निवेदन करूं कि इस मामले की जांच एक्स. ई. एन. द्वारा की जा रही है और रिपोर्ट एस. ई. को भिजवा दी, उसके बाद में उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी आवश्यक, निश्चित रूप से करेंगे। जहां तक तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर के अंदर जो कार्य हुए, खास तौर से 1986 में, वैसे मैंने भौतिक लक्ष्य तो आपको बतलाये थे कि 1986-87 के अन्दर 74 हजार एकड़ में लाभ हुआ, 1987-88 में 42 हजार में हुआ, 1988-89 में 36 हजार और 1989-90 में 43 हजार। स्पेसिफिक जो आपने तिजारा का कहा और उसके अन्दर जो अनियमितताएं बतलाई, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, वहां सब स्टेण्डर्ड का कार्य जितना भी हुआ है उसके ऊपर भी जांच चल रही है, मैं निश्चित रूप से आपको यह आश्वासन दे सकता हूं, एक माह के अन्दर उस रिपोर्ट को मंगा कर जो भी कोई अनियमितताएं हैं उसके बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दुबारा परसादीलालजी जो लालसोट से आते हैं माननीय सदस्य, उन्होंने उठाया और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसको कोट किया कि इंजीनियर क्यों लगाया हुआ है। रूल्स का आप बता रहे हैं, जिसमें आप एक्ट कोट कर रहे हैं, उसमें यह प्रतिबन्ध नहीं है कि इंजीनियरिंग सैल का नहीं लग सकता है। दोनों को ही लिस्ट के अन्दर क्वालीफाइंग के हिसाब से आर. पी. एस. सी. से अप्रूवल ली गई है और माना गया है, बराबर पोस्ट है। टेक्नीकल आदमी अगर लगता है इस काम के लिये तो मैं समझता हूं वह ज्यादा उपयुक्त है बजाय इसके कि कोई एग्रीकल्चर साइड का लग रहा है क्योंकि भू संरक्षण के काम सारे टेक्नीकल हिसाब से ही होते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय विश्नोई साहब ने फरमाया कि इस क्षेत्र में क्या ऐसी कोई योजना है और जल की बात बताई तो निश्चित रूप से नेशनल वाटर शेड डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत जो गाइड लाइन दी हुई है उसके अनुसार ही कार्य करते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। वह तो व्यक्तियों के कुछ खेत ले लेते हैं उनमें कुछ कन्टूर बन्दी करते हैं लेकिन दो लाख एकड़ का वास्ट एरिया है। इस साल बढ़िया बरसात हुई है। दो लाख एकड़ में भी हो सकता था लेकिन मुश्किल यह है कि जमीन समतल नहीं है। एक जगह तो 8-10 फीट नीची हो गई वहां दो साल भी पानी खतम नहीं होगा और पास वाला एरिया वंचित रह जाता है। माननीय लक्ष्मीचंद जी सांचोर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वालों से पूछिये। 60 बाई 15 कि. मी. का एरिया, दुनिया में ऐसी फसल नहीं होती, वहां इनन्डेशन से होती है लेकिन अब नदियां गहरी पड़ गई इसलिए उनमें पानी आएगा वह रन–कच्छ में चला जाएगा। आहोर, पाली, सिवाना पचासों गांवों में रबी, बारानी फसल गेहूं, चना, सरसों हो सकती है लेकिन उसमें भी कठिनाई यह है कि एक जगह पानी भर जाता है। ठीक है साल में कभी कोई ज्वार बो दिया। ऐसी कोई विभाग की तरफ से योजना यानि असलियत उन्होंने नहीं पहचानी। उन्होंने अमेरिका में जो मेकेनाइजेशन हुआ तो विण्ड ब्रेकर्स भी थे इसलिए सब रेत उड़ा करके काम हुआ होगा वह किताबें लिखी, उन किताबों को पढ़ते हैं यहां की धरती, यहां की असलियत को पढ़ते नहीं। नतीजा यह है कि ऐसा उन्होंने कोई वाटर शेड भी नकल किया हुआ सिस्टम है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यह ठीक है कि वाटर शेड को देख लेते हैं जिसमें एक कौने में 10 खेत बान्ध दिये। उससे क्या होता है। यह तो वास्ट एरियाज है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उनके विचारों से सहमत हूं। जब जोधपुर में मैंने मीटिंग ली उस वक्त भी मैंने सभी विभागों के अध्यक्षों और अधिकारियों से कहा था कि आप जो निर्माण करते हैं एनीकट का उसमें आप टेक्नीकलिटी के ऊपर इतना उलझ जाते हैं कि गांवों की उपयोगिता को भूल जाते हैं। इसलिए कभी–कभी तो अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बन जाती है कि टेक्नीकली कहते हैं कि 10 फीट बनना चाहिए और गांव वाले कहते हैं कि 14 फीट बन जाएगा तो हमारे को ज्यादा लाभ होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनका ज्ञान किताबी है। आप रेकार्ड देखिये हर तहसील का, बारानी रबी कहां–कहां होती है, क्यों होती है। इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें ताकि फ्लड से बारानी, रबी होने लग जाय। बहुत एरिया हैं उसमें एक पैसा खर्च नहीं हुआ है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं खुद सहमत हूं, और इसीलिए निवेदन किया। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इस सारे मामले पर मैं फिर विभाग को कहूंगा कि आपके सुझावों के अनुसार दुबारा इसके प्लान को देख कर फिर उस हिसाब से इम्पलिमेंट करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अमृतलाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 208 पर मेरा प्रश्न है और मैं चाह रही थी कि मंत्री महोदय उसका उत्तर दें लेकिन जो उनको उत्तर दिया वही उत्तर मुझे दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं। और माननीय मदन दिलावर का भी, दो का है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भूल गया था। जयपुर ग्रामीण से आने

(श्री दिग्विजय सिंह)

वाली माननीय सदस्या ने जो रामगढ़ कैचमेंट में एनीकट बने हैं उनकी वजह से जमवा रामगढ़ में आने का पानी रुक गया है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने कल ही इस सम्बन्ध में नोट भेज दिया कि भविष्य में उस कैचमेंट में कोई एनीकट का निर्माण नहीं होगा और यह भी मैंने डायरेक्शन दिये हैं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी इस बात के लिए सहमति और सुझाव चाहूंगा कि अब जो निर्माण करें एनीकट्स का तो उसके अन्दर हम सेल्यूज रखना चाहेंगे ताकि पहली वर्षा में वह सेल्यूज खुले रहें ताकि पानी वह कर उनके तालबों में चला जाय और फिर आखिरी शावर की जो बरसात का पानी है उसके पहले हम सेल्यूज को बन्द कर दें ताकि लास्ट रेन्स का पानी उसमें रुक जाय। वह ज्यादा लाभदायक होगा। इस व्यवस्था के लिए मैंने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर का और दे दें।

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जमवा रामगढ़ में कैचमेंट में बान्ध के पानी के एनीकट्स के लिए माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया तो क्या जमवा रामगढ़ के पूरे क्षेत्र में एनीकट्स का कार्य नहीं होगा। इसमें तो सारी बाण गंगा नदी आती है और सारे क्षेत्र ही उस नदी से जुड़े हुए हैं तो फिर कैचमेंट एरिया कैसे बन पाएगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं स्पष्ट कर दूं। अध्यक्ष महोदय, जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य समझे नहीं बात को। मैंने यह कहा कि भविष्य में जो निर्माण किया जाएगा उसमें सेल्यूज रखेंगे ताकि जमवा रामगढ़ में पानी भी आये और लास्ट रेन्स में सेल्यूज बन्द कर दें ताकि उन एनीकट का उपयोग भी हो जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, माननीय अमृतलाल जी परमार (अनुपस्थित)

(तारांकित प्रश्न संख्या 186, कृपया आगे देखिये)

श्री जितेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित)

(तारांकित प्रश्न संख्या 187, कृपया आगे देखिये)

नेकस्ट, श्री हरीश झामनानी।

फर्जी राशन कार्ड

188. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर, पश्चिम) :

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :—क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मार्च, 1990 से 25 जून, 1990 तक कुल कितने फर्जी राशन कार्ड पकड़े गये हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ गत तीन माह में क्या कार्यवाही की गई ?

Page No. 19

(श्री हरीश भामनानी)

(3) वर्ष 1988–89 व 1989–90 में फर्जी राशन कार्डों पर विभाग में अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कितनी राशन सामग्री उठाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में राशन कार्ड बनाना कई महीनों से बंद कर रखा है ? यदि हां, तो किस तारीख से और क्यों ? क्या जयपुर शहर में नई आवासीय कालोनीज यथा–मालवीय नगर, मानसरोवर आदि में नये राशन कार्ड न बनने के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

(5) क्या जयपुर शहर में वर्तमान में बने राशन कार्डों में से काफी राशन कार्ड फर्जी बने हुए हैं ? उनको रद्द करने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(6) वर्तमान में जयपुर शहर में राशन कार्ड बनवाने हेतु कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ? उन पर कब तक कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी ?

खाद्य मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) राज्य के अधिकांश जिलों में दिनांक 15-5-90 से चालू किये गये अभियान में अब तक 11,759 राशन कार्ड बोगस/फर्जी पाये जाने पर निरस्त किये गये हैं और कुल 1,03,378 यूनिट्स कम किये गये हैं। निरस्त किये गये राशन कार्डों में अधिकांश ऐसे राशन कार्ड्स हैं जिनके परिवार विभिन्न कारणों से स्थान छोड़ कर अन्यत्र जा चुके हैं व रवक्त जांच सम्बन्धित परिवार मौके पर नहीं मिला और ना ही उनका कोई अता पता था। ऐसे मामलों को बोगस कार्ड मान कर निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कुछ जिलों में फर्जी राशन कार्ड पकड़े गये हैं जो सम्बन्धित कार्ड धारियों को जारी ही नहीं किये गये थे। जैसे अजमेर जिले में 605 राशन कार्ड पकड़े गये हैं जिनमें से कुछ उचित मूल्य की दुकानों पर मिले हैं जो उपभोक्ताओं को जारी ही नहीं हुए थे। इनमें से अधिकांश किशनगढ़ कस्बे में मिले हैं। अब तक पकड़े गये बोगस/फर्जी राशन कार्ड्स व कम किये गये यूनिट्स की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राशन कार्ड के सम्बन्ध में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को जांच के बाद निलंबित करने, रद्द करने के अधिकार हैं तथा अविधिमान्य राशनकार्ड प्रस्तुतीकरण और उनको कब्जे में रखे जाने, राशनकार्ड के लिए बेईमानी से आवेदन करने, अवधिमान्य राशन कार्ड उपयोग करने पर इस आदेश का उल्लंघन मानते हुए दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाती है। विभाग ने जिला कलक्टर्स को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं। तदनुसार राशनकार्ड निरस्त करने व यूनिट्स कम करना भी एक कार्यवाही है। इसके अलावा अजमेर जिले में 6 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं और दो के प्राधिकार निलंबित किए गए हैं।

(श्री रामकिशोर मीणा)

(3) राज्य में राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 425 ग्राम चीनी, 10 किलो गेहूं, प्रति माह तथा चावल 6 किलो, खाद्य तेल 5 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। पिछले कुछ समय से चलाये जा रहे अभियान के दौरान अब तक 11,759 राशन कार्ड व 1,03,378 यूनिट्स कम किये गये हैं। अतः इनके द्वारा उठाई जाने वाली राशन सामग्री की अब बचत होगी और वह अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(4) यह सही नहीं है। नई कालोनीज मालवीय नगर, मानसरोवर आदि के राशन कार्ड बनाना बंद नहीं है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांच के बाद राशन कार्ड बनाये जाते हैं।

(5) यह सही है। फिर भी जयपुर शहर में 15 मई, 1990 से 15 अगस्त, 1990 तक घर-घर जाकर राशन कार्डों की जांच कराई जा रही है।

(6) 1250 आवेदन पत्र राशन कार्ड बनवाने हेतु विचाराधीन हैं। इनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही राशन कार्ड बना दिये जाएंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो फर्जी राशन कार्ड बने हैं यह कब बने और इनके बनाने में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई अथवा भविष्य में होगी? क्या मंत्री महोदय इस बात की कार्यवाही करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के बोगस और फर्जी राशन कार्ड नहीं बनाये जायं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि ऐसे बोगस और फर्जी कार्ड उचित मूल्य के दुकानदारों के पास मिले हैं तो उनके पास क्यों और कैसे रह गये? क्या यह सही नहीं है कि इन फर्जी और बोगस कार्डों के माध्यम से उनका माल लिया जाता है। मंत्री महोदय ने बताया कि उचित मूल्य के दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं। यह कार्यवाही कब हुई और जो दुकानदार इनमें लिप्त हैं क्या उनका दोष केवल फर्जी कार्ड रखना ही है या कोई अन्य दोष है? दो दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये हैं क्या उनका दोष भी यही है या कोई और दोष है? प्रश्न के खण्ड (3) में जो मैंने जानकारी चाही है कि वर्ष 1988-89 और 1989-90 में फर्जी राशन कार्डों पर कितनी सामग्री उठाई गई। उसका उत्तर आया है कि प्रति यूनिट इतनी-इतनी सामग्री वितरित की जाती है। कृपया वर्ष के अनुसार सामग्री की तादाद बताने का कष्ट करें।

क्या यह बात सत्य है कि एन्फोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर यह जानते हुये भी कि फर्जी राशन कार्ड के द्वारा सारा माल ब्लेक में जाता है, परन्तु.... ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस जवाब को केलकुलेट कर लेते आप। इन्होंने दोनों बातें यहां दी हैं कि प्रति

(श्री अध्यक्ष)

यूनिट यह दे रहे है। इतना फर्जी रेकार्ड पकड़ा गया है, यही तो है यह।

श्री हरीश झामनानी : अध्यक्ष महोदय, मेरे जो प्रश्न थे....।

श्री अध्यक्ष : हां, तो प्रश्न के लिए ही प्रश्न मत कीजिये। इन्होंने आपको प्रिफरेंस दे दिया।

श्री हरीश झामनानी : वर्ष 1988-89 में और 1989-90 में इन दोनों बातों की जानकारी चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी। आप बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह पढ़ने के बाद माननीय मंत्रीजी को विभाग ने जो जवाब बनाकर दिया उसको ज्यों का त्यों ही पढ़ दिया। यह सारा बिलकुल गलत और आधारहीन जवाब है। अब आपने यह कहा है इसके खण्ड–6 में कि सारे 1250 आवेदन–पत्र राशनकार्ड भरवाने हेतु विचाराधीन हैं। मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि जयपुर शहर में कम से कम पच्चीस हजार लोग विभाग में जो डी. एस. ओ. ऑफिस में और जे. डी. ए. में जो डी. एस. ओ. ऑफिस है वहां चक्कर लगाते हैं। वहां सौ रुपये प्रति राशनकार्ड के रिश्वत के उनको दे दें तो उनका तो राशनकार्ड बन जाता है और बाकी के आवेदन–पत्र ही नहीं लेते। आवेदन–पत्र नहीं लेंगे तो आपकी यह संख्या 1250 ही रह जाने वाली है। आपने यह जवाब दिया कि राशनकार्ड बनवाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जितनी भी कच्ची बस्तियां जयपुर शहर में है उन व्यक्तियों के राशनकार्ड पर सरकार ने घोषित प्रतिबन्ध लगा रखा है। विभाग के अधिकारियों को भी मैंने कई फोन किये तो यही जवाब मिलता है कि सभी कच्ची बस्तियों के लोगों के राशनकार्ड पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मैं आपके मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कच्ची बस्तियों के निवासियों के राशनकार्ड बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक। दूसरा नयी कालोनियां जैसे मालवीय नगर, मानसरोवर आदि जो नयी कॉलोनियां बसी हैं, उनमें क्या यह सही हैं कि 90 पर्सेन्ट लोगों के राशनकार्ड अभी बने हुये नहीं है और वे डी. एस. ओ. ऑफिस के चक्कर लगाते–लगाते परेशान हो गये ? क्या सरकार ऐसी कॉलोनियों में कैम्प लगाकर उनके राशनकार्ड बनाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में 50 प्रतिशत राशनकार्ड फर्जी बने हुये हैं। उन्होने जो जांच की है, 32 राशनकार्ड आपको फर्जी मिले हैं, जयपुर शहर में। जयपुर शहर की बात है। जयपुर शहर में मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जितने राशनकार्ड यह जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, इन्होंने वहां 50 प्रतिशत कार्ड बेनामी बनवा रखे हैं। और आप जो कोटा देते हैं वह ऊपर का ऊपर ब्लेक में दे देते है। आपका इस पर कोई अंकुश नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि सारे राशनकार्ड जयपुर शहर के कैंसिल

(श्री कालीचरण सराफ)

करिये और दुबारा एक अभियान चलाकर घर–घर जाकर अधिकारी यदि राशनकार्ड बनायेगा तो फर्जी राशनकार्ड पकड़ में आयेंगे। अन्यथा नहीं आयेंगे। एक मेरा यह सुझाव है कि जयपुर शहर में जो कॉलोनियां बनी हैं मालवीय नगर, मान सरोवर उनमें आपकी उचित मूल्य की दूकान नहीं है। मेरी बात सुनिये, तो वहां पर जो दूकान नहीं होने के कारण, जिनके राशन-कार्ड बने हुए भी हैं, उनको 15–15 किलोमीटर, 10–10 किलोमीटर चीनी लेने के लिए आना पड़ता है। अब दो किलो चीनी लेने के लिए, उन्हें चार सौ ग्राम चीनी लेने के लिए भी दस रुपया खर्चा करके आये तो इससे बढ़िया तो वह फ्रीसेल की चीनी खरीदना पसन्द करेगा। कम से कम जो नयी कॉलोनीज बनी हुई हैं, उनमें सरकार क्या नयी राशन की दुकान खोलने का विचार रखती है? इन सब बातों का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीया श्रीमती उजला जी।

श्री कालीचरण सराफ : आप प्रश्न-कर्त्ता के जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिये। मेरे पास सबके नाम लिखे हैं। मैं एक-एक के नाम बोल रहा हूं। देखिये बात सुनिये, आप भाषण देंगे तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। पॉइन्टेड क्वेश्चन करिये क्योंकि आप रिपीट करके लम्बा–चौड़ा कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)। मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूं....।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप पॉइन्टेड क्वेश्चन करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जयपुर में आपने जो यूनिट का हिसाब दिया है, चौदह लाख समथिंग। जनगणना विभाग वालों की संख्या में नौ लाख समथिंग जनसंख्या है। अगर बढोतरी होगी तो दस पर्सेन्ट के हिसाब से। मैं समझती हूं कि आपकी यहां पर साढ़े चार लाख यूनिट्स फाल्स हैं। मेरा आपको सुझाव यह है कि पुनः ढ़ंग बदलवाकर....।

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्टेड क्वेश्चन हो रहा है क्या? माननीया उजला जी यह पॉइन्टेड क्वेश्चन नहीं है। देखिये मैं सब को बोल रहा हूं कि आप भाषण मत दीजिये,

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने पिछली बार यहां होमगार्डस से राशनकार्ड बनवाये थे। अध्यक्ष महोदय, आप सुनें तो मैं बात करूं। मैं कई महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे कान खुले हैं। सुन रहा हूं, इधर भी सुन रहा हूं, उधर भी सुन रहा हूं....।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जानकारी यह है कि होमगार्डस के द्वारा राशनकार्ड बनवाये गये थे। इनके विभाग के द्वारा

Page No. 23

(23)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं। उनके पास बोरियों में अभी भी राशनकार्ड पड़े हुये हैं। अगर आपने इसी ढंग से फिर बनवाये तो फर्जी बनेंगे। और अगर नहीं बनवाये तो यह फाल्स यूनिट चलेगी। आप चार रोटी में से दो अगर किसी और को दे देंगे तो दोनों में से किसी का भी पेट भरेगा नहीं। इसलिए आप जिस आधार पर दूसरे राशनकार्ड जारी कर रहे हैं वे फाल्स लोगों में जा रहे हैं और गलत काम हो रहा है। मेरा आपसे पुन: पुरजोर निवेदन है कि कम से कम जयपुर में तो आपको ढंग बदलना होगा, राशनकार्ड बनाने का।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द जी। (व्यवधान) आप खड़े क्यों हो रहे हैं, मैं आपका भी नाम बोलूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब तो दिलवाईये आप।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। एक मिनट बोलने दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि जो मूल प्रश्नकर्त्ता है, उनका जवाब आ जाए, फिर लोगों का और क्वेश्चन करना ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : बात यही है कि ये सवाल जयपुर से सम्बन्धित हैं इसलिए सिवाय भाषण के पॉइन्टेड क्वेश्चन नहीं है जो मूल प्रश्न करने वाले का है। बाकी भाषण देंगे। टाईम दस मिनट का है। आपका भी जवाब आयेगा। और भाषण भी सुनेंगे वे और वे सजेशन तो नोट करेंगे। आपको जवाब आयेगा, आप विराजिये। हां, बालचन्द जी बोलिये, आप।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में आपने अभी तक कितने फर्जी राशनकार्ड जब्त किये तथा जो फर्जी राशनकार्ड जब्त किये गये, उनके खिलाफ आपने क्या–क्या कड़ी कार्यवाही की, यह आप बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने जो यूनिट बतायी है, उनको पिछले महीने में यह जो राशन सामग्री वितरित की है तो वह कितनी की और पिछले तीन महीनों में कितने राशनकार्ड आपने नये बनाये ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की शाहबाग तहसील में....।

श्री अध्यक्ष : यह कोटा कहां से आ गया इसमें। यह कोटा नहीं है माननीय सदस्य यहां।

श्री हेमराज मीणा : शाहबाग तहसील की दो पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर

(२५)

(श्री हेमराज मीणा)

फर्जी राशनकार्ड तैयार हुये हैं और वे राशनकार्ड उचित मूल्य की दूकान पर रखे हुये रहते हैं और किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। उसके कारण से आवश्यक जो राशन की दूकान का सामान है वह बाजार में बिक रहा है। माननीय मंत्री महोदय, से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन मामलों की जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष की, और ना पक्ष की घड़ियों में फर्क पड़ गया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है, यह मेरे लेफ्ट साइड की ठीक है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी घड़ी आगे जा रही है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा था कि....।'

एक माननीय सदस्य : आपकी साइड में बारह बजे रहे हैं पता नहीं है क्या आपको ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके भी बारह बज जायेंगे दस मिनट की देरी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने राशन कार्ड बनाये जाते हैं, क्या उनके हिसाब से राशन आवंटित होता है ? यदि आवंटित होता है तो क्या जो उपभोक्ता लेने के लिए आते हैं, गांव के कई उपभोक्ता ले जा नहीं पाते हैं तो क्या उनकी राशन सामग्री वापिस विभाग में जमा करवाई जाती है ? यदि जमा नहीं करवाई जाती है तो इनका राशन कहां जाता है ? क्या ब्लैक में बिकता है या कोई रिकार्ड रहता है उसका ? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : जवाब तो आये।

श्री अध्यक्ष : आयेगा, अब जवाब आयेगा। आखिरी सवाल है यह।

श्री रामनारायण शर्मा (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष जी, राशन कार्ड का मामला गरीब लोगों से ज्यादा सम्बन्धित है, माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि नैनवा तहसील की भोड़सा और कैथूड़ा पंचायतों के बारे में शिकायत की गई थी कि अकाल राहत के कार्यों में भी वहां के सरपंचों ने 15-15 रुपये राशन कार्ड बनाने के लिए हैं और वह शिकायत सही पाई गई है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मूल प्रश्न वालों का जवाब तो दे दीजिए, बाकी सबके सजेशन्स नोट कर लीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा : सबके लूंगा अध्यक्ष महोदय, अजमेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : घड़ी में 12 बज गए....

श्री बुलाकीदास कल्ला : घड़ी में फर्क है, इसको तो ठीक करवाइये ।

श्री अध्यक्ष : आप देखिये, बार–बार 12 बजने की तरफ ध्यान मत दिलाइए । वह मेरे दाहिनी तरफ बजे हुए हैं । वहां अभी बजने में बाकी है ।

श्री रामनारायण वर्मा : हां पक्ष की घड़ी तो ठीक कराइये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह पक्ष तो ठंडा हो गया साहब, घड़ी ही ठण्डी हो गई ।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक बात अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात ।

एक माननीय सदस्य : ना पक्ष की बारह बज जाने से इन सदस्यों को चिन्ता हो रही है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अजी, आपके भी बारह बजने वाले हैं, इन्तजार तो करो । पांच ही मिनट रह गये अब तो बारह बजने में ।

श्री रतनाराम चौधरी : आपके भी बारह बज जाएंगे ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उनके बारह बजा दीजिए ।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आर्डर प्लीज । सुनिये (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बारह बजने वाले हैं । दुर्भाग्य है कि हाउस में कोई सचेतक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री कालीचरण सराफ : आपकी घड़ी में भी जल्दी बाहर बज गये....

श्री अध्यक्ष : कालीचरणजी, जवाब नहीं सुनना है आपको ? मैं बंद कर दू, सुनिये फिर आप ।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि जो बोगस राशन कार्ड मिले हैं या फर्जी राशन कार्ड मिले हैं, वह दुकानदारों से मिले हैं । अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में इस प्रकार की कुछ दुकानों पर राशन कार्ड मिले थे जो जारी नहीं किये गये थे लेकिन दुकानदारों द्वारा इन पर राशन सामग्री उठा ली गई थी । जानकारी करने पर उनके विरुद्ध जांच जारी है । दो मामलों में पुलिस कार्यवाही करने के लिए इजाजत मांगी है, इस मामले में हमने एफ.आई.आर. लॉज करा दी है । जिला कलक्टर्स को राज्य स्तर पर लिखा गया है कि तीन महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो बोगस राशन कार्ड हैं, फर्जी राशन कार्ड हैं, उनको पकड़ने का तथा उनको रद्द करने का । सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि इसमें सहयोग करें । जितनी हमको केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित सामग्री होती है उसको हम फर्जी राशन कार्ड की वजह से जो हमारे असल उपभोक्ता हैं, उनको यह माल नहीं मिल पाता और बोगस राशन कार्ड के जरिये वह दुकानदार मिल कर ऐसी शिकायत

(श्री रामकिशोर मीणा)

आई है कि उनको बाजार में सीधे बेच दिया जाता है। इस जानकारी के बाद में राज्य सरकार ने तीन महीने का, डी. एस. ओज की मीटिंग लेकर, एक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। जितने भी इस तरह के राशन कार्ड पाये जायेंगे उनको रद्द करते हुए जो शेष बचेंगे उसके आधार पर हम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री देने की व्यवस्था करेंगे।

माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल उठाया कि 88–89 तथा 89–90 में कितने राशन कार्ड्स पर विभाग की उपलब्ध सूचना के आधार पर कितनी राशन सामग्री उठाई गई, यह जांच का विषय है। तीन महीने के अन्दर पता लगाने पर कि कितने राशन कार्ड फर्जी थे, उसके आधार पर ही यह बताया जा सकेगा कि कितनी सामग्री इन बोगस राशन कार्ड्स के आधार पर उठाई गई। एक सवाल माननीय कालीचरण जी ने उठाया है कि वहां पर राशन कार्ड बनना बंद है, कच्ची बस्तियों की जयपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कच्ची बस्ती का व्यक्ति, जब उसका राशन कार्ड बनता है, वह नई कॉलोनीज विकसित होती हैं, वहां जाकर बस जाता है, इस तरह के तथा जो नई कॉलोनीज जयपुर में बन रही हैं मानसरोवर है, मालवीय नगर है....

श्री कालीचरण सराफ : बंद है या नहीं, यह तो बताइये।

श्री रामकिशोर मीणा : बंद नहीं है, चालू है। राशन कार्ड बन रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : पच्चीस हजार लोग मैं ऐसे बताऊं कि जिनके राशन कार्ड इसलिए नहीं बनाये गये कि साहब कच्ची बस्तियों के राशन कार्ड बंद हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : राशन कार्ड के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है, राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं लेकिन उपलब्ध जो रिकार्ड है....

श्री रतना रामचौधरी : उस अभियान के साथ-साथ, जिनको नये राशन कार्ड नहीं मिले हैं उनको भी राशन कार्ड दिलवाये जाय।

श्री कालीचरण सराफ : आप कभी मेरे साथ दौरा करें तो मैं आपको बताऊं कि कितने लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाये हैं, अब आप ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ कर सुनोगे तो सही ?

श्री कालीचरण सराफ : गलत जवाब क्यों दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर मीणा : इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए जयपुर कलेक्ट्रेट....

श्री अध्यक्ष : सावधानी बरत रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : मैं पिछली एक

(श्री रामकिशोर मीणा)

जुलाई को मैंने मीटिंग बुलाई और उसमें बोगस राशन कार्ड्स के बारे में भी एक मुद्दा उठाया था लेकिन माननीय सदस्यों को प्रोपर सूचना नहीं मिलने की वजह से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसकी सूचना आप दे देते तो हमको यहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती । उन लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं जो जाली बनवा रहे हैं । जिनको जरूरत है उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है....(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हैं । बैठिये फिर आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो आदमियों को, दो विधायकों को फोन करके आपने मीटिंग की थी और बाकी लोगों को खबर नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उजलाजी, प्रश्नकाल समाप्त कर दूं ? नहीं सुनना चाहते आप ? तो सुन लीजिए चुपचाप आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा यह घड़ी सही है, इसमें तो अभी 12 ही नहीं बजे हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह घड़ी बंद हो गई है, खराब हो गई है....

श्री अध्यक्ष : यह मैं भी देख रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र राठोड़ : आप इस घड़ी की मानेंगे या उस घड़ी की ? सत्ता पक्ष की घड़ी यह है अध्यक्ष महोदय, इसको सही माना जाय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप ।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार बंद हो गई साहब....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : अन्य कार्य प्रारम्भ हो उससे पूर्व, अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि के कारण जोधपुर सम्भाग के अन्दर जो बाढ़ आई हुई है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है । बिराजिये । (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट 3 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाली उपखण्ड में कुओं का निर्माण

186. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपखण्ड बाली में देसूरी व बाली तहसील में अब तक अकाल राहत व जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने कुंए नये खुदवाने की स्वीकृति दी गई, कितने खुदवाये गये व कितने अधूरे पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्य के लिए कितना भुगतान उठाया गया, कितना भुगतान किस-किस व्यक्ति को किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार की जानकारी है कि देसूरी, सादड़ी, धाणेराव व माण्डीगढ़

(श्री अमृतलाल परमार)

में जो कुए पहले खुदे हुए थे उन्हीं का नाम लेकर भुगतान किया गया है ?

(4) ऐसे कितने सम्पन्न व्यक्ति हैं जिनको नियमों के विरुद्ध यह सुविधा प्रदान की गई ? क्या सरपंच इसके हकदार होते हैं ? सरपंच गांव सुमेर के श्री खीम सिंह व माण्डीगढ़ के श्री सुमेरसिंह को किन नियमों के तहत स्वीकृति दी गई ? दोनों परिवारों के कितने कुओं की स्वीकृति प्रदान की गई ?

(5) नियम विरुद्ध जिन अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है और जिन्होंने इससे फायदा उठाया है उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपखण्ड बाली में देसूरी एवं बाली तहसीलों में अब तक अकाल राहत में 468 एवं जवाहर रोजगार योजना में 472 कुंए खुदवाने की स्वीकृति दी गई। अकाल राहत में 332 एवं जवाहर रोजगार योजना में 449 कुंए खुदवाये गये। अकाल राहत में 202 एवं जवाहर रोजगार योजना में 338 कुंए अपूर्ण पड़े हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन कार्यों के लिए रुपये 107.39 लाख का भुगतान उठाया गया एवं रुपये 116.48 लाख का भुगतात किये गये व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नये स्वीकृत कुओं का भुगतान ही किया गया है।

(4) नियमों के विरुद्ध किसी को भी सुविधा नहीं मिली। नियमों में सरपंच के लिए कोई पाबन्दी नहीं है । श्री खेमसिंह (सुमेर) एवं श्री सुमेरसिंह (माण्डीगढ़) सरपंचों के नाम से कोई कुआ स्वीकृत नहीं किया गया है। श्री भंवरसिंह पुत्र खीमसिंह के नाम से एक कुआ स्वीकृत हुआ है ।

(5) अकाल राहत एवं जवाहर रोजगार योजना के तहत जो भी कुए स्वीकृत किये गये हैं वे नियमानुसार हैं। अतः कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालय

187. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जैसलमेर जिले में पशु औषधालय के विस्तार की क्या कोई योजना है ?

(2) क्या उक्त जिले के पशु चिकित्सालयों में सुधार के लिए इस वर्ष अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(3) जिले के पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

(4) क्या उक्त जिले के पशु चिकित्सालयों में पेथोलोजीकल प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में वर्तमान में पशु औषधालय के विस्तार/क्रमोन्नत करने की कोई योजना नहीं है।

(2) इस वर्ष जिले पशु चिकित्सालयों के सुधार हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

(3) जिले के पशुधन की गुणवत्ता सुधारने हेतु विशेष कर गौवंश में सुधार के लिए उन्नत नस्ल के सांडों के वितरण की योजना है।

(4) जी नहीं। जैसलमेर के जिला मुख्यालय पर एक सर्रा नियंत्रण इकाई की प्रयोगशाला कार्यरत है जो समस्त जिले के पैथोलोजी कार्य की देखभाल करती है और यह पर्याप्त है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगंज एवं शाहबाद में इन्दिरा आवास योजना

251. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर कितने-कितने आवास (मकान) निर्मित करने हेतु कितनी-कितनी धन राशि उपलब्ध करायी गई है ?

(2) इनमें से कौन-कौन से स्थानों पर निर्मित मकानों में कितने परिवार रहने लगे हैं ?

(3) अधूरे निर्माण कार्य कब तक पूरे करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति किशनगंज में 66 आवास भवनों के निर्माण हेतु रुपये 7 लाख 92 हजार उपलब्ध कराये गये एवं पंचायत समिति शाहबाद में 169 आवास भवनों के निर्माण हेतु रुपये 20 लाख 28 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई। पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज क्षेत्र में स्वीकृत मकानों का ग्रामवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) निर्मित मकानों में वर्तमान में कोई भी लाभार्थी नहीं रह रहा है।

(3) अपूर्ण निर्माण कार्यों को वर्ष 1990-91 में पूर्ण कराने के प्रयास किये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री डूंगरगढ़ व राजगढ़ (चूरू) में उचित मूल्य की दुकानें

252. **श्री किशनाराम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले की श्री डूंगरगढ़ एवं राजगढ़ तहसील में राशन वितरण हेतु कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसीलों में प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ?

(30)

उत्तर

(1) चूरू जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र में 58 एवं राजगढ़ तहसील क्षेत्र में 95 उचित मूल्य की दुकानें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त तहसीलों में लेवी चीनी 425 ग्राम प्रति व्यक्ति, गेहूं 10 किलो प्रति यूनिट, चावल 6 किलो प्रति राशन कार्ड, आयातित खाद्य तेल 5 किलो प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह केन्द्र सरकार से आवंटन के अनुरूप में उपलब्ध कराया जाता है। केरोसीन तेल 5 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं नियंत्रित कपड़ा उपलब्धता एवं मांग के अनुसार दिया जाता है।

(सूची वितृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़

253. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या अभी हाल ही में कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ के सचिव के विरूद्ध मण्डी शुल्क का अपवंचन एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? कृपया शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी नवलगढ़ को गत तीन वर्षों में कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर वर्तमान सचिव मण्डी शुल्क का अपवंचन कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुचा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर राज्यहित में स्थानान्तरण करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या कृषि जिन्सों पर नगर पालिका, नवलगढ़ द्वारा जारी चुंगी रसीदों के अनुरूप मण्डी समिति के आवक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1987 से अब तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या निदेशालय कृषि विपणन के निदेशानुसार नगरपालिकाओं की चुंगी रसीदों के अनुरूप कृषि जिन्सों के आवक का मिलान किया जाना अपेक्षित है? यदि हां, तो मण्डी सचिव, नवलगढ़ के द्वारा उक्त निदेशों से आवक रजिस्टर में भिन्नता रखे जाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत की जांच क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सीकर कर रहे हैं। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ के गत तीन वर्षों की आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(3) जांच उपरांत ही यह ज्ञात हो सकेगा कि कार्यरत सचिव ने मंडी समिति को राजस्व की हानि पहुंचाई है अथवा नहीं।

(4) नगरपालिका नवलगढ़ से कृषि जिन्सों की आवक का रिकार्ड प्राप्त कर आवक पंजिका में मिलान वर्ष 89, 90 से

(कृषि मंत्री)

प्रारम्भ किया गया है। इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति जांच उपरांत ही स्पष्ट होगी।

(5) भिन्नता के सम्बन्ध में भी तथ्यात्मक स्थिति जांच उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, झाड़ोल के चयनित परिवार

254. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, झाड़ोल जिला उदयपुर में वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90, 1990-91 में विभिन्न बैंकों द्वारा कितने चयनित परिवारों को लाभान्वित किया गया ? वर्ष वार विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें।

(2) किसान का नाम, पिता का नाम (2) लाभान्वित राशि (3) किस प्रोविजन हेतु (4) ग्राम का नाम (5) पंचायत (6) चयनित बुक की क्रम संख्या (7) बैंक का नाम।

उत्तर

(1) पंचायत समिति-झाड़ोल, जिला-उदयपुर में विभिन्न बैंकों द्वारा वर्ष 1987-88 में 375 चयनित परिवारों, 1988-89 में 731 चयनित परिवारों एवं वर्ष 1989-90 में 629 चयनित परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1990-91 में उक्त पंचायत समिति में अभी तक किसी भी बैंक द्वारा किसी चयनित परिवार को लाभान्वित नहीं किया गया है।

(2) पंचायत समिति-झाड़ोल में उपरोक्त वर्षों में लाभान्वित किये गये चयनित परिवारों का वर्षवार विवरण प्रश्न में चाहेनुसार तालिका में संलग्न है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बाबा गरीबनाथ मंदिर मुण्डावर(अलवर)

255. **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के अलवर जिले की मुण्डावर तहसील में ग्राम शामदा में श्री बाबा गरीबनाथ जी के मन्दिर के पास पूर्व में चल व अचल सम्पत्ति कितनी थी और इस समय कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मन्दिर से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिर की भूमि को पुजारी ने अपने नाम करा रखी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार मन्दिर का ट्रस्ट बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के अलवर जिले की मुण्डावर तहसील ग्राम शामदा में मन्दिर श्री बाबा गरीबनाथजी की सम्पत्ति लगभग 50

(देवस्थान मंत्री)

लाख रुपये की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. एक भवन 6 बीघा भूमि पर है।

2. ग्राम शामदा में 100 बीघा भूमि व 25 बीघा बंजर भूमि है जिसमें एक तालाब बन रहा है और वृक्ष लगे हुये हैं।

3. ग्राम बहरोड में 6 बीघा भूमि।

4. ग्राम सागवाडी (रेवाडी-हरियाणा) में एक बहुत बडा भवन जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है–निर्माण कार्य चल रहा बताया है।

(2) मन्दिर को ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करने की कार्यवाही सहायक आयुक्त, देवस्थान, भरतपुर के यहां विचाराधीन है। इस कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात ही किसी दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(3) देवस्थान निरीक्षक, अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 4.8.88 के आधार पर सहायक आयुक्त, देवस्थान, भरतपुर ने ने स्वयं ही कार्यवाही प्रारंभ कर मन्दिर के महन्त श्री बाबा गरीबदास को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 17 के तहत नोटिस दिया है तथा धारा 18 (2) के तहत जांच शुरू कर दी है जो अभी विचाराधीन है।

डूंगरगढ़ तहसील (चूरू) के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

256. **श्री किशना राम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विगत पांच वर्षों में ग्रामीण रोजगार योजना एवं अकाल राहत के तहत कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में चूरू जिले की डूंगरगढ़ तहसील के सरपंचों के खिलाफ कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो किन–किन सरपंचों के खिलाफ एवं क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिलाधीश कार्यालय तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विगत 5 वर्षों में ग्रामीण रोजगार योजना एवं अकाल राहत के तहत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में चूरू जिले की डूंगरगढ़ तहसील के निम्नलिखित सरपंचों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच विचाराधीन है।

1. श्री रामेश्वर सरपंच लिखमनादेसर
2. श्री हनुमान सरपंच बीग्गा
3. श्री केसाराम सरपंच मोपासर
4. श्री अर्जुनदेव सरपंच सावंतसर
5. श्री गुणीराम सरपंच रिड़ी
6. श्री लेखराम सरपंच तौलियासर
7. श्री रामेश्वर लाल सरपंच उदरासर
8. श्री तेजाराम सरपंच धीरदेसर
9. श्री रामलाल सरपंच सोनियासर

सिनसिनी से जनूथर सड़क का निर्माण

257. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग तहसील के अन्तर्गत सिन्सिनी गांव से थेरावर होकर जनूथर के लिए निकलने वाली सड़क के लिए क्या कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या उक्त तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति सही नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(3) डीग कस्बे के यातायात को संभालने के लिए सरकार के पास क्या कोई बाईपास सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो बाईपास कब तक बन सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । सड़कों के सुधार का कार्य समयानुसार संशाधनों की उपलब्धि से प्रगति पर रहता है ।

(3) जी नहीं । डीग कस्बे के यातायात को सुधारने के लिए बाईपास सड़क बनाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्भर करता है ।

घाटोल व पीपलखूंट (बांसवाड़ा) में नये कुए खोदने हेतु सहायता

258. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष 1989–90 एवं इस वित्तीय वर्ष 1990 91 में जीवन धारा योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा असिंचित क्षेत्र में नये कुए खुदवाने हेतु स्वीकृतियां दी हैं ? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति घाटोल एवं पंचायत समिति पीपलखूंट में किन-किन गांवों के किन-किन काश्तकारों को कितनी वित्तीय सहायता नये कुए खोदने हेतु प्रदान की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1988–89 में जीवनधारा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1988–89, 1989–90 में सभी जिलों में स्वीकृतियां जारी की गई हैं । वर्ष 1990–91 में जवाहर रोजगार योजना में जीवन धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में असिंचित क्षेत्रों में 12, 250 कुओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि सभी जिलों को दिनांक 16-5-1990 के पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है । बांसवाड़ा जिले में इसके विरुद्ध अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है । वर्ष 1988-89 एवं 1990 में पंचायत समिति घाटोल में 175 एवं पंचायत समिति पीपलखूंट में 125 कृषकों को कुए खुदवाने हेतु

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

स्वीकृति जारी की गई। प्रत्येक कृषक को स्वीकृत की गई राशि एवं उसको उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण "परिशिष्ट अ" पर उपलब्ध करा दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई ?)

बन्धक मजदूरों का पुनर्वास

259. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बन्धक मजदूरों की पुनर्वास योजना में अब तक कुल कितने बन्धक मजदूरों को मुक्त कराया गया ?

(2) इनके पुनर्वास पर कुल कितना धन अब तक व्यय किया गया ?

(3) क्या सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार पुनर्वास किये गये मजदूर वर्तमान में अपने स्थान पर स्वतन्त्र रूप से निवास कर रहे हैं या पुनः बन्धक बना लिये गये ?

उत्तर

(1) 7188

(2) 126.19 लाख रुपये।

(3) जी हां। किसी भी मुक्त बंधक मजदूर के पुनः बंधक बनने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

पुलिस कॉलोनी अजमेर

260. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर में पुलिस कर्मियों के आवास हेतु निर्मित कॉलोनी के भवन पर कुल कितनी लागत आई ?

(2) क्या उक्त भवन में घटिया सामग्री के उपयोग के कारण गत वर्ष भवन का एक हिस्सा गिर गया था ?

(3) यदि हां, तो क्या भवन सामग्री की जांच की गई ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस लाइन, अजमेर में लोअर सबोर्डिनेट एवं अपर सबोर्डिनेट हेतु जो गृह निर्माण हुए हैं उनका दिनांक 30-6-90 तक का कुल खर्चा रु. 56,27,689 हुआ है।

(2) जी हां। दिनांक 27-8-89 को निर्माणाधीन क्वाटरों में से 2 क्वाटरों की दीवारें ढह गई थी।

Page No. 35

(गृह मंत्री)

(3) जी हां । भवन के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री होने का संदेह होने से आवासन मण्डल के अधिकारियों द्वारा सामग्री जब्त कर परीक्षण हेतु श्री राम टेस्ट हाउस, नई दिल्ली एवं फील्ड टेस्टिंग स्टेशन, उद्योग मंत्रालय, जयपुर को भेजी गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) दोषी अधिकारियों में आवासीय अभियन्ता श्री के. एल. माथुर, परियोजना अभियन्ता श्री पी. सी. माथुर, एवं परियोजना अभियन्ता श्री पी. के. दुग्गल को दिनांक 31-8-89 को राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा निलम्बित किया गया था। उन्हें 30-12-89 को आरोप पत्र देकर बहाल किया गया है। इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच अभी चल रही है।

गिरे हुए मकानों का पुनः निर्माण ठेकेदार मैसर्स एस. एन. बिन्दल, ई-5 शास्त्री-नगर, अजमेर द्वारा स्वयं के खर्चे से कराया गया है। ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट करने का मामला राजस्थान आवासन मण्डल में विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लूनी नदी पर पुल निर्माण

261. **श्री हुकमाराम मेघवाल (सिवाना) एवं**

श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम सिणधरी से बाड़मेर मार्ग में लूनी नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति जारी हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस पुल के निर्माण के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पायलां (कलां) में लूनी नदी की रपट टूट गई है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से शुरू करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) निर्माण की कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। स्वीकृति प्राथमिकताएं एवं संसाधनों पर निर्भर करती हैं।

(2) जी हां, अभी अनुमानित लागत का तकमीना नहीं बनाया गया है।

(3) जी हाँ, क्षतिग्रस्त हो गई है। योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्माण हाथ में लेना निर्भर करता है।

गैस उपभोक्ताओं को कार्ड्स का वितरण

262. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कार्ड जारी करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो इस पद्धति को

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

राजस्थान में कब से लागू करने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कार्ड जारी करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ही नहीं हुई है, तो राजस्थान में लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

केशवरायपाटन बूंदी में इंदिरा आवास योजना

263. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं
श्री किशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले की केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने आवास गृहों के निर्माण हेतु आवंटित की गई ? कृपया ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी आवास कॉलोनियों का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो किन–किन का निर्माण अपूर्ण है ? पूर्ण व अपूर्ण कॉलोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी आवासीय कॉलोनियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति को ही प्राथमिकता दी गई है ? यदि हां, तो सभी कॉलोनियों में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति क्रमशः निवास कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले की केशवरायपाटन पंचायत समिति में वर्ष 1984-85 से 1989-90 की अवधि में 8 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 125 मकान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु रुपये 9, 47, 700 की धनराशि आवंटित की गई। पंचायत-वार आवंटित की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। 8 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्वीकृत 125 मकानों के विरुद्ध अभी तक केवल 2 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 39 मकानों का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष 6 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत इन्दिरा आवास कॉलोनियों का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। पूर्ण एवं अपूर्ण कॉलोनियों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु केवल एक ही कॉलोनी का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है जिसमें 15 मकान स्वीकृत हुए हैं। इन सभी 15 मकानों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास कर रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

पंचायत बारांगना, पंचायत समिति डीडवाना में अनियमिततायें

264. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री उम्मेद सिंह)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बारांगना पंचायत समिति डीडवाना ने जवाहर रोजगार योजना में बिना कार्य करवाये ही दिनांक 31-3-90 को अनियमित हिसाब तैयार कर लिया ? यदि नहीं तो क्या कुछ समय पूर्व सहायक अभियंता (डी.आर.डी.ए.) द्वारा कुओं के तत्स्थानीय निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण भवन बन रहा था जो अभी भी चालू है ?

(2) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया तत्स्थानीय निरीक्षण के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी डीडवाना की सूचना के आधार पर यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत बारांगना ने समाज कल्याण भवन जैवलियावास का कार्य 1-3-90 से आरम्भ होकर 30-3-90 को पूर्ण होना बताया गया था तथा 25,800/- रु0 व्यय होना बताया गया है।

दिनांक 7-6-90 को सहायक अभियन्ता, डीआरडीए. ने मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार गांवों का सर्वे करने जैवलियावास गये थे जिसके अनुसार कार्य प्रगति पर था एवं प्लिन्थ लेवल तक चुनाई का कार्य हुआ था। अब यह समाज कल्याण भवन पूर्ण है।

(2) सहायक अभियन्ता के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। दायित्व निर्धारित होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना सर्जन कार्यक्रम

265. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परियोजना सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत टोंक जिले में 1985 से अब तक क्या-क्या योजनाएं सृजित कर वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति के लिए किस-किस संस्था को भेजी गयी ? किस योजना की स्वीकृति कब प्राप्त हुई ? कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा वर्षवार कितना-कितना खर्चा किस-किस योजना पर किया गया ? प्रत्येक के बारे में विवरण सूचना अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार आगामी वर्षों में क्या-क्या योजनाएं बनाने का विचार कर रही है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

परियोजना सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत टौंक जिले में सृजित योजनाओं के संदर्भ में वांछित सूचना इस प्रकार है।

क्र. सं.	योजना का नाम	लागत (रु. लाख में)	सृजन वर्ष	वित्तीय संस्था	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ	कर्मवार खर्चा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पक्की घोरे, निवाई	1.65	16-7-85	नाबार्ड	25-11-87	दिसम्बर, 87	विभाग द्वारा
2.	फल विकास, मालपुरा	6.08	31-7-87	,,	18-1-88	फरवरी, 88	योजनाएँ सृजित
3.	फल विकास, टोडारायसिंह	6.00	31-7-87	,,	18-1-88	,,	एवं स्वीकृत करा-
4.	लघु सिंचाई योजना, निवाई	43.120	21-6-85	,,	9-10-85	नवम्बर, 85	कर ऋण हेतु
5.	लघु सिंचाई, टौंडारायसिंह	35.283	3-10-85	,,	5-11-85	दिसम्बर, 85	विभिन्न बैंकों को
6.	लघु सिंचाई, देवली	10.215	4-9-86	,,	10-8-87	सितम्बर, 87	भेज दी जाती
7.	लघु सिंचाई, टौंक	17.650	19-12-86	,,	3-4-87	मई, 87	हैं। खर्चा कृषक
8.	लघु सिंचाई, उनियारा	23.990	14-4-87	,,	31-7-87	अगस्त, 87	स्वयं वहन
9.	लघु सिंचाई, मालपुरा	29-492	8-9-87	,,	8-1-88	फरवरी, 88	करता है।
10.	लघु सिंचाई, निवाई	30.980	16-9-87	,,	29-12-87	जनवरी, 87	,,
11.	लघु सिंचाई, टौंक	42.009	20-11-87	,,	8-1-88	फरवरी, 88	,,

Page No. 39

(39)

(एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	लघु सिंचाई, टोडारायसिंह	24.380	20-12-87	नाबार्ड	1-3-89	अप्रेल, 89	विभाग द्वारा
13.	लघु सिंचाई, मालपुरा	112.240	25-2-89	,,	10-4-89	मई, 89	योजनाएं सृजित
14.	लघु सिंचाई, देवली	34.825	28-6-89	,,	4-8-89	सितम्बर, 89	एवं स्वीकृत करा-
15.	लघु सिंचाई, उनियारा	52.465	5-8-89	,,	2-12-89	जनवरी, 89	कर ऋण हेतु
16.	लघु सिंचाई, निवाई	34.167	28-8-89	,,	2-12-89	जनवरी, 89	विभिन्न बैंकों को
17.	मंडी प्रांगण, उनियारा	16.01	12-2-90	,,	31-5-90	राज्य सरकार की गारंटी में विचाराधीन चल रही है	भेज दी जाती हैं। खर्चा कृषक
18.	डेयरी विकास, टोंक	22.80	31-3-89	,,	नाबार्ड को स्वीकृति हेतु विचाराधीन	—	स्वयं वहन करता है।
19.	बैल गाड़ी/ऊंट गाड़ी, टोंक	26.42	24-4-89	,,	,,	—	,,
20.	क्रेफी कार्ड योजना, बालून्दा ग्राम	18.25	1987-88	,,	,,	—	,,
21.	क्रेफी कार्ड योजना, जूनिया ग्राम	16.50	,,	नाबार्ड	,,	—	,,

४०

(एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	जलोत्थान सिंचाई, कुक-राज खुर्द	0.90	85-86	राज्य सरकार	31-1-86	85-86	86-87 सम्पूर्ण खर्चा
23.	जलोत्थान सिंचाई, मोरड़ा	1.83	86-87	,,	20-1-87	86-87	87-88 ,,
24.	जलोत्थान सिंचाई, भरना	1.87	86-87	,,	6-2-87	87-88	87-88 ,,
25.	जलोत्थान सिंचाई, देवड़ावास	1.20	86-87	,,	31-3-87	87-88	87-88 ,,
26	जलोत्थान सिंचाई, बोरड़ा	0.68	85-86	,,	28-3-86	85-86	86-87 ,,
27.	जलोत्थान सिंचाई, चूरिया-I	3.59	87-88	,,	8-2-88	87-88	89-90 ,,
28.	जलोत्थान सिंचाई, चूरिया-II	5.39	87-88	,	8-2-88	88-89	88-89 ,,
29	जलोत्थान सिंचाई, इन्द्रपुरा	2.51	87-88	,,	2-3-88	88-89	88-89 ,,
30.	जलोत्थान सिंचाई, जलसीना	2.47	88-89	,,	21-12-88	89-90	कार्य चालू है
31.	जोलोत्थान सिंचाई, जेवल्या	2.59	88-89	,,	31-3-90	90-91	,,

(एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री)

(2) परियोजना सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में निम्न योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है :—

1. एक संस्थागत बायोगैस संयंत्र वनस्थली में लगाने की योजना प्रस्तावित है।

2. दो जलोत्थान योजनाएं प्रस्तावित हैं।

3 टौंक मंडी यार्ड (द्वितीय) चरण प्रस्तावित है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में उचित मूल्य की दुकानें

266. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में ऐसी उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उचित मूल्य की दुकानों पर क्या–क्या वस्तुएं कितनी मात्रा में प्रति माह वितरित की जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिले में क्रमशः 503 व 178 उचित मूल्य की दुकानें हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला बाड़मेर में 259 व जैसलमेर में 112 उचित मूल्य की ऐसी दुकानें हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं। जिनका विवरण प्रश्न के भाग (एक) की सूची में दिया जा चुका है।

(3) उचित मूल्य की दुकानों पर निम्न लिखित वस्तुएं भारत सरकार से आवंटन के अनुरूप उनके आगे अंकित मात्रा में प्रतिमाह वितरित की जाती हैं : —

1. गेहूं : 10 कि. ग्रा. प्रति व्यक्ति

2. लेवी चीनी : 425 ग्राम प्रति व्यक्ति

3. चावल : 6 किलो प्रति राशन–कार्ड

4. खाद्य तेल : 5 किलो प्रति राशन-कार्ड

5. केरोसीन तेल : 5 लीटर प्रति राशनकार्ड

6. नियंत्रित कपड़ा : मांग के अनुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 42

(४२)

विश्रान्ति गृह, उदयपुर की आय

267. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्रान्ति गृह, देवस्थान उदयपुर की वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में किस–किस मद से कितनी–कितनी आय हुई एवं किस–किस मद पर कितना-कितना खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि विश्राम गृह में बिस्तर, गद्दे एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार सुधार हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) उक्त विश्राम गृह में विगत दो वर्षों में कब–कब कितनी–कितनी मात्रा में कितनी–कितनी लागत के बिस्तर, तकिये आदि की खरीद की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार देवस्थान विश्राम गृह, उदयपुर में भी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीनस्थ परिधि गृहों जैसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विश्रांतिगृह, उदयपुर के वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में मदवार हुई आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार संलग्न है।

(2) जी हां। विश्रांतिगृह उदयपुर में यात्रियों की संख्या गिरने का कारण गत वर्षों में उदयपुर संभाग में पीने के पानी की जटिल समस्या थी। व साथ-साथ बिस्तर, गद्दे एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं। अब व्यवस्था सुधार हेतु बिस्तर, गद्दे व पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। विगत दो वर्षों में इस संस्था में बिस्तर तकिया आदि की कोई खरीद नहीं की गई। क्योंकि मितव्ययता के फलस्वरूप सामान क्रय करने पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध था।

(4) जी नहीं। इस संस्था में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिनस्थ परिधि गृहों जैसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

दानपुर (बांसवाड़ा) में नियंत्रित मूल्य की दुकानें

268. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में पिछले दो वर्षों में दानपुर के लिये कितना सामान

(श्री बहादुर सिंह)

कितनी तादाद में नियन्त्रित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराया गया ?

(2) वितरण में डीलरों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की रोकथाम हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में चावल व चीनी का कोटा बढ़ाये जाने का इरादा रखती है ?

(4) बांसवाड़ा जिले में खाद्यान्न की नियन्त्रित मूल्य की कितनी दुकानें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) बांसवाड़ा जिले में कितनी दुकानें डीलर्स द्वारा व कितनी लेम्प्स द्वारा संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में पिछले दो वर्षों में दानपुर क्षेत्र के लिये 15936 मै. टन गेंहू, 4626 मै. टन लेवी चीनी एवं 1268 मै. टन चावल नियंत्रित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराया गया ।

(2) वितरण में डीलरों द्वारा अनियमितता करने पर उनके विरूद्ध मुकदमें बनाये जाते हैं तथा अनियमितताओं की रोकथाम के लिये समय–समय पर जांच कराई जाती है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) बांसवाड़ा जिले में खाद्यान्न की नियंत्रित मूल्य की 418 दुकानें हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) बांसवाड़ा जिले में 256 दुकानें डीलर्स द्वारा व 162 लेम्प्स द्वारा संचालित हैं । प्रश्न के भाग (4) में दी गई सूची में इनका विवरण अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

क्रय-विक्रय संघ, लाडनूं

269. **मनोहर सिंह (लाडनूं) :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं क्रय–विक्रय संघ द्वारा लाखों रुपया अग्रिम लेने के बाद भी आवश्यक वस्तुओं का कोटा समय पर खुदरा व्यापारियों को नहीं दिया जा रहा है ?

(2) विगत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लाडनूं तहसील में चीनी का कितना-कितना कोटा, कब-कब आवंटित किया व क्रय-विक्रय संघ ने कब-कब कितना उठाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार लाडनूं क्रय-विक्रय संघ द्वारा अग्रिम स्वरूप ली गई धनराशि में अनियमितता और अन्य घोटाले की जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब, नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार लाडनूं क्रय-विक्रय संघ को उक्त अनियमितताओं के परिपेक्ष्य में भंग करने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भटनांवा, तहसील लाडनूं के ग्राम हुडास में

(श्री मनोहर सिंह)

नियन्त्रित वस्तुओं का कोटा पिछले दो वर्षों से वितरित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा नियंत्रित वस्तुओं का कोटा प्रायः समय पर उठाया जाकर खुदरा व्यापारियों को दिया जाता है । नियंत्रित वस्तुयें गेहूं व चीनी के आवंटन व उठाव का विवरण परिशिष्ट एक व दो में संलग्न है । फरवरी व मार्च, 1990 की लेवी चीनी के उठाव में थोड़ा विलम्ब हुआ है जिसका कारण समिति के पास रकम की कमी होना है ।

(2) विगत दो वर्षों में क्रय विक्रय सहकारी समिति लाडनूं को 18477 क्विंटल चीनी का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया । क्रय विक्रय सहकारी समिति को गत दो वर्षों में आवंटित की गई चीनी का मासिक विवरण तथा उसके उठाव की तिथि संबंधी विवरण परिशिष्ट दो में उल्लेखित है ।

(3) लाडनूं क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा धनराशि में अनियमितता एवं अन्य घोटाले संबंधी शिकायत व सूचना खाद्य विभाग में उपलब्ध नहीं है और न ही यह खाद्य-विभाग से संबंध रखती है ।

(4) प्रश्न के भाग (3) में वस्तुस्थिति अंकित है ।

(5) यह सही है कि ग्राम पंचायत भटनांवा तहसील लाडनूं के ग्राम हुंडास में गत दो वर्षों से नियंत्रित वस्तुओं का वितरण नहीं हो पा रहा है । इस ग्राम में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण के लिये क्रय विक्रय सहकारी समिति लाडनूं अधिकृत है, और परस्पर ग्रामीणों में गुटबाजी एवं मतभेद होने के कारण हुडास के ग्रामीण सामग्री लेने भटनांवा नहीं जाते हैं । दिनांक 26–8–89 को उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा उक्त ग्राम में चीनी की अस्थाई व्यवस्था की गई थी लेकिन वह भी इसी मतभेद के कारण सफल नहीं रही एवं वितरण कार्य क्रय विक्रय सहकारी समिति को ही दिया गया । इस प्रकार परस्पर विरोध होने के कारण नियंत्रित वस्तुओं का विवरण नहीं हो पा रहा है । जिला कलक्टर, नागौर को इस बारे में उचित व्यवस्था हेतु पुनः निर्देश दिये गये हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पुरातत्व महत्व के स्थानों पर अतिक्रमण

270. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर नगर में पुरातत्व विभाग के अधीन कितने स्थान संरक्षित हैं ? प्रति वर्ष इन स्थानों के रख-रखाव पर कितना व्यय किया जाता है ?

(2) क्या उक्त स्थानों पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार प्राचीन ग्रन्थों, पांडुलिपियों के रख-रखाव एवं प्रकाशन

(श्री हरीश भामनानी)

हेतु अनुदान की व्यवस्था करती है ? यदि हां तो वर्ष 1990 में कितना व्यय प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में राज्य सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन 3 स्मारक/स्थल संरक्षित घोषित हैं। गत 3 वर्षों में उक्त स्मारकों/स्थलों के रख-रखाव पर जो खर्चा हुआ उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

वर्ष 1987–88 26,658.65
वर्ष 1988–89 25,000.00
वर्ष 1989–90 64,479.00

(2) जी हाँ। विभाग अतिक्रमण हटाने के लिये कृत संकल्प है। किन्तु केस न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, इसमें विलम्ब हो रहा है।

(3) राज्य स्तर पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति के विकास हेतु वर्ष 1990–91 के बजट में 8.00 लाख रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत अन्य कला एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अलावा ग्रंथों के रख-रखाव एवं हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सहायता प्रदान की जा सकती है। किन्तु इनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

अटरू विधान सभा क्षेत्र के सरपंचों को चार्ज

271. **श्री मदन दिलावर (अटरू)**: क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में किन-किन पूर्व सरपंचों ने अभी तक चार्ज नये सरपंचों को नहीं दिया है ?

(2) क्या सरकार ऐसे पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या ? अब कब तक निर्वाचित सरपंचों, को चार्ज दिला दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र की निम्न ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों ने अभी तक नये सरपंचों को चार्ज नहीं सम्भलाया है:–

1. श्री प्रभूलाल पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पटना।

2. श्री मोहन लाल पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत अन्ताना।

3. श्री निर्भय सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सकतपुर।

(2) राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों को, दिनांक 29.12.89 4.1.90, 24.5.90 एवं 14.6.90 के पत्रों द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे पूर्व सरपंचों के विरूद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव भिजवायें। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व सरपंचों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की

(पंचायत राज्य मंत्री)

जावेगी। साथ ही अधिनियम की धारा (15) (क) के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसील-द्वारा नियमानुसार शीघ्र चार्ज दिलाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

कृषि उपज मण्डी धरियावद (उदयपुर)

272. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या धरियावद, जिला उदयपुर में कृषि उपज मण्डी निर्माण हेतु सरकार ने खसरा नं. 343, 354, 355, 356, 357, कुल रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा एवं 351, 353, 352, 355/एवं 356 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा की सिंचित भूमि की अवाप्ति का गजट नोटिफिकेशन निकाला था ? यदि हां, तो इसकी प्रति एवं उक्त भूमि के खाते की नकल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी कृषि मण्डी हेतु पूर्व में पत्र क्रमांक प. 10/47 कृषि/2बी/79 द्वारा मात्र 8 बीघा भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां तो अब 35 बीघा भूमि अवाप्त करने का क्या औचित्य है ? कृपया वर्ष 1979 के समस्त आदेशों एवं गजट नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्व में भी जो भूमि अवाप्त की गयी थी वह इसी खातेदार/परिवार की है ? यदि हां, तो इस संबंध में उक्त परिवार को परेशानी से बचाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार उसके पास वाली अनउपजाऊ भूमि लेने का विचार रखती है ?

(4) क्या भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 की धारा 4 की कार्यवाही के पश्चात् धारा 6 की कार्यवाही की सूचना खातेदार को दी गयी थी ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न में वर्णित खसराओं के अतिरिक्त खसरा नम्बर 344 की 3 बीघा एवं खसरा नम्बर 345 की 1 बीघा भूमि की अवाप्ति हेतु गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। गजट नोटिफिकेशन एवं नक्शे की प्रति परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1953 की धारा 4 की विज्ञप्ति के पश्चात धारा 6 के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची व साइट प्लान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति झाडोल (उदयपुर) में राहत कार्य

273. **श्री कुबेर सिंह**(फलासिया): क्या अकाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति झाडोल जिला

(श्री कुबेर सिंह)

उदयपुर में वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में अकाल राहत के तहत सिंचाई विभाग के कार्य किस-किस जगह, कितनी-कितनी लागत के कितनी-कितनी श्रमिक संख्या के स्वीकृति किये गये ? इनमें से प्रत्येक कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की जाकर पूर्ण करवा दिये गये एवं कौन-कौन से कार्य अभी तक अधूरे हैं ? वर्तमान में प्रत्येक कार्य की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की यह नीति है कि पहले अपूर्ण कार्यों को पूरा करवाया जाय? यदि हां, तो पुराने कार्यों को अधूरा छोड़ कर नये कार्यों को स्वीकृत करने का क्या औचित्य है ?

(3) वर्ष 1990-91 में उक्त समिति में कितने पुराने एवं कितने नये कार्यों की स्वीकृति किस-किस जगह, कितनी-कितनी लागत की, कितने-कितने श्रमिकों की संख्या प्रदान की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, झाडोल, जिला उदयपुर में वर्ष 88-89 में चार कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 89-90 में अकाल राहत कार्य नहीं चलाये गये हैं। वर्ष 90-91 में चार गत वर्षों के अधूरे कार्यों को स्वीकृत किया गया है। स्थान, लागत, श्रमिक संख्या व व्यय राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ") वर्ष 1990-91 के अकाल राहत के कार्यों की स्वीकृति दिनांक 15.5.90 व 7.6.90 को जारी हुई है।

(2) जी हां, सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि पहले अधूरे कार्यों को पूरा करवाया जावे। वर्ष 88-89 में जो समस्त अपूर्ण कार्य थे उनको पूर्ण कराने हेतु स्वीकृत कर दिये। उपलब्ध श्रमिकों की संख्या को देखते हुए परामर्शदात्री समिति के निर्णय अनुसार नवीन कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 90-91 में कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) वर्ष 1990-91 में उक्त समिति में चार पुराने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ब")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अकाल राहत अन्तर्गत सहायता

274. श्री अमीन खां (शिव) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

संवत् 2044 के अकाल में राज्य में कुल कितने किसानों के लिए कितने कुए खुदवाये गये व कितनी-कितनी राशि दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

संवत् 2044 के अकाल में राज्य में कुल 64769 कुए खुदवाये गये व रुपये 5080.98 लाख की राशि दी गई। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

परिधि गृहों के प्रबन्धकों के रिक्त पद

275. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि परिधि गृहों में प्रथम श्रेणी के प्रबन्धकों के पद लम्बे अर्से से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक गत वर्ष कब–कब हुई ? क्या इस समिति की बैठक में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों के भरे जाने हेतु कोई विचार हुआ ?

(3) यदि हां, तो क्या वरिष्ठता क्रम में निर्धारित मानदण्डों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों द्वारा इन पदोन्नतियों में अवैधानिक तरीके से रोड़े अटकाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) पदोन्नति हेतु कब तक कार्यवाही कर आदेश जारी कर दिये जायेंगे ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। 4 पद दिनांक 9.11.89 से तथा एक पद दिनांक 1.3.90 से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने के कारण रिक्त हैं। ये पद निम्न स्थानों पर रिक्त हैं :–

जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर तथा राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 3.3.90 को आयोजित की गई, जिसमें प्रबन्धक, प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों को भरने पर विचार हुआ किन्तु उक्त समिति द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिये जाने के कारण बैठक पुनः आयोजित करने हेतु कोई सुविधाजनक तिथि निश्चित करने के लिए दिनांक 27.6.90 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है।

(3) जी हां। वरिष्ठता क्रम में निर्धारित मानदण्डों का पालन किया गया है।

(3) जी नहीं।

(5) जैसे ही आयोग द्वारा बैठक हेतु तिथि निश्चित होगी, बैठक आयोजित करा ली जावेगी तथा समिति की सिफारिश के अनुसरण में आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे। विलम्ब का कारण यह है कि लोक सेवा आयोग से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि एवं समय निर्धारित नहीं हो पाये।

ग्राम बालेबा (बाड़मेर) में भू–संरक्षण कार्य

276. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर तहसील शिव के ग्राम बालेबा में मई, 1990 में भू-संरक्षण विभाग द्वारा जो खडीन कार्य शुरू कराया

(श्री अमीन खां)

गया था उसमें कितने किसान आते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त कार्य बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों और उसे कब तक प्रारम्भ कर पूरा कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम बालेबा तहसील शिव जिला बाड़मेर में दिनांक 21.5.90 से जो भू-संरक्षण द्वारा खण्डीन कार्य शुरू कराया गया उसमें निम्नानुसार काश्तकार आते हैं:–

1. श्री पदमसिंह वल्द करणसिंह कौम राजपूत साकिन दुधोड़ा हरमाणी ।

1. श्री करणसिंह वल्द रतनसिंह कौम राजपूत साकिन दुधोड़ा हरमाणी ।

3. श्री मोहन तुम्बा पि. भूरा सादेह

4. श्री डूंगरा वल्द अजीता कौम रावण राजपूत साकिन सादेह.

5. श्री पदमदान पूरदान पि. चतुर-दान कौम चारण सादेह ।

(2) उक्त कार्य जिला कलेक्टर के आदेशानुसार दिनांक 9.6.90 को बन्द करा दिया गया तथा कार्य पुनः दिनांक 16.6.90 से जिला कलेक्टर के आदेशानु-सार शुरू करा दिया गया है । उक्त कार्य मार्च, 1991 तक पूरा करा दिया जायेगा ।

पीपली चौक (भीनमाल) की दुकानें

277. **श्री अब्दुल हादी (चौहटन)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सन् 1980–81 में श्री गुलाबचन्द्र पुत्र श्री केसरीमल के नाम से पीपली चौक भीनमाल में चार दुकानें नगरपालिका रिकार्ड में थीं वही दुकानें 1984–85 में श्रीमती विमला देवी के नाम स्थानान्तिरत की गई ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त दुकानों के स्थानान्तरण के समय सरकार की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक, कार्यालय भीनमाल में प्राप्त नहीं हुआ ।

(2) जब दस्तावेज ही पंजीयन के लिए प्रस्तुत नहीं हुए तब स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान का प्रश्न ही नहीं है ।

(3) उपरोक्त प्रश्न सं. 1 में उल्लेखित प्रकार का कोई प्रकरण पंजीयन विभाग के समक्ष उप पंजीयक, भीनमाल के यहां नहीं आया, अतएव किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

विक्रय कर की बकाया

278. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वित्तीय वर्ष 1989–90 की समाप्ति पर विक्रय कर की कुल कितनी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

राशि बकाया थी ? एक लाख रुपये से अधिक बकाया राशि किस-किस फर्म में कब से चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राशि बकाया रहने के क्या कारण रहे व वसूली के क्या-क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 89-90 की समाप्ति पर विक्रय कर की 82-83 करोड़ रुपये की राशि बकाया रही। 100 लाख से अधिक बकाया राशि वाली फर्मों की सूची संलग्न है।

(2) बकाया रहने एवं वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण (संलग्न सूची में) प्रत्येक फर्म के नाम के सामने अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना (डीडवाना) नागौर में झूठे पुलिस केस

279. **श्री मान्धाता सिंह** (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना (नागौर) थाने में दर्ज मुकदमा नं. 36 दफा 8/18 के सम्बन्ध में सी. आई. डी. द्वारा की गई जांच में अभियुक्त निर्दोष साबित होने के फलस्वरूप झूठा मुकदमा कायम करने के जुर्म में थाने में नियुक्त पुलिस कर्मियों, श्री रजाक थानेदार, श्री गोरधन हैड कान्सटेबिल श्री नब्बू खां व श्री कैलाश सिपाही के विरुद्ध उक्त धारा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 105/89 दर्ज कराई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर सी. आई. डी. के अधीक्षक श्री रामजीवन मीणा ने जांच की थी और जांच में पुलिस कर्मियों को दोषी माना है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि हां, तो मामले में चालान प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का क्या कारण है तथा अब कब तक चालान पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री राम जीवन मीणा ने इस प्रकरण का अनुसंधान प्रारम्भ किया था परन्तु उनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण इस अभियोग का अनुसंधान वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक सी. बी. रेंज जोधपुर द्वारा किया जा रहा है।

(3) अनुसंधान पूर्ण होते ही आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर दी जावेगी।

आर. ए. एस. एवं आर. पी. एस. अधिकारियों की पदोन्नति

280. **श्री रामनारायण बैरवा**(निवाई): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में आई. ए. एस. और

(श्री रामनारायण बैरवा)

आई. पी. एस. अधिकारियों के कुल कितने पद सृजित हैं व उनमें कितने कितने पद आर. ए. एस. तथा आर. पी. एस. से पदोन्नति से भरे जाते हैं ?

(2) गत 5 वर्षों में इन अधिकारियों में कितने अनुसूचित जाति व कितने अनुसूचित जन जाति से भरे गये हैं ? यदि नहीं भरे गये, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श कर यह प्रयास करेगी कि इन जातियों के अधिकारियों की इन दोनों सेवाओं में पदोन्नति कर सकें ?

उत्तर

(1) राज्य में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के कुल क्रमश: 263 और 147 पद सृजित हैं। आई.ए.एस अधिकारियों के लिए स्वीकृत 263 पदों में से 52 पद आर.ए.एस. अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए स्वीकृत हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के स्वीकृत 147 पदों में से 35 पद आर.पी.एस. अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए स्वीकृत हैं।

(2) गत 5 वर्षों में आर.ए.एस. अधिकारियों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के किसी भी अधिकारी की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं हुई है क्योंकि आर. ए.एस. अधिकारियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा बनाई गयी चयन सूची में किसी भी ऐसे अधिकारी का नाम नहीं था।

गत 5 वर्षों में आर.पी.एस. अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के एक अधिकारी की भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हुई है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सदस्यों हेतु इन पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं है।

(3) आर.ए.एस. एवं आर.पी.एस. अधिकारियों में से क्रमश: आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. में नियुक्ति सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर बनाई गयी सूची में सम्मिलित अधिकारियों में से ही होती है। उक्त नियमों में किसी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

भवानी मंडी (झालावाड) में अवैध बम निर्माण

281. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि दि. 14 अक्टूबर, 1989 को झालावाड़ के भवानी मण्डी कस्बे में एक विशाल बम का कारखाना पकड़ा गया था ? यदि हां, तो मौके पर किन-किन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कितने अपराधी अभी तक फरार हैं। गिरफ्तार अपराधियों पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई ? पुलिस

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार विशेष प्रयास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

दिनांक 15-9-89 को भवानीमण्डी में भी धन्नू पुत्र पीर खां के कुऐं पर बने पक्के क्वार्टर में विस्फोटक पदार्थ बनाते हुए लोगों को पकड़ा था। इस प्रकरण में सर्वश्री जहीरुद्दीन, अकरम, इलियास को मौके पर तथा जो व्यक्ति भाग गये थे उनमें से उमरदीन व सलीमुरहमान को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण के अभी पांच अभियुक्त फरार हैं। प्रकरण 194/89 के टाडा एक्ट की धारा 3 की उपधारा 3 में पंजीयत है। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अपूर्ण चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।

फरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं।

पुलिस थाना डूंगला, चित्तौड़गढ़ का भवन

282. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाने का भवन खपरेल एवं कच्ची मिट्टी का बना है ? जिससे उसके किसी भी समय गिरने की आशंका है ?

(2) क्या सरकार उक्त भवन को पक्का बनाने अथवा थाने को अन्यत्र भवन में स्थानान्तरित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक एवं किस जगह ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पुलिस थाना डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ का भवन खपरेल व मिट्टी का बना हुआ है। जिसकी दीवारों में दरार पड़ चुकी है और भवन की दीवारें कमजोर पड़ गई हैं और भविष्य में गिर भी सकती हैं।

(2) जी हां। थाने का भवन बनाने के लिए भूमि गांव के बाहर डूंगला से मंगलवाड़ जाने वाली सड़क के पास पंचायत से आवंटित हो चुकी है। उस भूमि पर भवन निर्माण कराने का मामला पुलिस विभाग में विचाराधीन है। जब तक पुलिस थाना डूंगला का नया भवन नहीं बन जाता, तब तक के लिए कोई उपयुक्त भवन किराये पर लेने के लिए भवन की तलाश की जा रही है।

सुजानगढ़ चूरू में हत्या की जांच

283. **श्री मनोहरसिंह** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सुजानगढ़ (चूरू) में श्री दीपसिंह राजपूत निवासी मींगना की हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 110/89 दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक हत्यारों को नहीं पकड़े जाने के क्या कारण रहे ?

(श्री मनोहर सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि दीपसिंह की हत्या मींगना गांव के रावणा राजपूतों ने कर उसे सड़क पर डाल दिया था तथा मुलजिमानों ने पुलिस अधिकारी (श्री सुखदेव सिंह) की सांठ गांठ से मामले को धारा 304 ए में परिवर्तित करवा दिया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस मामले की दुबारा सी. आई. डी. से जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपराध सं. 110/89 दिनांक 13-6-89 पुलिस थाना सुजानगढ़ में मान सिंह की मृत्यु का धारा 304 ए. भा. द. सं. के अन्तर्गत दर्ज हुआ था न कि दीपसिंह का जो कि मृतक के पिता का नाम भी है। अथक प्रयास के बाद भी अपराधियों को पकडने में सफलता नहीं मिली है।

(2) जी नहीं। पंजीबद्ध अपराध सं. 110/89 धारा 304 ए. भा. द. सं. थाना सुजानगढ़ के अन्वेषण के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे यह साबित हो सके कि मानसिंह की हत्या मींगना गांव के रावणा राजपूतों ने कर इसे सड़क पर डाल दिया हो। उपरोक्त प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 30-6-89 को अदम पता मुल्जिमान में दे दी गई है राज्य सरकार का इस प्रकरण में सी. आई. डी. से पुनः जांच कराने का कोई विचार नहीं।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि से अन्तिम भुगतान

284. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा के सेवानिवृत कई राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृति के 3 वर्ष बाद की राज्य बीमा एवं जी. पी. एफ. का अन्तिम भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां तो ऐसे कितने प्रकरण हैं ? उनमें से राज्य कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त कितनों को भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और जीवित राज्य कर्मचारियों के भुगतान के कितने प्रकरण बकाया हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार सेवानिवृति के उपरान्त राज्य बीमा और जी. पी. एफ. का अन्तिम भुगतान तुरन्त हो सके, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की नीति का निर्धारण कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सेवा से सेवा निवृत कुछेक राज्य कर्मचारियों को सेवा निवृति के 3 वर्ष बाद भी राज्य बीमा एवं जी. पी. एफ. का अन्तिम भुगतान नहीं हुआ है। विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बकाया प्रकरणों की संख्या राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 333 मामले एवं प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत 182 हैं इनमें से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तीन वर्ष से अधिक मृतक

54

(बीमा राज्य मंत्री)

एवं जीवित राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों का विवरण निम्नानुसार है :—

	बीमा योजना	प्रावधायी निधि योजना
मृतक कर्मचारियों से सम्बन्धित	30	15
जीवित कर्मचारियों से सम्बन्धित	303	167
योग :	333	182

(2) विभाग में बकाया कार्य के निस्तारण हेतु 1-8-89 से 31-12-89 तक "बकाया कार्य निपटाओ अभियान चलाया गया था और उसमें लगभग 80 /. सफलता भी प्राप्त की गयी थी अब पुन: 1 अप्रेल, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक बकाया कार्य निपटाओ अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बकाया कार्य को एक योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जा रहा है। आशा की जा रही है कि अब भविष्य में कर्मचारियों को उनको सेवा निवृति के समय ही बीमा एवं प्रावधायी निधि की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

लुहारिया एवं ढाबला में पशु चिकित्सालय

285. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डग के ग्राम लुहारिया, ढाबला बहुत दूर दराज में पड़ते हैं, जहां से पशुओं को ले जाकर चिकित्सा कराना कठिन है तथा चिकित्सा के अभाव में जानवर बीच में ही मर जाते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार लुहारिया तथा ढाबला ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डग के ग्राम लुहारिया डग से 12 किलो मीटर की दूरी पर एवं ग्राम ढाबला 18 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। बीमार पशुओं को 12–18 किलो मीटर तक ले जाने में कठिनाई हो सकती है, किन्तु उनके उपचार हेतु डग से औषधियां प्राप्त की जा सकती हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा नये पशु चिकित्सा संस्थाएं स्थापित करने हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

राजस्थान में पशुगणना

286. **श्रीमती रमा पायलट** (हिन्डोली), **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री किशना राम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में पशुगणना कब हुई व उसके अनुसार प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की संख्या क्या थी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती रमा पायलट)

(2) वर्तमान में पशुओं की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या वर्ष 1987–88 में अकाल के कारण पशुधन का भारी विनाश हुआ है ?

(4) यदि हां, तो क्या उसका कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो कितने पशुओं की अकाल मौत हुई व उससे कितना आर्थिक नुकसान पशुपालकों को हुआ ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में पशुपालकों को कोई क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई ? यदि हां, तो कितनी राशि दी ? जिलेवार प्रदत्त कुल राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में गत पशु गणना वर्ष 1988 में हुई है, इसके अनुसार प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की संख्या का जिलेवार विवरण संलग्न है ।

(2) पशु गणना हर पांच वर्ष बाद की जाती है । वर्तमान में पशु संख्या कितनी है इसकी सूचना दिया जाना संभव नहीं है ।

(3) जी नहीं । पशुधन का भारी विनाश नहीं हुआ है । 5 वर्ष में गोवंश में 19.17% बकरी वंश में 18.65% भेड़ वंश में 26.19% कमी हुई है । इसमें अकाल का कारण भी सम्मिलित है ।

(4) सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । विस्तृत सूचना क्रम संख्या 3 पर अंकित है ।

(5) क्षति पूर्ति देने का राज्य सरकार में कोई प्रावधान नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

अतारांकित प्रश्न सं. 287
(स्थगित)

जन अभाव अभियोग समितियों के कार्य का मूल्यांकन

288. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (जन अभियोग निराकरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण हेतु जो जन अभाव अभियोग समितियां प्रत्येक जिले में गठित की गई हैं, के कार्यों का मूल्यांकन क्या राज्य सरकार द्वारा किया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रणाली में कोई परिवर्तन का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस सम्बन्ध में जन अभियोग निराकरण विभाग की राज्य स्तर पर क्या व्यवस्था है ? विगत तीन वर्षों में कितने अभाव अभियोग राज्य स्तर पर प्राप्त हुए हैं व उनमें से कितनों का निराकरण किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । विगत 3 वर्षों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(जन अभियोग निराकरण मंत्री)

(2) नहीं ।

(3) सूचना परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

मांगरोल जिला कोटा में मुन्सिफ कोर्ट

289. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जनता को सस्ता एवं अविलम्ब न्याय दिलाने हेतु जिला कोटा में मांगरोल की जनता वहां पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने की मांग समय–समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में वहां मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) धनाभाव के कारण मांगरोल (जिला कोटा) में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अभी खोलना संभव नहीं है ।

इन्द्रगढ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

290. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मुकदमों की संख्या, जिले से दूरी, क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुलता तथा जनता को सस्ता एवं त्वरित न्याय दिलाने हेतु, इन्द्रगढ़ (बून्दी) में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की मांग वहां की जनता समय–समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इन्द्रगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) धनाभाव के कारण इन्द्रगढ़ (जिला बूंदी) में मुंसिफ कोर्ट खोला जाना अभी संभव नहीं है ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर का रिक्त पद

291. **श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) : क्या विधि राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर में स्थापित ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उक्त पदाधिकारी का पद पिछले दो वर्ष से रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । न्यायिक अधिकारियों की कमी के कारण पीठासीन अधिकारी का पद नहीं भरा जा सका था किन्तु यह पद इस

(विधि राज्य मंत्री)

समय रिक्त नहीं है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन दिनांक 18.6.90 को आदेश संख्या 130/90 द्वारा कर दिया गया है।

पंचायत समिति कुचामन के फीडर स्कूल

292. **श्री हरिशचन्द्र कुमावत** (नावा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, कुचामन सिटी क्षेत्र में कितनी फीडर स्कूलें चालू की गई ? चालू करने की तिथि व स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कूलें किन नियमों के अन्तर्गत चालू की गई ? उस नियम की फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन स्कूलों में किस किस अध्यापक को किस किस स्थान पर लगाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन स्कूलों में से मार्च, 1990 के पश्चात किस किस स्थान की फीडर स्कूलें बन्द की गई ? बन्द करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति कुचामन क्षेत्र में वर्ष 1989–90 में कितने शिक्षा केन्द्र खोलने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत टोडास में दूनियाली तलाई में व ग्राम पंचायत कुकनवाली की खातियों की ढाणी में शिक्षा केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हां, तो वहां पंचायत समिति द्वारा अध्यापक का पदस्थापन क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक वहां अध्यापक का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कुचामन सिटी क्षेत्र में गत दो वर्षों में 19 फीडर स्कूलें चालू की गई, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) फीडर शालायें खोलने के लिए कोई नियम बने हुए नहीं हैं।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) इन फीडर स्कूलों में से मार्च, 90 के पश्चात् शहीदपुरा (गुढासाल्ट), दुनियाता तलाई (टोडास) को बन्द किया गया था। शिक्षा प्रसार अधिकारियों द्वारा फीडर स्कूलों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर ही निर्देश देकर बन्द करवाया गया था।

(5) वर्ष 89–90 में 10 पंचायत शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) जी हां। दिनांक 12.4.90 को स्वीकृति जारी की गई थी। शिक्षा सत्र समाप्ति पर था, अत: व्यवस्था नहीं की जा

(पंचायत राज्य मंत्री)

सकी । शिक्षा केन्द्र पर वास्तव में अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जाती बल्कि शिक्षा सहयोगी अनुबन्ध पर नियुक्त किया जाता है । पंचायत समिति शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

(अतारांकित प्रश्न सं. 293 स्थगित)

ऊकरी व रेणी (अलवर) के प्राथमिक विद्यालय

294. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के रेणी पंचायत समिति में चल रहे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों छात्र/छात्राओं की संख्याओं के अनुरूप कमरों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितना ?

(2) ग्राम ऊकरी में प्राथमिक शाला में कितने कमरे हैं ? इसमें अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या सरकार ग्राम ऊकरी के प्राथमिक शाला के कमरों एवं अध्यापकों की कमी पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) ग्राम ऊकरी के प्राथमिक शाला में 3 कमरे हैं । प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या 6 है ।

(3) कमरों के सम्बन्ध में जी नहीं । अध्यापकों की नई भर्ती हो जाने के पश्चात् ही कमी पूर्ति संभव होगी । भर्ती हेतु निर्देश शीघ्र प्रसारित किये जा रहे हैं ।

शुष्क खेती हेतु योजनाएं

295. **श्री राजेन्द्र कुमार** (सीकर) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शुष्क खेती के संबंध में राज्य में सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ?

(2) इन योजनाओं की क्या उपलब्धि रही है ?

उत्तर

(1) शुष्क खेती के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:–

1– शुष्क खेती को उन्नत कृषि विधियों का प्रशिक्षण प्रचार–प्रसार कार्यक्रम ।

2– शुष्क खेती प्रदर्शन कार्यक्रम ।

(2) इन कार्यक्रमों को गत वर्ष 1989–90 की उपलब्धि निम्नानुसार रही है :–

(कृषि मंत्री)

(राज्य स्तर पर)		उपलब्धि	
क्र. सं.	कार्यक्रम	खरीफ	रबी
1-	सघन कार्यक्रम (है.)	410533	199350
2-	सामान्य कार्यक्रम (है.)	1003576	434890
3-	प्रशिक्षण शिविर (सं.)	612	427
4-	प्रशिक्षित कृषक (सं.)	36970	25753
5-	शुष्क खेती कॉम्पेक्ट प्रदर्शन का कार्यक्रम (है.)	1030004	-
6-	शुष्क खेती उन्नत बारानी प्रदर्शन (है.)	413215	-

खरीफ की फसल हेतु मिनी किट योजना

296. श्री सालिगराम (बयाना) : एवं श्री गोविन्द सिह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या लघु व सीमान्त काश्तकारों, को मिनी किट प्रदान करने की योजना खरीफ मौसम के लिये तैयार है ?

(2) क्या राज्य के समस्त लघु व सीमान्त काश्तकारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा ?

(3) क्या विभाग द्वारा मिनी किट हेतु प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर ली गयी है ? अगर हां, तो बीज निगम द्वारा यह बीज किन-किन संस्थाओं/व्यापारियों से कितनी-कितनी मात्रा में, कितने-कितने रुपयों का खरीदा गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, सभी को एक साथ लाभ नहीं दिया जा सकता। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की संख्या जो कि खरीफ, 90 में प्रस्तावित है, निम्नानुसार है :-

(अ) मैसिव मिनि किट 2,46,700

(ब) अकाल राहत-मिनिकिट 1,20,000

(3) जी हां, मिनि किट हेतु आवश्यक मात्रा में बीज की व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा कर ली गई है।

(कृषि मंत्री)

निगम द्वारा मिनि किट हेतु अन्य संस्थाओं से खरीदी गई कुल बीजों की मात्रा निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	फसल/किस्म	मात्रा (क्विं.)	दर/ (क्विं.) (रु.)	कुल राशि (रु.)	संस्था का नाम जहां से बीज खरीदा गया
1–	ज्वार सी. एस. एच–6	100	1300.00	1,30,000.00	राष्ट्रीय बीज निगम
		50	1650.00	82,500.00	महाराष्ट्र बीज निगम
2–	मक्का जी–2	275.00	570.37	1,56,851.75	राष्ट्रीय बीज निगम
3–	,, अगेती–76	100.00	570.37	57,037,00	,, ,, ,,
4–	उड़द टी–9	142.00	1300.00	1,84,600.00	,, ,, ,,
5–	तिल पी. बी. 1	90.00	1684.00	1,51,560.00	,, ,, ,,
6–	सोयाबीन गौरव	3050.00	1300.00	39,65,000.00	राष्ट्रीय फार्म (एस. एफ. सी. आई.)
	,,	770.00	1100.00	8,47,000.00	राष्ट्रीय बीज निगम
7–	,, दुर्गा	200.00	1000.00	2,00,000.00	एस. एफ. सी. आई.

प्राइवेट व्यापारियों से निगम द्वारा बीज नहीं खरीदा गया है। इसके अतिरिक्त मिनिकिट के लिए बीज, निगम के स्वयं के उत्पादन में से भी काम में लिए गए हैं।

कदमा का बास से बिडोली सीकर में सड़क निर्माण

297. **श्री दिलसुखराय (फतेहपुर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम कदमा का बास से ग्राम बिडोली में अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान मिट्टी रोड़ बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मिट्टी रोड़ को कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से डामरयुक्त रोड़ बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह सड़क बनाई गई थी। धनाभाव के कारण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा इस

(कृषि मंत्री)

सड़क को डामरयुक्त बनाने की कोई योजना नहीं है।

सपोटरा क्षेत्र के ग्रामों हेतु सड़कें

298. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा क्षेत्र के ग्राम जीरोता, खिरखिज, भरतून, इनायती, गोठरा, अमरगढ, हाडोती, बूकना, ऐटु मक्षावता, ओडचं, लेदिया, कुरावदा, गैरई, समरदा, का कृषिगत उत्पादन गंगापुर मण्डी में विक्रय हेतु आता है ? क्या किसानों को सड़क के अभाव में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) क्या सरकार कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से उपरोक्त ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(4) अब तक कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सपोटरा क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि विभाग द्वारा मंडी की आय से ही सड़कें बनाई जाती है। मण्डी की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वर्तमान में सड़कें बनाने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। मण्डी की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर विचार किया जाना सम्भव हो पावेगा।

(4) सपोटरा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से कोई सड़क का निर्माण नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (जोधपुर) की सड़कें

299. **श्री मनोहर सिंह** (शेरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जोधपुर में कृषि मण्डी के तहत कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कृषि उपज मंण्डी के तहत सड़क निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जोधपुर में स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है।

(2) सम्पर्क सड़क के अलाइनमेन्ट बाबत एवं सम्पर्क सड़क चांदसमा से उठावडिया के डामर कार्य घटिया स्तर के निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। स्वीकृति अनुसार सम्पर्क सड़क गढा का

(कृषि मंत्री)

निर्माण सही अलाइनमेंट पर किया गया है, तथा चांदसमा से उठावड़िया सड़क की जाँच करने पर डामर का कार्य घटिया स्तर का होना नहीं पाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का इनर्जी सेल

300. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के इनर्जी सेल में टर्न की बेसिस पर पिछले 5 वर्षों में कितने बायोगैस प्लांट लगाये ?

(2) उपरोक्त बायोगैस प्लांट में से कितने वास्तव में लगे एवं कितने केवल कागजों तक सीमित रहे ?

(3) वर्तमान में कौन-कौन से प्लांट चालू हैं एवं कितने बन्द हैं ? बन्द होने का क्या कारण है ?

(4) इस सेल द्वारा कितनी पवन चक्कियां लगाई गई ?

(5) कितनी पवन चक्कियां चालू हैं और कितनी बन्द ? चक्कियों के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन ने वर्ष 1983-84 से 1986-87 (चार वर्षों तक) टर्न–की बेसिस पर कुल 405 बायो–गैस प्लान्ट विभिन्न स्थानों पर लगाये हैं।

(2) उपरोक्त दर्शाये गये सभी प्लान्ट निगम द्वारा लगाये गये हैं।

(3) निगम ने वित्तीय वर्ष 1986–87 के पश्चात् बायो–गैस प्लान्ट के निर्माण व लगाने का कार्य बन्द कर दिया है। लगाये गये बायो–गैस प्लान्ट को वर्तमान स्थिति के बारे में कृषि विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि चालू हालत में सुपुर्द करने के पश्चात् इनकी देख–रेख व संचालन का दायित्व मालिक का होता है।

(4) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने अब तक विभिन्न स्थानों पर कुल 50 पवन चक्कियां लगाई हैं।

(5) वित्तीय वर्ष 1987-88 से निगम ने पवन चक्कियां लगाने का कार्य बन्द कर दिया है। अतः पूर्व में लगाई गई पवन चक्कियों की वर्तमान स्थिति के विषय में कृषि विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चालू हालात में सुपुर्द करने के पश्चात् इसके देख-रेख व संचालन का उत्तरदायित्व निगम को नहीं रहता।

कृषि विस्तार अधिकारी

301. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विस्तार अधिकारी हैं ? यदि हां, तो किस–किस जिले में कितने कितने ?

(श्री बाल चन्द आर्यवीर)

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विस्तार अधिकारी होते हुए भी अधिकारीगण कृषकों को कृषि की नई वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत नहीं कराते ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 27 कृषि जिलों में कृषि विस्तार अधिकारी (सहायक कृषि अधिकारी) निम्न प्रकार से हैं:-

जिला	कृषि विस्तार अधिकारी (सहायक कृषि अधिकारी)
1. अजमेर	22
2. जयपुर	21
3. दौसा	25
4. सीकर	16
5. झुन्झनू	14
6. अलवर	37
7. भरतपुर	28
8. धौलपुर	15
9. सवाई माधोपुर	37
10. श्री गंगानगर	18
11. हनुमानगढ़	23
12. जोधपुर	8
13. नागौर	15
14. जालौर	14
15. बाड़मेर	4
16. पाली	27
17. सिरोही	15
18. कोटा	18
19. बूंदी	8
20. झालावाड़	18
21. टौंक	25
22. भीलवाड़ा	33
23. चित्तौडगढ़	32
24. कांकरोली	24
25. उदयपुर	45
26. बांसवाड़ा	24
27. डूंगरपुर	24

(2) जी नहीं, कृषकों को कृषि संबन्धि तकनीकी ज्ञान कराते हैं।

(3) हां, राज्य सरकार बैलो चलित आधुनिक कृषि यंत्र कृषकों को राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में अनुदान पर वर्ष 84-85 से वितरित कर रही है। पावर चलित आधुनिक कृषि यंत्र इस वर्ष 1990-91 में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का व बाजरा में कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है।

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कें

302. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि उपज मण्डियों द्वारा जो सड़कें समय-समय

(श्री गोपीराम जाट)

पर निर्मित की गई हैं, आज उनकी उचित देखभाल व मरम्मत के अभाव में जीर्ण शीर्ण हालत में हो गयी है और यातायात के लायक नहीं रही है ?

(2) सड़क बनाने के बाद कितनी-कितनी राशि मरम्मत के लिए बजट में कृषि उपज मण्डी समितियों में रखी जाती है ? मरम्मत न कराये जाने के पीछे क्या कारण रहे हैं ? अब ऐसी समस्त सड़कों की मरम्मत कब तक करायी जायेगी ।

(3) आमेर तथा झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में निर्मित ऐसी सड़कों की हालत जीर्ण होती जा रही है उनकी मरम्मत के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये तथा आगे क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु सम्बन्धित मण्डी समिति की मांग पर समुचित राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ।

(2) मण्डी समिति की निर्मित सड़कों के मरम्मत एवं रख रखाव हेतु सम्बन्धित मण्डी समिति की मांग के अनुसार सामान्य एवं विशेष मरम्मत कार्यों हेतु नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(3) आमेर तथा झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में निर्मित सम्पर्क सड़कों के रख रखाव हेतु कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जयपुर द्वारा वर्ष 90–91 के लिए 2.09 लाख रु. के बजट प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लिए हैं, जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है ।

बून्दी जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम

303. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विशिष्ठ योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत कार्य चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ में कहां कहां पर तथा क्या क्या कार्य चलाये जा रहे हैं ?

(3) यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त तहसील में उक्त कार्य प्रारम्भ करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है, कि बून्दी जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम चल रहा है ।

(2 व 3) उप तहसील इन्द्रगढ़ के अरियाली बूदकरवर ग्राम के 100 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये गये । वर्तमान में उक्त स्थानों पर संधारण का कार्य चल रहा हैं ।

सिंचित क्षेत्रों का विकास

304. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1977–1980 की तुलना में वर्ष 1985–1990 में कितने कितने क्षेत्र में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है ? वर्षवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1989-90 में कोटा सिंचित क्षेत्र एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किया गया विकास लक्ष्य के मुकाबले कितना था ?

(3) वर्ष 1989–90 में कनाड़ा एवं केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितनी-कितनी राशि सिंचित क्षेत्र विकास हेतु प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) वर्षवार एवं परियोजनावार अतिरिक्त सृजित की गई सिंचाई क्षमता का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अतिरिक्त सृजित की गई सिंचाई क्षमता (हैक्टेयरों में)			विशेष विवरण
	चम्बल	इ.गा.न.प.	योग	
(अ)				
1–1977–78	5000	18000	23000	चम्बल परियोजना में मार्च, 1977 तक 1,76,000 है. क्षेत्र में सिंचाई का सृजन था। वह मार्च, 1980 तक 1,89,000 है. क्षेत्र हो गया तथा इ.गा.न.प. में मार्च, 1977 तक 4,41,000 है. क्षेत्र सृजित था जो कि मार्च, 80 तक 5,18,000 हो गया।
2–1978–79	4000	31000	35000	
3–1979–80	4000	28000	32000	
योग	13000	77000	90000	
(ब)				
1–1985–86	2000	14500	16500	चम्बल परियोजना में मार्च, 1985 तक 2,05,000 है. में सिंचाई का सृजन था जो मार्च, 90 तक 2,14,000 है. हो गया तथा इ.गा.-न.प. में मार्च, 85 तक 6,12,000 है. में सृजित था जो मार्च, 90 तक 7,27,000 है. हो गया।
2–1986–87	1000	18300	19300	
3–1987–88	1000	23000	24000	
4–1988–89	2000	22200	24200	
5–1989–90 (अनुमानित)	3000	38000	41000	
योग :-	9000	1,16,000	1,25,000	

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) वर्ष 1989-90 में सिंचित क्षेत्र विकास कोटा में भूमि विकास कार्य हेतु 4,000 है. के लक्ष्य के विरुद्ध 1624 है. व इ.गा.न.प. में पक्के खालों के निर्माण हेतु 60,000 है. के विरुद्ध 62,168 है. (2050 है. में पाइप वाटर कोर्स भी सम्मलित है) में कार्य पूर्ण किया गया। (अन्य उपलब्धियां संलग्न तालिका में।)

(3) वर्ष 1989-90 में कनाड़ा सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। केन्द्रीय सरकार से 2609.95 लाख रुपये का अनुदान एवं 7.50 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त हुआ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

फर्नीचर स्टोर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

305. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के फर्नीचर स्टोर में कितना फर्नीचर व उससे सम्बन्धित सामान कपड़ा, निवार पाइप आदि गत 5 वर्षों में क्रय किया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या क्रय किये गये सामान का आगमन व निर्गमन का लेजर पिछले वर्ष तक का तैयार है ? यदि हां, तो क्या फर्नीचर की खरीद व निर्गमन का मिलान हो गया है ? यदि नहीं, तो उसमें कितना अन्तर है ? अन्तर का वर्षवार पिछले पांच वर्ष का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खरीदे गये सामान का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन होता है ? यदि हां, तो क्या भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के अनुसार खरीद व निर्गमन सही है ? यदि नहीं, तो वर्तमान में फर्नीचर स्टोर के सामान की स्थिति क्या है ? और इसके कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) सामान की नई खरीद के बाद क्या तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा इसकी प्रमाणिकता की जांच की जाकर मेजरमेन्ट पुस्तिका में प्रविष्ट भी आवश्यक है ?

(5) क्या यह सही है कि पिछले अनेकों वर्षों से खरीदे सामान की मेजरमेन्ट बुक में प्रविष्टि तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं कर स्टोर कीपर करता रहा है ? यदि हां, तो क्या विभाग में तकनीकी व्यक्ति नहीं है ? यदि है तो इस कार्य हेतु तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति इतने वर्षों तक क्यों नहीं की गई ? अब कब तक सरकार तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) (अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के फर्नीचर स्टोर में गत 5 वर्षों में क्रय किये गये फर्नीचर का विवरण संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है।

(ब) गत 5 वर्षों में क्रय किया गया सामान जैसे कपड़ा, निवार आदि की सूचना संलग्न सूची "ब" में अंकित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। सामान का आगमन व निर्गमन का पिछले वर्ष तक का लेजर तैयार नहीं है। इसलिए फर्नीचर के आवागमन व निर्गमन का मिलान सम्भव नहीं हो पाया है।

(3) जी हां। नियमानुसार वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन होता है। भौतिक सत्यापन वर्ष 1978-79 तक का ही सम्भव हो सका है तथा इसे सही पाया गया। इसके बाद की अवधि के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही चालू करा दी गई है।

(4) जी हां। सामान की नई खरीद के पश्चात उसकी तकनीकी निरीक्षण/जांच तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् ही उसका इन्द्राज मेजरमेंट पुस्तिका में किया जाता है।

(5) जी नहीं। स्टोर कीपर द्वारा प्रविष्टि मेजरमेंट बुक में नहीं की जा रही है। अधीक्षक फर्नीचर स्टोर द्वारा मेजरमेंट बुक में प्रविष्टि की जा रही है। मेजरमेंट बुक में प्रविष्टि तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति के जांच के उपरान्त ही की जाती है अतः तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय चिकित्सालय, डीग

306. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डीग कस्बे में स्थित अस्पताल की चिकित्सा सम्बन्धित स्थिति अति शोचनीय है ? यदि हां, तो उसमें सुधार लाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है एवं कब तक इसमें सुधार लाया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल के लाखों रुपये से बने नये भवन में पिछले तीन वर्षों से आवश्यक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में एक्स-रे मशीन तथा आपरेशन थियेटर में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की काफी कमी है ? यदि हां, तो उक्त कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि डीग तहसील के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण चिकित्सा केन्द्रों पर स्टाफ एवं आवश्यक दवाइयों की काफी कमी है ? यदि हां, तो चिकित्सा केन्द्र अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। डीग में 30 रोगी शैया-युक्त (उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (रेफरल अस्पताल) चलता है। जहां विशेषज्ञों, एक्स-रे, प्रयोगशाला एवं रोगी वाहन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आदि की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं । इस अस्पताल में केवल दो पद कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग एवं बाल रोग के रिक्त हैं ।

(2) जी नहीं, 30 रोगी शैयायुक्त रेफरल अस्पताल की समस्त सुविधायें इस अस्पताल में उपलब्ध हैं ।

(3) जी नहीं, यहां पुरानी 30 एम.ए. की एक्स-रे मशीन को हटा कर 100 एम.ए. की एक नई मशीन वर्ष 1989 से स्थापित की गई है एवं आप्रेशन थियेटर में आने वाले आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं ।

(4) जी नहीं, डीग तहसील के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पद भरे हुए एवं मापदण्ड के अनुसार आवश्यक औषधियां उपलब्ध बजट के अनुसार कराई गई हैं ।

(5) डीग अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के स्वास्थ्य केन्द्र

307. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं ?

(2) इन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं व किस स्थान पर कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? इनको कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केन्द्र और खोले जाना प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 44 स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत हैं ।

(2) प्रत्येक उप केन्द्र पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद स्वीकृत है । कर्मचारी 23 उप केन्द्रों पर कार्यरत हैं । शेष 21 स्थानों पर जिनकी सूची संलग्न है, पद रिक्त है । प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सम्भव हो सकेगा ।

(3) पंचायत समिति सिवाना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उप केन्द्र खोले जा चुके हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध से रेगिस्तानी जिलों में शिक्षण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जागीर प्रथा खतम होने के बावजूद भी भूमि जोतने वाले को भूमि के बीच में स्थित कुए का मालिकाना हक अभी तक भी न मिलने के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में किसानों को फसली ऋण अभी तक भी उपलब्ध नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हेतराम बेनीवाल एवं श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर कोतवाली में एक व्यक्ति की जेब कटने पर पुलिस द्वारा श्री लालू नाम के एक लड़के की दिनांक 11 जून, 1990 को मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने जानकारी दी है। आज दिनांक 6 जुलाई, 1990 को वक्तव्य रखा गया है। माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

(2) श्री घासीलाल चौपड़ा, श्री सुरेन्द्र व्यास व श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरसों एवं अन्य खाद्यान्नों के भाव मण्डी में आने के पश्चात् एकदम बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक 6 जुलाई, 1990 को सदन में वक्तव्य दिया जायेगा। माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच करे तब तक आर. ए. एस. की परीक्षा रुकवाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उस पर राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि सोमवार, दिनांक 9 जुलाई, 1990 को वक्तव्य रखा गया है। माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री अर्जुन दास मदान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा कोटा जोन में वितरित किये जा रहे सोयाबीन के बीजों की थैले पर अंकित मात्रा से कम मात्रा में पाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले में टोडारायसिंह में स्वीकृत रेफरल अस्पताल की सुविधाओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से रोहतक विश्वविद्यालय (हरियाणा) द्वारा जारी की गई डिग्री (बी. एड) को राजस्थान राज्य में मान्यता दिलवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगंज, शाहबाद, सहरिया आदिवासी क्षेत्र में पानी के विपुल भण्डार का उपयोग सिंचाई परि-

(श्री अध्यक्ष)

योजनाओं में किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोजत में अति-रिक्त न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगन्नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 8-5-89 को तत्कालीन थानेदार मनोहरथाना व दांगी-पुरा एवं उप जिला पुलिस अधीक्षक इक-लेरा द्वारा ग्राम गणेशपुरा तहसील इक-लेरा के ग्रामवासियों को नाजायज परेशान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर पश्चिमी भाग में स्थित शंकरनगर नाले द्वारा मकानों की हुई क्षति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अर्जुन दास मदान। (व्यवधान)

श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार दो दिन हो गये मेरा प्रश्न आते ही आप प्रश्न काल स्थगित कर देते हैं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था....

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महो-दय, एक सूचना देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य बोल रहे हैं पहले उनको बोलने दीजिए। आपसे सूचना ले लूंगा। मैं आपका नाम पुकार लूंगा। माननीय श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महो-दय, लगातार दो दिन हो गये मेरा प्रश्न आते ही प्रश्न काल समाप्त हो जाता है। इस घड़ी में बारह बजने में 10 मिनट कम हैं। कल मैंने एतराज किया 12 बज चुके हैं तो आपने कहा कि मैं यह घड़ी देख रहा हूं। आज इस घड़ी में अभी 10 मिनट कम हैं। फिर भी मेरे प्रश्न को स्थगित कर दें। 6 लाख कर्मचारियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है....

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने पहले ही कहा था 12 उधर ही बजेंगे। 12 उधर ही बजे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस प्रश्न को आप स्थगित करें साथ में मैंने नियम....

श्री रामस्वरूप मीणा : हां पक्ष की घड़ी का जिक्र मत करो वह तो बंद हो गयी है इनके साथ-साथ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 295 के अन्तर्गत नगर परिषद् के जो वार्ड काटे थे उनका परिसीमन करने में जिस तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में निवेदन किया था। बहुत महत्व का प्रश्न है जिसको जिलाधीश ने और आयुक्त ने बिना सुने ही उन आपत्तियों को निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें। मैं आपको दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : प्रश्न संख्या 201 को स्थगित किया या क्या किया ? लेकिन लिखित में जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : किस का ?

श्री रतनाराम चौधरी : प्रश्न संख्या 201 का न तो लिखित में जवाब आया है और न स्थगित किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 201 स्थगित है आ जायेगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय को सुन लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर टाइम निकल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अभी टाइम नहीं जायेगा। शून्य का टाइम नहीं जायेगा। वह और कोई बात कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं प्रश्न संख्या 190 को स्थगित करने की बात कर रहा हूं क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो अगला प्रश्न मेरा था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगित कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे। हां बोलिये मंत्रीजी।

सूचना

राज्य के पश्चिमी-क्षेत्र में आई बाढ़ के बारे में सूचना

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में लगातार जानकारी लेने के पश्चात् भी जालौर और सिरोही क्षेत्र की सूचना अब तक यहां प्राप्त नहीं हुई है। कारण यह है कि उस सारे क्षेत्र में वायरलैस सैट लगातार जोधपुर से सम्पर्क बनाए हुए हैं उनके कारण से एक्सटरनली अभी जयपुर में उनका सम्पर्क नहीं हो पाया है। जितनी सूचना थोड़ी बहुत उपलब्ध हुई हैं मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जोधपुर शहर में बाढ़ का पानी गणेशपुरा, उम्मेद नगर तथा अन्य स्थानों पर भरा हुआ है। राहत कार्य चालू हैं, भोजन के पैकिट्स गिराये जा रहे हैं। अब तक 8 व्यक्तियों के मरने का समाचार है राहत कार्यों में सेना तथा वायु सेना युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही है। जोधपुर का सम्पर्क सड़कों तथा रेल दोनों साधनों से कटा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में माननीय मुख्य मंत्रीजी पहुंच गये हैं और उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। फ्लड कण्ट्रोल रूम ने जानकारी दी है कि बर से

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आगे का सड़क मार्ग यातायात के लिए पानी भरा होने के कारण उपयुक्त नहीं है। उस क्षेत्र में जाने के बाद कोई भी वाहन जाता है तो उसके बहने के चान्सेज हैं उनके कारण जोधपुर से बर से आगे सड़क यातायात बंद है। इतनी सूचना प्राप्त हुई जो मैंने आपके माध्यम से सारे सदन को दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं हो रही है, उन्होंने सूचना दी है। पहले श्री हेतरामजी बोल लें। आपका नम्बर आ जायेगा। आप बैठिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक 295 था, उसके सिलसिले में....

श्री अध्यक्ष : आप श्री यदुनाथ सिंह जी से मिल लें वे उस पर बात करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूं कि चूरू शहर के अन्दर भी अत्यधिक बारिश होने के कारण करीब डेढ़ सौ मकान धराशायी हो गये हैं, सैकड़ों परिवार घर छोड़कर दूसरे मकानों में चले गये या शरण लिये हुए हैं या धर्मशाला में शरण लिये हुए हैं और सरकार की ओर से न तो अब तक कोई राहत पहुंचाने की कोशिश की है न कुछ किया है। जिला कलक्टर से सम्पर्क करने के बाद उन्होंने स्पष्ट यह कहा कि जो नियम हैं राहत पहुंचाने के उसके अन्तर्गत जिसका पूरा मकान धराशायी हो गया हो उनको दो सौ रुपये मिलेंगे, कच्चे मकान वालों को और पक्के मकान वालों को पांच सौ रुपये मिलेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जिस गरीब का पूरा मकान धराशायी हो गया, अन्न का दाना खाने को नहीं बचा, पहनने को कपड़े नहीं बचे और सरकार राहत के नाम पर दो सौ दे, पांच सौ दे, तो क्या यह राशि उपयुक्त है? अब भी यह स्थिति है कि चूरू शहर के अन्दर 8 जगहों पर पानी इकट्ठा है। घरों के अन्दर पानी पहुंचा है और जिला प्रशासन को यह कहा कि चिन्ताजनक स्थिति है तो उन्होंने कहा कि पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पानी को निकालने के लिए पम्प नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि चूरू शहर की भी चिन्ता करें और प्रशासन को निर्देश दें कि तुरन्त कार्यवाही करें और साथ ही जो लोग बेघर हो गये हैं उन्हें अन्तरिम राहत के तौर पर पांच हजार रुपये दें।

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालालजी।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, कल से ही जोधपुर से सम्पर्क टूटा हुआ है न तो टेलीफोन से बात हो रही है, हम तो सब जगह ट्राई कर चुके लेकिन सही स्थिति का पता नहीं लगा। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बालोतरा के अन्दर इस वक्त लूणी के अन्दर कितना पानी है और उस क्षेत्र के

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कौन–कौन से गांव घिरे हुए हैं ? हमारी चिन्ता यह है कि हमें आप उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा जैसा कि राजस्थान पत्रिका अखबार में था कि पाली जिले के अन्दर सोजत में सबसे ज्यादा बरसात हुई तो सोजत की क्या स्थिति है ? सोजत में जन–धन की हानि हुई है या नहीं हुई है। इसलिए मंत्री महोदय पाली के बारे में भी हमें अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न-सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कम से कम सरकार इस बात की तो व्यवस्था कर दें कि जहां राहत के नाम पर दो सौ रुपये दिये जा रहे हैं यह तो एक मजाक वाली बात हो गयी है....

श्री अनंगकुमार जैन (झालरा पाटन) : यह बहुत साल पहले का है। यह आपने मजाक करी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नियम आपके समय का बना हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है बाकी देना न देना इनके हाथ में है, दो सौ भी नहीं दें। हमसे ज्यादा दें या कम दें यह इनकी मर्जी है। (व्यवधान)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनको आप क्या रिलीफ दे रहे हैं, जिनके मकान गिर गये उनको क्या सहायता पहुंचा रहे हैं ? यदि इस बारे में सरकार अपना मन्तव्य प्रकट करे तो ठीक है। सरकार ने क्या तय किया है, क्वान्टम आफ रिलीफ क्या होगी ? क्वाण्टम आफ रिलीफ के बारे में सरकार कुछ बता दे तो माननीय सदस्य दो दिन की छुट्टी है, उस के बाद में इलाके में जायेंगे तो कम से कम लोगों को बता सकेंगे कि आपको सरकार सहायता के रूप में यह मुहैया कराने वाली है। अगर मंत्री महोदय इसके बारे में प्रकाश डालें तो उचित रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने आते ही स्टेटमेंण्ट दे दिया और मंगलवार को जो 339 मिलीमीटर बरसात हुई, जोधपुर में उसको इस सरकार ने बहुत लाइटली लिया। कल यहां स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य हुआ। कल रिलीफ मिनिस्टरी यहां से गयी और कल ही जालोर के अन्दर सूचना प्राप्त हुई कि मुख्य मंत्रीजी भी चले गये और मुख्य मंत्रीजी के जाने से यह सदन आश्वस्त भी है। निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। मेरा सवाल यह है कि जालोर में कल मुख्य मंत्रीजी शाम को कह रहे थे, 400 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसका मतलब यह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है कि जालौर की स्थिति जोधपुर से ज्यादा खराब है और अभी माननीय मंत्री महोदय ने सदन को यह बताया कि जालौर से वायरलैस का सीधा कनेक्शन जयपुर में नहीं है इसलिए जालौर की स्थिति की मंत्रीजी को जानकारी नहीं है। जानकारी दी है और जैसा उन्होंने खुद ने बताया वायरलैस से इसका सीधा कनेक्शन जालौर से जोधपुर का है और जोधपुर से जयपुर का है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी नहीं हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपने कहा जोधपुर से इसका सीधा कनेक्शन है, तो एक तो मैं यह जानना चाहूंगा क्योंकि जालौर की स्थिति ज्यादा चिन्ताजनक है तो इसलिए उसकी अगर सूचना प्राप्त हो जाये वरना मेरा भी यह सुझाव है कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले जब भी, क्योंकि दो रोज की छुट्टी आ गयी और यह चिन्ताजनक विषय है तो तब तक जानकारी प्राप्त हो जाये और मुख्य मंत्रीजी से अगर मंत्री महोदय का सम्पर्क हो जाये तो मुख्य मंत्रीजी को निश्चित रूप से जानकारी होगी। जालौर की स्थिति या जालौर के अन्दर 400 मिलीमीटर बरसात जो बहुत ज्यादा होती है।

श्री भवंरलाल शर्मा : 500 मिलीमीटर।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर जिले की चाकसू तहसील में ग्राम खांडेल के अन्दर बिजली गिरने से एक हरिनारायण गोस्वामी की मृत्यु हो गई और बिजली गिरने से ही एक मोतीलाल बैरवा की भैंस मर गई। सरकार ने अब तक उनको न तो कोई राहत दी है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री आप बोले। वह सवाल अलग से उठाइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में दो आदमी मर गये, नैनवा में 50 मकान टूट गये, कोटडी में, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां पर भी काफी नुकसान हुआ है इसलिए जो स्टेटमेण्ट माननीय मंत्रीजी ने दिया है, वह अधूरा है। इसलिए आप 2–3 घण्टे का समय लेकर।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेण्ट नहीं दिया है। उन्होंने सूचना दी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह सूचना पूरी नहीं दी सदन को।

श्री अध्यक्ष : जितनी मिली है, दी है और मिलेगी और दे देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह जानना चाहता हूं अजमेर में दो आदमी मरे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप तो डिबेट कर रहे हैं। बिराजिये आप। सवाल यह है कि जो डवलपमेण्ट हो रहा है, उसकी सूचना जैसे ही सरकार को मिलती है वह आपको दे रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सूचना पूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो है, वह है। दे रहे हैं। आप मंत्रीजी बोलिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आकाश से बिजली गिरी है और उससे आदमी मर गये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। इस सदन में सवाल उठाने का कोई तरीका है। उसी तरीके से सवाल उठाइये ना, लेकिन तरीके से। माननीय मंत्रीजी यह सवाल दूसरा चल रहा है। आप सवाल उठाइये ना मैंने मना नहीं किया है, लेकिन तरीके से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने आपके माध्यम से जो जानकारी सदन को दी थी, वह वक्तव्य नहीं था। जितनी जानकारी राज्य सरकार को जयपुर में वहां के स्थानों से प्राप्त हुई, उतनी अल्प जानकारी मैंने सदन को दी है। जैसे–जैसे जानकारी उपलब्ध हो जायेगी, देंगे। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है, सदन उठने के पहले निश्चित रूप से जितनी जानकारी यहां आ जायेगी उतनी जानकारी सदन को मुहैया करा दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानकारी दी है कि सौ–डेढ़ सौ मकान टूट गये हैं, यहां जानकारी नहीं है। इसकी हम जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के पश्चात् अगर मकान टूट गये हैं, लोग आफत में हैं, तो राज्य सरकार निश्चित रूप से सब प्रकार का बचाव कार्य करेगी। सहयोग देगी। बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसी चिन्ता प्रकट की है। जो जानकारी मेरे पास आयी, उतनी है। थोड़ी सी और जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। वायरलैस से समाचार प्राप्त हुआ है कि लूणी नदी में बालोतरा के पास 5 से 6 फीट तक पानी बह रहा है। बाड़मेर कलक्टर ने अपना मुख्य कार्यालय बाड़मेर के बजाय बालोतरा शिफ्ट कर दिया है।

(12.25 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ताकि सारी स्थिति पर ठीक रूप से निगाह रखी जाये और इससे कोई परेशानी पैदा हुई है तो सहायता देने की कोशिश करेंगे। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सहायता का जिक्र किया है, जो पुराने नियम बने हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर अभी तक सहायता दी जाती रही है। माननीय सदस्यों को जो चिन्ता है, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां पधार जायेंगे, अकाल और बाढ़ राहत मंत्री महोदय यहां आ जायेंगे, सारे समाचार लेकर माननीय सदस्यों की चिन्ता से उनको अवगत करा दिया जायेगा और जिस प्रकार अगर नियमों में संशोधन हुआ तो उस नियम संशोधन में परिवर्तन करके उस प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था की जा सकेगी। मैं फिर आपके माध्यम से अजमेर के पास जो भैंस मरने की घटना बतायी, उसकी जानकारी तो यहां पर नहीं है। यह प्रश्न अलग से है। एक प्रश्न और किया था

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कि क्या जोधपुर से वायरलैस का कनेक्शन यहां पर नहीं है? ऐसी स्थिति नहीं है। क्या होता है कि वायरलैस में, चारों तरफ जालौर–सिरोही में भयंकर बाढ़ आ रही है तो उनकी सीधी बात अभी लगातार जोध–पुर से कान्ट्रेक्ट हो रहे हैं और इसलिए जोधपुर से यहां कान्ट्रेक्ट करना अभी संभव नहीं हो रहा है। दो फ्रीक्वेन्सी पर लगातार बातचीत नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की दुविधाएं इस प्रकार की हैं। मान–नीय मुख्य मंत्री वहां पधारे हुए हैं। वह सारे कामों की जानकारी वहां ले रहे हैं और सिरोही, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर इन सबका सीधा सम्पर्क लगातार वायरलैस से वहां बना हुआ है। अभी तक जोधपुर से जयपुर में वायरलैस के माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, बातचीत नहीं हो पायी है और वह कनेक्शन लगातार चल रहे हैं इसलिए संभव नहीं है।

मैं फिर आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार बाढ़ से, जिस प्रकार का नुकसान हो रहा है, कठिनाई हो रही है, उसमें जागृत है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां से स्वयं गये हैं। वह सारी बातों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की जाने की, हेलीकाप्टर दूसरा उप–लब्ध नहीं है। मेरी मुख्य सचिव महोदय से बात हुई है लेकिन फिर भी हम यह प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि ऊंची साइज के इस प्रकार के व्हीकल्स मिल जायें कि जिन व्ही-कल्स के आधार पर वह अल्टरनेटिव रूट लेकर जोधपुर तक पहुंचाना संभव हुआ तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था भी की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जालौर के विषय में मंत्री महोदय जो भी जानकारी आपको उप-लब्ध हो सकती है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): चाहते ही नहीं थे। यदि जाना होता तो दूसरी व्यव–स्था करके भी जा सकते थे। यह तो कहने के लिए कह रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : बूंदी में 3 दिन से नाले में आदमी फंसे हुए हैं। मांजी साहब के कुण्ड के पास में माननीय गोयल साहब की कान्स्टीट्यूएन्सी में। 50 मकान अतिवृष्टि से तीन दिन से घिरे हुए हैं........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप कोटा और बूंदी की चिन्ता मत करिये। वहां कोई नुकसान नहीं होगा। कितनी भी बाढ़ आये।

श्री रामनारायण वर्मा : उनको नुक–सान हो चुका है। कोई बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही एस. डी. ओ. बूंदी से मेरी बात हुई है। कोई बात नहीं है जिस पर चिन्ता की जाये। वर्षा बहुत बढ़िया हुई है। नैनवा का तालाब भर रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बीच में क्यों बोलते हो ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टोंक में भी बाढ़ आयेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं आप बीच में क्यों बोलते हैं माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाठशाला लगाओ। पढ़ने आ जायेंगे, ज्यादा समझ लिया है तो। मंत्री बन जायें तब बीच में बोलना। अभी तो हमको बोलने दीजिये, हम विपक्ष में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो बाढ़ के मामले में चिन्ता प्रकट की है, इससे सरकार की संवेदनशीलता प्रकट होती है, परन्तु फिर भी मैं आपके माध्यम से पुनः आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे पास वह फोटोग्राफ हैं, जो चूरू की असली तस्वीर को दर्शाती हैं। चूरू के अन्दर जिला प्रशासन से मैंने सम्पर्क किया और मैंने यह कहा है कि लोगों को अंतरिम सहायता पहुंचाओ, लोगों को अंतरिम राहत के लिए कुछ राशि या अन्न मुहैय्या कराओ तो उन्होंने कहा सरकार का दिशा-निर्देश नहीं है। सरकार ने जो नियमावली भेजी है उसके अन्तर्गत अन्तर्गत 200 रुपये ही दे सकते हैं। उसका भी सर्वे करेंगे। लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है। वह गरीब इलाका है, दाने-दाने को लोग मोहताज हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। आप कह रहे हैं कि आप वायरलैस से जोधपुर का सम्पर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जालौर का सम्पर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। चूरू का सम्पर्क बरकरार है. आप कृपया उनको निर्देश दें, तुरन्त कि तुरन्त अकाल राहत कैम्प खोलें, जो लोग घर से बेघर हो गये हैं उनको अन्तरिम राशि तुरन्त दे, लोगों को तुरन्त राहत पहुंचायें अन्यथा मजबूर होकर चूरू की जनता के साथ मुझे भी जिलाधीश कक्ष के सामने धरने पर बैठना पड़ेगा। फिर कहोगे कि सत्ता पक्ष का विधायक बैठ गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

(12.30 म. प.)

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सोयाबीन का बीज कोटा संभाग के किसानों को वितरण करने के बारे में।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन में कई बार इस बात का विश्वास दे चुके हैं कि राजस्थान में हम स्वच्छ प्रशासन देने की कल्पना रखते हैं। किसानों के हितों की रक्षा करने की बात भी एक नहीं अनेक बार इस सदन के सामने आयी है। किन्तु आज जिस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मान्यवर, वह ऐसा विषय है जो इस बात की ओर इंगित करता है कि हम स्वच्छ प्रशासन देने में अभी तक सफल नहीं हो सके हैं, जितनी कामना और आकांक्षा लेकर हम चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सोयाबीन की खेती हो रही है और राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन....

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ेंगे वही रिकार्ड होगा इसलिए आपका 295 का जो प्रस्ताव हैं वह पढ़ें तो बैटर रहेगा ।

श्री अर्जुन दास मदान : साहब, पढ़ने वाली कापी तो दे दी । मैं इसी पर सीमित रहूंगा, आप निश्चिन्त रहें, मैं कोई आगे पीछे नहीं जा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कापी आपके पास नहीं है तो यहां से मिल जायेगी ।

श्री अर्जुनदास मदान : वह मुझे पूरा जुबानी याद है, साहब बस एक मिनट । ज्यादा नहीं लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : वह नियमों के विरुद्ध होगा । जो लिखा हुआ है अक्षरशः वही पढ़ना पड़ेगा ।

श्री हेमराज मीणा : (किशनगंज) : यह सोयाबीन का बहुत बड़ा घोटाला है, इस बात की चर्चा होनी चाहिए । सोयाबीन के जो कट्टे हैं उनमें 5-5, 10-10 किलो सोयाबीन कम निकली है । एक कट्टा भी यहां प्रस्तुत है ।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है उनका प्रयोग करिये, दूसरे नियमों में चर्चा उठाइये ।

श्री अर्जुनदास मदान माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा सोयाबीन के बीज कोटा सम्भाग के किसानों को वितरित किये जा रहे हैं । इस प्रकार कोटा जोन में कुल पांच हजार क्विण्टल बीज वितरित किया जायेगा ताकि बीज निगम प्रदर्शन हेतु कुछ खेतों का चयन कर उसका प्रकटीकरण कर सकें । मेरे क्षेत्र लाडपुरा में 150 हैक्टेयर भूमि चयनित की गई है तथा सम्बन्धित किसानों को 16 किलो सोयाबीन बीज के 5-5 बैग अथवा 80 किलोग्राम बीज प्रति हैक्टेयर दिया जा रहा है । वितरित किये जाने वाले थैले पर "केवल सोलह किलो" अंकित है, किन्तु मेरे पास बीज निगम का एक ऐसा बैग भी एक किसान द्वारा भेजा गया है जिस पर वजन तो 16 किलोग्राम अंकित है लेकिन वास्तविक बीज 12 किलोग्राम ही है । ऐसे अनेक बैग्स क्षेत्र में वितरित किये गये गये हैं जिनमें अंकित वजन 16 किलो के स्थान पर 12 किलोग्राम बीज ही है । चूंकि यह गम्भीर विषय है यह न केवल अधिकारियों के आचरण पर सन्देह प्रकट करता है अपितु प्रदर्शन के लिए चयनित क्षेत्रों को भी काफी प्रभावित करेगा । क्योंकि प्रति हैक्टेयर 80 किलो बीज के स्थान पर वास्तविक बीजारोपण 60–65 किलो को ही किया गया है । सीलबन्द बैग, किसानों के लिखित बयान व अन्य देस्तावेज मेरे पास सदन में हैं, यदि उनको देखना चाहें तो प्रस्तुत हैं ।

अतः नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा में मामला प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसकी वास्तविकता का अनुभव किया जाय । एक क्षण और लूंगा, मान्यवर इस बात के लिए । यहां मंत्री महोदय भी बिराजमान हैं और मेरे पास खाली कट्टा है और उसके साथ जो दस्तावेज हैं वह भी आपके सामने हैं । दूसरी ओर भरा हुआ कट्टा भी लाया हूं जिसके ऊपर 16 किलो लिखा गया है किन्तु वास्तविक बीज इसके अन्दर 12 किलो ही है ।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल लाडपुरा का ही मामला नहीं है, कोटा जिले की किशनगंज, शाहबाद, अटरू आदि जगहों का भी मामला है। जितना भी बीज प्रदर्शन के लिए दिया गया है...

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों को लूटा जा रहा है, उनको बचाइये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : किसानों का शोषण हो रहा है, इसकी तुरन्त जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें। मेरी ऐसी कल्पना है कि जहां यह बीज भरा गया होगा उसी स्थान पर कोई घपला हुआ होगा। गंगा यदि बनारस या पटना में जाकर मैली हो जाय कोई दुःख नहीं है लेकिन यदि गंगोत्री और गौ-मुख पर ही मैली हो जाय तो उसके लिए सदन को निश्चित रूप से चिन्ता करनी होगी, क्योंकि सबके विश्वास का प्रश्न है। मैं यह मानता हूं कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों को ही नहीं बल्कि सारे लोगों का बीज कार्पोरेशन के ऊपर से विश्वास उठ जायगा। किसान को जो हानि हो गयी उसकी परिकल्पना केवल पैसों में न गिनें। भावना से यदि आप देखेंगे तो इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : कोटा, बूंदी झालावाड़ का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बतलायी है....

श्री रतनाराम चौधरी : पूरे राजस्थान का सवाल है, एक का सवाल नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों की यह समस्या तो पूरे राजस्थान में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए पूरे राजस्थान की दृष्टि से इसका जवाब दिया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : आप बोल लो, मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर मामला उठाया है। जब मैं सदन में आ रहा था तब रास्ते में लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे मिले। उन्होंने उस समय मुझे जानकारी दी। मैंने तुरन्त डायरेक्टर एग्रीकल्चर और सीड्स कार्पोरेशन के निदेशक दोनों को डायरेक्शन दे दिये। मैं हाउस को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। काश्तकारों को मिनि किट के रूप में 16 किलो का बैग दिया जाना चाहिए, उसके अगेन्स्ट उनको 12 किलो ही मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं इसकी जांच उच्च स्तर पर कराऊंगा और जो भी दोषी अधिकारी जिस स्तर पर होगा उसको बख्शा नहीं जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल चोपड़ा।

श्री हेमराज मीणा : इसमें मेरा एक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जांच की बात आ गयी।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कार्पोरेशन से जो बीज मिलता है, खास तौर से किशनगंज और शाहबाद के अन्दर, वहां एस. टी., एस. सी. निवास करते हैं। उनको यह बीज अनुदान के रूप में मिलता है। लघु–सीमान्त कृषक हैं उनको 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलता है। लेकिन वास्तव में यह बीज एस. टी., एस. सी. और लघु–सीमान्त कृषकों को न मिलकर बड़े–बड़े काश्तकार इसका लाभ उठाते हैं और नाम मंढ़ता है एस. टी., एस. सी. और लघु–सीमान्त किसान के। इस बात को भी किशनगंज और शाहबाद के अन्दर जांच करवायी जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायें। सदन में आश्वासन भी दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने आपकी बात सुनी। आपने सदन में बात कही तो निश्चित तौर पर सरकार उसको गम्भीरता से तो लेगी।

श्री घासीलाल चौपड़ा।

टोडारायसिंह जिला टोंक के रेफरल अस्पताल की सुविधाओं के बारे में

श्री घासीलाल चौपड़ा(टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोडारायसिंह में स्वीकृत रेफरल अस्पताल की सुविधाओं के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला टोंक के कस्बे टोडारायसिंह में गत वर्ष रेफरल अस्पताल खोला गया था, लेकिन वहां पर अभी भी रेफरल अस्पताल का स्टाफ नहीं पहुंचा है। मरीजों के लिए वहां पर न दवाइयां हैं और न बैड हैं। मरीजों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त अस्पताल में महिला डाक्टर का अभाव है। उसकी वजह से डिलीवरी केसेज को बाहर ले जाना पड़ता है, जिससे कई महिलाओं को तो रास्ते में ही प्राण देने पड़ते हैं। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में पी. एच. सी. मान्दोलाई, डिस्पेंसरी बरबास, खरेड़ा, सभी जगह डाक्टरों व स्टाफ का तथा दवाइयों का अभाव है। पी. एच. सी., मान्दोलाई की तो हालत ऐसी है कि वहां तो आज दिन तक 6 माह से अधिक कोई डाक्टर ही नहीं रुकता। न ही उस पी. एच. सी. में दवाइयां उपलब्ध हैं, न ही बैड। नर्सिंग स्टाफ की भी भारी कमी है। ऐसी स्थिति में मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह की ग्रामीण गरीब जनता को कहीं बाहर जाकर इलाज कराना पड़ता है जो आम गरीब आदमी के लिए नामुमकीन है। उसको तो भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है। यह या तो ठीक हो जाता है या व्यवस्था के अभाव में प्राण छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि टोडारायसिंह कस्बे में रैफरल अस्पताल की व्यवस्था करवाने पी.एच.सी. मान्दोलाई, डिस्पेन्सरी व बास, खरेड़ा में डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ व दवाइयों की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द गुर्जर ।

रोहतक विश्वविद्यालय (हरियाणा) द्वारा जारी बी.एड. की डिग्री को राजस्थान राज्य में मान्यता देने सम्बन्धी

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज हमारे राजस्थान के बेरोजगार छात्रों के सामने एक भयंकर समस्या बनी हुई है, जो अन्य जगह की डिग्रिया प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा सवाल है रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी डिग्री (बी. एड.) को राजस्थान राज्य में मान्यता दिलवाने के क्रम में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन ही प्रत्येक राज्यों में विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है। उनके द्वारा ही प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालयों में देश के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता उन विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार मिली हुई है। इसी प्रकार से राजस्थान राज्य में राजस्थान विश्वविद्यालय के बी. एड. कोर्स के समान ही रोहतक विश्वविद्यालय ने गत वर्ष (1988-89) में एक बी. एड. कोर्स पत्राचार द्वारा कराने के लिए पेपर में निकाल कर प्रत्येक राज्य के छात्रों को प्रवेश दिया गया जिसमें राजस्थान से भी करीबन 3000 छात्रों ने प्रवेश लिया। उन्होंने परीक्षा पास करके डिग्री भी हासिल कर ली है, लेकिन राजस्थान सरकार आज तक भी इस डिग्री को मानने के लिए तैयार नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : प्रवेश के बाद परीक्षा उपरान्त डिग्री बनती है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द गुर्जर : महोदय, बल्कि कहते है कि उसकी योग्यता में प्रवेश का क्रम गलत है और पत्राचार बी. एड. को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमावली में ऐसा उल्लेख नहीं है। अतः निवेदन है कि यदि राज्य सरकार किसी नियमावली को बनाने के साथ ही भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में उसी समय नियम नहीं बना सकती यह विषय इसी क्रम में है। क्योंकि देश में यह पहला मौका पत्राचार से बी. एड. कराने का है। राज्य सरकार के योजना कार्यक्रम में बेरोजगारों को रोजगार देना है। इसलिए इसे राज्य के छात्रों के साथ ऐसे कोर्स में अन्याय नहीं होना चाहिये जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इन राज्यों में इसे मान्यता मिली हुई है प्रार्थना है कि इसे भी मान्यता दिलवायी जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बेरोजगार छात्रों ने गरीब अभिभावकों की मेहनत की कमाई का खर्चा करके यह पत्राचार कोर्स बी. एड. रोहतक विश्वविद्यालय से पास की है। उक्त परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय बी. एड. पत्राचार कोर्स के समान ही है।

अतः मैं आपके मार्फत शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी उक्त कोर्स

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

को मान्यता दिलवायी जावे। जबकि विश्वविद्यालय का पूर्व में जैसा नियम था कि उक्त कोर्स को मान्यता दी जायेगी पर बाद में इसको रद्द कर दिया गया। इसे पुन: स्वीकृती दिलायी जाय जिससे राजस्थान के 25–30 हजार से ज्यादा पड़े हुए रिक्त अध्यापकों के पदों पर पूर्ति हो सकेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय को आपके द्वारा कि राजस्थान के बेरोजगार छात्रों के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत सारे छात्र ओवर एज होने जा रहे हैं इसलिए बी. एड. कोर्स को तुरन्त ही मान्यता दिलाकर उन छात्रों को ऐसे रोजगार के साधन मुहैया कराये जाय, यही मेरा आपसे निवेदन है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर पहले मंजूरी मिली हुई थी और अब यह मंजूरी नहीं दी जा रही है, 3000 छात्र बेरोजगार दर–दर घूम रहे हैं इसलिए इसके ऊपर तुरन्त विचार करके आपके द्वारा, शासन से ऐसी व्यवस्था दिलवाई जावे जिससे शिक्षा मंत्री महोदय इन नियमों में कुछ परिवर्तन करके उन छात्रों को स्वीकृति दिलाने की कृपा करें जिससे कि रोजगार के साधन मुहैया हों। आपके द्वारा थोड़ी सी व्यवस्था हो जाय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम से कि वो इस पर विचार करें। कोई राजस्थान से इतनी बड़ी, कम से कम 5–10 हजार लोग बेरोजगार........

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगी ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : नहीं, गंभीरता से तो लेगी, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आश्वासन राजस्थान के लोगों को, मरते हुए लोगों को जीव डालने के समान होगा। इसलिए आप सरकार से यही कहें कि....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार गंभीरता से लेगी, आप निश्चिन्त रहें।

श्री हेमराज मीणा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री) : नहीं, मैं जवाब दूंगी। परसों सोमवार शिक्षा की मांग है और उस समय इस बात का जवाब भी दे दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बताइये, कितना जल्दी हुआ है।

किशनगंज, शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के पानी को सिंचाई परियोजनाओं में लिये जाने के संबंध में।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद सहरिया आदिवासियों का क्षेत्र है। इसमें 60% से अधिक जन–संख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली रहती है। इस क्षेत्र में जल के विपुल भण्डार विद्यमान हैं। बड़ी–बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, जिनमें कभी भी पानी कम नहीं हो सकता। इस पानी का उपयोग यदि सिंचाई परियोजनाओं में किया जावे तो हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। क्या मंत्री महोदय इस विपुल जल

(श्री हेमराज मीणा)

भण्डार के उपयोग की कोई योजना बना–एंगे ?

किशनगंज में 13 टैंक हैं जिनसे सिंचाई होती है। सिंचाई के लिए टैंक हैं परन्तु इनकी मरम्मत के बारे में सरकार ने कभी भी विचार नहीं किया । किशनगंज में गोपालपुरा, गरड़ा, केलबाड़ा, भंवरगढ़, काली सोत, सीताबाड़ी सारन, विलास छत्रपुरा, महोदरी नाहरगढ़ इकलेरा, सागर ये मरम्मत के अभाव में जीर्ण–शीर्ण हालत में हो रहे हैं। सिंचाई नहरें जगह–जगह से टूटी हुई हैं। यह हालत है कि 60% पानी बेकार वह जाता है। मरम्मत के लिए जो बजट दिया जाता है, उसको वर्कचार्ज के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में खर्च दिया जाता है। गोपालपुरा,उम्मेद सागर का टैंक सेफ्टी टैंक कहलाता है किन्तु जिस समय गोपालपुरा टैंक नहीं था उस समय भी उम्मेदपुरा से टेल तक पानी पहुंचता था, परन्तु अब गोपालपुरा टैंक बनने के बाद भी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। जब से यह टैंक बने हैं इनकी मरम्मत का नाम नहीं लिया गया है। आज किसान पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वेस्ट पानी को रोकने के लिए बरोनी लिक सारन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। क्या सिंचाई मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे जिससे गरीब किसानों को लाभ हो सके ?

किशनगंज में 13 लघु परियोजनाएं हैं जो मरम्मत के अभाव के कारण सिंचाई करने में असक्षम बनती जा रही है । सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मरम्मत पर भी विशेष ध्यान देवें ताकि पुराने विरासत में मिले टैंकों से सिंचाई होती रहे। इसी तरह सभी तालाबों में सिल्ट भर गई है, जिससे इनकी भराव क्षमता कम हो गई है इन तालाबों की सिल्ट निकलवा कर इन्हें गहरा करवाने की व्यवस्था करें। नये प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ-साथ पुराने प्रोजेक्टों की मरम्मत भी अति आवश्यक है।

शाहबाद क्षेत्र में 8 छोटी परियोजनाएं हैं–रसई, खटका, सहरोल, तलहटी, बगदेव, रामपुरा, पंचकुई, सेमली फाटक, सिरसीपुरा और रामगढ़ यह भी मरम्मत के अभाव में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं इनमें से अधिकतर सिंचाई परियोजनायें जनता सरकार के समय बनी थी। उसके बाद कोई भी नई सिंचाई परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई है। मैं विशेष तौर पर नई परियोजनाओं के साथ–साथ सभी पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर कराये जाने का आग्रह करता हूं।

किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में नई लघु सिंचाई परियोजनायें वेंतरा, सार, वर्नी हाथियादह, करई जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में बजट आवंटित कर कार्य प्रारम्भ करने की कृपा करें।

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मरम्मत के अभाव में किशनगंज शाहबाद के सारे प्रोजेक्ट ऐसी जीर्ण–हालत में हो रहे हैं कि 60 प्रतिशत पानी वह जाता है इसके कारण से और टेल पर पानी नहीं पहुंचता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

सोजत में अतिरिक्त न्यायालय खोलने के संबंध में।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और विधि मंत्रीजी से सोजत के अंदर एडीशनल एण्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मांग करता हूं।

यह कि सोजत सिटी जिला पाली में पूर्व में ज्युडिशियल सुप्रिडेंसी स्थापित थी। काफी अर्से से अभिभाषक संघ, सोजत, जतारण एवं बर सोजत नगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इस मांग को राजस्थान उच्च न्यायालय ने उचित मानकर अनेक बार राज्य सरकार को सोजत में इसकी स्थापना के लिए सिफारिश की है। उक्त न्यायालय अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होते हुए भी तत्कालीन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं की। इसके स्वीकार न हो पाने का कारण एक अत्यन्त कारण राजनीतिक भी है।

यह कि तथ्यात्मक मुद्दों पर भी हमारी यह मांग अत्यन्त न्यायोचित एवं न्याय संगत है तथा तत्काल स्वीकार किये जाने योग्य है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :–

(क) दिनांक 31.6.90 के आंकड़ों के अनुसार पाली के सत्र न्यायालय में विचाराधीन सेशन ट्रायल मुकदमे 350 में से 300 सोजत–जैतारण सब डिवीजन के हैं, इसी प्रकार क्रिमिनल अपील्स के भी कुल 265 में से 160 सोजत–जैतारण एवं बर से हैं अर्थात् आधे से ज्यादा क्रिमिनल अपील्स सोजत जैतारण से हैं।

(ख) सोजत व बर के दूरस्थ क्षेत्रों से पाली जिला एवं सत्र न्यायालय जाकर उसी रोज वापस नहीं आया जा सकता। पाली जाने के लिए सोजत होकर ही जाना पड़ता है। इसके विपरीत जैतारण एवं बर के किसी भी क्षेत्र से सोजत आकर पेशी कराकर उसी दिन अपने घर वापिस पहुंचा जा सकता है। पाली जाने में समय व धन की बर्बादी होती है जिसका प्रभाव जनता और सरकार के खजाने पर विपरीत पड़ता है इससे पाली न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के अंबार लग रहे हैं जिसके कारण मुकदमे पुराने और लम्बे हो रहे हैं।

अतः निवेदन है कि तमाम तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह राज्य सरकार और आम जनता के हित में होता कि सोजत में तत्काल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जावे जिसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय भी बार–बार राज्य सरकार को सिफारिश करता रहा है। आशा है राज्य सरकार सोजत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना कर पीड़ित शोषित व गरीब जनता को राहत प्रदान करेगी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ वर्मा।

ग्राम गणेशपुरा तहसील के इकलेरा के ग्राम वासियों को पुलिस द्वारा परेशान करने के संबंध में।

श्री जगन्नाथ वर्मा (मनोहर थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8–5–1989 को तत्कालीन थानेदार हेमराज मनोहर थाना, थानेदार दांमीपुरा रामचन्द्र एवं उप पुलिस अधीक्षक अकलेरा मय जाब्ते के साथ ग्राम गणेशपुरा (ग्राम पंचायत

(श्री जगन्नाथ वर्मा)

चांदपुरा भीलाम) तहसील अकलेरा में रात्रि में गये और गांव में जाकर कई घरों की तलाशी ली, ग्रामवासियों के घरों में पुलिस वालों ने घुस कर बरतन तोड़ दिये, कोठियां तोड़ दीं, ग्राम के पुरुष व महिलाओं के साथ मार–पीट की तथा घीसालाल तंवर (राजपूत) के पांच बकरे–बकरी जबर्दस्ती ले आये। उसकी घीसालाल द्वारा एस. पी. साहब झालावाड़ को शिकायत की गई, उच्चाधिकारियों एवं मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार को शिकायत की और मुझे क्षेत्रीय विधायक से भी उसने शिकायत की थी। मैंने तत्कालीन एस. पी. साहब से टेलीफोन पर बात की तो एस. पी. साहब ने कहा कि घीसालाल के बकरे–बकरी वापस दिलवा दिये जावेंगे तथा मामले की जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी। उसी रोज उप पुलिस अधीक्षक सारे गांव में से एक ट्रक लकड़ी भी भर कर लाये थे। उस सारे मामले की शिकायत करने के बावजूद एक वर्ष से अधिक हो गया आज तक घीसालाल के बकरे–बकरी नहीं लौटाये गये और ना ही दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच करवाई जाकर दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया जावे तथा घीसालाल के बकरे–बकरी वापस दिलवाये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है और मैं कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को कह चुका हूं मगर पुलिस वाले आज भी वहीं बैठे हुये हैं और उस गरीब के बकरे–बकरी वापस नहीं कर रहे हैं और न ही उनका फर्द जब्ती रेकार्ड है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, बकरे–बकरी का मामला है।

श्री जगन्नाथ वर्मा : बकरे–बकरी ले गये हैं और खा गये हैं और आज तक वापस नहीं कर रहे हैं।....

श्री राजेन्द्र राठौड़ यह और भी गम्भीर मामला है साहब, बकरे–बकरी ले गये और ले जाने के बाद खा गये, इसलिये उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ वर्मा : वह गरीब 10 चक्कर लगा चुका है, महीने में एक बार आता है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, बकरे–बकरी खा गये उसका इलाज करवायें।

जयपुर में शंकर नगर के नाले द्वारा मकानों को हुई क्षति के सम्बन्ध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से सदन का ध्यान जयपुर नगर के पश्चिमी भाग में अवस्थित शंकर नगर के नाले की ओर दिलाना चाहती हूं। माननीय मंत्रीजी भी बैठे हुये हैं आशा है मुझे उसका फायदा मिलेगा।

(86)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1971 में बारामोरी ब्रह्मपुरी माउण्ट रोड़ जहां आज है उस ओर से गढ़ गणेश के नीचे के नाले से भयंकर प्रवाह से पानी आने से बस्ती के बीचों–बीच यह नाला नये रूप से निकला है, पहले नाला नहीं था। जिससे दोनों ओर के बने मकानों को क्षति हुई है। इन मकानों की संख्या सैकड़ों से ऊपर है। यह नाला जहां पड़ा–वह दो तरफ के मकानों के बीच की सड़क थी। पानी ने न केवल सड़क बहाई बल्कि दोनों ओर के मकानों के भी बने हुये बहुत बड़े हिस्सों को वहा ले गया। तथा आने वाली हर बरसात में यह ध्वंस बढ़ता गया। इस नाले को तबसे हर आने वाले जे. डी. ए. के सैक्रेटरी को मैंने दिखलाया है। मंत्री महोदय ने भी इसे देखा है। गत वर्ष इसके पिचिंग के आदेश हुए थे, परन्तु तत्काल बाद ही एक ऐसा पत्र मिला कि यह कृषि भूमि में है इसलिये नहीं बनाया जा सकता है। यह नाला जवाहर नगर, सी–स्कीम, नागतलाई आदि के नाले जितना पाट अर्थात् चौड़ाई रखता है। रेतीली मिट्टी होने से पानी से बराबर काट कर बढ़ रहा है। यह बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट जो जे. डी. ए. ने बताया है उसमें शामिल है। जिसके बनाने में जे. डी. ए. ने काफी पैसा खर्च किया है।

मेरा निवेदन है कि नाला तो नाला है, चाहे कृषि भूमि में हो या और कहीं इसे सरकार को तत्काल पिचिंग के आदेश देकर बनाना चाहिये। बादल सिर पर घिरे हैं किसी भी दिन अन्य कोई दुर्घटना हो सकती है। इससे पूर्व कि इसके किनारों पर मिट्टी और कट्टे वहां तार आदि की बाढ़ लगानी चाहिये। इसके बनाये जाने में हो रही देरी से लोग आशंकित हैं। इस बीच में समय रहते इस कार्य को कराना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि साथ ही करोड़ों की लागत से नजदीक में बने हुये ट्रीटमैण्ट प्लान्ट भी बह जाता। यह सरकार को देखना है। क्योंकि ट्रीटमैण्ट प्लान्ट भी इस नाले के सहारे है। यदि ऐसा हुआ तो सारी जिम्मेदारी सरकार की कूंती जायेगी।

मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुये हैं वह आश्वस्त करें कि क्या इस नाले पर कार्य प्रारम्भ करायेंगे, क्या उन्होंने नाला देखा है माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री यहां बैठे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं, आप उससे कहें जरा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री भंवरलालजी शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष : आप उनसे बात कर लेना।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–श्री कमलेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात का थोड़ा सा जवाब दिलवादें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ही कानून बनाया है 295 के अन्दर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी जो यहां पर तीन मंत्रियों ने जवाब दिये हैं तो क्या श्री भंवरलालजी शर्मा ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं। आप उनको रोकते क्यों हैं ? (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : वह सुन ही नहीं रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : वह सुन ही नहीं रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्री भंवरलालजी शर्मा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि वह बतायें कि शंकर नगर के नाले पर क्या इस वर्ष कार्य शुरू करवा देंगे ? माननीय मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : साहब कुछ बोलना है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो नहीं कह सकता हूं। आप कह दें, ठीक हो जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भिजवा दीजिये मेरे पास।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मैं कागज आपको दे दूं। ठीक है मैं दे दूंगी। आपके विभाग ने, पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया मैं उनसे कैसे बात करूं ? आवश्यकता इस बात की है कि मेरी सरकार यह काम जल्दी करा दे। यह मैं आपको दे देती हूं धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आदिवासी क्षेत्रों में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स में छूट के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : राव श्री कमलेन्द्र-सिंह।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत आदिवासि क्षेत्रों में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स बनाने हेतु दी गई छूट की मियाद समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देअर इज नो गृह मंत्री।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री सम्पतराम (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : मैं जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दीजिये ना।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आप पहले बोल लें।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्सों के बनाने में एवं उनके नवीनीकरण के लिये दिनांक 30-6-90 तक जो अवधि पूर्व में दी गई थी, इस अवधि को राज्य सरकार ने अपने आदेश द्वारा दिनांक 30-6-1990 से 30-9-1990 तक बढ़ा दी है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण पहुंचने के बाद यह आर्डर निकाला है, यह अवधि बढ़ाई गई है।

दूसरा पाइन्ट यह है कि कई लोगों ने जो नया कानून बना है, नया आर्डर निकला था इसके नवीनीकरण हो जायेगा, उसके पहले इतने केस पैण्डिग्स हैं जिसमें सरकार ने प्रोसीक्यूट कर रखा है आदिवासियों को, जिनकी बन्दूकें जप्त कर रखी हैं थानों में रख रखी हैं, क्योंकि वह केसेज बिथड्राल नहीं हुये हैं इसलिये उनके तो पैण्डिग्स है। क्या सरकार इन केसेज को विथड्रा करके यह 3 महीने की जो मियाद बढ़ाई है उनके नवीनीकरण करने, नये लाइसेन्स बनाने की छूट देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरा-सिंहजी चौहान :

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोपीदार बन्दूकों का जो मसला उठाया गया है यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर, भीम, सोजत इत्यादि क्षेत्रों में पहाड़ी बैल्ट में लोग रहते हैं उनके पास भी टोपीदार बन्दूकें है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वास्तव में इन टोपीदार बन्दूकों को सीज करके थानों में जमा करना और तहसील में जाते हैं उनके लाइसेन्स रिनुअल कराने के लिये तो नाना प्रकार की कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ता है। एक छोटा औजार लोगों के पास है जिससे वन्य जीवों से रक्षा करते हैं। और अपनी कठिनाई के समय में जहां उनकी आवश्यकता होती है वह काम में आता है लेकिन रिन्युअल प्रणाली, प्रतिवर्ष इनको रिन्युअल करना होता है और रिन्युअल कराने में 2/- रुपये की फीस होती है और लोगों से 60-60, 100-100 रुपये तक वसूल किये जाते हैं। इसलिए मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो टोपीदार बन्दूकें हैं इनके लाइसेन्सीकरण के नियमों को थोड़ा सरल बनाया जाये। इसके रिन्युअल प्रतिवर्ष किये जाते हैं उस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाये। इसके अलावा ए. डी. एम. को जो पावर्स दिये हैं वह वापस तहसीलदार को दिये जायें। शस्त्र का जो भौतिक सत्यापन होता है उसमें थोड़ी शिथिलता करके क्योंकि इसमें बहुत बड़े व्यवधान आते हैं। इसलिए मैं राज्य ससकार से निवेदन करूंगा कि इसके नियमों को थोड़ा शिथिल किया जाये। इस प्रकार का कोई शस्त्र नहीं है जिससे मार-धाड़ करते हो, मामूली शस्त्र है जिसे आदमी अपनी खेती की रखवाली के लिये रखता है।

(1.00 म. प.)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : इसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह टोपीदार बन्दूकें अक्सर आदिवासी लोग रखते हैं। वाकई में जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हिंसक जानवरों के लिये या अपने बचाव के लिये रखते हैं। यह आदि काल से रखते हैं। इनके जो भी केस हैं बिना लाइसेंस की बन्दूकें सब बन्द कर रखी हैं। हजारों की तादाद में बन्दूकें बन्द कर रखी

(श्री नाथूराम अहारी)

है। इन्होंने कभी भी इसकी जानकारी नहीं दी कि यह किसकी है, क्या है? यहां तक कि उनके कागज भी गुम गये ऐसी भी बन्दूकें हैं। यह तहसील में हैं या थाने में हैं? इस तरह की बन्दूकें पड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह भी निवेदन करता हूं कि इन बन्दूकों से कहीं भी अकस्मात या जाने अनजाने में किसी को मारा नहीं है। कट्टों से या रिवाल्वरों से कहीं भी इस तरह की घटनाएं हुई, इस तरह की टोपीदार बन्दूकों से कहीं भी कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए यह जो थाने में पड़ी हुई बन्दूकें हैं उन्हें वापस सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाये और उसे लाइसेन्स दिलवाया जाये और लाइसेंस में भी सरलीकरण किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सम्पत राम : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो केसेज हैं, पेंडिग हैं कोर्ट्स में या चालान किया हैं, वह नवीनीकरण करा लेंगे तो वह अपने आप विथड्रा हो जायेगा।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नवीनीकरण के लिये जो एप्लीकेशन दिये गये थे, जिनके खिलाफ यह मुकदमें चल रहे हैं उनका नवीनीकरण, उनका इस पीरियड में लाइसेंस इसलिए नहीं बना है कि उनके खिलाफ मुकदमें लगे हुये हैं। आप मुकदमें विथड्रा कर लीजिएगा, उसके बाद नवीनीकरण हो सकेगा। जो भी सरकार को आर्डर गया है, कलेक्टर को आर्डर गया है, केवल यह गया है कि आप यह लाइसेंस ले लीजिए जिनके मुकदमें चल रहे हैं उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया सरकार का, इसलिए वह पेंडिग रहे। अब आपने तीन महीने की मियाद और बढ़ाई है इसलिए तीन महीने की मियाद में आप विथड्रा कर लीजिएगा तो अपने आप लाइसेन्स का नवीनीकरण हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि नवीनीकरण होते ही केसेज विथड्रा हो जायेंगे। केस विथड्रा करने के लिये प्रक्रिया अलग है सी. आर. पी. सी. के तहत। यह होगा कैसे माननीय मंत्री महोदय ने जो एबरप्टली कह दिया कि नवीनीकरण होते ही केस विथड्रा हो जायेगा, किस नियम में?

श्री भंवरलाल शर्मा : हो जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कानून की बात है, आपकी समझ से परे हैं। आप कृपया शान्त रहिये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : इस बात को मजाक में मत लीजिए। यह बहुत सीरियस है। यह आदिवासियों का मामला है, सीरियस मामला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार को पहले केसेज को विथड्रा करने के लिये यहां से आदेश जारी करने पड़ेंगे उसके उपरान्त ही

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह सब कार्यवाही हो पायेगी। लेकिन बिना केसेज विथड्रा किये यह केसेज विथड्रा कैसे होंगे ? इसके बारे में पूरे विस्तार से प्रकाश डालने की चेष्टा करें माननीय मंत्री महोदय।

श्री नत्थी सिंह : भंवरलाल जी शर्मा कानून तो आपसे ज्यादा जानते हैं ब्याज के मामले में पीछे हैं। (व्यवधान)

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो अपने पूर्व गृह राज्य मंत्री जी की शंका को दूर करूं। इमरजेंसी में जितने केसेज लगाये थे और काफी को बन्द भी किया था, उनको विथड्रा मैंने ही किया था। वह सारा प्रोसीजर मैं जानता हूं। इसलिए मैंने शार्ट में यह कहा है कि जो नवीनीकरण करेंगे उसी वक्त उनके केसेज को विथड्रा करने का प्रोग्राम हम चालू कर देंगे और कोई दिक्कत होगी तो मैं स्वयं उनको अपने महकमे के स्तर पर देख लूंगा लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हम उनका नवीनीकरण करेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : एक मिनिट। लाइसेंस जब मिलता है मौके पर बन्दूक होती है, उसके नम्बर होते हैं तब जाकर के लाइसेंस देंगे। बिना उसके नहीं होगा। वाकई में केस विथड्रा होंगे तभी होगा यह। वैसे नहीं हो जायेगा।

श्री सम्पतराम : दूसरा कहा है कि यह जो आर्म्स एक्ट और रूल्स रेगुलेशन भारत सरकार का है, हमारे स्टेट का तो नहीं है। इसलिए इसके अन्दर जो भी कार्यवाही होगी वह तो करनी पड़ेगी। जहां तक यह कहा है कि नवीनीकरण थोड़े समय के लिये होता है यह रिन्युअल तीन वर्ष के लिये भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आपने कहा कि ए. डी. एम. के पास जो शक्तियां हैं इसके नीचे के स्तर के लोगों को दे दी जाये ताकि आदिवासियों को परेशानी न हो। तो यह सदन की सूचना के लिए बताना मैं उपयुक्त समझूंगा कि यह शक्तियां तहसीलदारों को भी दे दी गई हैं। वह भी नवीनीकरण कर सकते हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : जैसा मंत्री जी ने फरमाया, उसके साथ-साथ में जो आजकल जिला कलक्टर को जिले का ही लाइसेंस देने के पावर्स हैं जो पहले आल इण्डिया का लाइसेंस देने का अधिकार था कलक्टर को....

श्री उपाध्यक्ष : यह इसमें विषय नहीं है। यह टोपीदार बन्दूकों का, आदिवासी क्षेत्रों का है।

श्री रतनाराम चौधरी : यह प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्लियर हो जायेगा इसलिए कलक्टर को आल इण्डिया के लाइसेंस जारी करने के पावर्स दिये जाने की कृपा करें। यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह :

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का एक बार और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कानून यह है कि जब तक बन्दूक की फिजि-

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

कल वेरीफिकेशन नहीं होती जब तक उसका रिन्युअल नहीं हो सकता। बन्दूकें जब्त करके आपने थाने में रख दी हैं, कई सालों से वहां पड़ी हैं। अब वह फिजिकल वेरीफिकेशन कब होगा, नवीनीकरण कब होगा? जब तक सरकार ब्लेंकेट आर्डर यह नहीं निकालती है कि जितने भी केसेज चल रहे हैं उनके चलते हुए भी इनका नवीनीकरण हो जाये या जितने भी केसेज चल रहे हैं उन सबको विथड्रा कर लिया जाये उसके बाद ही यह नवीनीकरण हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कानूनी पहलू देखकर केसेज को कम्पलीटली विथड्रा करेंगे उसके बाद ही इसका नवीनीकरण हो सकेगा। उसके बाद ही जो हजारों बन्दूकें पड़ी हैं थानों में, आदिवासी उनको उठा सकेगा और ला सकेगा, भौतिक सत्यापन हो सकेगा उसके बाद लाइसेंस बनेगा।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है और चिन्ता व्यक्त की है मैं शत प्रतिशत उससे सहमत हूं। विभागीय स्तर पर इस सारे मामले को देखकर जो भी सम्भव होगा वह, उपाध्यक्ष महोदय, करने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे नियम के तहत है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर चल रहा है और मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि आपको मौका दिया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्री मुक्तिलाल जी मोदी 29-12-89 को 30-12-89 को बोले। श्री फूल चन्दजी 29–12–89 और 30–12–89 को बोले। श्री मांगीलाल जी मेघवाल 29–12–89 और 30–12–89 को बोले। इसी तरीके से श्री कालीचरण जी सराफ 7 तारीख को बोले, 10 तारीख को बोले और 13 तारीख को बोले।

श्री उपाध्यक्ष : उस स्टेज पर कहां थे आप। उसके बाद तो काल अटेंशन आ गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मना कर दिया था। मैं लाइब्रेरी जाकर किताबें ढूंढ रहा था और उसके बाद, मैं आपके सामने आया हूं। इसलिए मेहरबानी करके आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। प्रोटेक्ट करें और जो अन्याय हो रहा है इसको रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : अगले हफ्ते आपके अधिकारों की रक्षा होगी। अगले हफ्ते आपका लग रहा है

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम सारे लोगों को विचार करके सदन का बहिष्कार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करना पड़ेगा। आप विचार करके निर्णय कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कानून बनाने में सहयोगी थे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य, श्री भैरोंसिंह जी शेखावत, जयपुर कोतवाली में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री ईश्वर लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं मैं आपके द्वारा उनसे दो सवाल पूछना चाहूंगा। ऐसा निवेदन है कि क्या राजस्थान कैडर में मंत्री महोदय के सुपुत्र आई. पी. एस. कैडर में एस. पी. हैं ? एक बात। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले निवेदन कर रहा था कि यह कोई जिले की बात होगी, व्यवस्था की बात नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके भाई जो डी. वाई. एस. पी. थे ना, उन पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लीजिए।

श्री सम्पत सिंह : नहीं क्या सुन लें.... उनको मौलिक अधिकार है। सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण चीजों के लिए होता है। क्या सुन लें हम। यह सुनने के लिए बैठे हैं। क्या आप ऐसी चीजें सुनने के लिए अलाऊ करेंगे। मौलिक अधिकार है, कान्सिट्यूशनल राइट है.... (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, 376 में मुकदमा दर्ज हुआ था और जेल जाने की तैयारी हुई थी उस मुकदमें में। इन्होंने मिल कर दबाया। (व्यवधान) +++ । किस मुंह से यह.... (व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : पाइन्ट आॅफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे नियमों के तहत पाइन्ट आॅफ आर्डर उठा रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : आप बताओ हमको कि कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है। लड़का अगर आई. पी. एस. है तो इनको क्या हो रहा है।

श्री अनंग कुमार जैन : आप उनसे पूछ लीजिए कि इनके भाई पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या हुआ उसमें। इन्होंने दबाया इसको, इनकी सरकार ने दबाया इसको +++ ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछने नहीं दिया जायेगा। मैं

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अनंग कुमार जैन)

पूछना चाहता हूं उनसे कि +++ डीवाई. एस. पी. ने, 376 का मुकदमा दर्ज हुआ था उसका क्या हुआ आपके भाई के ऊपर ? इसका जवाब दे दो आप ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि कारक मामला उठा रहे हैं । वह व्यक्ति न सदन में है, न चर्चा का विषय है.... यह बहुत ही मानहानि कारक विषय है । इस पर.... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसको साबित कर दो, मैं सदन से स्तीफा दे दूंगा अगर माननीय सदस्य ने साबित नहीं किया तो फिर आपको सदन छोड़ना पड़ेगा ।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं एफ. आई. आर. नम्बर लाकर दूंगा । मैं साबित कर दूंगा ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं चेलेन्ज देता हूं कि अगर यह बात साबित कर दी तो मैं सदन अभी छोड़ दूंगा । साबित करें पहले । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज । आप बैठिये सैनी जी ।

श्री सम्पत सिंह : यह हनुमान चालीसा से नहीं चलती विधान सभा में ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : स्थगन प्रस्ताव है मेरा । मैंने विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है इस सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है आपका ? आप बोलिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं कि क्या जो मंत्री जवाब दे रहे हैं उनका पुत्र आई. पी. एस. है । क्या उनका नाम जसवन्त सम्पतराम है ? क्या इस केस में वह जांच कर रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या अन्तर पड़ेगा इससे ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : अन्तर यह पड़ेगा कि यह एक नई मिसाल होगी हिन्दुस्तान और राजस्थान की विधान सभा में कि पिता तो जवाब दे और पुत्र जांच करें....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि उनको राजस्थान में रखा ही नहीं जाये ।

श्री अनंगकुमार जैन : आपने भ्रष्टा-चार की तमाम मिसालें कायम की है +++ ।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर । (व्यवधान) उनकी

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री सम्पत सिंह)

सन्तानों का उनको पता है कि एक लड़का आई.ए.एस. है, एक लड़का आई.पी.एस. है और एक डाक्टर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की सन्तानों का ही पता नहीं है कि कितनी है ? हम क्या बतायें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह आई. पी. एस. है या नहीं, उसका नाम जसवन्त सम्पत राम है या नहीं, वह जांच कर रहे हैं या नहीं। अगर वह जांच कर रहे हैं और यह जवाब दे रहे हैं तो हमको न्याय मिलने की उम्मीद है क्या ? इसकी आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, आप कौन से नियमों में प्रश्न पूछने लगे ? उपाध्यक्ष महोदय आप तो व्यवस्था दीजिए। हम आपकी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ औचित्य का है। माननीय सम्पत राम जी गृह मंत्री तो हैं नही। अब यह जवाब दे रहे हैं तो सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि उनके पुत्र इन्वेस्टिगेटिंग आफीसर हैं या इन्चार्ज हैं तो किसी और से जवाब दिलवाया जाये। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रश्न को लेकर सारी चर्चा चल रही है अगर उसमें माननीय सदस्य के पुत्र अभियुक्त होते अथवा उन पर कोई आरोप होते तो निश्चित रूप से वह नहीं बोलते। तफ्तीश कुनिन्दा है इसके कारण से नहीं बोल सकते यह कोई कारण नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं मंत्री जी से अर्ज करूं यह नहीं है। माननीय सदस्य उस तफ्तीश को चेलेन्ज कर रहे हैं। इन्वेस्टीगेशन को चेलेन्ज कर रहे हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : आप मुझे सुन लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं क्या सम्पत राम जी के सुपुत्र एस. पी. होने के नाते इस बात की जांच नहीं कर सकते ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गलत बात कह रहे हैं। मैं सम्पतराम जी का आदर करता हूं। मैं उनके लड़के का भी बहुत आदर करता हूं। मैं यह बात नहीं कह रहा, मैं तो जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बात निवेदन करता हूं कि एडजोर्नमेंट मोशन के अन्दर उन्होंने कुछ एलीगेशन्स लगाये हैं इन्वेस्टीगेशन के बारे में कुछ एलीगेशन्स लगाये हैं कि असली मुल्जिम को बचाया जा रहा है और बाकी को जब्त किया जा रहा है। ऐसी हालत के अन्दर औचित्य का प्रश्न है अगर मंत्री महोदय जवाब नहीं दे कर और कोई जवाब दें तो बेहतर होगा। इतना सा सवाल है इस पर व्यवस्था चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य वकील हैं बड़े नामी वकील हैं। आप तो खुद जानते हैं कि जो व्यक्ति इनवोल्व्ड है ही नहीं तो....(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आपको वकीलों के बारे में राय बदल देनी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह किसने कहा कि इन्वोल्व्ड है । कोई व्यक्ति इसमें इनवोल्व्ड नहीं है ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : जो इनक्वायरी कर रहे हैं, आप पूछना क्या चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारा सवाल यह नहीं हैं। हमारा सवाल तो औचित्य का है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य इसमें औचित्य कहां बनता है, क्या औचित्य है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप बताइये, मैं सुनता हूं । उपाध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत हो तो कृषि मंत्री जी ने कुछ पूछा है । एक बात तो बहुत साफ हो जानी चाहिए there is no allegation against Jaswant Sampat Ram, number one. कोई उनके ऊपर किसी किस्म का आरोप नहीं है । चूंकि मंत्री जी उनके पुत्र द्वारा की गयी तफ्तीश के आधार पर ही इस सदन में यह वक्तव्य देने जा रहे हैं नम्बर एक । अब हो सकता है तफ्तीश के अन्दर किसी किस्म की बातें आती हैं । जैसे पास्ट से परम्परा रही है और आज भीचली आ रही है । पुलिस आफीसर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की चेष्टा करते हैं और रोते जाते हैं। किसी वजह से भी चेष्टा करते हैं तो एक औचित्य का प्रश्न है जो आपके सामने उठाया गया है बड़ा अनूठा प्रश्न है । इसके औचित्य के ऊपर आपका निर्णय चाहते हैं । उनके ऊपर एस्परशंन कास्ट कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सैनी ने औचित्य का प्रश्न यह उठाया कि माननीय मंत्री महोदय के पुत्र....

श्री सम्पत सिंह : पुत्र नहीं सुपुत्र ।

श्री उपाध्यक्ष :...सुपुत्र आई. पी. एस. अधिकारी है और इसलिए कि वह जांच कुनिन्दा है इसलिए उनके पिता द्वारा दिया गया वक्तव्य औचित्य पूर्ण नहीं है । मान लीजिए यह परिपाटी शुरू कर दी आपने कि किसी मंत्री का रिश्तेदार, किसी मंत्री का पुत्र कहीं कोई अधिकारी लगा हुआ है और वह सदन में यह बात उठाने लगे कि वह मंत्री इसका उत्तर नहीं देगा दूसरे मंत्री से उत्तर दिलवाइये तो इस सदन को चलाना बहुत मुश्किल होगा । इसलिए यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य शुरू करें ।

(1.20 म. प.)

शासकीय वक्तव्य

जयपुर कोतवाली में पुलिस की पिटाई से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु

श्री सम्पत राम : दिनांक 12-6-90 को श्री वंशीधर पुत्र श्री हनुमानसहाय निवासी देवगढ़ा थाना चौमू में थाना कोतवाली जयपुर तक एक रिपोर्ट की कि वह मिनी बस संख्या आर. एन. डी. 4856 से यात्रा कर रहा था तब इसकी जेब से साढे सात हजार रुपये निकाल लिये गये । श्री वंशीधर ने अपनी जेबकटी का सन्देह लाला उर्फ तेजकुमार जो कि उस बस का खलासी था, पर किया । इस पर

(श्री सम्पत राम)

319/90 प्रकरण धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीयन किया गया । और इस सन्देह के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली जयपुर में लाला को पूछताछ के लिये दिनांक 12–6–90 को कोतवाली लाया गया । थाने पर श्री लाला से सर्व श्री कल्याणसहाय हैडकांस्टेबल हेतराम और रघुवीर कांस्टेबल के द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ही उसकी तबियत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु की सूचना जिलाधीश जयपुर को दी गई । और उनके दूरभाष पर निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दण्ड–नायक जयपुर रात्रि साढ़े दस बजे धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए कोतवाली के लिए रवाना हुए। थाने पर पहुंचकर उपस्थित मौतबिरान और अधिकारियों की उपस्थिति में पंचनामा बनाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। दिनांक 13-6-90 को लाला की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण "Death due to shock probably as a result of cumulative effect of multiple bruises mentioned in report, if possible." उनके विसरा को रसायनिक जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । उक्त रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली जयपुर में श्री लाला की मृत्यु के सम्बन्ध में एक मुकदमा 330/90 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया और सर्व श्री कल्याण–सहाय, हेतराम और रघुबीर को गिरफ्तार किया गया । यह तीनों अभियुक्तगण दिनांक 18-6-90 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मुकदमा संख्या 321/90 को प्रारम्भिक तौर पर सी. आई. डी. को स्थानान्तरित कर जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी से करवाई जा रही थी। परन्तु मुकदमे की अहमियत को देखते हुए यह उचित समझा गया कि इस प्रकरण की जांच उच्च स्तर पर कराई जाय। अतः अनुसंधान पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई। वर्तमान में अनुसंधान जारी है। इसी बीच अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर ने भी धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जांच पूर्ण कर ली है और उनकी रिपोर्ट भी जिलाधीश ने 29–6–90 को पुलिस अधीक्षक, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दी है। राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में यंत्रणा को अत्यन्त गम्भीर मानती है। यही कारण है कि प्राथमिक दृष्टि से इस प्रकार की घटना घटित प्रतीत होने पर ही धारा 176 के अन्तर्गत दण्ड नायक की रिपोर्ट को प्राप्त करने के पहले ही घटना के दूसरे दिन सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और अनुसंधान भी जारी कर दिया गया। ऐसे प्रकरण में कानूनी तौर पर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा राज्य सरकार उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी । अनु–संधान वर्तमान में प्रगति पर है और आशा है कि शीघ्र ही इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर दी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : (सांगरिया) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना कोतवाली में 12 जून को हुई है, मेरी समझ में ऐसी घटनायें हमारे प्रदेश में बहुत बार हुई हैं। और उस वक्त जितने भी माननीय सदस्य आज सत्ता में बैठे हैं वह इस तरफ बैठते थे। पर जिस रूप में यह घटनायें उठाई गई हैं उसका जो जवाब आज दिया गया है या जिस तरह से इस प्रकरण का निस्तारण किया गया है या इस प्रकरण में जो प्रकिया अपनाई गई है, मैं कुछ सवाल इस सिलसिले में पूछना चाहता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि लगभग वही प्रक्रिया जो कांग्रेस के राज में अपनाई, गई चाहें वह काण्ड नागौर में हुआ, चाहे वह आसन जिलेलाव में हुआ, चाहे वह गंगानगर जिले की किसी कोतवाली में पुलिस कस्टडी में हुआ। यह प्रक्रिया उसी तरह की अपनाई जा रही है। मुझे सबसे बड़ी जो सूचना मिली है वह यह कि—

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय हेतरामजी, जब यह घटना हुई तो सरकार ने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, वह आज जेल में बन्द है। क्या किया जाना चाहिए था, यह समझा दें आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अर्ज करूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तुरन्त एक्शन कर लिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अर्ज करूं। सबसे छोटा कर्मचारी पुलिस का सिपाही, उससे नीचे आपको कोई मिलता नहीं, यही कांग्रेस के राज में होता था कि एक को फांसी लगा दो और बाकी को बचा लो। यही प्रक्रियां आज आप अपना रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब हल्ला मचता था लोग इकट्ठे होते थे, कोतवाली घेरी जाती थी, असेम्बली में सवाल उठते थे तो यही कांग्रेस वाले करते थे कि किसी एक को जो सबसे कमजोर है उस कर्मचारी को फांसी लगा दो। बाकी को बचा लो। मैं आपसे अर्ज करूं इस केस में जहां तक मेरी जानकारी है, यह जो चोरी के मामले का शक हुआ, यह बस को छोड़ चुका था। यह जो कर्मचारी है यह उस वक्त बस के अन्दर नहीं था। इसको अपने घर से पकड़ा गया। घर से ढूंढकर पुलिस वाले इसको लाये हैं। पुलिस के रिकार्ड में यह जेब-कतरों में दर्ज नहीं। वह जेबकतरे जिनका नाम लिस्टों में दर्ज है, जिनको पुलिस जानती है उनमें नहीं है। इसके घर से इसको बुलाकर लाने के बाद थाने में इसकी मारपीट हुई। थाने में जो मारपीट हुई उस वक्त यह मर गया। अस्पताल में जाकर मरा। इसके मरने के बाद पुलिस ने सारी कार्यवाही की है। सबसे बड़ी बात यह है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी को इन्वेस्टीगेशन सौंपी गई, इसमें इन्वेस्टीगेशन एक आदमी के नाम से लिखी गई। जब यह मर गया, इसकी लाश पड़ी थी थाने के सभी उच्चाधिकारी समेत, डी. एस. पी. इन्सपेक्टर और सारे अधिकारी इकट्ठे हुए कि इस लाश का क्या किया जाय। किसके जिम्मे, किसके गले में बांधी जाय। कोई भी अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उसके नाम से इसकी इन्वेस्टीगेशन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लिखी जाय। इन्वेस्टीगेशन जिसके नाम से ली गई उसने यह शर्त पहले रखी कि मेरे नाम से इन्वेस्टीगेशन दे दो। मैं उसी वक्त एक सेकिण्ड में यहां से रवानगी करूं। इन्वेस्टीगेशन उसके नाम से दी और रवानगी दिखा दी। अगर यह रिकार्ड में नहीं है, आप इस बात को छिपा गये या पता नहीं लगा। मुझे लगता है पुलिस ने आपको इत्तिला नहीं दी। आप उस अधिकारी की जिस अधिकारी के नाम से यह जांच दी गई है और जिसने इस चोरी की जांच की है, जांच तो की होगी, किसी आदमी का नाम लिखा होगा रोजनामचे में। उसका जिसका नाम लिखा है कि यह अधिकारी ए.एस.आई. या एस.आई. इन्क्वायरी करेगा, आप पता लगा लीजिए कि इन्वेस्टीगेशन करने वाला उस कोतवाली में कितनी देर था। एक घण्टा या दो घण्टा। एक घण्टे के अन्दर अन्दर, पन्द्रह मिनट के अन्दर–अन्दर उसने अपनी रवानगी दिखा दी रोजनामचे में। इस बात से बचने के लिए कि उस पर कुछ नहीं हो। इसका मतलब यह है कि रोजनामचे में यह दर्ज बाद में हुआ। यह नहीं है कि कोई अधिकारी जिसको जांच दी गई वह पन्द्रह मिनट में ही वहां से चला गया हो। पन्द्रह मिनट में गया नहीं, इस बच्चे को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद लाया गया और मैं आपसे अर्ज करूं कि कोतवाली के अन्दर दो तरह के हवालात हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय या कुछ सदस्य देखना चाहें, अभी मेरे साथ चलें हमारी जो शहर की कोतवाली है जयपुर की। एक हवालात वह है जिसका ताला बन्द है जिसके अन्दर वह मुलिजम रखे जाते हैं जिन मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाय, केस में अरेस्ट दिखा दी जाय वह रखे जाते हैं और दूसरा नम्बर दये हवालात है वह हवालात मारपीट के लिये रखा जाता है। उसका काम ही यही है खुला दरवाजा है उसके अन्दर रखते हैं और जिस भी लाये गये व्यक्ति को मारपीट करनी हो, पिटाई करनी हो, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना हो उसको उस हवालात में रखा जाता है। आज भी कोई अगर हमारे विधान सभा में से जाकर के देखे तो वहां पिटाई करने वाले औजार पड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताऊं यह वह औजार हैं जिन औजारों से निशान नहीं पड़ते, जिन औजारों से पता नहीं लगता और इन्सान मर जाये। इसीलिये जो डाक्टरी रिपोर्ट है उसमें यह लिखा हैं वाई शाक मर गया, झटका किस बात का लगा....

श्री सम्पत राम : यह नहीं लिखा है। दिस इज रॉंग।

श्री हेतराम बेनीवाल : एब्रेजल है, पर क्या एब्रेजल से कोई मर सकता है। एक 16–17 साल का लड़का, उसमें कोई हेमरेज नहीं दिखाया गया उसमें दिखाया गया है एब्रेजल है और वाई शाक उसकी डैथ हुई है। इसका मतलब उसकी पिटाई जिस तरीके से हुई है उसका एक विशेष तरीका है। और मैं आपसे एक अर्ज करूं हम उनके राज में भुगतभोगी हैं उन थानों के अन्दर जो कुछ हमने देखा है, उन थानों को हमने जिस रूप में देखा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जब तक किसी उच्च अधि-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कारी को आप दण्ड नहीं देंगे, अगर पुराने उसी ढर्रे पर चले किसी सिपाही को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात की। मारपीट हुई। क्या आप समझते हैं सिर्फ सिपाही के कारण उसकी मारपीट हुई ? दूसरा मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी यह बात नोट की जाये कि जिसके नाम से इन्क्वायरी दी गयी वह कितनी देर थाने में ठहरा और कितनी देर बाद उसने रवानगी दिखा दी। रवानगी दिखाने का मतलब यह कि वह आदमी बरी हो गया इस बात से कि मैंने मारपीट नहीं की। उसके बाद....

श्री सम्पत राम : आपका मतलब इन्क्वायरी से तफ्तीश से है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा मतलब जिस आदमी ने तफ्तीश की, जिस के नाम से तफ्तीश लिखी गई, तफ्तीश कुनिन्दा का नाम लिखा गया। मेरा इल्जाम यह है कोई रिपोर्ट चोरी की उसके खिलाफ दर्ज नहीं की गई, उसको सिर्फ दो नम्बर में लाकर के पीटा गया और यह कोशिश की गई कि वह 7500 रुपये दे दे। इस कोशिश में मारपीट के बाद वह मर गया। मरने के बाद सवाल उठा...

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक मिनट। इसको कृपया यह बताइये किस अधिकारी ने कितने बजे अरेस्ट किया। कहां से और कितने बजे।

श्री हेतराम बेनीवाल : यही मेरा सवाल है।

श्री सम्पत राम : किसको ?

श्री हेतराम बेनीवाल : डिसीज्ड को जो मर गया। उसको कितने बजे अरेस्ट किया ?

श्री सम्पत राम : यह लाला, कोतवाली में 8 बजकर 20, 25 मिनट पर आया है, सुबह।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : आया है तो अरेस्ट किया होगा और अरेस्ट करने के भी कागज बनाने पड़ते हैं...

श्री सम्पत राम : अरेस्ट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। वह पूछताछ ही कर रहे थे...

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक कानूनी स्थिति अर्ज कर दूं...

श्री सम्पत राम : पूनम चन्द जी आप मुझे कहने क्यों नहीं देते। आपको मौका मिलेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें क्योंकि वह मुद्दा फिर छूट जायेगा...

श्री सम्पत राम : कैसे छूट जायेगा आप बोल लेना शाम तक, आपको तो छुट्टी है खूब बोलो। वह पूछताछ करने के दौरान ही मारपीट हुई और मारपीट के कारण वह मरा। ऐसा मेडीकल से, हालात से मालूम होता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अरेस्ट क्यों नहीं दिखाया गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह कार्यवाही ही कैसे की, वह आया ही कैसे बिना अरेस्ट के।

श्री सम्पत राम : कानून के मामले में आप सब लोग जानते हैं । जब चोरी की रिपोर्ट होती है, उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है उसको बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, गवाह लिये जाते हैं और कुछ होता है उसके बाद देखते हैं कि चोरी का केस बनता है उस वक्त उसको गिरफ्तार किया जाता है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक गलत फहमी और अन्याय का जो मुख्य कारण है वह यह है पुलिस वाले कहते हैं हमने फलां आदमी को बुला लिया । यह कोई सामन्ती राज नहीं है । पुलिस को किसी नागरिक को दो तरह से बुलाने के अधिकार है । एक तो बाकायदा उसको अरेस्ट करना और दूसरा यह है अगर अरेस्ट लायक केस नहीं है तो आप लिखकर उस व्यक्ति को दीजिये कि हमको इस में आपसे कुछ पूछताछ करनी है इसलिये आप आओ । आप करते क्या हैं पहले जैसे ठाकुर साहब बुला रहे हैं, आपको कोर्ट में बुलाया है, आप आजाओ । यह तरीका आप लोग काम में ले रहे हैं यह बिल्कुल अन्याय है और कानून के विरुद्ध है । दो ही तरीके हैं । एक तो या तो अरेस्ट करें और अरेस्ट का केस नहीं है तो नोटिस देकर के बुलायें । इसलिये जो थाने का इन्चार्ज है सबसे पहले गुनाहगार वह बनता है बिना अरेस्ट के, बिना नोटिस दिये जुबानी जाकर कहा उसको थाने में बुलाया है । यह कोई तरीका नहीं है, आप जांच कर लें....

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में....

श्री उपाध्यक्ष : इनको पहले बोलने दीजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल । माननीय मन्त्री महोदय, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं आपकी रिपोर्ट में आपने अभी बताया, जिस अधिकारी के तहत तफ्तीश सौंपी गई उसका आपने नाम नहीं लिया । चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई । क्योंकि जहां तक मुझे इत्तला मिली है चोरी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई ।

श्री सम्पत राम : मैं इसका जबाव दे चुका हूं । मेरे स्टेटमेण्ट में चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके स्टेटमेण्ट के बारे में ही कह रहा हूं । आपने जो कहा है । अगर चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई होती, चोरी के बारे में उसका नाम दर्ज होता तो निश्चित रूप से उस अधिकारी को जिस अधिकारी का तफ्तीश में नाम है, उसको अरेस्ट करते, उसको सस्पैण्ड करते, उसके बारे में कोई भी कार्यवाही करते । आपने कार्यवाही किस के बारे में की, दो सिपाही और एक हबलदार । यह सिपाही और हबालदार कहीं पिक्चर में ही नहीं हैं । कागजों में आपने रिपोर्ट लिखी बंशीधर की चोरी करने वाला लालिया । शक लालिये पर । इतने की चोरी हुई । लालिये को आपने बुलाया, थाने के इन्चार्ज ने एक अधिकारी को सौंप दिया कि आप इसकी जांच करो । वह अधिकारी उससे पूछताछ करने गया । जिस अधिकारी का नाम आपने रिकार्ड में लिखा है, कि यह जांच करेगा । क्या आप यह समझते हैं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जांच करने वाला तो एक्स है और पूछेगा वाई। यह सिस्टम है हमारी पुलिस का ? जिसके नाम से जांच लिखी है कम से कम वह अधिकारी तो जरूर हाजिर होना चाहिये। उसकी पूछताछ हो रही है। मैं मानता हूं आपने जो कहा है पहले पूछताछ की जाती है। पूछ–ताछ का मतलब पहले पिटाई की जाती है उसकी पूरी तरह से धुनाई हो जाये, धुनाई में जो कुछ निकले फिर अरेस्ट होता है। वह तो पुराना तरीका है उन्होंने जो बताया। पर मैं आपसे अर्ज करूं आपके पास जिस का नाम दर्ज है, जिस कर्मचारी का उसके नाम से इन्वेस्टीगेशन है। आपने उस पर क्या किया ? उस इन्वेस्टीगेशन वाले को पूछा ही नहीं कि आपका भी कोई कसूर है कि नहीं। इन्वेस्टीगेशन वाले ने ही उसको पूछा होगा। पूछताछ उसी ने की होगी या इन्वेस्टीगेशन किसी और के नाम दर्ज हो जाये। तो मेरा कहना यह है कि आपने उसमें रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। रिपोर्ट दर्ज किये बिना बिल्कुल राठौडी तरीके से जो विश्नोई साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि उसको बुलाया और थाने के उच्च अधिकारी ने, मैं आपसे अर्ज करूं इसमें उच्च अधिकारी इसलिये शामिल हैं कि जब इस तरह के राठौड़ी काम किये जाते हैं तो पुलिस का सिपाही इस तरह का राठौडी काम नहीं कर सकता। कोई पुलिस का हवलदार इतनी हिम्मत नहीं रख सकता कि इस तरह की साढ़ेसात आठ हजार की चोरी को राठौड़ी तरीके से निकलवा दे। जो उस थाने का इन्चार्ज है जो सी. आई. है उसने राठौड़ी धक्का चलाया है। उसने उस बंसीधर को कहा है कि हम इसकी सेवा करके इससे पूछ लेते हैं पर उसने उसकी सेवा करवाई है। सेवा होने के बाद जब वह मर गया तब सारा प्रक–रण आया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज करो, मरने के बाद चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई, मरने के बाद, उस इन्वेस्टीगेशन करने वाले का नाम लिखा गया और उसका नाम लिखने के बाद आधे घण्टे के अन्दर-अन्दर इन्वेस्टीगेशन वाला चला गया क्योंकि इसकी डैथ तो आधी रात के बाद दिखाई गई है। इसकी डैथ उस वक्त नहीं हुई। 8 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई है और रात को मौत दिखाई गई है। इसलिये उस अधि–कारी ने जिस अधिकारी का नाम लिखा है वह आधे घण्टे बाद वहां से चला गया। अब किसने मारा, किस ने नहीं मारा यह सब शक की बात रह गई। इसलिये मुझे आपसे यह कहना है कि इस सिलसिले में जो आपने सिपाही और हवलदार सस्पेण्ड किये हैं जिनको अरेस्ट किया है। असल में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे शक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके मां बाप के सामने नहीं हुई, पोस्टमार्टम उस बच्चे का पुलिस ने करवाया और पुलिस ही उस वक्त हाजिर थी.... और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में यह रिवाज है कि पोस्ट मार्टम उस परिवार के सदस्य के साथ, उस परि–वार के कोई न कोई जो उस परिवार से सम्बन्धित हो, उस व्यक्ति का, उसको वहां अगर दस्तखत नहीं हो तो उनकी हाजरी जरूर हो, उसकी हाजरी नहीं होने का मतलब जिस तरह की पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट उन्होंने बनानी चाही, बना करके

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पेश कर दी तो क्या इसकी इन्क्वायरी पोस्ट मार्टम का जो बिसरा किया गया है, उसके अन्दर रिपोर्ट में आई, उसकी जांच में आई, मेरा यह एलीगेशन भी है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट फर्जी है, पुलिस ने मिलकर बनाई है। दूसरी इस मामले में जो यह है कि यह जो पकड़ा गया, यह पकड़ा गया सात-साढ़े सात बजे और साढ़े सात बजे पकड़े जाने के बाद इसके चारों तरफ, कोतवाली के चारों तरफ जो घर हैं, जो परिवार रहते हैं, उन्होंने सुना है कि इसको पीटा गया, इसकी चीख सुनी गयी, वह पानी के लिए भी तड़पता रहा रात के 12 बजे इसको अस्पताल ले जाते हुए। क्या यह जयपुर में वहां से अस्पताल का रास्ता 5 मिनट का और 5 मिनट के रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती तो निश्चित तौर से इसको मरे हुए को ले गये थे। अस्पताल में सिर्फ फार्मल्टी की गई है। वहां पर रिकार्ड में दर्ज किया गया है अस्पताल में इसको जिन्दा ले गये। वहां मार कर और उसकी वहां जिन्दा रहने की फार्मल्टी कर दी गई।

दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में जो यह आखिरी प्रश्न है वह यह है कि क्या राज्य सरकार यह समझती है कि इस तरह की जो पुलिस कस्टडी में डैथ हुई थी उसकी इन्क्वायरी जिस तरह से आर्डरली प्रोसेस में पहले चलती रहती है 176 में । ए. डी. एम. या मजिस्ट्रेट करते हैं 176 के तहत और हर थाने में हर जगह जो 176 की रिपोर्ट आती है हम भुगतभोगी हैं कि 176 की रिपोर्ट क्या होती है। जो पुलिस कह दे वह रिपोर्ट 176 में आती है । अभी तक पुलिस के परसन के खिलाफ कोई भी बड़ा अधिकारी या सरकार का कोई असरदार आदमी चाहता होगा तो चाहे वह चेंज हो जाय। क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि किसी जज से इस बात की इन्क्वायरी कराई जाय कि वो इस बात की इन्क्वायरी करें कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की डैथ कैसे हुई और अगर इसके बिना हमारे अधिकारियों ने जो मौजूदा वक्त में अधिकारी लगे हैं। उसमें से चाहे कोई उच्च अधिकारी हो चाहे कोई नीचा अधिकारी हो इसकी लीपा पोती करना चाहते हैं तो सच्चाई हमारे सामने नहीं आएगी अगर राज्य सरकार जो अपनी नई नीति के अंदर पुलिस कस्टडी के बारे में उनके 40 साल की एक नीति चल रही है और वह यह चल रही है कि जिसने पुलिस में किसी को मारा है उसको हवलदार या थानेदार बनाया जाय। एक ही काम था मुझे आज तक राजस्थान में ऐसा कोई नहीं मिला जिसको पुलिस कस्टडी में किसी को परेशान करने की वजह से, तंग करने की वजह से कपड़े उतार दिये, बलात्कार कर लिया, गुण्डागर्दी करली। कांग्रेस के 40 साल के राज में किसी अधिकारी को सजा इन्डायरेक्टली नहीं दी। डायरेक्टली अगर उसको किसी न किसी तरह एक बार सस्पेण्ड कर दिया और उसके बाद दुबारा इनाम दे दिया तो आप भी क्या वही प्रोसेस अपनाना चाहते हैं कि उन अधिकारियों को जो एक बार किसी तरह से पकड़ में आ गये एक सिपाही और एक हवलदार को पकड़ कर अरेस्ट करके दिखाके और उसके बाद में उसी तरह छुडाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप जो कह रहे हैं, वही इन्क्वायरी ठीक है। अगर वाकई चाहते हैं कि जनता के

(श्री हेतराम बैनीवाल)

सामने आ जाय और यह तथ्य भी सामने आ जाय कि किन परिस्थितियों में यह मृत्यु हुई, किस तरह से उसको बुलाया गया और किसने उसकी इन्क्वायरी की तो निश्चित तौर से इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवायें जिससे स्पष्ट सामने आयेगा कौन इसमें जिम्मेदार थे और इसकी कड़ी से कड़ी सजा दें, मुझे आपसे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन है कि पुलिस को जो हथियार दिये हुए हैं, वे कानून के अनुसार हैं अगर वे कानून को काम में नहीं लेते हैं तो उसके अधिकार साधारण नागरिक जितने हैं। सबसे बड़ी धांधली यह होती है कि पुलिस कानून की अवहेलना करती है और यह एक पावर एरोगेट की हुई है प्राइवेटली उनकी कि किसी आदमी को बुला लिया जाय, वो आप कैसे बुला रहे हो ? अगर कोई कानून इजाजत नहीं देता है तो आप किस कानून से बुला रहे हो ? बोलो आप। 40 मील दूर एक आदमी रहता है, वहां पर सिपाही गया और जाकर के कहा कि आपको थानेदार साहब ने बुलाया है साहब उसको कोई दूसरा काम है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर जाते हुए रोके तो 341 और 342 में पेश कर दी यानी आप उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो और उसको नीचा दिखाने की बिना कानून के नीचा दिखाने की बात कर रहे हो कि कोई बड़ा अफसर है, आपको बुला रहा है, जल्दी बुलाया है, कौन उसका किराया देगा, उसका क्या होगा, कितना उसका समय खराब होगा, ऐसा पुलिस को कोई अधिकार नहीं है लेकिन ये अधिकार काम में लेते हैं कानून से बचने के लिए और अपनी धांधली छिपाने के लिए। यह प्रश्न आज से 7–8 साल पहले भी आया था एक दफा। आपने भी यह बात कही थी उस वक्त भी एक भील को इस तरह से बुलाया था और वह भील मर गया था तो साहब वो कोई कहीं का था। इसका यह कहना था कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था उसको हमने यों ही बुला लिया था। पुलिस को अगर कानून इजाजत नहीं देता है, किस कानून के तहत वह उसको बुलाता है क्योंकि बुलाने के 50 मतलब हो गये। उसकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो गई। उस दिन उसको और किसी काम जाना है, और कहीं जाना हो इसलिए बुलाने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस को। केवल दो ही तरीके हैं अगर उनका शुबहा पक्का है कि यह चोर है या यह गुनहगार है, यह भाग भी सकता है, कानून उस तक पहुंच नहीं सकता तो उसको गिरफ्तार कर लें और गिरफ्तारी जैसी स्थिति नहीं है तो दूसरा विकल्प इसके पास यह है समय लगेगा मुझे क्योंकि बहुत वर्ष हो गये वकालत किये लेकिन 103 या 90-104 के बीच में कोई सेक्शन है जिसमें यह है कि पुलिस किसी से सम्पर्क करना चाहे, जानकारी चाहे, कोई डाक्यूमेन्ट लेना चाहे किसी प्रकार की प्रजेन्स चाहे तो लिख कर के देना पड़ता है ताकि यह सबूत रहे। जो जानते हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी के घर के बाहर पुलिस चली जाय तो वह भी भयभीत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि थ्रेटनिंग पोस्चर रहता है पुलिस का बुलावा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसका मतलब एक तरह से नागरिक को एक खतरा पैदा हो जाता है कि इस दृष्टि से पुलिस को देखते हैं।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अगर पुलिस वाले दूर खड़े नजर आ जायं तो बहुत खुशी होती है। (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यहां तो वे अपने मित्र है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी धांधली का कारण यह है कि यह जो सत्ता का और अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, अपने नाम का दुरुपयोग करते हैं और कहीं और किसी नागरिक की स्वतन्त्रता में बाधा डालते हैं कि उनकी इच्छा के बिना कोई कानून होते हुए वह उनके सामने उपस्थित होता है। यह इस बात का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है पुलिस इसी बहाने धांधली करती है। आपके पास बड़े–बड़े वकील हैं, सब कुछ है, कानून दिखाइये कि पुलिस को ऐसा कौनसा अधिकार है, कोई अधिकार है भी या नहीं। उनको बार–बार लिखकर के और अगर अरेस्ट भी करना है, गिरफ्तारी के लायक केस नहीं है तो उनके लिए अगर किसी को बुलाना हो, किसी नागरिक से बात करनी हो, उसको ज्यादा से ज्यादा लिखकर देना चाहिये ताकि यह सबूत रहे कि उसको फलां दिन फलां समय बुलाया था। आम तौर पर होता यह है कि बुलाया, आठ घन्टे बैठाये रखा कि हम इससे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, फिर छुट्टी दे दी, कल और आ जाना, परसों और आ जाना, 15–15 दिन तक इस तरह का अन्याय होता है। यह कानून किस कदर भी इजाजत नहीं देता और इसके अन्दर इसलिए मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें। इस बात को मालूम कीजिये कि किस अधिकारी ने उसको अरेस्ट किया, किसने बुलाया, किसके आदेश से यह कार्यवाही शुरू हुई है, शुरू से ही यह गैर कानूनी है और दुर्भाग्य की बात यह रही कि वह बेचारा नौजवान 2–3 घन्टे तक उनके साथ रहा और उस समय उसकी मृत्यु हो गई। मानना यह है कि बड़ा भारी अन्याय और अत्याचार हुआ है। पुलिस ने पूरी तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, इसलिए इस दृष्टि से देखकर इस स्थिति में ही स्पष्ट करवाइये कि पुलिस को बुलाने का कहां अधिकार है ? आपके सामने जवाब यही रहेगा कि साहब ऐसा नहीं होगा तो फिर हम अनुसंधान कर नहीं सकेंगे। अनुसंधान क्यों, आप गिरफ्तारी करलें, 24 घन्टे में तो उसका पीछा छूट जायेगा। इसलिए इस स्थिति को आप ध्यान में रखें, उसके बाद में बयान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सैनी।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक मंत्री महोदय से सवाल करूंगा, इससे पहले मैं निवेदन करूं जो वक्तव्य पढ़ा गया है, उसमें इस केस की असलियत नहीं आई। जो पुलिस का वक्तव्य आपको दिया है, आपने पढ़ लिया है जिसमें सबसे पहले तो आपका यह कहना है कि इसकी हादसे से मृत्यु हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : किसने कहा ?

श्री सम्पत राम : मेरे स्टेटमेंट को माननीय सदस्य ने समझा नहीं और वैसे भी

(श्री सम्पतराम)

स्टेटमेंट ठीक रहे हैं। मैं फिर पढ़ देता हूं। मैंने यह कहा.... (व्यवधान) सुनिये सुनिये। " Death due to shock probably as a result of cumulative of multiple bruises mentioned in report if possible. "

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में समझाओ, हिन्दी में।

श्री ईश्वर लाल सैनी : कोई बात नहीं है, आप जब पढ़ लो आ जाऊंगा।

इसमें एक रिपोर्ट की गई है, कृपया यह भी बतायेंगे अपने उत्तर में एफ. आई. आर. जो दर्ज कराई है 75 हजार की चोरी की, उस एफ आई आर में इस लालाराम का नाम है या नहीं ? अगर लालाराम का नाम है, जवाब दे देना, मैं पूछ लेता हूं सारे, तो उसकी तुरन्त गिरफ्तारी होनी चाहिये थी। अगर लालाराम का नाम नहीं है तो फिर आई. पी. सी. धारा 56 के तहत जो शक्की व्यक्ति होता है उसके विरुद्ध, जो बोल रहे हैं, मुस्तफा जारी होता है, अगर कोई शक्की होता है उसमें एक सफीना जारी होता है उसको लेकर सिपाही जाता है। अगर वह शक्की नजर में है तो धारा 56 आई. पी. सी. के अन्दर उसको बुलाया जाता है। तो एक तो यह जवाब देंगे जवाब दें जब कि क्या एफ. आई. आर. में उसकी नामजद रिपोर्ट थी ? थी तो फिर उसको अरेस्ट उस वक्त क्यों नहीं किया गया ? अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो इस प्रकार धारा 56 में एक सफीना जारी हुआ है, शक्की आदमी बुलाने के लिये ? अगर वह हुआ है तो उसको कौन सिपाही लेकर गया हैं ? मेरा यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं पूछ लेता हूं, फिर आप बोल देना बाद में। श्रीमन् आपने इसकी जांच की, दो जांच हुई हैं। एक तो इसकी पुलिस विभाग जांच कर रहा है। पहले तो रणजीतसिंह जो एडीशनल एस. पी. थे उनके पास जांच थी। उनकी शिकायत हुई तो जसवन्त सम्पतरामजी को जो सी. आई. डी. में हैं, जांच दी गई। उसके बाद एक जांच माननीय कलक्टर महोदय ने की है, वह ए. डी. एम. के थ्रू करायी है। उसकी जांच की रिपोर्ट भी पेपर में सामने हो गई है। उस ए. डी. एम. की रिपोर्ट में यह माना है ए. डी. एम. ने जैसा पेपर में छपा है, उसने तीन नहीं 6 मुल्जिम बनाये हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस एस. एच. ओ. इन्द्रपाल सिंह की गलती से यह कांड हुआ है। एक बात। तीसरा, मेरा सवाल यह है कि इसमें तफ्तीश जिसको दी गई थी वह था त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद को तफ्तीश देने के बाद पता नहीं कि किन परिस्थितियों में और कौन से कानून में उसने वह तफ्तीश हैड कांस्टेबल मीणा को दे दी। यह भी बतायेंगे, कौनसे कानून के तहत वह दी है ? यह बात सही है कि इसमें त्रिलोकचंद परमार को तफ्तीश दी गई थी। इसके बाद ए. डी. एम. साहब ने लिखा है इसमें इन्द्रपालसिंह की गलती है। इसका मतलब यह है कि इन्द्रपाल उस वक्त मौके पर मौजूद था। यह बात भी सही है कि दोनों थानेदार त्रिलोकचंद्र और भगवान सहाय वहां मौजूद थे और एस. एच. ओ. कोतवाली इन्द्रपालसिंह भी मौजूद था। शुरू में इन्होंने ही उसकी मारपीट की है। लेकिन चूंकि ऐसी घटना घट गई तो दो सिपाही और

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

एक मीणा हैड कांस्टेबल को फांसने के लिये एक होता है कमतरीन रवानगी, बस कमतरीन रवानगी का मतलब यह होता है कि अपने को बचाने के लिये, क्योंकि आपको पता है, आप तो पहले भी गृह मंत्री रहे हैं कि रोजनामचा जो है वह समय से...

श्री सम्पत सिंह : आगे भी रहेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आगे तो आप बना देना, अभी तो आपने बनाया नहीं। हम जरूर बना देंगे। आपकी हिम्मत नहीं है। हम ही बनवायेंगे।

श्री सम्पत सिंह : तमाम काम गृह मंत्री का कर रहे हैं। अब भी आपको शक है। अब भी आपको कोई शक है क्या ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप नहीं बना सकते। आप इन्टरवीन क्यों करते हैं। अपनी ज्यादा वह बता रहे हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। पहले जमानत निकलवा लो अपनी यहां से। अभी आपकी जमानत जब्त है उसको निकलवा लो।

श्री सम्पत सिंह : कहां ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपकी जमानत अभी वहीं जब्त है, उसको निकलवालो।

श्री सम्पत सिंह : उसको जमानत नहीं कहते।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जमानत ही है वह, जमानत की राशि है।

कमतरीन रवानगी जो की जाती है वह अपने आपको बचाने के लिये की जाती है। दूसरी बात यह है कि कोतवाली में रोजनामचा समय से पीछे चलता है। जब देखा कि इसकी मृत्यु हो गई है तो तुरन्त अपनी रवानगी करके बड़े बड़े अधिकारी जाते रहे और जो छोटे अधिकारी हैं इसमें दो सिपाही हैं और एक हैड कांस्टेबल है, उनको फंसा दिया गया। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, उन दो हैड कांस्टेबल ने क्या इसमें अपनी गवाही दी है ? क्या उन्होंने गवाही में यह कहा है कि हैड कांस्टेबल हम नहीं थे, एस. एच. ओ. और यह अधिकारी भी मौजूद थे, एक बात ? मैं आगे यह पूछना चाहूंगा आपसे, दो हैड कांस्टेबल को जो दफा 302 में अरेस्ट किया गया, रोजनामचे में एफ. आई. आर. किसने दर्ज करवाई ? क्या यह सही नहीं है कि वह रोजनामचे में जो दर्ज हुई हैं रिपोर्ट, वह खुद इन्द्रपालसिंह एस. एच. ओ. ने करायीहै ? रात को उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या यह जरूरी नहीं था कि जब उसकी मौत हो गई और मौत भी उनके पीटने की वजह से हुई है तो उसी रात को 302 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया ? अगर यह नहीं किया गया तो मूल तो मुकदमा दूसरे दिन दर्ज हुआ है। और दूसरे दिन पुलिस की वजह से नहीं हुआ है, मंत्री महोदय, यह तब हुआ है जब वहां पर कोतवाली का अन्य लोगों ने घेराव किया है और यह बात जब मुख्य मंत्री तक पहुंची है। जब मुख्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि इसमें 302 दफा करके अरेस्ट किया जाय। इसलिये जब यह 302 में मुकदमा दर्ज हो गया और उनके खिलाफ हुआ जो उसमें शामिल नहीं थे मारने पीटने में तो एक जो मीणा हैड कांस-

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

टेबल है उनके भाई हरियाणा पुलिस के आई. पी. एस. कैडर में हैं, यहां वह आये हैं। यह जो तफ्तीश दी गई थी एडीशनल एस. पी. को दी गई थी। उसके बाद उनकी शिकायत पर यह मुकदमा आपने जांच के लिए जसवंत सम्पतरामजी को दिया है। मेरा इसमें निवेदन है, चंद सवाल है अब आपसे, लालराम कितने बजे कोतवाली लाया गया, उसे कौन लेकर आया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आ गई ना बात।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह सवाल है लिख लो आप, जवाब दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल तो कर दिये ना बेनीवाल साहब ने।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कितने बजे लालाराम की मौत हुई है ? कौन कौन पुलिस उच्च अधिकारी उस वक्त वहां गये, जैसे एडीशनल एस पी है, डिप्टी एस पी हैं, डी. आई. जी. हैं, वह मौके पर कितने बजे पहुंचे, यह भी आप कृपया बतायेंगे। यही नहीं, लालाराम....

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, लालाराम अपने परिवार में केवल अकेला कमाने वाला व्यक्ति था जो कमाऊ पूत था, अब तक उसके परिवार की क्या व्यवस्था की गई है, कृपया यह भी बतायेंगे। इसके साथ ही मैं समझता हूं जो ए. डी. एम. की रिपोर्ट से आपने अभी तक इस सदन को अवगत नहीं कराया है उस ए. डी. एम. की रिपोर्ट भी आ गई है, मैं समझता हूं, ए. डी. एम. की रिपोर्ट से भी आप सदन को अवगत करायेंगे। ए. डी. एम. ने इसमें तीन नहीं 6 मुल्जिम माने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटिशन कर रहे हैं। रिपीटिशन कर रहे हैं। पहले कह तो दी यह बात आपने।

श्री ईश्वरलाल सैनी : रिपीटिशन क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले कह चुके आप कि तीन नहीं 6 हैं।

श्री ईश्वर लाल सैनी : अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में, इसकी जांच उच्च न्यायालय के किसी जज से होना बहुत आवश्यक है और जो मैंने आपसे सवाल किये हैं कृपया उसका जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बार बार हवाला दिया है धारा 56 आई. पी. सी. का।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे देंगे। आप बैठें, मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 56 आई. पी. सी. है ही नहीं, वह रिपील हो चुकी है। इस प्रकार की कोई धारा ही नहीं है जिसका हवाला बार बार आपने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो तीन मुद्दों पर मंत्री महोदय, से जानकारी चाहता हूं। क्या आप यहां पर ए. डी. एम. की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाने को तैयार हैं, मंत्री महोदय, जिससे यह जाहिर हो सके, उनकी एक जो इंक्वायरी है, एक सर्च रिपोर्ट है वह यहां सही मायने में आयी है जिससे जो भ्रम है लोगों के दिमाग में वह दूर हो सके : क्या आप उस रिपोर्ट को यहां पर पढ़ कर सुनाने को तैयार हैं ? या सदन की टेबल पर रखने को तैयार हैं ? दूसरा, जब एफ. आई. आर. लॉज हुई चोरी के मामले में, किसी एक आदमी को तफतीश दी गई तो किस नियम के तहत उस आदमी ने दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दी ? दूसरा, क्या इस मुकदमे के अन्दर कोई इंडिपेंडेंट विटनैसेज की सूची आप पढ़ने को तैयार हैं ? आप गवाहों की सूची जो 302 के मुकदमे में कायम हुई है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में डैथ हुई तो वहां किसी तीसरे आदमी के तो होने का प्रश्न ही नहीं होता। कोतवाली के अंदर मौत हो पुलिस के अत्याचार के कारण तो वहां किसी दूसरे आदमी का होना तो असम्भव ही है तो वहां पर कोई रेप्यूट का इंडिपेंडेंट विटनैस क्योंकि आम तौर पर जैसा होता है कि 109 के मुकदमे में किसी चलते रिक्शे वाले को पकड़ कर गवाह बना देते हैं जो उनके हमेशा के गवाह होते हैं। इसलिए क्या कोई रेप्यूट का इंडिपेंडेंट विटनैस है इस मामले में अन्यथा जो पुलिस की तफतीश होगी यह अदालत में केस स्टेण्ड कर नहीं पाएगा उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक्विटल निश्चित रूप से होगा। यह मैं इस सदन को निवेदन करना चाहूंगा। इसलिए आप सिर्फ दो मुद्दों का बता दें कि ए. डी. एम. की फाइंडिंग्स क्या हैं और रेपुटेशन के इंडिपेंडेंट विटनैस हैं या नहीं। तीसरा जिस कानून के तहत जिस आदमी को तफतीश दी गई उसने कौन से कानून में दूसरे आदमी को डेलीगेट कर दी ? चौथा, क्या उस समय कोतवाली के अंदर जब वह मारपीट से चिल्ला रहा था तो स्टेशन आफीसर, सैकेण्ड आफीसर जिसको कहते हैं, वह मौजूद था। आखिर हुआ क्या है कि सबके सामने एक एस. सी. के आदमी को मार-मार कर मार डाला और उसके बाद आपने न किसी एस. पी. की इंटीग्रिटी के बारे में, क्योंकि सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच यहां राजस्थान में पुलिस से अलग नहीं है। बदकिस्मती यह है कि यह प्रक्रिया पुराने समय से चली आ रही है, हमारे ही समय से चली आ रही है इसीलिए तो कहता हूं, क्योंकि दोनों ब्रांच अलग नहीं है इसलिए पुलिस कस्टडी में डैथ हो, किसी दूसरे मामले में तो सी. आई. डी. क्राइम वाले इंडिपेंडेंटली तफतीश कर सकते हैं लेकिन पुलिस कस्टडी में डैथ हो और सी. आई. डी. क्राइम इंडिपेंडेंटली जांच कर सके इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए यह मांग करता हूं कि या तो जुडिशियल जांच करवाइये या सी. बी. आई. से करवाइये यह मेरी मांग है जो तीन मुद्दे मैंने उठाये हैं। माननीय सम्पतरामजी उनका यहां पर तफशीलवार जवाब दे देंगे तो हमारी बहुत बड़ी शंकाओं का समाधान हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एफ. आई. आर. कितने बजे, दर्ज कराई और किस आफिसर ने दर्ज की, इन्वेस्ट रिपोर्ट पेश की जाय और स्टेशन आफिसर की नालेज में जब उसको हास्पिटल में शिफ्ट किया तो यह बात सही है कि अगर वह इन्वेस्टिगेशन से एसोसिएटेड नहीं था तो 302 का मुकदमा तो कायम नहीं हुआ तो रोंगफुल कन्फाइनमेंट का भी होगा, मीटिंग का भी होगा। यह सब मुकदमे केस रजिस्टर में होने चाहिए। अलग अलग आदमियों के अलग अलग सैक्शन्स लगेंगे। किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया या नहीं किया गया ? दरहकीकत यह बात स्पष्ट है कि लालाराम को फोर्मली अरेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया यह आपने क्लियर कर दिया। उसके बाद उसको इन्ट्रोगेशन के नाम से जब उसकी धुनाई हुई तो वह मर गया। हास्पिटल ले गये तब भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई और–" Death due to shock on account of multiple bruises and injuries" तब मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे साफ है स्केपगोट बनाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे साफ है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग आफीसर था वह सीधे सीधे जिम्मेवार होता है इसलिए उसने सीधा हाथ ही नहीं लगाया तो विद् दी एड आफ 149 गिरफ्तार करना चाहिए था। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। 6 आदमी मुल्जिम थे, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया और आज दिन तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो यह बात निश्चित है कि जो एस. पी. जसवंत सम्पतराम जो एक योग्य आफिसर हैं, उनके लिए नहीं कहता हूं लेकिन आपकी सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच, कोई भी करे क्योंकि इससे तो प्रशासनिक मंतव्य सिद्ध होता है कि आप कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते। इसलिए इसमें पब्लिक कांफीडेंस जेनरेट नहीं होगा। इंडिपेडेंट जांच करवाइये और उसकी जुडिशियल जांच न भी करें तो 176 की रिपोर्ट आ गई है उसकी कम से कम सी. बी. आई. से जांच जरूर करवालें। बहुत से केसेज होते हैं जिनमें सी. बी. आई. की जांच होती है ताकि इसमें जन विश्वास पैदा होगा और आपकी निष्पक्षता भी साबित होगी।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि पिछले तकरीबन घंटे भर से चर्चा हो रही है, साफ जाहिर है कि एक नौजवान लड़के को पुलिस ने बिना कोई मुकदमा दर्ज किये थाने में लाकर पिटाई कर के मारा गया लेकिन दुख यह है कि यह सरकार तो थानेदार–मोही सरकार हो गई है। इस सरकार को तो पता नहीं क्या शॉक लग गया है, क्या आनन्द आता है कि जहां कहीं इनके सामने अत्याचार होते हैं थानेदार को जरूर बचाते हैं जबकि थानेदार का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है तमाम हत्याओं में। इसी तरह से हत्या 30 तारीख को भी की गई....

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं यह मुगल सरकार कब से बनी है ?

श्री जुबेर खां : यह जब से बनी है, मैं आपको इसका उदाहरण दे सकता हूं माननीय मंत्री महोदय, कोई दिन खाली ऐसा नहीं जा रहा है जब किसी न किसी

(श्री जुबेर खां)

थाने में किसी हरिजन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। 30 तारीख का इस तरह का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री सम्पतराम : मुगलों का इतिहास खराब मत करिये। उनका इतिहास बड़ा शानदार रहा है, उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किये हैं।

श्री जुबेर खां : आपकी गलत फहमी दूर कर देता हूं। मैं मुगलों से नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से हूं जिसमें हसनखां मेवाती ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप गलत गुमराह मत कीजिए।

श्री सम्पतराम : आपने खुद ने नाम लिया है।

श्री जुबेर खां : हसन खां मेवाती बाबर से लड़ा था और बाबर सबसे पहला मुगल था।

श्री सम्पतराम : इतिहास तो आप पैदा हुए थे उससे पहले मैंने पढ़ लिया था। आपने मुगलों का नाम लिया इसलिए मैंने यह कहा।

श्री जुबेर खां : मैंने मुगलों का नाम नहीं लिया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, फिर बाबरी मस्जिद के बारे में आपके क्या विचार हैं ? (व्यवधान) यदि आपने बाबर से लड़ाई लड़ी है, बाबर लुटेरा, आक्रमणकारी डकैत था....फिर आप बाबर से नाता क्यों जोड़ रहे हैं बाबरी मस्जिद का फंक्शन करके ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : माननीय मंत्री जी, आपने मुगलों का नाम कैसे ले लिया, कम से कम अपने कान तो खोलकर बैठा कीजिए।

श्री लालचंद डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस के अंदर बाबर और राम जन्म भूमि कहां से आ गई बीच में। मामला कुछ और चल रहा था।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य लाये हैं बाबर को और राम जन्म भूमि तो सदन में आएगी ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे माध्यम से बात करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने न तो किसी बाबर का नाम लिया और न मैंने किसी बाबरी मस्जिद का नाम लिया....

श्री उपाध्यक्ष : गुस्सा मत कीजिए, जरा मुस्करा करके बात कीजिए।

श्री जुबेर खां : गुस्से की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान : मेरा पाइंट आफ आर्डर है उपाध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा रही है कि सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो बोलने वाले माननीय सदस्य सिर्फ प्रश्न ही पूछ सकते आप तो भाषण दे रहे हैं, यह भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री जुबेर खां : मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह कोई नई बात नहीं है पुलिस थानों में इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या होना। यह सरकार जो बनी है जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनके मुंह के अनुसार की जन:भावना के अनुरूप सरकार है। अगर यहां जन भावना .... ।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषणबाजी फिर शुरू हो गयी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो प्रश्न नहीं है आपका । मैं अलाउ नहीं करूंगा । प्रश्न कर लीजिये माननीय मंत्री महोदय से।

श्री जुबेर खां : मैं पूछता हूं कि इनमें जो दोषी हैं व्यक्ति, उनका सही पता लगाने के लिए अगर सरकार ईमानदारी से जांच करवाना चाहती है तो सी. बी. आई. को जांच देनी चाहिए । देना चाहती है या नहीं "हां" या "नहीं" में जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आ गया, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा स्थगन प्रस्ताव था....।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नहीं है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित बात है कि यह जो घटना हुई है, जिसकी की चिन्ता माननीय सदस्यों ने जाहिर की है, शायद सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि मेरे को भी उनसे ज्यादा नहीं तो कहीं कम चिन्ता मेरे को भी नहीं है । यह सारा मामला हुआ.... । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप शांति से सुनिये, नॉन सीरियस मत करिये, गम्भीर घटना को आप नहीं मान रहे हैं । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री सम्पतराम : लालाराम की मृत्यु हुई । अब तक के जो तथ्य और मेडिकल रिपोर्ट है, उससे यह साबित होता है कि लालाराम की मृत्यु मार–पीट के कारण हुई है । अब कानून की बहुत–सी धारायें जुरिस्पुडेंस की थ्योरी सामने आयी । आनी भी चाहिए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोगों ने कानून को देखा समझा है । इबैंगुअलिटिज पर विचार किया है कि पेरामिलिट्री फोर्स पुलिस मुकदमे की तफ्तीश करती है और सारे मामलात को देखती है तथा पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो इसमें क्या व्यवस्था जाये । इसलिए कानून को बनाने वाले लोगों ने 176 की व्यवस्था की । इसकी पुलिस के लोग जांच करें, इसके साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाये । वह substantive provision in criminal law

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नेचुरल डेथ के लिए है; law is there.

श्री सम्पतराम : मैं कह रहा हूं, वह सुन लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पुलिस कस्टडी में नहीं हुई तो फिर मारपीट कहां हुई ?

श्री सम्पतराम : यह मैं कबूल कर रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में हुई । आप उल्टा कह रहे हैं । सुनिये, पहले तो मैं

(श्री सम्पतराम)

उस रिपोर्ट का हवाला दूं। जो माननीय सदस्य बार–बार जानना चाहते हैं और शंकायें भी हैं। इसलिए मैं उस रिपोर्ट का हवाला ही दे देता हूं। यह ए.डी.एम. की रिपोर्ट है जिसका ऑपरेटिव पार्ट है वह मैं पढ़ देता हूं। इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में तीन बिन्दु दिये हैं। सर्वश्री कल्याण मल, हैड कांस्टेबिल, नम्बर 1216, हेतराम कांस्टेबिल नम्बर 2046 एवं रघुवीरसिंह कांस्टेबिल, नम्बर 3973 पर सीधे तौर पर उक्त लालाराम के साथ अनुचित अवांछनीय और बेरहमीपूर्ण मारपीट करने के फलस्वरूप मृत्यु के लिए उत्तरदायी बनता है।

दूसरा यह है, श्री भगवान सहाय, उप निरीक्षक जो कि इस मुकदमे में 319/90 अन्तर्गत धारा 379 आई.पी.सी. तफ्तीश आफिसर नियुक्त किया गया था, तथा श्री त्रिलोक चन्द्र, उप निरीक्षक जो कि दिनांक 12.6.90 की इस घटना के पूर्व ड्यूटी आफिसर थाना कोतवाली का कार्य अन्जाम दे रहा था, का उत्तर दायित्व भी तकनीकी दृष्टि से, परोक्ष रूप से, बनता है।

तीसरा– श्री इन्द्रपाल सिंह निरीक्षक, एवं तत्कालीन थानाधिकारी कोतवाली, जयपुर पर सुपरवाइजरिंग की गफलत का आरोप बनता है।

ये तीन पाइन्ट्स हैं। वैसे आप रिपोर्ट को देखें तो देख लें लेकिन तीन हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास: इस पर एक रिपोर्ट दर्ज करवा दो आप। इस रिपोर्ट पर ही एक रिपोर्ट दर्ज करवा दो आप।

श्री सम्पतराम: आप सुनिये मेरी बात। आप सब लोग शासन में रहे हैं किसी न किसी रूप में। सब बात आप जानते भी हैं लेकिन चूंकि विरोध में बोलना ही पड़ता है, यह किसी के वश की बात नहीं है सुनिये मेरी बात सुनिये। मैं पालिटिकल भाषा नहीं बोलूंगा। मैं केस से रिलेटेड बात कहूंगा। देखिये आपको कितना संतोष होता है सुनिये........।

श्री सुरेन्द्र व्यास: बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं।

श्री सम्पतराम: यह मृत्यु हुई। नामजद रिपोर्ट अभी माननीय श्री पूनमचन्द जी ने जो फरमाया अगर यह व्यवस्था वे इस देश में लागू करवा देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरीके से आज तक की जो प्रेक्टिस है वह मैंने सदन के सामने, सुनिये साहब....।

श्री पूनम चन्द विश्नोई: एक नागरिक को संविधान ने इतना बड़ा अधिकार दिया है, इसको पुलिस वाले अवहेलना करके गुलाम बना रहे हैं, एक तरह से। कौनसा अधिकार है? किसी को भी बुलाओ वह नहीं आयेगा तो फिर क्या करेगा पुलिस ऑफीसर....।

श्री सम्पतराम: देखिए, मैंने जो कुछ हालात थे, वे आपके सामने बयान किये हैं। अब तथ्य यह है कि ए.डीएम. की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई 176 की और जांच हमने एक अधिकारी को दे दी। वे जांच कर रहे हैं। सुनिये....।

श्री प्रद्युम्नसिंह: क्या आप रिपोर्ट सदन के पटल पर रख रहे हैं?

श्री सम्पतराम : क्या फरमाया आपने ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रिपोर्ट सदन की मेज पर रख रहे हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : क्या करोगे सदन की मेज पर, देखली है, मैंने पढ़ दी है, पढ़ा दी है, ले लो सदन की मेज पर ले लो। जब मैंने पढ़ दिया। यह जो मैंने उनका फाइन्डिंग है, वह आपसे अर्ज किया है पीछे तो गवाह का फलां का रेफरेन्स है वह दिया हुआ है। तो यह रिपोर्ट भी जब जांच सारी हो रही है। यह रिपोर्ट भी उस जांच का हिस्सा होगी और इस जांच के ऊपर जब भी 176 की कार्यवाही होती है तो उसकी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी पुलिस में आती है। पुलिस भी उसकी तफतीश करती है। जानकारी करती है। दोनों तरफ से हो रहा है। यह रिपोर्ट भी सामने है और जो सी.आई.डी. शाखा जो जांच कर रही है वह रिपोर्ट भी आयेगी। इस जांच के फलस्वरूप जो कुछ नतीजा आयेगा उसके मुताबिक फक्शन निश्चित तौर से होगा। किसी को बचाने का कोई इरादा किसी का नहीं है। यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी को इसमें बचाया जायेगा। जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको मैंने स्पष्टतया बता दिया है। पुलिस कस्टडी में मौत हुई उस पर 302 का मुकदमा लगाया गया। अब तफ्तीश हो रही है और अभी माननीय श्री बेनीवाल साहब ने फरमाया कि इसमें निर्दोष कुछ लोगों को भी फंसा दिया गया है, तो 169 में पुलिस ऐसे अरेस्टेड लोगों को भी छोड़ सकती है, अगर तफ्तीश के दौरान यह साबित हो जाये कि ये लोग दोषी नहीं है, ये निर्दोष हैं। यह सारी व्यवस्था मैंने आपके सामने बता दी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इण्डिपेंडेंट विटनैस के बारे में मैंने जो सवाल पूछा है जिस पर पूरे केस का दारोमदार रहेगा आखिर में कि लीक आउट में जाना ही जाना है आखिर में। चालान उसका होना ही होना है। यह बात साबित हो गई तो मैं आपसे बार–बार पूछ रहा हूं अन्यथा मुझे डर यह है कि आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, यह अदालत के अन्दर जाकर के यह केस कोलेप्स हो जायेगा। वहां धाराशाही हो जायेगी। अदालत में ये लोग सभी बरी होंगे। मैं जो खासतौर से पूछ रहा हूं कि आप इण्डिपेंडेंट विटनैस के किसी के नाम बताने चाहेंगे क्या ?

श्री सम्पतराम : माननीय भूतपूर्व मंत्री महोदय और अब के माननीय सदस्य, ये मेरे से इण्डिपेंडेंट गवाहों की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य इण्डिपेंडेंट गवाहों का नाम सदन में नहीं लिया जाया करता है। यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यह कभी नहीं लिया जा सकता है, मैं तफतीश को खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तफतीश सही हो, इण्डिपेंडेंट हो...।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा कुछ नहीं है। सदन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हाउस के सामने यह स्पष्ट बात आ गई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एक बात स्पष्ट हो गई है कि हमारी सरकार के जो मजिस्ट्रेट हैं, आपके

११५

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सरकार के जो ए.डी.एम. है । उसकी रिपोर्ट यह है कि इसको तीन लोगों ने पीटा । एक के खिलाफ आपने यह कहा कि उसके नाम तफ्तीश की, वह इसमें शामिल है, और एक ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वह इन्चार्ज था, सुपरवाइज कर रहा था और आप सरकार में बैठे हुये जो लोग हैं, अगर अब भी यह स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि हम कार्यवाही करेंगे, तो मैं निश्चित समझूंगा कि आपकी नीयत यही है कि कार्यवाही कुछ नहीं हो और सिर्फ इसकी लीपापोती कर दी जावे । जब ए.डी.एम. की रिपोर्ट आ गई । किसका इन्तजार कर रहे हैं आप । आप किस बात का इन्तजार कर रहे हैं । प्रक्रिया किसी चीज की नहीं है । इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है ? यह प्रक्रिया रहती है कि छोड़ा कैसे जाये ? सिर्फ प्रक्रिया एक बकाया है कि पुलिस के सिपाहियों को फसाया जावे और अफसरों को छोड़ा जावे और कोई प्रक्रिया बकाया नहीं है । एक ए.डी.एम. ने आपको रिपोर्ट दे दी 176 में पुलिस का जो केस है, आप पुलिस की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं । क्या आप उम्मीद यह करते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट जो आयेगी, उसके बाद आप फैसला करेंगे, इसके बाद उनको छोड़ेंगे । ए.डी.एम. की रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर से सरकार को अपने इस मामले में फैसला करना चाहिये जो माननीय मैंने आज ही वह महसूस किया, गृह मंत्री जी, राज्य मंत्री जी भी यहां हैं, अब आप अगर चाहते हैं राज्य सरकार में आपकी तस्वीर इसकी छवि जनता के सामने इस तरह की बने कि आप वाकई संवेदनशील है. अगर आप वाकई जनता की भावनाओं को समझते हैं और जो जनता महसूस करती है उसको आप अलग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके मजिस्ट्रेट पर अमल करें । जो मजिस्ट्रेट ने कहा अगर वह सही है...

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया न आपने बार-बार रिपीटिशन हो रहा है ।

श्री केदारनाथ शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । मैं यह भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर अध्यक्षजी ने स्टेटमेंट के लिए कहा, आदेश दिया । स्टेटमेंट हो गया । जिन लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया...

श्री उपाध्यक्ष : एक घण्टे से ज्यादा भी हो गया ।

श्री केदारनाथ शर्मा : उन्हें अधिकार है बोलने का, प्रश्न पूछने का । अपोजीशन का, और भी लीडर्स का भी अधिकार है पूछने का, और भी कोई माननीय सदस्य पूछे तो उसका अधिकार है । आपके पास सारे अधिकार हैं, आप जिसे भी बोलने के लिए कहें । उन क्वेश्चन्स के ऊपर फिर स्टेटमेंट का जवाब आ जाय, उसके बाद फरदर डिस्कशन अगर देना हुआ तो यह तो एन्ड–लेस डिबेट हो जायेगी, आपका परपज भी सर्व नहीं होगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई अन्त नहीं है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : रेलेवेन्ट क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए । यह कोई साधारण बात नहीं है..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कार्यवाही देख लीजिए, जब प्रद्युम्न सिंहजी स्वयं यहां गृह मंत्री के रूप में जवाब देते थे तो उन्होंने किस प्रकार के जवाब दिये हैं । इसके बावजूद आज कार्यवाही रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है .... (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : आप ही विलम्ब कर रहे हैं । हर सवाल अनावश्यक खड़ा करके आप लोग ही देरी कर रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप भी कांग्रेस के गृह मंत्री बनना चाहते हैं, हम आप से वह उम्मीद नहीं करते ।

एक माननीय सदस्य : माननीय महावीर प्रसादजी, मंत्रीजी जवाब दे देंगे ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी सदन में कहा है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं । इसलिए कि 302 का जो केस पुलिस वालों के खिलाफ लगाया गया है, उस बारे में मेरा थोड़ा सा अनुभव है । इसी सदन में मैंने एक मोहन सिंह, जो पी.एस. खरोदा में मरा था उसके बारे में एक क्वेश्चन उठाया था । उसमें 302 के मुकदमे सभी पुलिस वालों के लगे थे, पांच चार जनों के, सभी आज बरी होकर प्रमोशन पर आये हुए हैं । यह कांग्रेस सरकार की देन है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया था इस हाउस में, उसी स्टेटमेंट के ऊपर हमने एक पब्लिक इन्टरेस्ट का सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था । इस मोहन सिंह की फेमिली को सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये दिये थे परन्तु जितने भी पुलिस वाले थे वह सब बरी हो गये इसलिए....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गोविन्द सिंह जी के कारण हुआ ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय मंत्रीजी को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उसको पूरी सावधानी से बरतें, सावधानी से इसकी जांच हो । पुलिस वाले न छूटे, इसकी कोई न कोई आप प्रक्रिया अपनायें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं । यह रिलेवेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री उपाध्यक्ष : नया सवाल है कोई ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, नया सवाल है । उपाध्यक्ष महोदय, यह 176 सी.आर.पी.सी (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : एक आदमी की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाय और फिर कहते हो कि हत्या नहीं है... (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : ऐसे हाथ झाडने से कुछ नहीं होगा । एक–एक मिनट का महत्व कितना होता है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिये कि जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह तो नहीं करें । आप बुजुर्ग हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : सीनियर हैं इसका मतलब बोलने का अवसर ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी बैठिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी जो ए.डी.एम. की रिपोर्ट 176 की मंत्रीजी ने पढ़ कर सुनाई यह रिपोर्ट कब पेश हुई, कब मिली ? रिपोर्ट की तारीख बताइये ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप तारीखों पर जा रहे हैं, उससे क्या होगा ? नेक्स्ट, आई विटनेसेज का पूछिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह है कि इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद आपने इन दोनों आदमियों, भगवान सहाय और त्रिलोक चन्द्र को गिरफ्तार तत्काल क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे प्रश्न पूछिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह विदित है, ए.डी.एम. की रिपोर्ट है कि इनका परोक्ष रूप से हाथ है । इनकी निगरानी के अन्दर मारपीट हुई है । अवेन्टवेट के अन्दर आयेंगे, यह तो सीधे-सीधे आयेंगे, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है । आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? अब गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं ? दूसरी बात, यह जो इन्द्रपाल सिंह है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? एक बात है उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो कोई मांग ही नहीं है, अब यह है कि ए.डी.एम. की रिपोर्ट को आप क्रियान्वित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? इतना बता दीजिए । ए.डी.एम. तो आपका फंक्शनरी है, उसकी रिपोर्ट है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ठीक है ठीक है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसकी रिपोर्ट को भी आप क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं ? खुद उस पर प्राइमा फेसी केस बन गया, अब उसका आप क्या करेंगें, इसका जवाब दें आप तो । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल । (व्यवधान)

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इन्तजाम नहीं करूंगा । यह आपने सारा भाषण अलाउ कर दिया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : भाषण कहां है ?

श्री सम्पतराम : जब मैंने सारा स्टेटमेंट इसमें दे दिया, ए.डी.एम. की रिपोर्ट भी पढ़ दी, सारे फैक्ट्स आ गये । जो साढ़े सात हजार की चोरी की गई है उसको पिचहत्तर हजार की बता रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ रहे हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां बताया है, साढे सात हजार बताया है श्रीमान....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ए. डी. एम. की रिपोर्ट पर क्रियान्विति करेंगे आप ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल ।

श्री उपाध्यक्ष : अन्तिम प्रश्न है । यह अन्तिम सवाल है.... (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ क्लियरीफिकेशन।

श्री मदनलाल सैनी : इस प्रकार एक एक सवाल का जवाब देना सम्भव नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइन्ट ग्राफ क्लियरीफिकेशन यह है कि परबतसर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, गंगानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य और मंत्री महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सरकार की तरफ से वक्तव्य ग्राने के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछ लिये, ग्रापने वाद विवाद पुनः चालू कर दिया। मैं ग्रापसे यह चाहता हूं कि ग्राप इस पर व्यवस्था करें, क्या इस तरह से वाद-विवाद चलता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रन्तिम प्रश्न है। ग्राप भी पूछना चाहें पूछ लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम पूछेंगे, हम उत्तर पर प्रश्न पूछेंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब ग्रापको पूछना है या नहीं पूछना है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रब ऐसे ही चलता रहेगा तो कहां से पूछेंगे श्रीमन। इन्ट्रप्शन हो रहा है, ग्राप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप भली भांति प्रोटेक्ट हैं, ग्रब ग्राप चिन्ता मत कीजिये, ग्राप प्रश्न पूछिये....(व्यवधान)

माननीय महावीर प्रसादजी, ग्राप बोलने दीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी. पूर्व निर्णय जितने भी सदन में हुए हैं इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ग्राप उनको देख लीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बीच में इन्ट्रप्शन करते हैं, हमको तो ग्राप रोकते हो इनको रोकिये ग्राप।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो बोल रहे हैं इनको रोकिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये माननीय मंत्री महोदय से मैं दो बातें पूछ रहा हूं। 176 की रिपोर्ट का क्या महत्व है, यह बता दीजिये पहले ग्राप। ग्रापने 176 सी.ग्रार.पी.सी. में इन्क्वायरी कराई, प्राइमा फेसी केस स्थापित हो गया, ग्राप और ग्रभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे ? नम्बर वन। नम्बर दो, ग्राप नाम मत बताइये विटनेसेज के, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या इनडिपेण्डेन्ट गवाह है या नहीं इसके ग्रन्दर ? इतना ही बता दीजिए, नाम मत बताइये।

श्री मदनलाल सैनी : यह लास्ट सवाल है इसके बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : और वह लास्ट रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री सम्पतराम)

जी, अभी माननीय सदस्यों ने ज्यूडिशियल इन्क्वायरी का भी जिक्र किया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसको छोड़िये आप।

श्री सम्पतराम : सुनिये, सुनिये जवाब जवाब दे दीजिए। आप तो सारे भाषण देते हो और मुझे बोलने नहीं देते हो....

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलिये आप।

श्री सम्पतराम : तो बैठ जाइये, यह क्या बात हुई ? जब ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होती है उस वक्त कोई भी सरकार हो टर्मस ऑफ रेफरेंसेज के आधार पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी किया करती है। जब ज्यूडिशियल इन्क्वायरी भी आ जाती है उसके बाद कोई भी सरकार जो उस पर निर्णय लेती है उसके ऊपर फोलो ऑफ एक्शन होता है, उस पर जो वाजिब एक्शन है वह लिया जाता है, But that is not mandatory on the part of the Government to act upon that report. They may, They may not. पण्डितजी सुन लीजिए इसमें जो वाजिब फाइन्डिंग्स जिसने दी है वह समरी है, समरी प्रोसीडिंग्स है जो मजिस्ट्रेट ने दी है। मैं कहता हूं कि यह जो रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट के तथ्यों पर, जिनके खिलाफ दी है उनके खिलाफ पूर्णरूपेण तरीके से इन्वेस्टीगेशन विचार होगा और यह नहीं होगा कि किसी आदमी को, क्योंकि दे दिया तो उसको हमने वेस्ट बास्केट में फैंक दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने यह कहा कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होती है उसमें भी जो कमीशन की रिपोर्ट आती है उसकी हिस्ट्री भी उपाध्यक्ष महोदय, यह होती है। यह तो 176 की मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी है, It is not hundred percent applicable. इसके ऊपर इनवेस्टीगेशन होगा, जांच होगी और जो सही होगा, वह एक्शन लिया जायेगा। यह मेरा कहना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह+++सरकार है, यह हत्यारों को बचाना चाहती है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री रामकिशोर मीणा सरसों व खाद्यानों के भाव मण्डी में आने के पश्चात् एकदम बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे.... (व्यवधान)

कई कांग्रेसी माननीय सदस्य: +++ द्वारा नारे।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसी+++ सरकार के विरोध में हम वॉक आउट करते हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस+++ सरकार के राज में हत्याएं हो रही है इसके विरोध में हम बहिष्कार करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चत रूप

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से इस सरकार का चरित्र भी पहले जैसा ही है....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : 7500 रुपयों का क्या हुआ ? बरामद हुए या नहीं हुए, कौन खा गया ? पुलिस वाले खा गये या कोई दूसरा खा गया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब ।

श्री दिग्विजय सिंह : अजी, आप वापस कैसे आ गये ? (व्यवधान)

(2.30 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

शासकीय वक्तव्य

सरसों एवं खाद्यान्नों के भाव मण्डी में आने के पश्चात् एकदम बढ़ जाने सम्बन्धी

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत सरसों एवं अन्य खाद्यान्नों के भाव मंडी में आने के पश्चात् एकदम से बढ़ जाने के बारे में मेरा निवेदन निम्न प्रकार है । कृषि विपणन निदेशालय जयपुर द्वारा राजस्थान की विभिन्न प्रमुख मंडियों में खाद्यान्नों एवं कृषि जिंसों के मूल्यों में परिवर्तन एवं भावों की समीक्षा जिन्सवार इस प्रकार से है :-

सरसों- सरसों के भाव प्रति क्विंटल 5.4.90 को 715 रुपये से 750 रुपये थे । 16.4.90 को 690 से 695, 23.4.90 को 662 से 709, 30.4.90 को 680 से 690, 7.5.90 को 670 से 720, 15.5.90 को 690 से 733, 23.5.90 को 730 से 743, 30.5.90 को 700 से 758, 6.6.90 को 770 से 850, 13.6.90 को 790 से 850, 20.6.90 को 835 से 880, 30.6.90 को 851 से 886 रहे ।

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 575 रुपये तय किया हुआ है जो 89-90 की तुलना में 105 रुपये अधिक था । 15 मार्च से पूर्व सरसों की सफल साधारणतया मण्ड़ियों में बहुत कम बिक्रय हेतु आती है । जो आयी भी है उसकी कीमत भी समर्थन मूल्य से अधिक मिली है । उसके कारण सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर शून्य है । राज्य सरकार की मंशा हमेशा यही रही है कि बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम न जायं और भाव कम हो जाते हैं तो घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों का उत्पादन स्वयं सरकार खरीद लेती है । वर्तमान में भी राजस्थान की विभिन्न मण्ड़ियों में सरसों का भाव 851 से से 886 रुपये है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेक्सिकन गेहूं के भाव मार्च माह के मध्य तक राजस्थान की विभिन्न मण्डियों में 174 से 220 तक रहे । भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 215 रुपये तय किया गया था जो गत वर्ष की तुलना में 32 रुपये अधिक है । कृषि उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले । इसकी राज्य सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था की गई । किसानों का गेहूं विभिन्न एजेंसियों द्वारा 215 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर 1 लाख 34 हजार 669 मैट्रिक टन खरीदा गया जबकि लक्ष्य केवल 60 हजार टन का था । कृषि विप-

(श्री रामकिशोर मीणा)

पणन निदेशालय द्वारा संग्रहित राज्य की विभिन्न मंडियों के साप्ताहिक भावों की तालिका है उसके अनुसार गेहूं मैक्सिकन के भाव 6 अप्रेल को 182 से 277 रुपये प्रति क्विंटल थे। 16 अप्रेल, 1990 को 193 से 255 रुपये, 23 अप्रेल 1990 को 216 से 248, 30 अप्रेल, 1990 को 215 से 256 और 7 मई को 215 से 258 तथा 15 मई को 215 से 260 रु. 23 मई, 1990 को 215 से 255 रुपये, 30 मई को 220 से 250 रु. 6 जून, 1990 को 215 से 250 रुपये, 13 जून, को 217 से 250 रु., 20 जून, 1990 को 227 से 255 रु., 30 जून, 1990 को 229 से 261 रु. के मध्य चल रहे हैं। वर्तमान में भी भाव उक्त स्तर पर ही हैं। हाल ही फार्मी शरबती गेहूं के भाव मार्च के अन्तिम सप्ताह और अप्रेल के प्रथम सप्ताह में 295 से 338 रुपये प्रति क्विंटल थे। जिसके भाव वर्तमान में भी 355 रुपये प्रति क्विंटल है।

जौ का भाव कृषि विपणन निदेशालय द्वारा एकत्रित राज्य की विभिन्न मंडियों में मार्च के मध्य में 245 से 299 रुपये रहे। जबकि 6 अप्रेल, 1990 को जौ का भाव 205 से 222 रुपये, 16 अप्रेल, 1990 को 220 से 228 रु., 23 अप्रेल, 1990 को 213 से 225 रुपये, 30 अप्रेल, 1990 को 208 से 223 रुपये, 7 मई, 1990 को 208 से 223 रुपये, 15 मई, 1990 को 205 से 230 रुपये, 23 मई, 1990 को 220 से 220 ही तक, 30 मई, 1990 को 230 रु., 6 जून, 1990 को 235 से 240 रु., 13 जून, 1990 को 240, 20 जून, 1990 को 242 से 255, 30 जून, 1990 को 254 से 255 रहे।

भारत सरकार ने जौ का समर्थन मूल्य 180 रुपये तय किया, जो गत वर्ष की तुलना में 35 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। उक्त मूल्य भारत सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य मिल सके इसी उद्देश्य से तय किये गये। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, फसल जब मंडियों में आने लगी तब जौ के भाव सभी प्रमुख मंडियों में 180 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक थे। किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल रहा था इसी कारण राजस्थान में जौ की खरीद समर्थन मूल्य पर बिल्कुल नहीं हो सकी।

चना—राज्य में चने के भाव अप्रेल के प्रथम सप्ताह में 658 से 677 रुपये प्रति क्विंटल थे जबकि भारत सरकार द्वारा चने का मूल्य 1990–91 के लिए 421 रुपये तय किया गया है। उक्त भाव गत वर्ष की तुलना में 96 रुपये अधिक है। इसमें भी भारत सरकार की यही मंशा रही है कि किसानों को चने का उचित मूल्य मिल सके। राज्य में चने के भाव फसल जब मंडियों में आने लगी तब से अब तक समर्थन मूल्य से अधिक रहे हैं। कृषि विपणन निदेशालय द्वारा एकत्रित राज्य की प्रमुख मंडियों के भावों की साप्ताहिक समीक्षा इस प्रकार से है—मार्च के मध्य में चने के भाव 550 से 580 रुपये प्रति क्विंटल थे। 6 अप्रेल, 1990 को 658 से 675, 16 अप्रेल, 1990 को

(श्री रामकिशोर मीणा)

645 से 672, 23 अप्रेल, 1990 को 631 से 670, 30 अप्रेल, 1990 को 644 में 680, 7 मई, 1990 को 635 से 662, 15 मई, 1990 को 645 से 705, 23 मई, 1990 को 655 से 696, 6 जून, 1990 को 640 से 686, 13 जून, 1990 को 690 से 715, 20 जून, 1990 को 705 से 735, 30 जून, 1990 को 725 से 744 रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में चने का बाजार भाव एवं समर्थन मूल्य में काफी अन्तर रहा जिससे समर्थन मूल्य पर चने की खरीद शून्य रही है।

तिल— राज्य में तिल का उत्पादन काफी कम होता है। इस वर्ष भी तिल का उत्पादन बहुत कम हुआ है। मार्च से अब तक इसके भाव 1300 से 1400 रु. प्रति क्विटल रहे। इनकी आवक का अभी आफ सीजन है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि जिन्सों का खरीद मूल्य तय करते समय सभी आवश्यक पहलुओं-यथा खाद, बीज, पिलाई, लागत, मजदूरी एवं किसानों के लाभ आदि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। कृषि जिन्सों का मूल्य तय करते वक्त आयोग को यह भी देखना होता है कि प्रत्येक नागरिक को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उचित दाम पर मिलती रहे।

कृषि जिन्सों की मंडी में आवक शुरू हुई उस समय किसानों को लागत मूल्य से कम कीमत न मिले इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किये जाते हैं और राज्य सरकार कृषि जिन्सों की खरीद की व्यवस्था करती है। कृषि जिन्सों की आवक सदा एक सी नहीं रहती है। फसल के समय आवक ज्यादा रहती है और बाद में कम होती जाती है। इसलिए इन जिन्सों के बाजार भाव पहले की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक है। क्योंकि मांग यथावत रहती है। सरसों तारामीरा के भारी उत्पादन को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 26 मार्च, 1990 से इसकी स्टॉक सीमा में भारी वृद्धि की थी ताकि किसानों को फसल का अच्छा मूल्य मिले, इसी उद्देश्य से की गयी थी। वर्तमान में आवक कम हो गयी है तो केन्द्रीय सरकार ने भी बढ़ायी, स्टॉक सीमा को पुनः कम कर दिया है राजस्थान प्रान्त में ही नहीं अपितु पूरे भारत में तिलहनों का उत्पादन बहुत कम हुआ है जिससे तेलों की मांग और पूर्ति में बहुत अन्तर रहा और कीमतों में वृद्धि आरम्भ हो गयी सरकार तिलहनों और खाद्य तेलों का आयात कर उपभोक्ताओं को वितरित करती रही है ताकि भावों में और वृद्धि न हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने बताया कि हमारे आम काश्तकारों का माल मार्च, अप्रेल तक आ जाता है। उस टाइम क्या भाव थे ? आज जो भाव बताये, 20 जून या जून के फर्स्ट वीक का बताया है वह बाजार भाव से कम बताया है।

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

जून के पहले हफ्ते में सरसों का भाव टोडा, मालपुरा और टौंक जिले में अन्यत्र सभी जगह कृषि मंडियों में 900 के करीब पहुंच चुका था। जब काश्तकार का सारा माल बाजार में निकल चुका था। व्यापारियों के कब्जे में आ चुका था। उसके बाद एकदम बाजार में भाव दो सौ रुपये क्विटल से लेकर तीन सौ रुपये क्विटल की तेजी आयी। जब काश्तकार के पास माल नहीं रहा बाजार भाव निम्न रूप में रहे -- मार्च में 615 से 620 का भाव था और अप्रेल के तीसरे वीक में 650 से 660 तक पहुंचे। 27 अप्रेल को आखा तीज और बैशाख के महीने में काश्तकार शादी करते हैं इस वजह से अपनी देनदारी या कर्जे की वजह से सारा माल निकाल देता है। 95 प्रतिशत काश्तकारों का माल बाजार में बिक चुका था। उसके बाद एकदम भयंकर तेजी आयी। इससे उपभोक्ता प्रभावित हुए उससे काश्तकार प्रभावित हुआ और काश्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला। मैं यह जरूर जानता हूं क्योंकि मैं भी काश्तकार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप व्यापारी हैं या काश्तकार।

श्री घासीलाल चौपड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं व्यापारी नहीं होकर भी व्यापारियों के विरुद्ध बोलता हूं। मैं काश्तकार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो बहुत ही बढ़िया बात है, यह बात अगर यह मानते हैं तो।

श्री घासीलाल चौपड़ा : मैं काश्तकार हूं और काश्तकारों के हितों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मार्च और अप्रेल के भाव क्या थे और मई के दूसरे वीक और जून के पहले वीक में भाव क्या थे। उन भावों को मद्देनजर रखकर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री घासीलाल चौपड़ा : इसलिए मैं कह रहा हूं कि काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात हुआ है। यही सम्भव रहने चाहिये थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो दलील दीजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : मेरे पास 120 बीघा जमीन है, साहब। आपको पता चल जायेगा कि मैं काश्तकार हूं या आप काश्तकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, महावीर जी तो व्यवधान मंत्री हो गये। यह लगातार व्यवधान करते रहते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको पूछने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट सामने आयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। बातें नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माह मार्च से लेकर कि आज तक जुलाई के अन्दर भाव करीब करीब धीमे हो गये हैं और मार्च का महिना होता है जब काश्तकार मण्डी में माल पहुंचाता है और यह समय आ गया कि मंडी से माल निकलकर उपभोक्ता के पास जायेगा तो इससे उपभोक्ता पर पड़ी है। किसान को जो कीमत है, वह मिली नहीं है और मण्डी के जो ट्रेडर है, उनको फायदा हुआ है। राज्य सरकार ने इस विषय में क्या कोशिश की है, क्या चेष्टा की है, आपने मुगालता देने की कोशिश की है। समर्थन मूल्यों में हमने यह तय कर दिया है इससे किसानों को यह फायदा हुआ है। किसान का माल तो निकल चुका है और वह तो मार्च के अन्दर आ जाये, ज्यादा से ज्यादा अप्रेल के अन्दर आ गया, भाव तय हुए हैं, जून में। ट्रेडर को फायदा हुआ है, उपभोक्ता को नुकसान हुआ है। इसके बारे में आपने क्या किया या अब क्या करना चाहते हैं, यह बताइये। आप तो किसान हैं नहीं, आप तो व्यापारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सबको जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अर्ज यह है कि माननीय सदस्य जिस प्रकार से आक्षेप लगा रहे हैं कि साफा बांधने से यह काश्तकार नहीं हो जाता, या यह व्यापारी नहीं हो जाता। इस तरह के जो आक्षेप सदन में लगाये गये, यह क्या सदन की परम्पराएं हैं? इसलिए यह आक्षेप लगाया जाना बंद होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो....

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को यदि हम इस तरह से व्यवधान में समाप्त कर देंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य। मैं कोई जन्मपत्री तो लिख नहीं रहा हूं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय यह कीमतों का सवाल बहुत गंभीर बन चुका है और गंभीर इस मायने में है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की इसमें कोई नीति नहीं है। खाली यह कह देना कीमतें बढ़ी हैं, यह तो हमें जानकारी है लेकिन कीमतों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाये और किस सीमा तक नियंत्रित किया जाय, इस पर राज्य सरकार की क्या नीति है। असल में झगड़ा यह है कि हिन्दुस्तान में अब से नहीं अंग्रेज जाने के बाद ही किसानों की चीजों के दाम घट जाते हैं जब उसकी फसल बाजार में आती है और जब माल बिक जाता है तो कीमत बढ़ जाती है, कारखानों की चीजों के दाम बढ़ते हैं। किसानों की चीजों के दाम में दो बार ऊंचाई और निचाई आती रहती है तो मैं राज्य सरकार से

(श्री रामकिशन)

जानना चाहूंगा कुछ मामले तो हैं, केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित लेकिन राज्य सरकार की क्या कीमतों पर नियंत्रण करने की कोई योजना है। बयान से तो काम चलेगा नहीं। दूसरा जैसे मंत्रीजी ने कहा कि तिलहनों की कमी है। असल मे तिलहनों की कमी नहीं है। अब यह है कि तिलहनों की कमी है। इसके बाद जो नेपाल से समझौता हुआ है और बांग्लादेश से जो तस्करी हो रही है और उसमें केन्द्रीय सरकार इन्वाल्व है। इसलिए हम चाहेंगे, कीमतों का सवाल बड़ा विस्फोटक बनता चला जा रहा है। आज उपभोक्ता की हैसियत नहीं रह गई है। चीजों को खरीदने के लिए सदन में एक समर्थन मूल्य नीति बननी चाहिये। किसानों को क्या मिले, मुनाफाखोरों को कितना मुनाफा मिले और उपभोक्ता को कैसे सस्ती चीज मिले जब तक इन तीनों चीजों पर नहीं सोचा जायेगा। खाली व्यापारियों को गाली दे दें, कभी किसान की बात कह दें इससे काम नहीं चलेगा। किसानों के भी दो हिस्से हैं। एक किसान वह है जो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं। बाकी के सब उपभोक्ता हैं। इसलिए उपभोक्ता के लिए राज्य सरकार की क्या नीति है, क्या कार्यक्रम हैं इस पर जब तक मंत्रीजी का बयान नहीं होगा तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी का जवाब हमने सुन लिया। मैं समझता हूं शायद वह इस स्थिति में भी नहीं हैं कि आज वह कोई बात कह दें इसलिए इस मामले पर सदन की अगर सहमति हो तो एक दिन कीमतों के सवाल पर केन्द्रीय सरकार से बात करके एक दिन की बहस रखी जाये। क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो संकट है। वह इस प्रकार का है कि ज्यादा तेल मंगाया जा सकता है, नहीं मंगाया जा सकता। इन सारे सवालों पर केन्द्रीय सरकार से स्पष्टीकरण लेने के बाद एक दिन का समय दो घण्टे, चार घण्टे या कोई भी समय हो, इस पर चर्चा रखी जाये जिससे सदन की भावनाएं भी आये और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नीतियों का पता भी लगे कि कीमतों के मामले में वह क्या हैसियत रखते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य का सुझाव सदन की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आपका नाम नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया है। उसके बाद यह सदन की प्रोपर्टी है और इसमें हर सदस्य हिस्सा ले सकता है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। जो डिमाण्ड है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। सामुदायिक विकास की ओर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह मंत्रीजी को बता देना अलग से।

श्री रामकरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के बारे में बहुत फायदे की बात कहूंगा और किसान ऐसी चीज है जिसकी वजह से देश बचा हुआ है और राष्ट्र बचा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये जो पंडित रामकिशन जी ने प्रश्न किया है उसके बाद कोई प्रश्न करने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं रहता है इसलिए और कोई प्रश्न मेरे ख्याल से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर होता तो कोई प्रश्न नहीं उठाता।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावों में वृद्धि पर चिन्ता की है, उसके बारे में सरकार सजग है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार भी लगातार इस प्रयास में है कि किसी भी प्रकार से होर्डिंग न हो और जो मुनाफाखोर हैं, वह अवैध तरीके से किसी चीज की कमी का नाजायज फायदा उठाते हुए भावों में अनावश्यक वृद्धि नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जब काश्तकार की फसल आती है उस समय बाजार में भाव कम होते हैं। कम होने के कारण उनका एक नीचे का स्तर तय किया जाता है। किसी मापदण्ड के आधार पर केन्द्रीय सरकार तय करती है कि यदि इन बाजार भाव से नीचे भाव जायेंगे, मूल्य नीचे जायेंगे तो सरकार उस कीमत पर काश्तकारों से अनाज खरीदेगी, इस आधार पर भारत सरकार मूल्य तय करती है कि उस आधार पर खाद्यान्नों का....

श्री हेतराम बेनीवाल : इनके सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री रामकिशन : सवाल उपभोक्ता की लूट का है।

श्री रामकिशोर मीणा : मैं दे रहा हूं जवाब।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप दुबारा सुन लीजिए। सारे व्यापारी इकट्ठे होकर बोल रहे हो, सारे व्यापारी एक साथ ही बोल रहे हो। उनको बोलने दीजिए, इसका जवाब देने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++। क्या मतलब है, व्यापारी हो ? हम सदस्य हैं, व्यापारी क्या होता है ? सारे व्यापारी हैं। क्या मतलब है व्यापारी-व्यापारी का ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : व्यापारी वह होता है जो व्यापार करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या करते हो, मुझे बता दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम खेती करते हैं।

श्री घासीलाल चोपड़ा : आप सदस्य तो हैं, हम मानते हैं आपको सदस्य। लेकिन

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

व्यापारियों के समर्थक सदस्य होआप, किसानों के समर्थक नहीं हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी (व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि काश्तकारों का अनाज केवल मार्च के महीने में ही आता है। छोटे काश्तकारों का अनाज भी अप्रेल, मई और जून के प्रथम सप्ताह तक...

श्री घासीलाल चौपड़ा : काश्तकार का माल मार्केट में मार्च और अप्रेल में आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मना कर दूं इनको मैं ? फिर ?

श्री रामकिशोर मीणा : इसके प्रभाव से मैं कहना चाहूंगा कि गेहूं की समर्थन मूल्य के आधार पर जो खरीद की गयी वह 8.5 को प्रारम्भ की गयी थी और लगातार 11.6 तक हमको समर्थन मूल्य पर गेहूं मिला है। काश्तकारों को फायदा पहुंचाने की गरज से ही कि उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, केन्द्र सरकार समय–समय पर समर्थन मूल्य तय करके खरीदती है। जब बाजार में काश्तकारों का अनाज बहुतायत में आता है तो व्यापारियों की स्टाक सीमा बढ़ायी जाती है ताकि काश्तकारों को अनावश्यक परेशानी न हो और उनको बाजार भाव मिलते रहें। लेकिन ज्यों ही काश्तकारों के पास से चला जाता है अनाज....

श्री सुरेन्द्र व्यास : बेचने का मूल्य तय नहीं करती सरकार।

श्री रामकिशोर मीणा : और व्यापारियों के पास पहुंच जाता है तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार की सलाह से स्टाक सीमा को कम करती है। स्टाक सीमा को कम करके मूल्यों के ऊपर नियन्त्रण करने का प्रयास करती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपभोक्ताओं की भी चिन्ता है इनको या केवल अपनी चिन्ता है ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात हो जाय जब।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपभोक्ताओं के प्रति क्या इनकी चिन्ता है ?

श्री उपाध्यक्ष : जब भावों की बात हो रही है तो उपभोक्ताओं की बात ही हो रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपभोक्ता की चिन्ता नहीं, यह तो और दूसरी जगह बात ले जा रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : समय–समय पर जो भाव आते हैं उनके आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्तर पर उन मूल्यों की समीक्षा की जाती है। जैसी भी आवश्यकता होती है, यदि बाजार भाव ज्यादा बढ़ते हैं और आयात की विशेष जरूरत पड़ती है तो केन्द्र सरकार

(श्री रामकिशोर मीणा)

द्वारा विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करके, तिलहनों का आयात करके मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी क्या प्रयास किये आपने ?

श्री रामकिशोर मीणा : राजस्थान में अभी हमने यह प्रयास किये कि तिलहनों के भाव बढ़ रहे थे, तिलों के भाव ही बढ़े हैं इस समय, केवल तिलों के बढ़े हैं और उसमें भी मूंगफली के विशेष तौर से बढ़े हैं। मूंगफली का उत्पादन पूरे देश में इस साल बहुत कम रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सरसों के भी बढ़े हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : सरसों के भी बढ़े हैं। सरसों की कमी ज्यादा नहीं है, लेकिन सरसों के इस आधार पर बढ़े हैं कि मूंगफली के तेल का सरसों सप्लीमैण्ट है। इस कारण जब मूंगफली का भाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर से सरसों के भी भाव बढ़ेंगे। इस आधार पर जो स्टाक सीमा थी उसको हमने कम किया। बिलौने की थी उस आधार पर हमने जो होर्डर्स थे उनके विरुद्ध छापे मारे ताकि कोई अनावश्यक तौर से होर्डिंग न करे। तिलहनों में पाम आयल का हमने केन्द्र सरकार से विशेष कोटा लिया। केन्द्र सरकार से हमने बार-बार निवेदन किया है तथा हमारा यह प्रयास है कि हमको ज्यादा से ज्यादा तेलों का आवंटन किया जाय ताकि मूल्यों को स्थिर बनाया जा सके, काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले तथा उपभोक्ताओं के लिए बाजार भाव एक निश्चित स्तर से ज्यादा भाव नहीं बढ़ें, उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलें। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, उन चीजों को मुहैया कराने की कोशिश की जाती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी कोशिश कामयाब तो नहीं हुई न अभी तक ?

श्री रामकिशोर मीणा : कैसे नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां हुई है ?

श्री रामकिशोर मीणा : लगातार कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गेहूं का दाम नहीं बढ़ने दिया, जौ का दाम नहीं बढ़ने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, हर विषय पर बोलना आवश्यक है। आप ट्रेजरी बैंचेज में हैं, हमारे मंत्री जी का तो सहयोग करिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : महावीर जी मंत्री कौनसे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्यवधान मंत्री हैं यह।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार इस प्रयास में

(श्री रामकिशोर मीणा)

है, केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह किया गया है कि खाद्य तेलों का, चाहे वह आयातित हों या एन. टी डी. पी. के मार्फत तेल को इकट्ठा किया जाता है वह हो, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान को तेल मुहैया कराया जाय ताकि तेलों के भाव जो बढ रहे हैं उनको नियन्त्रित किया जा सके। वर्तमान में भाव इसी आधार पर तय किये गये हैं बार-बार समीक्षा करने के बाद, जैसी आवश्यकता होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मार्फत उपभोक्ताओं को राहत दी जाती है। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से, यदि भाव ज्यादा बढ़ेगें उपभोक्ताओं को परेशानी की कोई बात होगी तो स्टाक सीमा को और भी कम किया जा सके, इस बारे में विचार किया जायेगा और भारत सरकार से निवेदन किया जायेगा कि वह तेलों का आयात करे या अन्य किसी तरीके से राजस्थान सरकार को....

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय रामकिशन जी का जो सुझाव था चर्चा के लिये, उसके लिए आप सहमत हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान नगरपालिका द्वितीय संस्थान संशोधन विधेयक, 1990

श्री भंवरलाल शर्मा (प्रभारी मंत्री) राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी गयी ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर स्थापित करता हूं।

आय व्ययक (बजट) 1990-91

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 9-- वन की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,68, 07, 000 (अंके छियालीस करोड़ अड़सठ लाख सात हजार) तक

(श्रीमती मदन कौर)

की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह खर्रा

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास मंत्री) : श्री हरलाल सिंह खर्रा, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के स्थान पर) आपकी अनुमति से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28 करोड़ 67 लाख, 27 हजार (रुपये अंके अट्ठाइस करोड़ सड़सठ लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मलित है, प्रदान की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। (अनुपस्थित)

श्री सांवरलाल।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि –:

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) :

1. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सांचौर पंचायत समिति द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों में हो रहे भारी भ्रष्टाचार पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

2. सामुदायिक विकास विभाग के कार्यों में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिए।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

3. ग्रामीण शौचालयों के निर्माण के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

4. पंचायत समितियों व जिला परिषदों द्वारा राजस्थान में किये गये विभिन्न कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

5. बूंदी जिले में ग्रामीण आवासीय गृह निर्माण अनुदान योजना में हो रही अनियमितता एवं व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने पर चर्चा के लिये।

6. बूंदी जिले में कुछ सरपंचों द्वारा चार्ज नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

7. ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि प्रति व्यक्ति के अनुपात से कम मिलने से पंचायतों की हालत खस्ता हो जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

8. अधूरे सामुदायिक विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

9. पंचायत समितियों व जिला परिषदों के अधिकारों में 1959 से लेकर अब तक की गई कमी पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

10. प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में अलग से गृह सचिव नियुक्त किया जाकर जन समस्याओं का समाधान करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. राज्य में चुनावों से पूर्व ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. केशवरायपाटन पंचायत समिति की सूनगर सारसला, चोतरों का खेड़ा उतराणा, माखीदा, बरूवाड़ा, रेबारपुरा, पापडी, फैलाई, रडी एवं करवाल की झोंपड़ियां आदि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. केशवरायपाटन की ग्राम पंचायतों का समय पर ऑडिट नहीं किया जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

14. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा रेबारपुरा ग्राम पंचायत स्तर पर जन उपयोगी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान राशि की कमी के कारण ग्रामीण समस्याओं का मौके पर ही स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा समाधान नहीं किये जा सकने पर चर्चा के लिये।

17. केशवरायपाटन की ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि नहीं दी जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

18. राज्य में लम्बे समय से पंचायतों का पुर्नसीमांकन नहीं होने से भौगोलिक व स्थानीय रूप में गलत पंचायत क्षेत्र निर्धारण होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

19. पंचायत के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

20. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा ग्रामीण आवासीय गृह निर्माण अनुदान योजना हेतु पर्याप्त राशि आवंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

21. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में गत वर्षों में बनाये गये सामुदायिक टांकों के भुगतान की राशि पंचायतों द्वारा नहीं दी जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

22. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में उन्नत चूल्हा योजना लागू करने पर चर्चा के लिये।

23. ग्रामीण ग्रावासीय गृह निर्माण ग्रनुदान योजना के ग्रन्तर्गत कमजोर वर्ग के लिये पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में मकान बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राथिक दृष्टि से कमजोर परिवारों हेतु निःशुल्क भू-खण्ड ग्रावंटन पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया)

25. गंगानगर जिले में विकास की योजनाग्रों के लेखे–जोखों में की गई ग्रनियमितताग्रों पर चर्चा के लिये।

26. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा धन का पक्षपातपूर्ण वितरण व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

27. राजस्थान में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. पंचायतों द्वारा घास चारा योजना को प्रभावी बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों को ग्रनुदान राशि कम दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

30. पंचायतों द्वारा ग्राई.ग्रार.डी.पी. के ग्रन्तर्गत चयनित परिवारों को ग्रवंटित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. जिला परिषद चयन समिति की चयन प्रक्रिया के सरलीकरण की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. राजस्थान में शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही प्रधानों को ग्रध्यापकों के रिक्त पद भरने के ग्रधिकार दिलाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जिला नागौर की पंचायतों द्वारा ग्राई.ग्रार.डी.पी. के चयनीकरण में गति एवं सुधार की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर में नयी जीप उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

35. जिला परिषद चयन समिति की बैठक प्रतिवर्ष जून माह में नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) :

36. राजस्थान में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान क्षेत्र बिलाड़ा में भोपालगढ़ व बिलाड़ा पंचायत समिति के मार्फत

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

करवाये जा रहे अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. जिला परिषद जोधपुर में शिक्षकों के चयन पर रोक लगाने के कारण विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के नहीं भरने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलुम्बर) :

39. उदयपुर संभाग की जनजातियों के व्यक्तियों हेतु सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) :

40. विकास कार्यों की स्वीकृति में विभाग द्वारा बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) :

41. पंचायतों की विकास योजना हेतु दी गई धन राशि में भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

42. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यों के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)

1. जालौर जिले में वन विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही से हो रहे वनों के ह्रास पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

2. बूंदी जिले स्थित गोबर या राड़ी (रायल) के नष्ट करने में विभाग की साझेदारी पर चर्चा के लिए।

3. वन संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

4. वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के पश्चात् उनकी देखभाल व रख-रखाव के अभाव व धनराशि के दुरुपयोग पर चर्चा के के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

5. वनों की अन्धाधुन्ध कटाई को रोकने हेतु वनों की रक्षा का भार वनों में रहने वाले व्यक्तियों का मालिकाना अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

6. वनों की कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. गजनेर, तालछापर एवं अन्य अभ्यारणों के विकास के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम बनाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

8. नदियों के बैल्ट व क्षेत्र में जलाऊ

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

लकड़ी के वन विकसित करने पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

9. वन विभाग बूंदी के स्टाफ को सक्रिय कर उपयुक्त सेवा प्रदान कराये जाने हेतु चर्चा के लिए।

10. बूंदी जिले में स्थित दुगारी तालाब पर प्रस्तावित घना पक्षी विहार योजना की स्वीकृति दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

11. रामगढ़ में राष्ट्रीय पशुओं की अवैध रूप से शिकार कर नष्ट किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

12. रामगढ़ अभ्यारण में हो रही अवैध कटाई को रोकने हेतु एवं खाली पड़ी भूमि पर नया प्लांटेशन बनवाये जाने पर चर्चा के लिए।

13. नैनवा क्षेत्र में नष्ट हो रहे प्लान्टेशन को बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. आरक्षित वन क्षेत्रों से लकड़ी की चोरी को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

15. वन क्षेत्रों में संरक्षित वन प्राणियों के अवैध रूप से हो रहे शिकार पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने हेतु चर्चा के लिए।

16. विभाग में नये पेड़ लगाने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से खड़े पेड़ों को भी सुरक्षित रखे जाने की प्रभावी योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

17. वन विभाग में अस्थाई पदों पर कार्यरत मजदूरों को स्थाई किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

18. वन विभाग की सभी सेवाओं में राज्य सरकार की नीति अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश में नष्ट हो रही वन सम्पदा को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. बूंदी जिले में वन क्षेत्रों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने व वन सम्पदा को बढाने बाबत चर्चा के लिए।

21. केशोरायपाटन में आजन्दा, रोटेडा आदि गांवों में पेड़ लगाने के खड्डे कृषकों के खेतों पर जबरन खोदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. जिला बूंदी एवं कोटा के वन क्षेत्रों में अनाधिकृत खनन कार्य को विभाग द्वारा नहीं रोके जाने से सरकार को ही रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिये।

23. बूंदी जिले के बरसोली क्षेत्रों में पेड़ रहित समतल मैदानों में विभाग द्वारा चारागाह विकसित किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

24. वन क्षेत्रों से कृषकों को विशेष उपयोग की लकड़ी निशुल्क दिलाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. वनों के विस्तार हेतु क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी एवं जल उपलब्धता के आधार पर ही पेड़ों का चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेंघवाल)

26. वनों से प्रति वर्ष योग्य एवं उपजाऊ कृषि भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिए।

27. चम्बल, मेज एवं कुटिल नदियों के कटाव को रोकने हेतु विशेष वन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

28. जिला बाड़मेर वन मण्डल में पुराने कर्मचारियों के प्रमोशन न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

29. वन विभाग में कई सालों से कार्य कर रहे अस्थाई मजदूरों को वर्कचार्ज पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी अभी तक न रखने पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

30. राज्य में नंगे पहाड़ों, रेल के मार्गों, पक्की व कच्ची सड़कों के किनारों, राजकीय कार्यालयों, पाठशालाओं व सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक हरे वृक्ष लगाने का कार्यक्रम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

31. राजस्थान में वन सम्पदा समुचित सुरक्षा नहीं होने से नष्ट हो रहे वनों को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) :

32. आबू पर्वत अभ्यारण्य प्रशासनिक दृष्टि से जिला वन अधिकारी सिरोही के अन्तर्गत होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाईमाधोपुर) :

33. सवाईमाधोपुर जिले में पिछले अकाल राहत के तहत निर्मित सम्पर्क सड़कों के दोनों तरफ विभाग द्वारा छायादार वृक्ष लगाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

34. सवाईमाधोपुर के वन अभ्यारण(रणथम्भोर क्षेत्र) के वृक्षों का वन अधिकारी/कर्मियों द्वारा अवैध कटाई कराकर राष्ट्रीय सम्पदा को नष्ट किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शीघ्र कठोर कानूनी कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

35. सवाई माधोपुर जिले की सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के दोनों तरफ सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा छायादार वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा में माता जी के मन्दिर की तलहटी में अधिक वृक्ष लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

37. बाड़मेर जिले में सहायक वन संरक्षक (एसिस्टेन्ट फोरेस्ट कन्जेंवेटर) का पद समाप्त कर दिये जाने पर उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

38. तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के अधिकारियों द्वारा फर्जी मस्टर

(श्री चुन्नीलाल)

रोल भरकर गलत पेमेंट उठाने पर चर्चा के लिए।

39. सवाई माधोपुर के टाइगर प्रोजेक्ट में अधिकारों द्वारा अवैध रूप से शिकार करवाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिन्डौन) :

40. सवाई माधोपुर जिले के अधिकारियों द्वारा अभ्यारण में अवैध कटाई एवं अनियमितता किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

41. राज्य में अनेक स्थानों पर बंजर व वीरान भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने से स्थानीय जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

42. रामगढ़ (बूंदी) अभ्यारण के वन्य जीवों के पीने के पानी हेतु मूरली गांव के वाला जी के स्थान पर मेज नदी पर एनीकट निर्माण में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला भील (सागवाडा) :

43. डूंगरपुर जिले में वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के लिये किसी प्रकार का कार्य न होने एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. वनों की कटाई में वन विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिये।

45. सागवाड़ा वन विभाग की भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

46. वनों की अन्धाधुन्ध कटाई पर रोक लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) :

47. ग्रामीण क्षेत्रों में वन विस्तार कार्यक्रम एवं सामाजिक वानिकी योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

48. सिरोही जिले की पहाड़ियों में माह नवम्बर, 89 से माह अप्रेल तक निरन्तर वनों में लगी आग से हुए नुकसान एवं अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही पर चर्चा के लिये।

49. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में वर्षा से रोकी गई नरसरियों को चारागाह हेतु नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये।

50. सिरोही मुख्यालय पर ईंधन की भारी कमी के बावजूद कोयला विक्रय केन्द्र जो 1 अप्रेल से वन विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है, पुनः शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर)

51. लूनकरणसर लिफ्ट नहर पर तारबन्दी किये जाने के बावजूद विभाग

(श्री मनीराम सियाग)

द्वारा पौध रोपण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये'।

52. इन्दिरा गांधी नहर के के. वाई. डी. एवं के. जे. डी. वितरिकाओं पर लगे वृक्षों की कटाई किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

53. वन विभाग के अधिकारियों की देख-रेख के अभाव में नष्ट हो रहे वनों पर चर्चा के लिये।

54. विभाग की लापरवाही के कारण आर. डी. 78 से आर. डी. 80 तक तथा 1 के.जे.डी. से 21 के.जे.डी. नहर के दोनों तरफ वृक्षों के काटे जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

55. वन भूमि पर कई वर्षों से आवास कर रहे लोगों की भूमि नियमन उनके नाम से विभाग द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के वन कर्मियों द्वारा क्षेत्र की जनता को नाजायज परेशान किये जाने जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. डैया तहसील झाडोल जिला उदयपुर को विभाग द्वारा गेम्स सेन्चुरी घोषित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में बढ़ते वनों की अवैधानिक कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) :

59. वन विभाग में कार्य कर रहे निदेशक सतर्कता के कार्यालय को समाप्त कर इसका कार्य विभाग द्वारा ही सम्पन्न कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए।

60. जापान सरकार सम्बन्धित ओवरसीज इकोनोमिक को-ऑपरेटिव बैंक की सहायता से प्रारम्भ की जाने वाली वृक्षारोपण के लिए योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए एक मुख्य वन सरक्षक का पद बीकानेर में सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. इन्दिरागांधी नहर परियोजना क्षेत्र में परिपक्व वृक्षों को कटाकर उनकी जगह नये वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. वन विभाग द्वारा पूर्व में किए जाने वाले कार्य को पंचायत समितियों एवं पंचायतों को दिए जाने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. परिपक्व हुई चरागाहों को पशु चराने के लिए स्वीकृति देने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

64. विभाग द्वारा किसानों के खेतों के साथ-साथ लगाये गये कीकर के पेड़ों द्वारा प्रदेश में लाखों टन अनाज की पैदावार में हुई हानि पर चर्चा के लिए।

65. मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये वृक्षारोपण में किये गये दो करोड़ रुपयों के घोटाले पर विभाग द्वारा कुछ भी कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

67. फोरेस्ट भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने व 1–1–71 तक के कब्जों को नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

68. जलाने की लकड़ी के लिये सुरक्षित स्थान निश्चित कर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. पीललूंद (सिवाना) जिला बाड़मेर में वनों की रक्षा हेतु समुचित उपाय पर चर्चा के लिये।

70. बालोतरा में अन्धाधुन्ध पेड़ों की कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. बाड़मेर जिले में रेतीले क्षेत्र में हवाई बीजारोपण कर वनों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. बालोतरा में पौधशाला की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. कृषि वानिकी के तहत बाड़मेर जिले में अधिक पौध उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. वन्य जीवों के शिकार को रोकने एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के समुचित उपाय करने पर चर्चा के लिये।

75. विभाग में काफी समय से चल रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. बाड़मेर जिले में मुख्य सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं लगे हुये पौधों की सुरक्षा हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. अन्य राज्यों विशेषकर गुजरात से आने वाली लकड़ी को रोकने एवं गैरकानूनी रूप से टी. पी. धारियों को विभाग द्वारा तंग करने पर चर्चा के लिए।

78. नाकोड़ा–मेवा नगर के सुरक्षित वन क्षेत्र से अवैध पेड़ों की कटाई को रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

79. ढाकपुरी रूध (तिजारा–अलवर) में हजारों पेड़ों की कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. सरिस्का (अलवर) में पिछले दिनों बाघों की हुई हत्याओं पर चर्चा के लिये।

81. भर्तृहरी (अलवर) के जंगलों में आग लगाने से हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. अलवर जिले के जंगलों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) :

83. वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

84. गंगानगर जिले में लगाये गये वनों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

85. किसानों को दो पेड़ मुफ्त दिलाने व उनको जिन्दा रखने के लिये सब्सीडी दिलाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

86. कोटा जिले में वनों में अवैध कटाई रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

87. वन की सूखी लकड़ी व खत्ता, गोंद आदि का अधिकार वनवासियों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) :

88. राज्यों में वनों द्वारा सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

89. पंचायत रायथल (बून्दी) के क्षेत्र में कन्दरा सुधार योजना के अन्तर्गत कुरल नदी के समीप कार्य प्रारम्भ करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

90. तहसील नैनवा देई में वन विभाग के खाते की जमीन पर पंचायत के अतिक्रमण को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

91. नैनवा विधानसभा क्षेत्र में वानिकी कार्यों में आदिवासियों को प्रोत्साहित करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनदास मदान(लाडपुरा) :

92. विभाग द्वारा नर्सरी में बरती गई भयंकर अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

93. वनों की रक्षा करने के लिये वनरक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों का नियमन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से वनों की हो रही बर्बादी पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

96. जिला नागौर में कृषकों को पौध उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. कृषकों को पौध लगाने हेतु अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. तहसील परबतसर में वनों की रक्षा हेतु समुचित उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. तहसील परबतसर में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. तहसील परबतसर (जिला नागौर) में वनों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) :

101. वन क्षेत्रों का विकास तेज गति से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) :

103. पौधे एवं वन लगाने वाले कृषकों को अनुदान राशि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. ग्राम पंचायत खेजडला तहसील बिलाडा में वनों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) :

106. वनों की कटाई को कम किये जाने संबंधी उपायों पर चर्चा के लिये।

107. वन लगाने हेतु किसानों को सुविधा व छूट (भूमि लगान) दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

108. धरियावद, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, गोगुन्दा, फलासिया एवं प्रतापगढ़ के वन भूमि पर 20–25 वर्षों से कृषि कर रहे कृषकों को नियमित कराने जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

109. दिनांक 1.1.71 तक की जंगलात भूमि को नियमन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. जंगलात की कृषि योग्य भूमि को नियमन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) :

111. वन विभाग की टहला से सरिस्का सड़क को ग्राम जनता के लिये खोली जाने एवं योजना में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. लकड़ी कोयला व्यापार योजना को समाप्त कर वन संपदा को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

113. वनों को उजड़ने से रोकने तथा नये वन लगाने के उपायों पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित)

श्री सांवरलाल जाट

मांग संख्या 9 व 41 पर विचार

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में वन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वनों के ऊपर हिन्दुस्तान का जीवन निर्भर करता है। वनों के होने से पर्यावरण है और इसके साथ वन वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है, दिन-प्रतिदिन अवैध कटाई द्वारा वनों में कमी आयी है। इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। आज स्थिति यह है कि वर्षों से हमारे यहां अकाल पड़ रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी

(श्री सांवरलाल जाट)

राजस्थान के मरू प्रदेश का फैलाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है । यह बहुत ही शोचनीय प्रश्न है । मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि राजस्थान की स्थिति को हमें सुदृढ़ करना है तो वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए इनके संरक्षण और नये नये काम हाथ में लेने के लिए सुचारू रूप से सजग होकर प्रयास करने होंगे । करोड़ों रुपया इन पेड़–पौधों के ऊपर खर्च किया जाता है, परन्तु जो हालत आज के 15 साल पहले थी आज स्थिति उसके विपरीत है । जब से हमारा जंगलात का महकमा बना है उसके बाद से वनों का जो सत्यानाश हुआ है वह आपके सामने है, आप देख सकते हैं । कहीं भी जा लीजिए, हमारे राजस्थान के जो पेड़ पौधे थे, खेजड़ी को ले लीजिए, बबूल को ले लीजिए या नीम को ले लीजिए, इन का लगभग सफाया हो गया है और इनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा ।

(3.00 म. प)

बड़े बड़े जंगलात जैसे कोटा के जगलात थे और इसके साथ अन्य जो जंगलात हैं उनकी स्थिति यह है कि पेड़–पौधों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी और वहां पर आज की तारीख में स्थिति लगभग साफ सी लगती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने वनों के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा किया है, वन महकमों में बहुत बड़े–बड़े अधिकारी लगाए और इसके साथ ही उनका संरक्षण करने में हम नाकामयाब रहे, मैं यह कहना चाहता हूं । अब इसके क्या कारण रहे, क्योंकि जब बाड़ ही खेत को खाने लगती है तो उस परिस्थिति में हम कोई भी काम करें और हमें कामयाबी मिले, मैं कह सकता हू असंभव है । सबसे पहली जो चीज है हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी जलवायु और हमारी भूमि में जो सूट करता है उसी प्रकार के पेड़–पौधों का रोपण हमें करना चाहिये । इसके साथ ही जो वन विभाग के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है । आप वनपाल को ले लीजिए, रेंजर को ले लीजिये, किसी को ले लीजिये । जो सुरक्षा के लिए लगाए हैं उनके सामने गाड़ियां भर–भरकर जाती हैं और उनको रोकने में वो नाकामयाब रहे । हजारों, करोड़ों पौधे वो लगाते हैं पर एक भी पौधा फलीभूत नहीं होता ।

तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको पुख्ता संरक्षण की आवश्यकता है । इसके लिए जिला स्तर के ऊपर अगर जन–प्रतिनिधियों की एक संरक्षण समिति बना दी जाय तो निश्चित रूप से इनकी कटाई के ऊपर अंकुश लगेगा । इसके साथ ही जो मुख्य पौधे हम लगाते हैं उनके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि जो पेड़–पौधे लगाये जाते हैं वो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हैं या नहीं हैं इस प्रकार के पेड़–पौधे उसी जमीन पर लगाने चाहिए जहां पर वे फलीभूत हो सकें । हमें हजार पौधों के लक्ष्य को भूलकर 100 पौधे लगाने चाहिए जिनको हम सर्वाइव कर सकें जो बड़े होकर हमें आने वाले समय के अन्दर लाभ दे सकें ।

खेजड़ी, बबूल और नीम के पौधों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और यह राजस्थान का रेगिस्तान का जो हिस्सा है पुष्कर के और उसको भी पार करता हुआ इस पूर्व की दिशा में बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए मैं निश्चित रूप से निवेदन करना

(श्री सांवरलाल जाट)

चाहता हूं । माननीया वन मंत्री महोदया से कि जो बैल्ट है इस बैल्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है और पुष्कर के आसपास सघन वन के वृक्षारोपण के द्वारा इस मरूस्थल के फैलाव को रोकना होगा । वहां पर अगर आप सरसब्ज वनस्पति लगा पायेंगी इसमें अगर हम सफल होते हैं तो निश्चित रूप से जो बढ़ता हुआ रेगिस्तान है वो रुकेगा और इसके साथ ही हमें कामयाबी मिलेगी क्योंकि यहां पर कई फूलों की घाटियां लगाई गई हैं कई जगह पर हमने नर्सरीज के नाम पर विद्युत कनेक्शन भी दिए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं परन्तु वो कितनी नर्सरीज चल रही हैं कितने फर्जी कनेक्शन उन्होंने लिये हैं जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है । करोड़ों का बजट हमारी फूलों की घाटियां बनाने में लगा है । उन फूलों की घाटी में जब लगाते हैं, जब महीने-दो महीने वे लगाते हैं तब तक तो वो फूलों की घाटी नजर आती है और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है सारे पौधे मुरझा जाते हैं और फिर अगले वर्ष यही डिमांड की जाती है कि इस घाटी को सरसब्ज किया जाय ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की योजनायें लागू करो जो आगे चलकर फलीभूत हो सकें । इस प्रकार की योजनायें लागू करके जो 4-6 महीने आपको सामने नजर आयें, खुशहाल पेड़-पौधे नजर आये और बाद में मुरझा जाये इस प्रकार के कार्यक्रमों को रोकना पड़ेगा । यह फिजूलखर्ची है यह मैं कहना चाहता हूं ।

इसी प्रकार एक और निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जो वन विभाग के क्षेत्र हैं सघन वृक्षारोपण का कार्य जो किया गया है और वे पेड़-पौधे परिपक्व हो गये हैं जिनका वैज्ञानिक दोहन किया जाना चाहिए ताकि राज्य को न केवल अतिरिक्त आय प्राप्त होगी बल्कि स्थानीय जो लोग हैं वहां पर चारा, ईंधन इमारती लकड़ी की जो उनकी मांग है वो भी पूरी होगी और इसके साथ ही उस क्षेत्र के अन्दर हमें नये वृक्षारोपण प्रारम्भ करने चाहिए क्योंकि जो लकड़ी परिपक्व हो गयी है उस परिपक्व लकड़ी का उपयोग किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

इसी प्रकार जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें जापान सरकार संबंधित ओवरसीज कॉपरेटिव बैंक की सहायता से एक बहुत वृक्षारोपण की परियोजना प्रारंभ करने जा रही है इसके अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक का पद मुख्यालय बीकानेर में सृजित किया जाना प्रस्तावित है, इसको वहां पर सृजित किया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्र के अन्दर जो यह योजना लागू है उसको पर्याप्त संरक्षण मिल सके और इस योजना के कुछ रिजल्ट वहां पर आये और इसके साथ ही वहां पर जो योग्य सक्षम और ईमानदारी अधिकारी हैं उनको लगाया जाय और उन अधिकारियों के ऊपर भी एक नियंत्रण और संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति जन-प्रतिनिधियों की बनायी जाय जो समय-समय पर यह जानकारी रखे कि वास्तव में पेड़-पौधे लगाये गये हैं वो सही तरीके से कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं । इसी प्रकार भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए वन विभाग के अंदर कुछ वर्षों पहले एक पद

135

(श्री सांवरलाल जाट)

सृजित किया गया था निदेशक सतर्कता । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह पद बना है तब से वन विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा है क्योंकि छोटे से छोटा कर्मचारी अपने बड़े से बड़े अधिकारी के साथ सम्पर्क रखता है। पेड़-पौधे उनके सामने काटे जाते हैं।

निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो पद हैं जिनके बनने से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं हुआ क्योंकि माननीय मंत्री महोदया के पास आंकड़े होंगे और हम देख सकते हैं हमारी जो ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति पहले थी और आज इस स्थिति में कितना बदलाव आया। जिस विभाग के ऊपर इतने बड़े-बड़े अधिकारी हमने लगाए। करोड़ों रुपये लगाये उसके बावजूद हमारे वनों की स्थिति यह है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो फिजूल-खर्ची वाले पद हैं और साथ ही जो भ्रष्टाचार में योगदान देते हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के पदों को समाप्त किया जाना जनहित के अन्दर आवश्यक होगा।

इसी प्रकार मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सन् 87-88 के अंदर ढ़ाई करोड़ रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया था। एक मीटिंग हुई थी और उस समय मिनिट्स के अन्दर यह लिख दिया गया था कि चूंकि अब बरसात की संभावना नहीं है और पेड़-पौधे नहीं लग सकते हैं तो उनको रोक दिया जाना चाहिए। परन्तु एक निदेशक महोदय थे, उस समय, उन्होंने उस आदेश को, उस मिनिट्स की कार्यवाही को न मानकर अपने स्तर के ऊपर ढ़ाई करो ड़रुपये कागजों के अंदर फाइल चलाकर उन्होंने उठाये हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के मसले की जांच करने की मांग करता हूं। इसी प्रकार जो हमने एक महत्वपूर्ण पेड़-पौधा लगाया, जंगली बबूल जिसे कह सकते हैं। उस जंगली बबूल का केवल उपयोग ईंधन की लकड़ी के लिए होता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के पेड़-पौधों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना है क्योंकि ये पेड़ जहां पर भी लगते हैं अगर कोई गाय जाती है उस गाय के उसका काटा लग गया तो निश्चित रूप से उसको हास्पिटल का डाक्टर आसानी से ठीक नहीं कर सकता है अगर वो कांटा किसी आदमी के लग जाता है तो उसकी स्थिति दयनीय हो सकती है और हमारे गांव वाले आधे बिना जूतों के चलते हैं यह उनकी आर्थिक स्थिति का स्तर है।

इस प्रकार के जो पौधे हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और हमारे राजस्थान की जलवायु के अंदर फलीभूत होने वाले जो पौधे हैं जिसका निश्चित रूप से हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए और इसके साथ ही हमारी जलवायु के लिए और वर्षा के आकर्षण के लिए कामयाबी मिलेगी आप उन पौधों को प्रोत्साहन दीजिये-कीकर, खेजड़ी, बबूल, नीम, शीशम, ढ़ोकड़ा ये जो पौधे हैं हमारे, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है इस संपदा के संरक्षण के लिए हमें पर्याप्त और पुख्ता कदम उठाने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं शासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम वनों के ऊपर हम बड़ी-बड़ी योजनायें बनाते हैं और हम

(श्री सांवरलाल जाट)

चाहते है कि हमारे किसानों को सुविधा मिले। इसके साथ ही हमारा पर्यावरण सही रहे और हमारे यहां वर्षा समय-समय पर होती रहे। परन्तु ये सब चीजें नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि वनों का संरक्षण करने में, हम बिल्कुल नाकामयाब रहे। तो सबसे अहम जो सवाल है भ्रष्टाचार को रोकना और इन पेड़-पौधों के संरक्षण का। दूसरा, यह कि जितने पेड़-पौधे लगायें यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए संबंधित विभागों को, जिस क्षेत्र में वे पेड़-पौधे लगेंगे वो पेड़-पौधे सर्वाइव न हो तो इस प्रकार का उनके ऊपर भार डाला जा सके, उत्तरदायित्व का भार डाला जा सके कि अगर आप पेड़-पौधे लगायेंगे जो निश्चित रूप से वो पेड़-पौधे सर्वाइव होने चाहिये। अगर वो सर्वाइव नहीं हो सकते इस प्रकार के पेड़-पौधे लगाते हैं या केवल कागजों के अंदर पेड़-पौधे लगाये जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के ऊपर अंकुश होना चाहिए। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जंगलात की जहां पर जानवरों को चराने के लिए प्रतिबन्ध हुआ करता था 2 साल 4 साल का। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो लगभग बन्द कर दिये गये, क्योंकि दो-चार साल जब घास पक जाती है, उनका बीज पक जाती है उसके बाद में उन जानवरों को उन जंगलात में चराने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि हमारा जो राजस्थान के किसानों का मुख्य पेशा पशुपालन का है और पशु आज की तारीख में भटकते फिरते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं के चारे के लिये चूंकि जो 4-5 साल का घास है उस जंगलात में पशु छोड़ने से किसी प्रकार की पेड़-पौधों को नुकसान नहीं होगा तो पशु-पालकों को पशुओं को चराने की सुविधा ऐसे हमारे जो वनों के क्षेत्र हैं वहां पर यह सुविधा मुहैया करानी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें हमारी प्राकृतिक स्थिति को सुधारना है तो इस ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये।

दूसरा, महत्वपूर्ण विषय है, पंचायत समितियों में जो भ्रष्टाचार है इसके विषय में तो कई लोग कहेंगे क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी बैठे हुये हैं वह बहुत पुराने पुराने समय से बैठे हुये हैं। उनके सम्बन्ध लोगों से ऐसे हो गये हैं जैसे घर के से हों। वह अपनी बात को दूसरी जगह बताते नहीं है, किसी को बताते नहीं है मगर जब उनकी रग पर चोट पहुंचती है तभी वह दूसरों के पास आते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्षों से जमे हुये लोग बैठे हैं पंचायत समितियों में उनको निश्चित रूप से हटा दीजिये तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार मुख्य समस्या वहां पर बजट की आती है। जैसे मिडिल स्कूल पंचायत समितियों को दिये उससे अहम् समस्या है जो है वह अध्यापकों को वेतन नहीं है। दूसरी गम्भीर चीज यह है कि अध्यापक नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गांव की शिक्षा की स्थिति को सुधारना और हमारे गांव वाले बच्चों का भला करना है और हम यह सोचें कि भारत हमारा सक्षम बने, भारत दुनिया के अन्दर नाम कमाये, समृद्ध बने तो निश्चित रूप से ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर हमें ध्यान देना होगा। चूंकि

(श्री सांवरलाल जाट)

हिन्दुस्तान की सम्पत्ति गांव के बच्चे ही हैं और गांवों के बच्चे जितने प्रतिभाशाली हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी शहर वालों से कम नहीं है, परन्तु उनको सही सुविधा मिले, शिक्षा के लिये सही अध्यापक मिले तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति सुधरेगी । मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी ओर हमारे स्कूल में टीचर्स की संख्या है, हमारे यहां पर पंचायत समितियों में 40 के ऊपर एक अध्यापक होता है, 80 के ऊपर दो होते हैं और 100 से ऊपर होने पर 3 होते हैं और यह भी पर्याप्त संख्या में नहीं है तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिये । पब्लिक स्कूल हैं अगर वहां पहली क्लास में 7 सब्जैक्ट चलते हैं तो 7 टीचर्स होने चाहिये चाहे बच्चे 10 हों, 20 हों यह संतुलन वहां भी काम होगा तो गांव वाले बच्चे भी निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ पायेंगे, उनकी सही शिक्षा की व्यवस्था हो पायेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर आप गौर फरमायें ।

हमारा जो वनों का क्षेत्रफल था पहले उसकी तुलना में आज की तारीख में मेरे ख्याल से 20 पर्सेन्ट रहा है, कितने पेड़–पौधे, किसी जमाने में जिस समय हम छोटे थे, आज से 20–25 साल पहले, वह पेड़–पौधे कहीं नजर आते नहीं थे । कैर जो होता है साधारणतया जंगल में मिल जाता था । वह कैर भी गांव वाले काट काट कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में किसी न किसी पर जिम्मेदारी डालनी होगी, जब तक उत्तरदायित्व का आप किसी के ऊपर भार नहीं डालेंगे किसी भी रूप में, चूंकि कानून की आड़ लेकर लोग बचते रहे हैं और बचते रहेंगे, कहेंगे मैंने नहीं कटाया मेरे किसी गार्ड ने कटवा दिया होगा, वह कहेगा उसने नहीं उसने कटवाया है तो इस प्रकार की स्थिति को ठीक करना होगा और इसके लिये कानून व्यवस्था को प्रभावी करना होगा । आप यह काम करवा सकते हैं गांव में छोटे–मोटी संगोष्ठी करवाकर ग्राम सभा के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करके, यदि आप एक पेड़ अपनी तरफ से काटते हैं तो 10 पेड़ लगाइये, सरकार की तरफ से तुम्हें सुविधा दी जायेगी, पानी की सुविधा है, खाद–बीज है और किसी प्रकार की सुविधा पेड़–पौधे के लिये दी जायेगी तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमें कामयाबी मिल सकती है ।

दूसरा जो मुख्य आधार है वह जन चेतना का आता है । लोगों में ग्रामीणों के प्रति रुझान होना चाहिये, अगर पेड़ कटते हैं तो हमारा नुकसान है, अपना नुकसानहै तभी तो रुक पायेगा जब हमारे दोनों पक्षों का सहयोग मिलेगा, कर्मचारियों का और उसके साथ ही जनता का, जनता का सहयोग लेने के लिये छोटी–मोटी प्रदर्शनियां ग्राम सभा के द्वारा उनमें जन चेतना जागृत करनी होगी, जो 40 साल में एक ही काम किया गया, जन चेतना का अन्त हो गया लोगों के अन्दर एक ही चीज चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री सांवरलाल जाट : केवल भ्रष्टाचार। मैं आपसे केवल एक ही अपील करना चाहता हूं कि वनों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, आने वाले समय को अगर हमें बचना है, पर्यावरण को सही ढंग से रोकना है तो निश्चित रूप से इस ओर विशेष ध्यान आपको देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से वन सम्पदा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्राकृतिक तौर से हमें कृषि, पशुधन और वन-सम्पदा कुदरती तौर से हमें मिली है और उसका इस राजस्थान में बहुत बड़े भाग में फैलाव है। अब जंगलों की पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, इस ओर हमको गम्भीर चिन्तन करना पड़ेगा। राजस्थान में जो दक्षिणी हिस्सा है वह जंगल से आच्छादित रहता था और कितने जंगल पाये जाते थे पर ज्यों ज्यों जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया और जैसे-जैसे सरकार ने जंगलों की रक्षा के लिये, जंगलों के विकास के लिये करोड़ों रुपये खर्च करने की योजना भी बनाती रही उन सबके बावजूद भी हम जंगलों को विनाश से नहीं बचा सके। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है, इस पर चिन्तन करना चाहिये।

यह भी सही है कि पिछले कुछ सालों से राजस्थान में वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम होने के कारण जो वनों का विकास होना चाहिये उसमें कुछ रोक होती है लेकिन इस बारे में भी चिन्तन करना चाहिये कि अगर कुछ वर्षों तक वर्षा न हो तो किस प्रकार के दरख्त हैं, पेड़ हैं जो बिना वर्षा से जीवित रह सकते हैं जैसे रेगिस्तानी खेजड़ का दरख्त है, नीम है, बबूल है इस प्रकार के ऐसे जो दरख्त हैं जो बहुत कम पानी के बावजूद भी जीवित रहते हैं, जंगल में पाया जाने वाला कैर का दरख्त है यह जंगल के विकास के लिये पहला कदम उठाना चाहिये और उसके ऊपर अनुसंधान करना चाहिये और अनुसंधान करके वन विभाग को इस नतीजे पर पहुंचना चाहिये कि जंगलों को हरा-भरा रखने के लिये कौन-कौन से क्षेत्र हैं और किस प्रकार के दरख्त है जो वहां पर अपने आप पनप सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे कामों के लिये मैं समझता हूं कि सरकार का जो प्रशासनिक ढांचा वन विभाग के लिये सौंपा गया है वह उसके लिए जिम्मेदार है। वास्तव में वनों के विकास के लिये आज कल दो प्रशासनिक प्रणाली चल रही हैं— एक साधारण वन है और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नाम से पुकारा जाता है, वन्य जीव सुरक्षा अभ्यारण के नाम से यह दोहरी व्यवस्था है। मैंने पहले भी 295 के विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि पाली जिला पहाड़ी क्षेत्र है, जितने भी जंगल है उनका प्रशासन सीधे उदयपुर को सौंपा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1988 में यह प्रशासनिक व्यवस्था चालू की गयी थी कि पाली जिले में जो उप-वन संरक्षक इन जंगलों को देखता था, उनको उनसे हटाकर

(श्री हीरासिंह चौहान)

उदयपुर संभाग के नीचे इनको दे दिया गया। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों से मेरे क्षेत्र में, मेरा गांव भी उससे जुड़ता है कानूजा से लेकर देसूरी तक जितना भी पहाड़ी बैल्ट है उसके देख-रेख के लिये एक भी रेंजर नियुक्त नहीं है, उनको कोई नहीं देखता है और पड़ौस में ब्यावर शहर पड़ता है। एक ऊंट लड्ढा भर कर लकड़ी ले जाय तो कम से कम 400-500 रुपये लेता है और जब इनकी देख-रेख की सुचारू व्यवस्था नहीं की जायेगी। हम गांवों के लोग जंगलों की रक्षा करते हैं, गांव के लोग चौकीदारी करते हैं, पहरा देते हैं और जो साधारण से साधारण और बुरे से बुरे अकाल पड़ते हैं तो भी हमारे एरिया में वर्षा होती है इसलिये जंगलों की कीमत हम समझते हैं लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के कारण से जंगलों की देख-भाल और रख-रखाव कुछ नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष जंगलों के चारों तरफ बाराबन्दी की गयी थी और बाराबन्दी करके उनको रिजर्व फोरेस्ट रखा गया था लेकिन रिजर्व फोरेस्ट की भी देख-भाल करने के लिये कोई नहीं है।

इसलिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जंगल है हमारे और वनों से मिलने वाली उपज पैदावार, लकड़ी है, गोंद है और कई प्रकार के फल हैं इस प्रकार की धरोहर के लिये बहुत जरूरी है कि इनकी रख-रखाव की जाय और यह जो दोहरी व्यवस्था है--वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और साधारण वन, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तीन हैं--एक सरिस्का है, घना है और रणथम्भौर है, इन तीनों को अलग रखा जा सकता है, इनका अलग महत्व है लेकिन साधारण वन हैं, उनकी अलग व्यवस्था के तहत समाप्त करके, यह दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था की है, इसको तुरन्त, अबिलम्ब, मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसको समाप्त कीजिये।

इसके अलावा पिछले कई वर्षों से राजस्थान में एक सहायक कर्मचारी संघ बना हुआ है, वह आन्दोलन कर रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उन्होंने कहा है कि वर्षों से कैटल गार्ड लगे हुये है जो 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं और 20-20 वर्षों से काम करने के बावजूद भी वह आज डेली वेजेज पर काम कर रहे है। डेली वेजेज पर काम करते करते बहुत सारों को तो 25-25 वर्ष हो गये, किसी को 15 वर्ष हो गये लेकिन आज भी वह डेली वेजेज पर हैं। उन्होंने आन्दोलन भी किया, सुप्रीम कोर्ट तक भी गये। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हितों की रक्षा के लिये उनके पक्ष में निर्णय दिया है कि इनको सरकार की तरफ से सेवा नियम बनाकर कन्टीन्यू किया जाय। अब जब तक उनकी सेवाएं कंटीन्युअस नहीं होती हैं तब तक वह सेवाएं कितनी अच्छी तरह से दे पाता है क्योंकि वह तो डेली वेजेज पर ही है और डेली वेजेज वाला कर्मचारी कब अपनी सेवाएं अच्छी दे सकता है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो कैटल गार्ड्स हैं, वर्षों से दैनिक मजदूरी पर लगे हुये हैं, इनकी सेवाएं सेवा नियम बनाकर, बहुत पहले यहां पर श्रम न्यायालय ने भी

(श्री हीरासिंह चौहान)

1975 में फैसला दिया था कि इनके सेवा नियम बनाकर इनकी सर्विसेज रेगुलराइज की जाये। लेकिन आज दिन तक तवज्जोह नहीं दी जा रही है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जो रक्षा करने वाला आदमी होता है उसकी जब यह हालत होती है वह सोचता है मेरी सेवाओं का कोई ठिकाना नहीं है तो रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जंगलों की रक्षा के लिये बहुत जरूरी है कि पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी नियुक्ति दी जाये। जब भी नियुक्तियां होती हैं शहरी लोगों को जंगलों के लिये भेज दिया जाता है। जो जंगल में जाने से डरते हैं, जंगल में जा नहीं सकते, चौकी में बैठे रहते हैं, आधा समय अपना शहर में बिताते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हैं और यह अच्छी तरह से जानती हैं आप जंगलों की रक्षा के लिये जंगली जीवन से कम से कम अभ्यस्त हो, परिचित हो, जिसमें किसी प्रकार का डर और भय नहीं हो वही आदमी मुस्तैदी से जंगल की रक्षा कर सकता है। इसलिए भविष्य में जब भी इनकी नियुक्ति की जाये मैं बहुत बड़े-बड़े पदों के लिये नहीं कहता हूं। मैं तो छोटे-छोटे पद जो कैटल गार्ड्स हैं, गार्ड्स हैं, फोरेस्टर हैं, इन लोगों के लिये निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम नियुक्तियां दी जाये ताकि जंगलों का जो विनाश हो रहा है उसमें रोक टोक हो सके।

तीसरा माननीय मंत्री महोदया, मेरा निवेदन यह है कि हम वृक्षारोपण करते हैं। बरसात हुई वृक्षारोपण कर दिया लेकिन शेष 10 महिने या 9 महिने तक उनके पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते। हम ऐसे-ऐसे दरख्त लगाते हैं जिनको महिने पन्द्रह दिन में पानी चाहिए। हमने देखा है कई सड़कों के किनारे, जैतारण से लेकर जोधपुर के बीच में सड़क के दोनों तरफ दरख्त लगाये गये। चण्डाबल से देवली के बीच में लगाये गये। वहां पर टैंकर की व्यवस्था की गई है और जहां भी आप दरख्त लगाना चाहते हो, टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छे-अच्छे दरख्तों को अगर जीवित रखना है तो उनके लिये पानी की पिलाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस वर्ष आप देख रहे हैं बहुत अच्छा मानसून राजस्थान में आया हुआ है। जंगलों में आपने एनिकट, तालाब बनाने का अभियान चलाया तो पांच-पांच, सात-सात साल तक पानी रहता है क्योंकि वह पानी एकमात्र जंगल के लिये काम में आता है। लेकिन मुझे मालूम है आपका फोरेस्ट विभाग जंगल के किनारे पर अगर कोई एनिकट बनाता है, कोई तालाब बनाता है, उसमें रोक डालता है। मुझे समझ में नहीं आता पानी के बिना आप इन वृक्षों को कैसे पनपाओगे ?

इसलिए मेरा निवेदन है जहां भी अगर एनीकट बनते हैं तालाब बनते हैं, पानी के नालों को रोकिये। नालों को रोकने से यह जो चारों तरफ जंगलों में हरियाली है, फलदार दरख्त लगेंगे।

हमारे एरिये में बहुत सी नील गायें हैं, वह हमारे काश्तकारों को खेती नहीं करने देती हैं और हर बार रात दिन चौकीदारी

(श्री हीरासिंह चौहान)

करने के बावजूद भी हजारों की संख्या में भुण्ड़ के भुण्ड़ आते है और आज कल तो आदमियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया हैं। उनका रख रखाव भी फोरेस्ट में हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है एक योजना चालू करके जंगलों में कम से कम तालाब है, एनीकट है इस व्यवस्था को शुरू कीजिए। आप जंगलों में नाम तो रख आते हैं वन्य जीव क्षेत्र और वन्य जीव एक भी नहीं है। पानी नहीं है, वह जायेगा कहां, वन्य जीव रहेगा कहां ? इसलिये वह भाग भागकर बाहर आते हैं।

मेरा पिछले दिनों में सरिस्का में भी जाने का मौका पड़ा था कि मैं कोई बाघ का दर्शन करू। बहुत चौड़े एरिये में हम घूमे हैं। लेकिन उसकी भी बड़ी दुर्दशा है। उसकी भी कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। जैसा अभ्यारण्य बनाया हुआ है जितना बड़ा नाम है कि बहुत बड़ा सुन्दर अभ्यारण्य होगा लेकिन देखने से मालूम हुआ कि इसकी दुर्दशा है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रोटे-क्टेड फोरेस्ट हैं उनके रख रखाव के लिये, उसमें एक भी एनीकट नहीं, एक भी तालाब नहीं, जबकि बड़े-बड़े नाले बन रहे हैं अच्छे-अच्छे जहां पर पानी बहुत ठीक मात्रा में रखा जा सकता है। नालों में आखिरी हिस्सों में जरूर पानी है लेकिन बहुत लम्बे क्षेत्र में पानी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जंगलों में वन्य जीवों को आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं फलदार दरख्त भी आप लगाना चाहते है, हम चाहते हैं कि छायादार दरख्त भी वहां पर पनपें। उसके लिये तालाब और एनीकटों का बनाया जाना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपके सामने पूर्व फोरेस्ट मिनिस्टर का एक पत्र पढ़कर सुना रहा हूं जिससे आप ताज्जुब करेंगे कि फोरेस्ट व्यवस्था के अन्दर किस प्रकार सचिवालय में बैठे हुये अधिकारी, राज्य सरकार जो आदेश देती है उसका उल्लंघन करते हैं। मैं इसको कोट करना चाहूंगा

"OFFICE OF THE MINISTER, FOREST & ENVIRONMENT

The then Forest Minister Shri Govind Singh Gurjar had told me that he had passed specific orders regarding continued use of box trenches, On enquiring from the Field Officers and PCCF: I was surprised to know that even though the orders of the then Minister were very specific they have not been communicated to the subordinate staff even after months have passed since then. Please explain within three days as to why this inordinate delay has occurred and whe ther it was deliberate."

यह पूर्व मिनिस्टर थे माधव सिंह जी दीवान, उन्होंने फोरेस्ट सचिव को यह लैटर लिखा था। उससे पूर्व माननीय गोविन्द सिंह जी गुर्जर मिनिस्टर थे। जंगलों के विकास के लिये ट्रेन्चेज की एक योजना है जिसको भारत सरकार ने भी एप्रीशियएट किया है। भारत सरकार ने एप्रीशियेट करके यह जो पहाड़ी ढ़लान

(श्री हीरासिंह चौहान)

होता है उसको खोद करके इस प्रकार से वह बनाये जाते हैं जिसमें अगर वर्षा कम भी होती है तो वह दरख्त वहां पर पनप जाते हैं। इसके लिये भारत सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री और अभी जो हमारे रमणन साहब हैं, प्रोफेसर एम. जी. के. मैनन, सदस्य योजना आयोग थे। उन्होंने विशेषज्ञ सलाहकार प्रधानमंत्री, भारत सरकार जो कि 19/20 तारीख को भारत सरकार के दौरे पर आये थे, इस तकनीक को फील्ड में देखा और उसे बहुत उपयोगी बताया।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार और गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह प्रणाली प्रभावी और कारगर योजना बन सकती है। इससे क्या होगा कि जो ढलाईदार भूमि होती है उसमें इस प्रकार की लम्बाई चौड़ाई पृथक से पनपाने के लिये एक ट्रेन्चेज बनाई जाती है। उसमें उसका विकास होता है। जिसमें जल का संरक्षण होता है, पानी इकट्ठा होता है और जमीन की भी उत्पादन शक्ति उससे बढ़ती है। यह योजना केवल हमारे जो पहाड़ी जंगल हैं, इनको हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इन जंगलों को पनपाना बहुत जरूरी है। इसके लिये इस योजना को, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका आप और अध्ययन कीजिए। मेरा आपके सामने सुझाव है, इस योजना के तहत यह जो जंगल हैं पुनः हरे भरे बनाये जा सकते हैं। इसके साथ यह खोज करनी भी जरूरी है कि दक्षिणी राजस्थान में इस प्रकार के जो पहाड़ आये हुये हैं, ब्यावर के आस पास मध्य राजस्थान में आये हुए हैं इसको किस प्रकार से दरख्त लगाकर के विकसित किया जा सकता है। क्योंकि वन सम्पदा हमारे राज्य की प्राकृतिक वन सम्पदा है। बहुत बड़े भू–भाग को इसके लिये रख छोड़ा है।

इसी प्रकार जहां पर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, वहां पर खनन कार्य हो रहा है जबकि प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में भारत सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं होता है लेकिन सरिस्का के अन्दर भी इस प्रकार का खनन कार्य हो रहा है। खनन के धमाकों की गूंज में सरिस्का अभ्यारण्य इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरिस्का वन्य अभ्यारण्य के बाहर खनन कार्यों के लिये धमाकों जैसे गूंज रहा है। वन्य जीवों की देख–रेख के लिये तैनात आला अफसर जैसे मांद में सिर छिपाये सो रहे हैं। सरिस्का बाघ परियोजना के क्षेत्र में निदेशक इस सम्बन्ध में कई बड़े अफसरों को लिखित में यह सूचना दे चुके हैं कि यहां कोई 300 अवैध खानें चल रही हैं लेकिन किसी ने भी इसे गम्भीरता से नहीं लिया है। नियमानुसार बाघ परि–योजना क्षेत्र में, कहीं भी परिस्थितियों में खनन पट्टे जारी नहीं किये जाते। लेकिन सरिस्का के वन संरक्षक अधिनियम और वन्य जीवन अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। यह मुख्य रूप से मार्बल की खानें जो चल रही हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं दो मिनिट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का खनन कार्य करके उनको नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे डिवीजनों में अफसर लगे हैं, उदयपुर में जो वन अधिकारी लगे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, जोधपुर में लगे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी जांच अभी चल नहीं रही है। मैं उदयपुर के मामले को लेकर निवेदन करना चाहूंगा पन्नेसिंह जो उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक थे उन्होंने जिस समय विभाग में 184 वन फोरेस्ट गार्ड्स सरप्लस चल रहे थे उसके बावजूद सेवाकाल से निवृत्त होने के पहले उन्होंने यहां के सब कुछ आदेश होने के बावजूद भी 6 गार्डों को नियुक्ति दी। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने जांच के आदेश दिये हैं कि जो गलत नियुक्तियां की और इसी के कारण से फोरेस्ट विभाग का जो कर्मचारी संघ बना हुआ है उन्होंने बड़ा भारी आन्दोलन किया और अभी तक चल रहा है। किसी प्रकार उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दे कर आपाधापी में अपने भाई-भतीजावाद को लाने के लिए उन्होंने सारे कानून ताक में रख कर इस प्रकार की नियुक्तियां दी। वह अवैध नियुक्तियां हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो अवैध नियुक्तियां हो रखी है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : दो मिनिट और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर बोलिये दो मिनिट।

श्री हीरासिंह चौहान : उसी पर बोलूंगा। इसी प्रकार उच्च अधिकारी जो जोधपुर में लगे हुये हैं, थार के मरूस्थल के वानिकी के जिम्मेदार मुख्य वन संरक्षक ओ. पी. पारीक उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं। इन सबकी गम्भीरता से जांच करें। क्योंकि इनके अधिनस्थ छोटे-छोटे कर्मचारी आते हैं, केटल गार्ड्स और रेंजर लोग, कौन तो इनकी अटेन्डेन्स लेता है। किस प्रकार राज्य सरकार जो विकास के नाम पर लाखों रुपये लगाती है और वास्तव में वह सही रूप से जहां लगाने चाहिए वहां नहीं लगाती। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूं कि अगर वास्तव में सही रूप से हम जंगलों का रख रखाव रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान में जंगलों का अच्छा विकास हो तो मैं मंत्री महोदया से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक साहसिक कदम उठाइये। आज मैं आपसे घोषणा चाहता हूं। अरावली पहाड़ों के विकास का एक बोर्ड बनाइये। बोर्ड बना कर इन पहाड़ों का विकास कीजिए। भारत सरकार इसके लिए सहायता देने को तैयार है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने इसमें मंजूरी दी कि अरावली पहाड़ों का विकास होना चाहिए और अब तक उसके विकास के लिए अलग तरह का तरीका नहीं अपनायेंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। और मंत्री महोदया, जो भी इसमें आपके विभाग में आपाधापी हो रही है, आपस में जो टकराव की स्थिति हो रही है जिससे आप

(श्री हीरासिंह चौहान)

छिपे हुये नहीं है इस सारे टकराव की स्थिति को समाप्त करते हुये जंगलों के विकास के लिए जितना हो सकता है उतना विकास कीजिए। आपने समय दिया धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : हरि सिंह महुआ।

श्री हरि सिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की मांगों के सम्बन्ध में मैंने भी अपनी तरफ से कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं कुछ और बातों का निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, उससे पहले मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। जो अभी मेरे पूर्व वक्ता भाई चौहान साहब ने यहां पर कही है। एक मसला यह इसलिए नहीं है कि कौनसी बॉक्स ट्रेन्चेज है और उनकी क्या उपयोगिता है ? यह तो वन विभाग जाने। जो महत्वपूर्ण मसला है वह यह है कि वन मंत्री महोदय द्वारा कोई आदेश प्रिन्सिपल सी. सी. एफ. को दिये गये। 2 नवम्बर, 1989 को श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर उस समय वन मंत्री थे। यह बहुत बाक्स ट्रेन्चेज की जो स्कीम है उसे पहाड़ी ढलानों पर लागू किया जाये और यह आदेश उन्होंने सचिव को दिये और सचिव उनको अपने सबोर्डीनेट स्टाफ को प्रसारित करें ऐसी उनकी मन्शा थी लेकिन तत्कालीन सचिव महोदय ने, मैं नहीं जानता यह तो वह जाने कि क्यों नहीं जारी किये लेकिन वह आदेश जारी नहीं हुये। उसके बाद में श्री माधोसिंह जी दीवान ने वन मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला। उन्होंने सीरियस इस बात को लिया कि वन मंत्री के आदेश वन सचिव ने क्यों नहीं अपने सबोर्डीनेट स्टाफ तक भेजे। क्यों नहीं अनुपालना की और उन्होंने स्ट्रिक्टली एक प्रकार से यह अनुशासन हीनता की बात मानते हुये आदेश दिये कि माननीय मंत्री जी को तीन दिन में जवाब दिया जाये कि यह आदेश क्यों प्रसारित नहीं हुये। मैं दाद देता हूं उनकी हिम्मत की इतने कठोर और स्पष्ट आदेश वन मंत्री के होने के बावजूद भी वन सचिव ने वह आदेश नीचे प्रिन्सिपल सी. सी. एफ. तक जारी नहीं किये। पता नहीं क्यों रोक रखा। कहां पर उनका मान और अपमान हो रहा था। यह मुझे पता नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं सरकार का अपमान किया है, लालफीताशाही हावी हुई है और सरकार की तौहीन हुई है। ऐसे सचिव के खिलाफ कठोर से कठोर कदम माननीय मंत्री महोदया आपको उठाने चाहिए। उसके बाद वन मंत्रालय माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास रहा और अब आपके पास है। मैं नहीं समझता कि शायद आज भी उनकी कोई अनुपालना की गयी हो। इन बोक्स ट्रेन्चेज को शायद उन्होंने कोटिया ट्रेन्चेज मान लिया। उधर दूसरा एक गुट पनप गया सचिव महोदय की कृपा से। वहां ट्रेन्चेज बनीं उन्होंने इसका दूसरा ही नाम दे दिया कन्टूर ट्रेन्चेज और पूरा वन विभाग दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। मुझे अफसोस इस बात का है मैंने सुना है सम्बन्धित वन सचिव के स्थानान्तरण आदेश हो गये उसके बावजूद भी वह आज भी उसी कुर्सी पर बैठा है और सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री हरि सिंह)

बहुत गम्भीर प्रकरण है और इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा वन मंत्री महोदया इसको बहुत गम्भीरता पूर्वक लें। इस प्रकार की आदत सरकारी आफिसर्स की पड़ गयी कि मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करें तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रजातन्त्र का गला यह लाल फीताशाही दबा कर, घोट कर रख देगी और प्रजातन्त्र मुर्दा हो जायेगा इस–लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार से जो मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है उनके लिए सख्त से सख्त अनुशासन की कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ करें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी विशेष शौक है और कुछ आपका ही अनु–गामी बन करके वाइल्ड लाइफ में कुछ रुचि पैदा हुई है। मेरे अपने जिले में रणथम्भोर बाघ परियोजना है। मैं अभी पिछले दिनों रणथम्भौर के पास खण्डार में एक तालाब है मानसरोवर। रणथम्भौर तो हमेशा जाते ही रहते थे लेकिन अबकी बार मानसरोवर साइड गया। सूचना मिली कि बाघ के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बाघ के दर्शन तो नहीं हुये लेकिन जो सघन वन था उसमें जगह–जगह जो पेड़ कटे हुये थे उनके अवशेष एक–एक डेढ़–डेढ़ फीट ऊंचे देखे होंगे आप अनुमान करेंगे मैंने करीब एक हैक्टेयर जमीन के क्षेत्र में वह गिने होंगे। उपाध्यक्ष महोदय उनकी संख्या साढ़े सात सौ थी। इस कदर बेरहमी से विश्व विख्यात रण–थम्भौर बाघ परियोजना में वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से जंगल कट रहे हैं और वह जंगल कोई जलाऊ लकड़ी नहीं, मैं इसको इमारती लकड़ी की श्रेणी में लेता हूं। वन अधिकारी वहां बैठ करके वहां का फोरेस्ट गार्ड, फोरेस्ट रेन्जर ने कीमत बांध रखी है उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई औरत या बच्चा कोई मर्द अपने सिर पर बोझा ले जाने लायक लकड़ी काटेगा तो उसके पांच रुपये लेंगे, कोई गधे पर अगर लाद कर ले जायेगा तो उससे 15 से 20 रुपये लेंगे, कोई ऊंट पर ले जायेगा तो उससे 30 रुपये लेंगे और यह चौथ वसूली कर बाघ परियोजना के वन का सत्यानाश किया जा रहा है और उपा-ध्यक्ष महोदय मैं विशेष बात इसलिए निवे-दन कर रहा हूं आसन पर आज आप विराजमान हैं। उस क्षेत्र के किसानों ने जब अकाल से पीड़ित हो करके जब छोटे से हिस्से में अपने मवेशी का गोश्त बेचा तो उपाध्यक्ष महोदय, आपने सबसे ज्यादा शोर शराबा मचाया था। सवाई माधोपुर के तत्कालीन कलक्टर को आपने निलम्बित करवाया था और वहीं अधिकारी जो कल–क्टर के खिलाफ शिकायत लेकर आये थे जिन किसानों के खिलाफ वहां केसेज बनाये थे आज वही वन अधिकारी इस जंगल को बेरहमी से कटवा रहे हैं। मैं इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूं भरथरी के दर्शन करने के लिए 15 दिन पहले गया। वहां भी उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वही नजारा देखा जो मानसरोवर का था। आसपास के एरिया से दर्शनार्थी वहां जाते हैं मैं अकेला नहीं। सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े पेड़ों के ठूंठ के ठूंठ हैं जिनको आसानी से बिना किसी डर के बिना किसी सोच–विचार के बेरहमी से काटकर के वन के जो अधिकारी हैं उन्होंने जनता को वन की

(श्री हरिसिंह)

सम्पदा को काटने के लिए प्रेरित किया है, यह स्पष्ट बात है।

एक दूसरा और मैं आपसे अनुरोध कर दूं कि वहां पर एक ऐसे अधिकारी को लगाया हुआ है जिसका मन वहां काम करने का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदया से अनुरोध कर रहा हूं कि वह बाघ परियोजना सिरस्का को बरबाद करना चाह रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि उनकी इच्छा के खिलाफ सरकार ने उनको वहां बैठा रखा है जो हर हालत में अपना स्थनान्तरण रणथम्भोर करवाना चाहते हैं। जहां उनकी रूह भटक रही है। इसलिए इस बरसात में जहां सिरस्का के आगे पाण्डूपोल और झरनों के पानी निकलते हैं, छोटी-छोटी जगह उनको रोककर के पानी को इकट्ठा करके इस बात के लिए वन विभाग में पहले रखा जाता था कि बाघ अगर आये तो वहां पानी पीये। मुझे यह जानकर आश्चर्य है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के पानी की व्यवस्था इस गर्मी के सीजन में नहीं की गई। एक मादा बाघनी ने तीन बच्चे दिये। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय वह पानी की तलाश में भटकती पैरीफेरी एरिया में निकल गई और वापिस लौटी तो तीन में से दो बच्चे रह गये एक रास्ते में मर गया। इसके अलावा और दुर्गति हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, वह दुर्गति यह है कि पानी के लिए भटकता हुआ बाघ वहां के पैरीफेरी एरिया में निकल जाता है। वहां से निकलकर गांव के लोगों की मवेशी पर हमला करता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन वह इस हमले को बरदाश्त करते हैं और उसके बाद जब लगातार पैरीफेरी एरिया में बाघ पर हमला होते हैं तो उस बाघ को मरवाने की व्यवस्था करवा दी जाती है। जंगल के अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा है।

मैं आपसे और दूसरा निवेदन करूं। मेरे पूर्व वक्ता चौहान साहब ने कहा था और एक शोर शराबा किया जा रहा है कि वहां पर खनन कार्य रोक दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच भी खनिज मन्त्री ने करवाई, शायद वह पहुंची भी है वहां। यह खानें उस बाघ परियोजना के बाहर हैं और बहुत पहले से चल रही हैं। यह वहां के वन बाघ परियोजना के निर्देशक हैं उन्होंने बूझकर अपना ट्रान्सफार करवाने के लिए वहां पर जो बाघों की संख्या कम हो रही है इस अपराध को छिपाने के लिए यह प्रचार करवा रहे हैं कि खनन कार्य की वजह से बाघ परियोजना में बाघों की संख्या कम हो रही है। यह उनका जाना बूझा, सोचा समझा हुआ प्रचार है और मैं इसको कुतर्क ही कहूंगा। यह राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इनके लिए सैंकड़ों गांवों को, उपाध्यक्ष महोदय, वहां से हटा दिया है। किसानों को वहां से बेदखल कर दिया गया था। उनकी जमीनें गवर्नमेन्ट ने ले ली थी, उनके घरबार गवर्नमेन्ट ने ले लिये थे। उनके पास रोजी-रोटी के कोई साधन नहीं रहे। इस ऊंची कीमत को चुकाकर इन परियोजनाओं का यहां निर्माण किया गया, वहां यह परियोजनायें बनाई गई। आज वन विभाग की अकर्मण्यता से, बेरहमी से

(श्री हरिसिंह)

इन विकसित परियोजनाओं को बुरी तरह से बरबाद करने की एक साजिश चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की कार्यप्रणाली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप पिछले दस वर्ष से यहां इस सदन में हैं। हर साल सरकार जब बजट अभिभाषण पढ़ती है तो हर बार आपको देखने को मिलता है कि इस साल 6 करोड़ पेड़ लगाये जायेंगे, इस साल सात करोड़ पेड़ लगाये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब तक आप दस साल का ही जायजा लें, तो मेरी समझ में कोई साठ करोड़ पेड़ राजस्थान में लग चुके। बड़े अफसोस की बात है साठ करोड़ पेड़ दस साल में राजस्थान में लग गये और उसके बाद में यहां वन के विकास का जो प्रतिशत है वह और डाउन हो गया। यह आपके आंकड़े दिखाते हैं। इतने करोड़ पेड़ लगाने की बात तो दूर, उपाध्यक्ष महोदय, इतने करोड़ गड्ढे नहीं खुदे। दस हजार गड्ढे खोद कर एक लाख की मस्टररोल भरी जाती है। दस हजार गड्ढों में सौ पेड़ भी जीवित नहीं रहते। यह हश्र है वन विभाग का। अलग–अलग ब्रान्चेज इसमें खोल दी गई हैं। अलग–अलग अधिकारी बना दिये गये हैं। एक–एक की जगह चार-चार, पांच–पांच सी. सी. एफ. बिठा दिये गये। जिला स्तर पर सी. एफ. ए. सी. एफ. और डी. एफ. ओ. बिठा दिये गये। लेकिन जितने अधिकारियों की संख्या बढ़ी है उतना ही वन का विनाश हुआ है। यह वन विकास नहीं अगर इसको वन विनाश कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। मेरे यहां महुआ में वैसे उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैं अलग से ही पैदा करूंगा, लेकिन आपकी सूचना बतौर मैं यह निवेदन कर देता हूं, एक रेन्जर ने दो साल में 14 लाख रुपये उसको मिले, 14 में से 11 लाख रुपये का घोटाला किया 11 लाख रुपये का गबन–घोटाला किया। और इसमें वह अकेला शामिल नहीं है। भरतपुर में बैठा हुआ सी. एफ. सी. एफ. और करौली के डिविजनल ऑफिसर सब मिल गये। आप आश्चर्य करेंगे, जयपुर में उसने जो मकान बनाया है, उपाध्यक्ष महोदय, उस एरिया के काफी बड़े जमीदार हैं, लेकिन आपके बूते की बात नहीं है कि जयपुर में दस लाख रुपये का मकान बनाकर खड़ा कर दें। यह हालात हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : नाम तो बताओ।

श्री हरिसिंह : वह समय पर आ जायेगा, नाम भी बता दूंगा मैं। क्योंकि यह बहुत बड़ा मसला है और खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय भ्रष्टा–चार को मिटाने के लिए कई बार अपना संकल्प दोहरा चुके हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : यह पुराना बता रहे हैं या नया ?

श्री हरिसिंह : पुराना हो या नया, भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही होता है मेरे भाई। भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही होता है वह पुराना हो या नया हो। मैं आपको यह कब कह रहा हूं। मुझे तो खुशी इस बात की है मैंने कल भी

(श्री हरिसिंह)

यहां स्वीकार किया कि पहली बार यह मुख्यमंत्री हैं जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात तो कही है। मैंने तो प्रशंसा की है। अब वह कितने कामयाब हो पाते हैं कितने कामयाब नहीं हो पाते हैं यह एक अलग मुद्दा है, उसकी परख तो समय ही करेगा। उनके किये हुए जो एक्शन है, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं इस बात की कसौटी पर आज नहीं आज के साल भर बाद तोला जायेगा। यानि मैं तो इस पर खुशी जाहिर कर रहा हूं। भ्रष्ट तो चाहे आज के हों या कल के हों, चाहे आने वाले कल में हों, भ्रष्ट हमेशा भ्रष्ट है। इसलिए उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए।

श्री बंशीलाल पटवा : पहले वालों ने क्या किया ?

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर करौली आपकी जानकारी में है, बारेठा। यह बहुत सघन वन का एरिया था और बारेठा में तो यहां तक स्थिति थी कि आदमी अगर सौ कदम आगे बढ़े, जो महाराजा की कोठी बनी हुई थी, वहां बाघ के दर्शन हो जायेंगे। आप शायद वहां हो भी आये होंगे, उपाध्यक्ष महोदय, आज उस एरिया में किस बेरहमी से वनों की कटाई हुई है। मै अगर यह कहूं कि वनों का नाम निशान मिट गया है।

श्री उपाध्यक्ष : छोड़ा ही नहीं है कटाई काहे की होगी।

श्री हरिसिंह : बिल्कुल वनों का नामो-निशान मिट गया है। और वृक्षारोपण के नाम पर उस एरिया में कितना सरकारी बजट जा रहा है उसका कोई अता पता नहीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वन की जो नीति है जो अब तक चली आई निर्धारित नीति है उस पर आप गम्भीरता पूर्वक विचार करें और इस नीति में अनेक खामियां हैं उनका आप पुनराव-लोकन करें और कोई नई नीति तय करें जो वृक्ष पैदा करें, वृक्ष विनाश नहीं करें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सामु-दायिक विकास के सम्बन्ध में.... —

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय हो गया।

श्री हरिसिंह : एक मिनट से ज्यादा नहीं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकृष्ट करवाना चाह रहा हू कि पंचायत समितियों में सरकार के विभिन्न मदों से पैसा जाता है। कई प्रसार अधिकारी हैं, किसी का कहीं से पैसा जा रहा है और वह पैसा राज्य सर-कार से समय पर रिलीज होकर पंचायत समिति के कोष में जमा नहीं होता। उसका असर यह होता है कि जो शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति के अध्यापकों के वेतन चुकारा के लिए, उनके मेडिकल बिल और उनके टी. ए., डी. ए. के लिए जो पैसा भेजा जाता है उसको पंचायत समिति में बैठे हुए अधिकारी पहले खुद उसका उपभोग कर रहे हैं। और अध्या-पकों को उनके मेडिकल बिलों का तीन-तीन चार-चार साल तक भुगतान नहीं

(श्री हरिसिंह)

होता। एक बहुत बड़ी प्राब्लम है उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि ब्लेक बोर्ड स्कीम के तहत आपके निदेशक महोदय ने पहले तो पता नहीं क्यों जिला परिषदों को अधिकार दिया था ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत जो साज सामान खरीदना है वह जिला परिषदें खरीदेंगी लेकिन उस व्यवस्था को खत्म करके और गवर्नमेंट डाइरेक्टर ने अपने यहां कुछ दुकानदारों को अधिकृत कर दिया है, और पंचायत समितियों को निर्देश दे दिये हैं कि आप अमुक–अमुक फर्म के यहां से सामान खरीदेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता घपला तो क्या है। लेकिन जो सामान जा रहा है वह बहुत ही निम्न स्तर का है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको पता होगा ?

श्री हरिसिंह : और जो सामान जा रहा है बहुत ही ऊंची कीमत पर है और बाजार रेट से सवाई ड्योढ़ी कीमत पर है इसलिये इस व्यवस्था की तरफ भी आप एक बार देखें....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको जानकारी है, पूरी बात बता दें।

श्री हरिसिंह : मंत्री महोदय को ज्यादा जानकारी होगी। मैं तो प्रधान के पद पर ही रहा हूं जो कुछ मैंने वहां भोगा है उसको अर्ज कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आप बार–बार मेरी तरफ मुखातिब हो रहे हैं आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। पंचायतों के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें पंचायत समिति का स्टाफ चुने हुए जन प्रतिनिधियों को बाध्य कर देता है कि आप रिश्वत खाइये। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल वहां पर जो जे. ई. एन. होता है उसका होता है। या तो उसको कमीशन दो अगर न दो तो आपकी एम. बी. मन्जूर न करे उसको घुमाये, उसकी सी. सी. जारी न करें और स्टेन्डर्ड का क्लेम हो तो उसको भी वह बे स्टेन्डर्ड का बता दे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाह रहा हूं कि यह जो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को भ्रष्ट आचरण करने के लिये बाध्य किया जा रहा है इस व्यवस्था में भी आप कुछ परिवर्तन करेंगे। मैं इतना ही अनुरोध करके, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन (अनुपस्थित)

श्री मनीराम।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके बीच में मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : किन के बाद ? कौन सी लिस्ट में ?

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 9 के कट

(श्री मन्नीराम सियाग)

मोशन्स पर बोलना चाहता हूं। मैं लूनकरणसर क्षेत्र में वन विभाग में होने वाली अनियमितताओं की ओर'आपके माध्यम से' मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाजन क्षेत्र के आसपास कुछ एरिया को वन विभाग ने तारबन्दी से घेरा किया था। उसमें आज तक एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया है और हर बार चार छः महीने बाद वह तारबन्दी गायब हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि उस तारबन्दी करने का उद्देश्य क्या है? यह फारेस्ट गार्ड नाम मात्र से नौकरी लेने के लिये लगाये जाते हैं और उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती। माननीय मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग जिस रीति-नीति से जहां भी जमीन ऐडाप्ट करे, जहां भी जमीन की घेराबन्दी करे उसमें समय बद्ध कार्यक्रम बनाकर के उस में वन लगायें। मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कल जो नहरों के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, खास करके खाजूवाली साइड में जो बेरियावाली नाम से जाना जाता है, वहां केवायडी और केजीडी के किनारे जो वृक्ष हैं वह इस बात को लेकर के काटे जा रहे हैं कि जखेड़े में वृक्ष टूटकर अन्दर गिर जाते हैं, नहर का पानी रुक जाता है और इस वजह से नहर टूटती है। मान्यवर, यह सिर्फ वृक्ष को काटने की साजिश है और उसके एवज में एक भी वृक्ष नहीं लगाया जाता और वह क्षेत्र बीरान होता जा रहा है। उस जंगल को काटकर रेगिस्तान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर मेरी विशेषकर आपत्ति है। मैं यह चाहता हूं कि जहां भी वृक्ष काटे जायें उसको जड़ से नहीं काटकर उनकी टहनियां और जो नुकसानदायक है उन्हीं की छटनी की जाये। मैं एक और आश्वासन चाहता हूं कि जितने भी वृक्ष काटे जायें उससे दुगने वहां लगाये जायें। वहां के काश्तकारों का भी एक एतराज था जिस तरह से हरियाणा सरकार ने वृक्ष मैच्योर होने पर काश्तकार की जमीनपार सड़क के इर्दगिर्द जो लगाये गये हैं, जिस समय चौधरी देवीलाल मुख्य मंत्री थे उन्होंने घोषणा की कि एक वृक्ष काश्तकार का होगा और एक वृक्ष सरकार का होगा। मेरा भी यही सुझाव है कि इसी तरह हमारे राजस्थान में भी वृक्षों की आधी पांती किसान की रखनी चाहिये। मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में जो वन्य जीव हिरन है और रोज है उसकी तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां एक विशेष कौम बावरी जिनका मुख्य धन्धा हिरन का आखेट करना है। वहां फारेस्ट गार्ड जब भी उनकी आपस में बिगड़ती है तो इस पर कार्यवाही करते हैं नहीं तो नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो वन्यजीव हिरन है उसकी रक्षा की जाये हालांकि काश्तकारों के वह हित की बात नहीं है चाहे वह फसल को नुकसान पहुंचाता है फिर भी उसको संरक्षण प्रदान किया जाये।

पंचायतों की जो वानिकी योजना सरकार ने चालू की है जिसमें पंचायतों को तो सक्रिय करने के लिये स्कीम दी गई है वह निराधार और थोथी है। कोई भी सरपंच

(श्री मनीराम सियाग)

इस-स्कीम को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो सका है वह सिर्फ एक योजना लेने में तत्पर रहता है बाकी पानी की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाता और न खड्डे खुदाने में और उनको लगाने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से यह स्कीम बनाई गई है उसको पूरी तरह से नहीं लागू कर सकता। सिर्फ बजट लेने की स्पर्धा में लगे हुए हैं और जहां भी उनको अलाट किया गया है वह पैसे सिर्फ कागजी लेखा जोखा पेश कर देते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी वन लगाये जायें अभी बरसात के मौसम में पूरे जोर शोर से लगाये जायें। कभी-कभी तो जब सीजन निकल जाता है तब वृक्ष कांटे जाते हैं और फिर उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसके बाद में जब पंचायतों को बजट दिया गया और स्कीम लागू की गई तो उसकी समीक्षा कभी भी नहीं की जाती कि कितने वृक्ष लगे, कितने मरे और कितने जीवित हैं। यह एक तरफ से उनका भत्ता सा बांध दिया और जितने भी पैसे दिये गये वह हड़प लिये। इस बारे में मैं ज्यादा न बोलकर अभी इतना ही कहना चाहता हूं सामुदायिक विकास योजना में जिन-जिन पंचायतों को जितने पैसे जिस-जिस निर्माण कार्य के लिये, लिये गये हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिये। कौन सरपंच ने किस तरह से कितने पैसे लगाये हैं किस स्कीम के तहत लगाये हैं यह भी सारा समय पर होना चाहिये। जे. आर. वाई. में पंचायतों को जितने पैसे देते हैं सीधे बैंक में चले जाते हैं सरपंच लोग उसको समय पर निर्माण कार्य के लिये बाद में विधिवत् न उठाकर के अपनी मर्जी से उठा लेते हैं और वह काम समय पर होता है या नहीं होता है। इसके लिये मैं आपको सरपंच ग्राम पंचायत दोषी तहसील भादरा का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। उसने 47 हजार रुपये 3-10-89 को उठाये और 5 हजार रुपये 27-3-90 को उठाये। यह कार्य 30-3-90 को पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक इसका पूरा-पूरा पता है कि उसने काम नहीं करवाया और यह 45 हजार रुपये वह डकार गया। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि इस तरह की कोई पंचायत हरकत न करे और प्रशासन को चुस्त रखे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग का यह मानना है कि भू-भाग का 33 प्रतिशत वन होने चाहिये और राजस्थान में केवल मात्र 9.22 क्षेत्र में वन है। 33 ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि 35 और 40 और उससे भी ज्यादा हो। और जो 9.22% क्षेत्र है, क्या उस पर सारे के सारे वन लगे हुए हैं ? 9.22 पर यह वन नहीं लगा सकते, परन्तु लगाने के बजाय यह काटकर इन्होंने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि शायद 3 प्रतिशत वन है। यदि मुझे वन विभाग यह बता सकता कि 3 प्रतिशत से ज्यादा है तो मैं उनका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। अभी हरिसिंह जी (महुआ) ने बताया कि कि पिछले 5 वर्षों के अन्दर 60 करोड़ पेड़ लगा दिये। मैं उनके साथ एक बात और

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अर्ज करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी केनाल की योजना के तहत जितने उन्होंने बताये हैं उतने पेड़ लगा दिये, तो वो सारे के सारे हों, तो पश्चिमी राजस्थान के अन्दर एक मिलीमीटर जगह कहीं पर बचेगी नहीं। वहां पर किसी के चलने की जगह नहीं बचेगी और यह बताते हैं कि हमने जो वन लगाये हैं, जितने पेड़ लगाये हैं उनके अन्दर 55 प्रतिशत पेड़ मौजूद हैं। 60 करोड़ पेड़ लगाये हैं पिछले 5 वर्ष के अन्दर तो कम से कम उसके 30 करोड़ पेड़ मौजूद होने चाहिए, पिछले 5 वर्ष वाले। महुआ से आने वाले जो सदस्य हैं, उनके साथ में सहमति करता हूं। 30 करोड़ तो दूर रहे, 30 लाख भी नहीं हैं। सच बात तो यह है कि जितने ये आजादी के पहले 40 वर्षों के अन्दर वन विभाग ने कटाई करते-करते उनके 10 प्रतिशत भी वन नहीं रह गये हैं। वन विभाग पेड़ लगाने में इन्ट्रेस्टेड नहीं है। मेरी तो मान्यता है कि जंगल को वन विभाग से हटा दीजिये, जंगल तो जंगल है, अपने आप पनप जायेंगे, अपने आप जितने जंगल के लिए भूमि है, उसके अन्दर अपने आप जंगल उग जायेंगे। वन विभाग के होते हुए जंगल लग नहीं सकते, पेड़ लग नहीं सकते, चाहे वह सुरक्षित जंगल हों, चाहे बाहर के जंगल हों। वन विभाग लकड़ी बेचने का काम करता है, लकड़ी बेचने का कार्पोरेशन बना रखा है। वन विभाग वन लगाने के लिए है या लकड़ी काटने के लिए है? जिन देशों के अन्दर सघन वन है, पेड़ों के पास में दूसरे पेड़ बहुत नजदीक आ गये हैं और पेड़ों का जो पनपना है वह रुक सकता है तो आका-यदा योजना बना कर उसके बीच के जो पेड़ हैं उन पेड़ों को काटते हैं। परन्तु यहां तो स्थिति वैसी नहीं है। यहां तो स्थिति यह है कि पेड़ों में इतनी दूर-दूर का अन्तर है कि किसी जमाने में जो जंगल हुआ करते थे वे सारे के सारे जंगल बिल्कुल एकदम खाली मैदान के अन्दर परिवर्तित हो गये हैं। उसके बावजूद भी ये पेड़ कटते हैं और कहते हैं कि हम कोयला देते हैं लोगों को अपने घरों के अन्दर चूल्हा जलाने के लिए यदि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी आवश्यक है तो वह वन विभाग का काम नहीं है। यह कार्माशियल चीज है। लोग-बाग, प्राइवेट लोग लगा लेंगे पेड़, बना लेंगे, उनको पैसा मिलेगा, बेच देंगे। जरूरत की चीज है, और चीजें जैसे खेती के अन्दर पैदा करते हैं, ये लोग पेड़ों को पैदा करेंगे, पेड़ लगा-कर बेच देंगे। वन विभाग का कहां से काम आ गया कि जहां जंगल है नहीं उन जंगलों के अन्दर भी पेड़ काटकर कोयला बना करके चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बेचे। जहां उनका ओरियन्टेशन, जहां उनके विचार, इस प्रकार का हो, इस प्रकार की विचार धारा के लोग बाग वन नहीं लगा सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे देश हैं जहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर या स्टेट गवर्नमेन्ट के लेवल पर कोई वन विभाग नहीं है। वनों का काम वहां पर स्थानीय लोकल बाडीज हैं, पंचायतें हैं, काउंटीज हैं, उनका है। यदि आप दरअसल राजस्थान में वनों में इन्ट्रेस्टेड हैं, तो जल्दी इस वन विभाग से इस काम को लेकर के काउंटीज को और पंचायतों को दे दिया जाय क्योंकि गांवों के लोग बहुत ही वनों से प्रेम रखते हैं और ऐसा मुश्किल से ही कोई गांव होगा जिसके अन्दर हनुमान

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जी की बनी नहीं होगी, भैरू जी की बनी नहीं होगी, जिसके अन्दर किसी रामजी की बनी नहीं होगी । हमारे अलवर की जो रियासत थी, कोई वन विभाग नहीं था, और उस वक्त के अन्दर वहां वन ऐसे थे कि सूरज की किरण जमीन को नहीं छु सकती थी और गांव गांव के अन्दर जंगल लगे हुए थे परन्तु वन विभाग ने 40 वर्षों के अन्दर उन सारे के सारे वनों को कम्प्लीटली पूरी तरह से समाप्त कर दिया है ।

मैं खास मुद्दे पर आना चाहता हूं क्योंकि थोड़ी देर के बाद में आप मेरी तरफ देखने लग जायेंगे । मैं बहुत ही आभारी हूं महुआ से आये हुए माननीय सदस्य का, पाली से आये हुए चौहान साहब का, इन्होंने सरिस्का के बारे में जिक्र किया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं मेरा वन्य जीवों का जो प्रेम है, वनों से प्रेम है । आपको व्यक्तिगत इस बात की जानकारी है । परन्तु सरिस्का का जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों के अन्दर और खास तौर से 1978 के बाद में यह सैन्चुरी बनी है, जिस प्रकार से विनाश किया गया है बाघ परियोजना के नाम पर, वो एक अभूतपूर्व चीज है । सरिस्का के चारों तरफ गूर्जर लोग बताते हैं । मैं सरिस्का के अन्दर पैदा हुआ हूं सरिस्का के अन्दर बड़ा हुआ हूं, सरिस्का के अन्दर मेरा गांव है । मैं वहां साइकिल पर जब कालेज के अन्दर या स्कूल के अन्दर अलवर पढ़ने जाया करता था तो उस समय में मैं देखता था, किस प्रकार के घने जंगल हैं, कितने सैकड़ों की तादाद में वहां पर शेर हैं और किस प्रकार के वन्य जीव वहां मौजूद हैं । सरिस्का के चारों तरफ गूर्जर लोग बसते हैं, एक कम्युनिटी है चारों तरफ । पहला तालाब से लेकर के इधर बानसूर तक आ जाइयेगा, चारों तरफ के लोग जंगल से प्रेम करते थे । किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पर कोई जरा सा पेड़ काट दें । परन्तु इन दिनों के अन्दर जो स्थिति हो रही है, जो 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी और जो आज स्थिति है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । एक तरफ तो वन विभाग स्वयं रात में चोरी से पेड़ कटवा कटवा करके और ट्रकों में भरवा भरवा करके भेज देते हैं और दूसरी तरफ चारों ओर के लोग बाग हैं, छोटी–छोटी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जो सूखे पेड़, सूखी टहनियां वहां पर पड़ी हुई हैं, उनको बीन कर ले जाना चाहते हैं । मैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा कि उनके साथ में किस प्रकार का व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है । जो वन विभाग के वनपाल हैं, वे जंगलों के अन्दर आस-पास के लोगों को किसी बेमतलब की बात पर पकड़ करके अपने यहां पर उन्होंने स्वयं की जेलें बना रखी हैं, उन जेलों के अन्दर बन्द कर देते हैं, 2 दिन बन्द कर दें, 3 दिन बन्द कर दें और न जाने कितने मुकदमे लगा रखे हैं । अलवर के अन्दर इस समय 450 मुकदमे चल रहे हैं पिछले 10 साल से वहां के लोगों के खिलाफ । किसी की बकरी आने की बात कह दी गई है, तो किसी ने कह दिया है कि तुमने लकड़ी ले ली है, लकड़ी काट दी है । गूर्जर के बच्चे लकड़ी काटते नहीं हैं, गूर्जर के बच्चे कभी पेड़ को काटना पसन्द नहीं करेंगे, यह उनका स्वाभाविक प्रेम है । वे पशुपालन करने वाले हैं और जो पशु पालन करने वाले हैं वे कभी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

किसी पेड़ को काटने की इच्छा नहीं रखते। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पहले भी जिक्र आया है वन्य पशुओं का, जब उस जंगल की यह स्थिति है तो उसमें वन्य पशु रहेंगे कैसे ? और जितने भी वहां पर रोज हैं या जितने भी सांभर हैं वे सब वहां से छोड़ करके जयपुर और दिल्ली तक चक्कर मारते हैं। आप कभी भी यहां से सरिस्का जायें, आपको चंदवाजी में मिल जायेंगे, आपको बैराठ में मिल जायेंगे, आपको कोटपूतली में मिल जायेंगे। वहां उस जंगल के अन्दर बहुत अच्छी घास हो, उस जंगल के अन्दर बहुत अच्छे पेड़ हों, सघन जंगल हो, हमने तो कभी नहीं देखा, मेरा जो गांव है सरिस्का के पास लगा हुआ है। बचपन के अन्दर 20 साल तक मैं वहां पढ़ा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, मैंने कभी नहीं देखा, वन्य पशुओं को उस गांव में आते हुए। कभी-कभी रात में बघेरा जरूर आ जाया करता था, शेर जरूर आ जाया करता था। कभी भी मैंने हिरण को और वहां के रोजों को बाहर आते नहीं देखा। जब आज वहां की सारी स्थिति इस प्रकार की है तो वह बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद आप निश्चित मानिये कम से कम नहीं तो पूरे सीजन के अन्दर 50 लाख रुपये की खेती को नुकसान करते हैं, और जैसा बताया गया था, वे 100-100 की तादाद में या 50-50 की तादाद में आते हैं, वहां पर और खेतों के अन्दर जो आदमी हैं, वे उनका सामना नहीं कर पाते हैं। उधर तो यह स्थिति है और इधर गांव में फसल खराब हो रही है। एक वर्ष में जितना समाप्त कर देते हैं उसके अन्दर तो कई सरिस्के बनाये जा सकते हैं। यही स्थिति वहां के वन्य पशुओं की है और किसी ने जरा सा डराने के लिए कोई रेकड़ा चला दिया तो उसको पकड़ ले जाते हैं, चाहे वो वहां से 10 किमी दूर हो। क्या करेंगे ये लोग बाग, क्या ये देखते रहेंगे कि हरी-भरी खेती को जो बरसात में लगने वाली है रोज आकर के समाप्त कर देते हैं, उसको नष्ट कर दें। जिस महंगे भाव से बिजली लेकर के परेशानी में पड़ करके, कुओं से पानी निकाल करके, जिस कुए में पानी नहीं होता है, उसके अन्दर गेहूं पैदा करेंगे और गेहूं को वो सारा का सारा समाप्त कर देंगे। उनको चाहिये कि वहां पर अच्छी तरह से जंगलों का रख रखाव करें वन्य पशुओं को वहां पर रखें और चारों तरफ इस प्रकार की तारबन्दी या कोई इस प्रकार की चीज करें कि वहां से वह बाहर नहीं जावें। मेरा नम्र निवेदन है कि वहां के जो लोग बाग हैं, बहुत सहन कर चुके हैं। आज स्थिति तो यह है कि थानागाजी क्षेत्र के अन्दर यदि कोई एक मात्र समस्या है तो वह यही कहते हैं कि हमें नहीं चाहिये स्कूल, हमें नहीं चाहिये अस्पताल, नहीं चाहिये कोई सड़क, हमारे लिये यह सैंक्चुरी सबसे बड़ी आईसोर है। दुनियां के अन्दर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट, कोई योजना होती है और स्थानीय आदमियों को उस योजना से लाभ की बजाय तकलीफ पैदा हो जाय एक कांटा पैदा हो जाय, एक आंख के लिए इस प्रकार की टीस पैदा हो जाय कि रात और दिन उसको बेचैनी पैदा हो जाय, इस प्रकार की योजना को कौन आदमी कहां पर पसन्द करेगा।

Page No. 162

(154)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं। सैंक्चुरी बनी है 1978 से। वहां पर टहला से थानागाजी तक या टहला से सरिस्का तक एक सड़क बनी हुई है 60 साल पुरानी। उस सड़क को रोक दिया गया है। पता नहीं कौन से कानून के तहत रोक दिया गया है। एक साधारण सी बात है, यदि कोई भी सुविधा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी नौकरी में हो, चाहे वह एक स्वाधीन व्यक्ति हो, उसको समाज में या सरकार में कोई सुविधा दे दी गयी है वह सुविधा वापस नहीं ली जा सकेगी, एक साधारण कानून है, नियम है। फिर जो सड़क 60 वर्ष से बनी हुई है, पक्की सड़क बनी हुई है, उस सड़क पर जाने के लिये रोकते हैं तो आज कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो फण्डामेंटल राइट है सीधा उस पर भी आघात है। मैंने उच्च स्तर पर बात चीत की, मुझे बताया गया था कि यह खुल जायेगी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों के अन्दर भयंकर आक्रोश है। वह अब एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार की बात को, जो सड़क रोकी है। दुनियां का कोई देश नहीं जिस देश की सैंक्चुरी न देखी हो किसी देश में कहीं पर इस तरह की स्थिति नहीं है जो सड़क जाती हो उसे रोक ली जाय, जो वहां पर बड़े बंगले बना रखे हैं, टूरिस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन की तरफ से एक होटल बना रखा है, वहां के लोगबाग आते हैं, बड़े वी. आई. पीज आते है, उनकी कारें जाती हैं, उनकी जीपें जाती हैं, उन से उन वन्य पशुओं को कुछ नहीं होता। और वह लोग किसी गर्भवती महिला को इमीजिएटली थानागाजी में उपचार के लिए ले जायं तो वह जा नहीं सकते, मर जायगी वह। जो लोग वहां गांव के अन्दर रहते हैं, उस गांव में किसी बूढ़े आदमी को बीमारी हो गयी, तो रात को जा नहीं सकते उधर से। यदि वहां पर मकान बनाना है तो पत्थर टहला की तरफ मिलते हैं, थानागाजी की तरफ नहीं मिलते, उधर से पत्थर आ नहीं सकते, आप मकान बना नहीं सकते। एक तानाशाही है वहां इस तरह की। तो लोगों के लिये एक भयंकर परेशानी का विषय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो मैंने कुछ आधा भी नहीं कहा उपाध्यक्ष महोदय, अभी दूसरे आदमी को तो एक घंटे के लिये बोलने दिया है, मुझे तो अभी दस मिनट ही हुए हैं। परन्तु मैं समाप्त करता हूं।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर तीन चार साल पहले एक योजना बनायी थी, नलदेश्वर के पास पानी को रोक करके उससे बिजली पैदा करने की बात थी। उससे सस्ती योजना सारे हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती। उससे 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुझे बताया गया है कि करीबन एक करोड़ रुपया उस पर खर्च भी हो गया है। इसीलिये उस योजना को समाप्त कर दिया कि शेर भाग जायगा वहां से। वन आदमियों के लिए है। वन सारे के सारे हमारे लिये लाइफ लाइन है, अत्यन्त आवश्यक चीज है। परन्तु जो उस आदमी के लिए आवश्यक है, अगर उस

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आदमी को ही समाप्त कर दिया जाय, उस आदमी की प्रगति को ही रोक दिया जाय, तो यह सोचना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं था कि वह शेर भाग करके कहां अमेरिका जाने वाला था, वहां पर वह बन जाता साल दो साल में, शेर तो वहीं रहने वाला था। फिर बढ़ जायगा, एक जमाना था वहां पर 500 शेर थे, अब पता नहीं दो तीन भी हैं कि नहीं। वन विभाग की जो वहां पर एन्ट्री है उसको रोक दीजिए फिर शेर तो अपने आप बढ़ जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को, भारत सरकार से पुनः इस बारे में बातचीत करे और बातचीत करके इस योजना को पुनः वहां पर लायें जिससे उस योजना के द्वारा उस सारे के सारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो सके।

मैं दो शब्द सामुदायिक विकास पर भी कहना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न प्राइमरी शिक्षा के बारे में है। आज बताया जाता है कि 30929 प्राइमेरी स्कूल हैं। होंगे जरूर होंगे। परन्तु मेरे क्षेत्र में तो ऐसी स्थिति है जहां पर सौ बच्चे पढ़ने वाले हैं, आसन में मैं गया, आसन और घाटना के बीच में एक नाला है उसमें सदा पानी भरा रहता है कम से कम 6-6 फीट। उधर की तरफ सौ बच्चे हैं वहां स्कूल नहीं है और घाटना के अन्दर स्कूल है वहां से इन बच्चों को कहा जाता है कि वहां जाइयेगा। स्कूलों के लिए न मकान है, न कहीं पर छत है, पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। अब इस बरसात के अन्दर सैकड़ों हजारो ऐसे स्कूल हैं जहां पर बारिश आ जाय तो बैठने की जगह नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सड़क खराब बन जाय तो दो वर्ष के बाद ठीक हो सकती है, जब भी किसी का ध्यान आ जायगा, यदि कोई मकान गलत बन जाय तो उसे ठीक किया जा सकता है। परन्तु जो आज बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा के बारे में हमने नेग्लीजेन्स बरती, उन बच्चों की शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया तो 20 वर्ष बाद वह जो फसल बच्चों की आने वाली है, वह जब हमारे जैसे जवान और बड़े आदमी होंगे, तो वह देश के लिए क्या कर सकेंगे। उनके यदि व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ तो। किस प्रकार की आज हमारी प्राइमरी शिक्षा है उस प्राइमरी शिक्षा के अन्दर जिस प्रकार का व्यक्तित्व बना रहे हैं, जिस प्रकार की हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनमें राष्ट्रीयता, उनमें निष्ठा देश प्रेम या सरकार प्रेम या किसी पर प्रेम पैदा होगा ? जिनको बैठने की जगह नहीं, सिर छिपाने को ऊपर कोई छत नहीं, पढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं, पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं, खास तौर से 50 पर्सेण्ट जो मास्टर हैं वह तो जाते ही नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं जाते, मौजूद ही नहीं होते वहां।

इसी प्रकार मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। लम्बी चौड़ी बात नहीं। सिर्फ हैण्ड पम्प के बारे में बात कहना चाहूंगा। यह भी पंचायतों के पास में रख रखाव की चीज है ? 300 हैण्ड पम्प हैं, 150 सदा खराब रहते हैं। मैं तो पिछले दस वर्ष से देख रहा हूं। प्रत्येक बार कोई न कोई बात होती है, एक अभियान चला

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दिया। वह 150 ठीक होते हैं फिर दूसरे 150 खराब हो जाते हैं। वह व्यवस्था स्वयं में ही दोषपूर्ण व्यवस्था है। जिस प्रकार के वहां पर टैक्नीशियन या मिस्त्री लगाये हुए हैं, जिस प्रकार उनको 150 रुपया देने की बात है और जिस प्रकार से वह ठीक करने की बात है, वह ठीक कम करते हैं, खराब ज्यादा करते हैं। इस व्यवस्था के अन्दर आपने कोई चीज नहीं की तो यह पानी की व्यवस्था प्रत्येक मई और जून के अन्दर वही बात होगी, फिर कोई न कोई अभियान चला दिया जायगा, उस अभियान से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। मैं आपके माध्यम से सामुदायिक विकास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके कोई नई व्यवस्था पैदा करें तो सारी की सारी परेशानी का विषय है उससे हम पार पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचंद विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की मांग के संबंध में मैंने चार कटौती प्रस्ताव दिये हैं। पहला प्रस्ताव है वन विभाग द्वारा मरुस्थलीय वृक्षों, झाड़ियों की अवहेलना, दूसरा है रखवाली के लिये जो कांटों के तार वगैरह लगाये जाते हैं प्लांटेशन, उनके बारे में, तीसरा है ईंधन की लकड़ी के कोई वृक्ष नहीं लगाना और चौथा है सड़कों के किनारे जो पुराने वृक्ष हैं वह एक षड्यंत्र के अनुसार सुखाये जा रहे हैं, और उनको बरबाद किया जा रहा है।

वैसे हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं, वह रिजर्व फारेस्ट के प्रबन्ध के बारे में तो अच्छा ज्ञान रखते हैं लेकिन मरुस्थलीय वृक्ष, झाड़ियां या वहां के वन हैं उनके बारे में उनकी जानकारियां बहुत सीमित हैं और खतरा यह लगता है कि जिस तेजी से ये मरुस्थलीय वृक्ष और झाड़ियां काटी जा रही हैं, यह अगर काट ली गई और दुबारा नहीं लगाई गई तो भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब हमारा मरुस्थल, अभी तो इसमें आबादी बसती है, कतई तौर मरुस्थल हो जायगा, इलाका सूख जायगा और पशुधन मर जायगा। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है यह संसार के जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें सबसे घनी पशुओं की और मनुष्यों की आबादी उठाये हुए है। यहां के पशु भी ऐसे हैं, भारत की 12 दुधारु गायों की नस्लों में से 6 सबसे सुन्दर नस्ल मरुस्थल में होती है। संसार का सर्वोत्तम ऊंट राजस्थान का होता है। हिन्दुस्तान की आधी ऊन हमारे राजस्थान की भेड़ें देती हैं। बकरियों की संख्या भी अनाप-शनाप है। यानि इतना और इस क्वालिटी का पशुधन हमारे मरुस्थल में है और मनुष्य भी सम्पूर्ण देश में सबसे सुन्दर, हुष्ट-पुष्ट और कद्दावर मरूस्थल में ही बसते हैं। इन विशेषताओं का आखिर कारण क्या है ? पशु इसलिए अच्छे हैं कि वहां पर जितने भी पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास है, वह पशुओं का श्रेष्ठ पशु आहार है। कहा जाता है कि हरे घास के बगैर जानवर अच्छा नहीं हो सकता और हरा घास तो सबसे ज्यादा गंगा-यमुना नदियों के किनारे है लेकिन वहां के गाय का कद बकरी या भेड़ जितना है और हमारी सूखे में बसने वाली गायें, देश की 6 श्रेष्ठ नस्लों की गायें मरुस्थल में होती हैं। इसका

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कारण हमारे वृक्ष, झाड़ियां और घास है।

जोधपुर में मरु अनुसंधान केन्द्र भी है, खेती का विश्वविद्यालय भी है लेकिन आप एक पुस्तक ऐसी नहीं देखेंगे, जो हमारी अर्थ, व्यवस्था का आधार है, मरुस्थल के वृक्ष और झाड़ियां उनके बारे में लिखी हुई हो या किसी ने कोई अनुसंधान किया हो। बड़े-बड़े कालेजेज हैं लेकिन खेजड़ी, रोहिड़ा, कैर और यहां के घास-पात के बारे में किसी परदेशी ने भले ही कुछ लिख दिया हो लेकिन हमारा कहीं कोई साहित्य नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है। हमारे वन विभाग के अधिकारी भी जो भारत के हरे-प्रदेशों का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही उनको पढ़ाया जाता है क्योंकि यहां पर कोई वनों के प्रशिक्षण का संस्थान हैं नहीं इसलिए यहां की स्थानीय समस्याओं का भी इन लोगों को ज्ञान नहीं होता और नतीजा यह हो रहा है कि गलत योजनाएं कई तरह के दुष्परिणाम ला रही है और यह जो गलत तरीका हमने पकड़ रखा है उसके कारण हमारी अर्थ व्यवस्था को, हमारे समाज को बड़ी भारी क्षति पहुंचेगी। कुछ दिन पूर्व मैंने विधान सभा में एक प्रश्न दिया था और कहा था कि वन विभाग स्थानीय वृक्षों को बढ़ावा नहीं दे रही है। विभाग से उत्तर आया कि 30% स्थानीय वृक्ष हम लगाते हैं। इससे अधिक मिथ्या कथन हो नहीं सकता। हमारी मंत्री महोदया भी मरुस्थल की निवासी हैं, सब जगह फिरती हैं, मरुस्थल को जानती हैं। मैं भी जानता हूं। स्थानीय वृक्ष आपने प्रयोगशाला में लगा दिये होंगे और जल गये होंगे तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने कहीं कोई प्लान्टेशन स्थानीय वृक्षों का नहीं देखा। यह कितनी बड़ी कमजोरी है हमारे विभाग में, यह आप लोगों के स्वयं सोचने की बात है।

खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में फसल दुगुनी होती है। संसार में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसके नीचे फसल अच्छी होती हो। खेजड़ी को खेत में कितना ही लगा दीजिए खेती को कोई नुकसान नहीं होगा और खेजड़ी का लाभ भी मिलेगा। मरुस्थलीय वृक्षों की एक विशेषता है, मैं अपने अनुभव से जानता हूं, किसी किताब से नहीं कि यह सब के सब वृक्ष और झाड़ियां श्रेष्ठ पशु आहार हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपके जो एग्जोटिक ट्रीज हैं, उनमें अगर कोई जानवर मुंह डाले तो तीन फीट पीछे से डाली टूटती है। मरुस्थलीय वृक्ष का लाभ यह है कि जितना जानवर के दांत के नीचे आएगा उतना ही कटेगा। नतीजा यह है कि पशु इसको खत्म नहीं कर सकते और दूसरी यह कि मरुस्थलीय वृक्ष की एक जड़ रह गई तो फूट कर नया वृक्ष बन जाएगा। इसलिए नये लगाने की जरूरत नहीं है। वृक्ष ऊपर से काटा हुआ भी अगर उनको सुरक्षा देंगे तो क्योंकि रूट सिस्टम स्टाउट है, कुछ वर्षों में पूरा वृक्ष बन जाएगा।

मैं आपका ध्यान जोधपुर और जैसलमेर के हवाई अड्डों की ओर आकर्षित करूंगा। जोधपुर हवाई अड्डे पर खेजड़ी और कैर का इतना सघन वन है कि हथेली देकर निकल जाओ तो वहां वापिस लौट नहीं सकते और वहीं पर नीम भी उनके साथ लगाये गये हैं। हालांकि नीम के वृक्ष ऊंचे होते हैं लेकिन यहां इनकी ऊंचाई बराबर सी है। इन वृक्षों के बारे में कहा जा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहा है कि यह बहुत धीमे बढ़ते हैं। यह भी धारणा मिथ्या है। न तो मरु अनुसंधान केन्द्र ने कोई अनुसन्धान किया न आपने किया कि आखिर यह वृक्ष धीमें क्यों बढ़ते हैं और कई जगह आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान को अगर आप क्षति से बचाना चाहते हैं, इसके पशुधन को बचाना चाहते हैं तो आपको स्थानीय वृक्षों और झाड़ियों को प्रोत्साहन देना होगा वरना हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। मेरे संसार भर के सभी मरूस्थलीय क्षेत्र देखे हुए हैं। हमारे यहां के क्षेत्र में प्रति वर्ग कि. मी. 100 लोगों की आबादी है और अन्य संसार के जितने भी मरूस्थल हैं उनमें 10% से ज्यादा आबादी नहीं है और उससे भी ज्यादा हम पशुधन लिये हुए हैं। तो यहां की धरती, यहां के वृक्षों और घास की विशेषता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनके ऊपर बल दिया ही नहीं जाता। मरूस्थल में कोई वृक्ष, झाड़ी ऐसे नहीं हैं जिनकी पत्तियां और फल मनुष्य और जानवर के खाने लायक न हों। अमेरिका में घने ही वन हैं उनको पशु खाते ही नहीं। इसलिए मैं मंत्री महोदया से खास तौर से निवेदन करूंगा कि स्थानीय वृक्षों के वन आप जानते हैं कोई कृत्रिम तरीके से नहीं लगाये जा सकते। प्लान्टेशन जरूर किया जा सकता है लेकिन वन तो प्रकृति की देन हैं और प्राकृतिक अवस्था में ही बढ़ सकते हैं। आप प्लान्टेशन लगा कर एक दो वृक्ष भले ही कर दें लेकिन यह तो एक शृंखला है। पौधे, वृक्ष, वन्य प्राणी मनुष्य एक शृंखला से बंधे हुए हैं। तो जब तक सब नहीं पनपेंगे, एक दो प्रकार के वृक्ष हो जाएंगे। तो भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आप इनका, इनकी विशेषताओं का गहराई से अध्ययन कीजिए। कैसे लगाये जा सकते हैं, किस कारण से बढ़ नहीं रहे हैं इसका अध्ययन कीजिए। जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम जिस उद्देश्य से वन लगा रहे हैं वह पूरा नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि खेजड़ी, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है एक तरह से, आप किसी शहर से जाइये, उसकी सड़कों पर आपको हरी खेजड़ी काटी हुई के गाड़े के गाड़े मिलेंगे चाहे जोधपुर हो, अजमेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोई दूसरा शहर हो और इसका कारण यह है कि वह ईंधन के रूप में ताप ज्यादा देती है। मैं मेरे निजी अनुभव से जानता हूं कि देशी बबूल की लकड़ी इससे भी सवाया ताप देने वाली है, देशी बबूल काफी जल्दी बढ़ता है और यह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है। लेकिन अगर खेजड़ियों की रक्षा चाहते हैं तो ईंधन के लिए आपको चाहे देशी बबूल हो, चाहे बिलायती बबूल, जिसको जूली फ्लोरा बोलते हो, इसके अधिक से अधिक प्लान्टेशन लगाने पड़ेंगे ताकि हम हमारी खेजड़ी और दूसरे जो मरूस्थलीय वृक्ष हैं, इन वृक्षों को हम बचा सकें।

तीसरी बात, आपने भी, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वहां से चाहे दिल्ली की तरफ जाइये, चाहे अजमेर की तरफ जाइये, चाहे अजमेर से जोधपुर की तरफ जाइये। आजकल हम देखते हैं कि सौ-सौ वर्ष पुराने खास तौर से नीम के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, ये सूख रहे हैं बड़े-बड़े। और सूखने का कारण क्या है ? मैंने देखा है कि उनकी छाल को उतार देते है, जिससे वृक्ष कुछ अर्से में बीमारी लग करके सूख जाता है। अपना चमड़ा उतारो तो अपन भी दो दिन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में मर जायेंगे। यह सिस्टेमेटिकली काम हो रहा है। और एक-एक वृक्ष में आपको कहता हूं, पचास हजार और साठ हजार का है और इन वृक्षों को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है एक साजिश के अनुसार। यह आपके विभाग में है या पी. डब्ल्यू. डी. में है। मंत्री महोदया, इसको गहराई से देख कर ऐसा कृत्य जो लोग कर रहे हैं, उनको आपको दण्डित करना चाहिए। एक तरफ हम वृक्ष लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वृक्षों को समाप्त किया जा रहा है। हमारे यहां पर हम मैटिरियल पर ज्यादा व्यय कर रहे हैं। और मुख्य बातों पर कम कर रहे हैं। एक उदाहरण में देता हूं। हमारे जैसी जलवायु वाला, हमारे जैसे भूगोल वाला प्रदेश है--बनास कांठा-गुजरात का। यहां आप देखेंगे, हम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं। एक पड़ौसी राज्य जहां पर पानी वगैरह की उपलब्धि भी अपने जैसी ही है। वहां के आप वन देखिये, जो उन्होंने लगाये हैं और एक अपने देखिये। वनों के मामले में वृक्ष कितने ही गिनाते हों, लेकिन हमारी जो उपलब्धि है, जितना व्यय हुआ है, उसके मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने वन लगाने के लिए क्या रणनीति तैयार की है? वे कांटोदार तार, और लकड़ी का एंगिल लेन को कतई काम में नहीं लेते। जहां उनको प्लांटेशन सड़क के किनारे या कहीं भी लगाना हो, पहले वे थोर लगाते हैं। दो साल पहले। ताकि थोर केक्टर उसकी एक बाड़ हो जाती है और वह बाड़ रखवाली का काम देती हैं। आप जानते हो कि थोर बढ़ने के बाद में तो उसमें से हाथी भी नहीं निकल सकता। न उसकी कोई चोरी कर सकता। ये तार तो आप जानते हो आधे तो चोर लिये जाते हैं। आधे खत्म हो जाते हैं। ये पूरी वृक्षों की रखवाली भी नहीं करते। तो मंत्री महोदया, कोई आप गुजरात पधारियें, ये जो वाहियात का हमारा इस पर खर्चा हो रहा है इस खर्चे को आप बचाइये। अपने प्रदेश को बचाइये। और वन ज्यादा से ज्यादा लगावें, इस बात पर ध्यान दीजिये। अपने जो वृक्ष- हैं उनका मुकाबला अपनी जलवायु में, अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए दूसरे किसी प्रकार के वृक्ष नहीं कर सकते और ये अगर खत्म हो गये तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा पशुधन और हमारी धरती जो है उड़ जायेगी, समाप्त हो जायेगी। ये बड़ा भारी अनुसंधान करते हैं कि मरूस्थल आगे बढ़ रहा है और सेंड ड्यूम्स स्टेब्लाइजेशन के लिए क्या करें। मुझे हंसी आती है, किसी गांव वाले को हंसी आती है, मरू अनुसंधान केन्द्र जो है, उन्होंने उसके लिए वह तरकीब निकाली है कि सूखे हुये सनिये को एक छोटी सी हौज बना देते हैं, उससे आंधी के अन्दर रेत आगे नहीं चलती हैं, उसके फोटो भी हैं, और उसकी पुस्तकें भी आती हैं। ये सब जो अधिकारी विराजमान हैं ये मंत्री महोदया, जानती हैं कि सिणियां एक-दो इंच पानी के अन्दर ही हो जाता है। यह जमीन को इस तरह से ढांक लेते हैं तीन या चार साल के लिए कि इसमें से एक रेत का कण भी नहीं उड़ सकता। पशुओं का यह आहार है ही। कई काम आता है और दूसरा जो तूंबा है, तूंबे की बेल है, वह गलीचे की तरह टिब्बों को ढांक देती हैं और उससे हम बहुत सस्ते में, न्यूनतम पानी में सेंड ड्यूम्स स्टेब्लाइजेशन कर सकते हैं। सड़कों को और नहरों को सबको बचा

(श्री पूनमचंद विश्नोई)

सकते हैं। लेकिन स्थानियता का हमारे अधिकारियों को ज्ञान नहीं है। और नतीजा यह है कि कई तरह के प्रयोग किये जा रहे हैं। जो चीज हमारे पैरों में पड़ी हुई है, उसको हम देख नहीं रहे हैं।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(4.35 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6 जुलाई, 1990 को मध्यान्ह पश्चात् तीन बजे माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में हुई। विचार-विमर्श के उपरान्त समिति सिफारिश करती है कि 19 जुलाई एवं 20 जुलाई, 1990 को सदन में लिये जाने वाले कार्यों का बंटवारा निम्न प्रकार किया जावे।

गुरूवार, दिनांक 19 जुलाई—राजस्थान विनियोग संख्या–4 विधेयक 1990 पर विचार एवं पारण

शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई, 1990

पहला : राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 पर विचार एवं पारण।

दूसरा : गैर सरकारी कार्य दिवस : मध्यान्ह पश्चात् 3 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 5 बजे तक।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

मांग सं. 9 व 41 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप। (अनुपस्थित)

श्री मदन दिलावर।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने रामस्वरूप, जनता दल।

श्री रामस्वरूप : नहीं साहब, मेरा नाम है इसमें, आप लिस्ट में देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है....। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : आप बोल लेना, मैं एक मिनट....।

Page No. 169

(169)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, वे कुछ बोल रहे हैं, वे कुछ पूछ रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ कि श्री रामस्वरूप जी को तुरन्त अपने गांव जाना पड़ गया, इसलिए अभी वे जीप लेकर गये हैं और वे मुझे कह कर गये हैं कि मेरी जगह....।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं....।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मौजूद हूं, रामस्वरूप मेरा ही नाम है, इसमें 147 नम्बर लिख रहा है....।

श्री नत्थी सिंह : हो क्या जनता दल के ? हैं, बोलो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो आपको भी पता होगा कि किधर बैठा हुआ हूं मैं। यह तो आप देख लो। 147 नम्बर लोकदल का है या कांग्रेस-आई का।...

श्री अध्यक्ष : नहीं रामस्वरूप जी, आप विराजिये। श्री रामस्वरूप (जनता दल) के बाद श्री मदन दिलावर। आपका जब आयेगा तो मैं बोल दूंगा। रामस्वरूप दो हो गये तो अन्याय क्या हो गया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आ गया है न।

श्री अध्यक्ष : आपका नहीं है। रामस्वरूप जनता दल बोला है मैंने। मैंने आवाज दी है रामस्वरूप जनता दल। आप हैं क्या ?

श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अटरू में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है। हाड़ौती में एक कहावत है कि आंधी, पीसे कुत्ता खावे, यह वाली कहावत पूर्व कांग्रेस सरकार ने चरितार्थ की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलोद, देवपुरिया आदि गांवों के आस-पास जितने जंगल थे वहां जानवर—शेर, चीते नदियों के आस-पास पानी पीने आया करते थे। लोग जंगल में जाने से डरते थे। परन्तु आज हम देखते हैं कि वहां पेड़ भी दिखाई नहीं देता। टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी एक सागवान का पेड़ वहां दिखाई नहीं देता जबकि वह जंगल सागवान के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस के एक बहुत बड़े पूर्व नेता दौजमल ने सारे के सारे वनों को मंत्रियों को पैसे दे देकर काट कर रख दिया है। अधिकारियों की जेबें भरी हैं और कांग्रेस के नेताओं ने अपने पेट मोटे कर लिये हैं...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका नम्बर पहले आ जायेगा....

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यदि वनों का कटाव नहीं रुका तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि तेजाब की वर्षा होगी और यहां के मानव, वन्य जीव सारे के सारे मारे जायेंगे। यह भ्रष्ट कांग्रेस के सिर पर आने वाला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ोरा गांव के आस-पास घना जंगल है परन्तु जंगल को काट-काट करके अवैध खनन किया जा रहा है। यह पूर्व कांग्रेस सरकार की शह पर हो रहा था लेकिन अब तो हमने बंद करवा दिया है....

श्री रामनारायण वर्मा : यह चौपाटी पर बोल रहे दिखते हैं। यह सदन है।

श्री मदन दिलावर : अवैध खनन करके करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि की है, वनों का सत्यानाश कर दिया है। अब वहां ढूंढने पर भी कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर उसी क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान रखें कि जितना धीरे बोलेंगे, समय उतना ही जल्दी निकल जायेगा। इसलिए जो बात कहनी है, कह दीजिए।

श्री मदन दिलावर : दूसरी ओर उसी क्षेत्र में पौधे लगाने के नाम पर हजारों रुपये हड़पे गये, डकार गये और मोटे पेट कर लिये। मेरे यहां के एक कांग्रेस के नेता को पिछले साल लगभग चालीस हजार रुपये डी. आर. डी. ए. के थ्रू दिये गये। जहां न पौधे मिले....

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा-सा संयम बरतने के लिए कहें।

श्री मदन दिलावर : आज एक भी पौधा दिखाई नहीं देता। फिर भी वह पंचायत समिति में पुनः पौधों के लिए पैसा लेने के लिए आ गया था....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके लिए नहीं कह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मैंने वर्तमान प्रधान साहब से कहा कि वही डकारने वाले हैं, इनको नहीं देना चाहिए। जंगलों के लिए मेरा एक सुझाव है, निवेदन है कि जंगलों में जो वनवासी रहते हैं जंगलों की उपज पर उनका ही अधिकार होना चाहिए। जैसे तेंदू का पत्ता है औषधियां हैं, पत्ता होता है, सूखी लकड़ियां होती हैं, उन पर उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए। अन्यथा जो अधिकार आज तक नहीं दिया गया उसकी एवज में किस प्रकार से वनवासी पिट रहे हैं ? किस प्रकार धर्मान्तरण करवाने की साजिश करवाई जा रही है ? वे गरीब हैं इसलिए और भी लोग आकर उनको प्रलोभन देकर धर्मान्तरण करवाने का प्रयास करते हैं। इसमें कांग्रेस की मिलीभगत है और यह देश के टुकड़े करवाने पर आमादा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि उन लोगों को वन उपज का अधिकार दिया गया तो वे आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ होंगे, राष्ट्र द्रोही लोगों के बहकावे में नहीं आयेंगे और अपना धर्मान्तरण नहीं करेंगे....

श्री लालचन्द डूडी : धर्म भी बच जायेगा।

श्री मदनलाल दिलावर : धर्म भी बचेगा। मेरा आपसे निवेदन और है कि जो पौधे लगाने पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं उसका एक जीता-जागता उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जयपुर जिले में, वह तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं हमारे अभयारण्य में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। 1987 में वहां कुछ जानवरों की खालें पकड़ी गयी थीं, अवैध शिकार किया था कुछ लोगों ने कांग्रेस की मिलीभगत से। उनको नहीं पकड़ा गया। प्रभावशाली नेताओं को नहीं पकड़ा गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, वनों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है या कांग्रेस के सम्बन्ध में ?

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, बंदूकें पकड़ी गई, शिकार पकड़े, खालें पकड़ीं, वहां आदमी पकड़े लेकिन उनके प्रभाव के कारण उनको छोड़ दिया गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो अवैध शिकार होता है उसको रुकवाने का आप पूरा प्रयत्न करें और जो घूंसखोरी हैं, अधिकारियों की + + + चल रही है उसको समाप्त करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाह रहा था सामुदायिक विकास के बारे में। अटरू तहसील के साथ जान-बूझ करके पूर्व सरकार ने भेदभाव की नीति के कारण ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के तहत नहीं लेकर वहां के छोटे-छोटे बालकों, विद्यार्थियों और जो वहां के गरीब लोग थे उनके साथ धोखा किया है। वह इतना गरीब क्षेत्र है कि न वहां बिल्डिंग हैं, न बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाने के लिए मां-बाप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए उनको यदि तरह-तरह की सुविधायें दी जाती तो मैं समझता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बालक पढ़ कर शिक्षित होने में अग्रणी होते। परन्तु इनकी नीति के कारण ऐसा नहीं हो पाया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र को ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में लेंगे।

दूसरी बात, जो ग्राम पंचायतों द्वारा जो भवन निर्माण करवाया जाता है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कई प्राथमिक शालाओं के भवन गिरने वाले हैं। एक-दो भवन तो गिर चुके हैं जैसे सहरोद का भवन। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सहरोद गांव है। भगवान ने बचा लिया, बच्चे नहीं मरे और दो पट्टियां टूट कर भवन गिर गया। इसी तरह कई स्कूल गिरने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनकी जांच करवायें और जिन लोगों ने इसमें पैसे खाये हैं उनको निकलवायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या 9 और 41 के बारे में चर्चा चल रही है (व्यवधान)....

आपको कुछ कहना है तो आप कहिये, मैं बैठ जाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह मसला बहुत अहम है। राजस्थान में जिस गति से जंगल काटे जा रहे हैं, कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है, यह तो जो जांच आयोग आजकल रोजाना बैठाये जाते है वे लोग ज्यादा कह सकते हैं, मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां घने जंगल थे, जहां जंगली जानवर बड़ी तादाद में रहते थे। आज की तारीख में वहां न तो जंगल हैं न जंगली जानवर।

मेरे क्षेत्र में गोवरिया राड़ी है एक। दो मीटर जिसका घेरा पेड़ का है, उससे भी ज्यादा बड़े-बड़े पेड़ हमने देखे हैं। हजारों रुपये का खर्चा उस पर गवर्नमेंट बताती है। क्या कारण है कि न तो वहां

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण वर्मा)

पेड़ हैं, न पेड़ पैदा किये जा रहे हैं ? इनके कर्मचारी वहां क्या करते हैं ? कितने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यह तो माननीय मंत्रीजी ज्यादा जान सकती हैं। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि जंगलों को बचाने का कोई सर्वसम्मत तरीका निकाला जाना चाहिए। यदि जंगल नहीं बचे तो कितनी समस्याएं पैदा हो जायेंगी ? जंगल बचाने का कोई तरीका निकालना चाहिए। गांव वालों पर इल्जाम लगाया जाता है कि जंगली लकड़ी काट कर ले जाते हैं। शहर में गैस कनेक्शन्स होते हैं। माननीय अध्यक्षजी, आज की तारीख में गांव वाले शहर में कनेक्शन लेने आयें तो कनेक्शन्स नहीं दिये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसी स्थापित की जायं तो निश्चित तौर पर जंगलों की बचत होगी, जंगल कम कटेंगे। अभयारण्य के बारे में महुआ से आने वाले आदरणीय हरिसिंहजी साहब ने काफी कुछ कहा। अभयारण्य पेड़ों को देख कर, जंगली जानवरों को देख कर घोषित किया जाता है। मेरे नैनवा क्षेत्र में रामगढ़ अभयारण्य है। मुझे पूरी जानकारी इस बात की है कि रामगढ़ में जंगली जानवरों को पीने के लिए पानी ही पूरा नहीं है। मेज नदी है, चार महीने उसमें पानी रहता है, बाकी समय पानी सूख जाता है....

यहां पीने के पानी के लिए न तो एनीकट हैं, न इस तरह की अन्य कार्यवाही की गयी हैं। रामगढ़ अभयारण्य के बीच में तलाश गांव के पास अजीतगढ़ में बड़े-बड़े टांके हैं। जंगल विभाग चाहे तो टांके की सफाई करके पीने का पानी वहां के जंगली जानवरों को उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गयी है। सरकार वनों की सुरक्षा, वनों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कहती आयी है कि 10 हजार पेड़ लगाये जायेंगे। हर वर्ष पैसा खर्च किया जाता है। उसके बारे में क्यों नहीं रिपोर्ट तैयार की जाती है ? उसके बारे में पूरी जांच क्यों नहीं की जाती है ? हर वर्ष इतने पेड़ लगाये जाते हैं पर पेड़ का हिसाब क्या है ? पेड़ पैदा क्यों नहीं हुआ ? यह सारी की सारी बात है।

एक दूसरी बात निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यूकेलिप्टस और कुबबूल की। पहाड़ों में जिस तरह से कुबबूल की बढ़ोतरी हो रही है, यह सबसे खतरनाक बात है। यह जमीन के उपजाऊपन को खत्म कर रहा है। इसलिए जो कुवबूल हेलीकाप्टर से गिराने की बात और कुवबूल पैदा करने की बात है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाय।

एक मैं रामगढ़ के बारे में निवेदन कर रहा था। रामगढ़ में कालान और मूड़ली के पास एक एनीकट की जमीन है। यदि एनीकट बना दिया जाता है तो धीरे-धीरे झरने की तरफ बहने से या भरा होने पर जंगली जानवर जो गर्मियों के दिनों में अभयारण्य को छोड़कर चले जाते है वे नहीं जायेंगे और उनको पानी मिलेगा।

कन्दरा सुधार परियोजना भूमि को स्थिर करने के लिए काम में ली जाती है। ऐसी जगह जहां पर इस योजना पर काम चल रहा है और वहां पर जंगलों में एनीकट बनाये जा सकते हैं तो उनको बनाया

(श्री रामनारायण वर्मा)

जाना चाहिए। मेरे उसी अभयारण्य में अकाल राहत में काम देने के लिए सड़क मंजूर की गयी पर मैं नहीं समझा कि उस सड़क का काम जंगलात विभाग द्वारा क्यों रोका गया? जबकि उस सड़क से जंगल की रक्षा की जायेगी, जंगल की सुरक्षा को ही फायदा होने वाला था। गांव वालों को तो केवल मजदूरी मिलने वाली थी। इस तरह के काम जो जंगलात वाले बिना सोचे समझे करते हैं इन सारी बातों पर अंकुश होना चाहिए।

एक, दुगारी के तालाब में काफी पक्षी आते हैं। उसको बर्ड्स के लिए घोषित भी किया गया लेकिन आज की तारीख तक उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके डवलपमेण्ट के लिए कुछ नहीं किया गया। दुगारी कोटा जिले में एक ऐसी जगह है जहां बर्ड्स सबसे ज्यादा आती हैं, बाहर से बर्ड्स आती हैं लेकिन उनको ठहराने के लिए और दूसरे इन्तजाम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न नहीं किये गये हैं।

मैं जंगलात के बारे में जंगल विभाग किस तरह से काम करता है उसका नमूना प्रस्तुत करूंगा। नैनवा तहसील में एक देई गांव है वहां पंचायत जंगलात की जमीन पर पट्टे काटकर दे रही है। मैं सामुदायिक मंत्रीजी से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि देई गांव की पंचायत जंगलात की जमीन पर अवैध पट्टे काटकर दे रही है। उसके बारे में मंत्री महोदय से शिकायत की, जिला कलेक्टर को शिकायत की यह मामला प्रूव्ड है, काफी जमीन में पट्टे काटे गये हैं लेकिन आज दिन तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रहे हैं। यह सारी स्थिति आज वनों की है जबकि एक आटोनोमस बाडी इस तरह से अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर गलत कामों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास पर थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जाय, यहां तक तो स्वीकार है, पर पैसा बर्बाद हो? गांव में सार्वजनिक शौचालय के नाम पर पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। हर पंचायत समिति से कहा जाता है कि शौचालय बनाओ जबकि गांव के लोग फारिग होने के लिए शौचालय नहीं जाते है। जो शौचालय बने हैं उनमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग है, न वहां किसी तरह की सफाई का इन्तजाम है। दूसरी तरफ हम जहां सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं वहां यह शौचालय इस तरह बनाये जाते हैं ताकि हरिजन सर पर मैला ढोये। इस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको खत्म किया जाय। अन्त में इसी आशा के साथ....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य (अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 9-वन व 41-सामुदायिक विकास पर विचार एवं पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगे पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 9 व 41 पर विचार

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। वह पूरा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जहां आदिवासी रहते हैं। जंगल आदिवासियों के लिए आजीविका के मुख्य साधन हैं। जंगल से उत्पन्न होने वाली लघु वन उपज का उपयोग आदिवासी अपनी आजीविका के लिए करते हैं। आज हालत यह हो गयी है कि चारों तरफ जंगल का कटाव धड़ाधड़ हो रहा है हमारे पास में एक बारां कस्बा है। वहां के बड़े-बड़े ठेकेदार फॉरेस्ट के अधिकारियों से मिलकर सारे सागवान को का कटवाकर नाके से पास कर रहे हैं। हालत यह हो गयी है कि पहले किशनगंज-शाहबाद में इतना घना जंगल था कि क्या कहने, पर आज जंगल ढूंढने से भी दिखायी नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ जंगल से संबंधित मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं जिनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय की उद्घोषणा से राज्य सरकार ने आदेश निकाला है कि जिन किसानों के 1.1.71 को कब्जे थे उन कब्जों को नियमित कर दिया जायेगा। आज दिन तक यह आदेश प्रसारित होने के बाद भी किशनगंज शाहबाद छबड़ा, छीपा बड़ौद, अटरू और बांरा पूरे क्षेत्र के अन्दर किसानों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। इस आदेश के प्रसारित होने के बाद भी फोरेस्ट के अधिकारी किसानों के ऊपर उल्टी सीधी पैनल्टी लगाकर परेशान कर रहे हैं। यहां तक कि सजा भी देते हैं और पैनल्टी भी करते हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि राजस्थान में यह आदेश लागू हुआ है या नहीं हुआ है परन्तु कोटा जिले के अन्दर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ और आज किसान इस कारण से बहुत परेशान हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा, 1967 के अन्दर एक कमेटी गठित की गयी थी। उस समय वहां के

(श्री हेमराज मीणा)

जिला प्रमुख और डी. एफ. ओ. की कमेटी बनी थी। उसके अन्तर्गत कुछ जंगलात की जमीन को राजस्व भूमि में ट्रान्सफर करने के लिए कुछ निर्णय लिये गये थे। उस कमेटी के निर्णयों के अनुसार राजस्व अधिकारियों ने उस भूमि को अलाट कर दिया, पर वे किसान आज उन पट्टों को लेकर घूम रहे हैं लेकिन उस कमेटी के निर्णय की अनुपालना नहीं हुई। उसके कारण जंगलात वाले उनको परेशान कर रहे हैं जबकि राजस्व अधिकारियों ने उन को पट्टे दे रखे हैं। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी परेशानी है। इस ओर ध्यान देकर उस कमेटी के निर्णय के अनुसार उसकी पालना करायें।

कई स्थानों पर रिजर्व फोरेस्ट है। रिजर्व फोरेस्ट का अर्थ यह है कि वहां पर रिजर्व फोरेस्ट के बाद दूसरा कोई काम नहीं होगा लेकिन रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर भी अवैध खनन का काम चल रहा है। बाड़ोरा के अंदर गट्टागटी बमोरी, परानिया, राजपुर, यह मेरे विधान-सभा क्षेत्र के जो स्थान हैं, वहां पर रिजर्व फोरेस्ट होने के बाद भी अवैध खनन का कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा या तो उस अवैध खनन को बंद किया जाये या उसकी किस्म बदलकर और पट्टे दिये जा सकें, ताकि राज्य सरकार की रायल्टी का नुक-सान न हो या उसे पूर्ण रूप से बंद किया जाये। दूसरा, कुछ समय पहले राज्य सर-कार के आदेश थे कि जलाऊ लकड़ी के लिए पर्ची किसानों को दी जाती थी, अब वह पर्चियां बन्द कर दी गई हैं। उसी प्रकार किसानों के उपयोग मे आने वाले उपकरण के लिए लकड़ी की परमीशन भी मिलती थी, अब उस परमीशन के बन्द होने के कारण से किसानों को जो अपने उपयोग की लकड़ी लेता है, किसान जलाने की लकड़ी भी चोरी–छिपे जंगल से काट-कर लाता है, तो इससे अच्छा होगा कि माननीय मंत्री महोदया को निवेदन करूंगा मैं कि इस जलाने की लकड़ी लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पर्ची जारी कर दें ताकि हमारा भी नुकसान न हो और काश्तकार का भी फायदा हो सके। किसानों के खेतों की सुरक्षा की दृष्टि से झाड़–बाड़ के लिए राज्य सरकार की ओर से पर्ची दी जाती थी, अब वह झाड़–बाड़ की पर्ची भी बन्द कर दी गई है। किसान पर्ची न आने के बाद भी झाड़ भी उस जंगल में से काटता है और जलाऊ लकड़ी भी काटता है, तो इस सम्बन्ध में विशेष निर्णय लेकर माननीय मंत्री महोदया यह आदेश प्रसारित करें, ताकि किसानों को लाभ हो सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बिन्दु और है। देलवाड़ा के पास एक छिछोनी स्थान है, वहां पर रेशम कीट पालन की एक योजना फोरेस्ट की तरफ से चल रही है। वहां पर ढाई–तीन लाख रुपये फोरेस्ट विभाग के खर्च हुए हैं। हालत यह है प्रतिवर्ष वहां पर 8 किलो रेशम उत्पन्न होती है। जहां पर ढाई–तीन लाख रुपये खर्च हुए हैं, इतना खर्च होने के बावजूद भी केवल 8 किलो, 9 किलो रेशम प्राप्त होता है तो माननीय मंत्री महोदया ऐसी स्कीम को मैं समझता हूं बन्द कर दिया जाना चाहिये, जिससे प्रोडक्शन नहीं मिलता। तो इतना पैसा

(168)

(श्री हेमराज मीणा)

खर्च क्यों करें ? हम स्कीम का पैसा दूसरी जगह खर्च करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां। (अनुपस्थित)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलसुख राय। आप विराजिये। आपकी गाड़ी निकल गयी, दुबारा आये, तब बोलना। बैठिये आप।

श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत वन मंत्री महोदया को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे सीकर जिले में वन विभाग की पंचायतों के द्वारा जो कार्य करवाये जाते हैं, उनमें 5 प्रतिशत भी ऐसी कोई पंचायत नहीं है, जिसने कोई काम किया है तो उसके लिए कोई कमेटी बनाकर जिले में, उनकी जांच करवाये और दूसरी बात यह है कि जैसे रेगिस्तान में खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिससे पशुओं के लिए, काश्तकारों के लिए, चराई के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए सबसे बढ़िया वृक्ष है। ज्यादा से ज्यादा सीकर, झुंझनू, चूरू, गंगानगर, बीकानेर इस साइड में सड़क के दोनों किनारे की तरफ जहां कीकर और बबूल लगाये जाते हैं, उसकी जगह ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी और दूसरा वृक्ष है रोयड़ा। गगानगर जिले में हनुमानगढ़ से सांगरिया सड़क जाती है, उस सड़क पर तो कई जगह रोयड़े लगे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि उस साइड़ में ज्यादा से ज्यादा रोयड़ा और खेजड़ी के वृक्ष लगवायें और सड़क के दोनों तरफ जो वृक्ष लगवाते हैं तो मेरा यह भी निवेदन है कि पहले एक तरफ लगवा करके एक साल, दो साल, तीन साल के लिए एक साइड के पौधे तैयार हो जाये, तब दूसरी साइड़ में लगवाने चाहिये, गांव वालों और काश्तकारों के लिए यह दुविधा हो जाती है। चारों तरफ कंटीले तार लगा देते हैं तो खेतों में आने–जाने के लिए, काश्तकारों के लिए सड़क पर आवागमन होने के कारण से परेशानी होती है। तो पहले एक साइड़ से तैयार करवायें फिर दूसरी साइड़ से तैयार करवायें। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारे सीकर जिले में दांतारामगढ़ तहसील में सुण्डाराम प्रजापत एक काश्तकार है। उसने अपने खेत में इस तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जिसमें पानी देने की जरूरत नहीं होती। बगैर पानी तैयार किये हैं। मैं निवेदन करता हूं, मंत्री महोदया से कि वह वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर के, उसकी वहां जांच करके और वैसी स्कीम और कहीं दूसरी जगह लागू करवाने की कोशिश करें। अब मैं सामुदायिक विकास के बारे में बताना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदया को कि जो गांवों में शिक्षा के केन्द्र खोले थे, उन केन्द्रों को बन्द करवा दिया गया है। उनकी जगह प्राथमिक विद्यालय खोले जाय, जिससे गांवों के, ढाणियों के बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी। दूसरे, मिडिल स्कूल हैं, पंचायत समितियों में, जिला परिषद के नीचे हैं, उनमें हमारे सीकर जिले में देखने को यह मिला है कि वहां जिला परिषद की

(श्री दिलसुख राय)

मार्फत जहां लड़कों की संख्या 400 होती है, वहां तो सिर्फ 1–1, 2–2 अध्यापक काम कर रहे हैं और जहां पर लड़कों की संख्या सिर्फ 40–50 होती है, वहां 8–8, 10–10 अध्यापक लगा रखे हैं और इस नाम से कि डेपुटेशन कर दिया। तो इस डेपुटेशन की प्रणाली खत्म कर दी जाये और लड़कों की संख्या के ऊपर अध्यापकों का निर्धारण करना चाहिये कि 40, 50 पर एक अध्यापक होगा। इसलिए जो खामियां हैं, उनको दूर करने की चेष्टा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कांत।

श्री टीकम चन्द कांत (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, रेवदर कान्स्टीट्यूएन्सी ऐसी है कि एक तरफ तो बिल्कुल मरू है और एक तरफ आबू जैसा पहाड़ है। पहाड़ों में लगा हुआ जंगल, वन, अध्यक्ष महोदय, इन पेड़ों के साथ में हमारी प्राण वायु, पर्यावरण, पशु, पशुपालक और हमारा पेट, यह सब कुछ जुड़ा हुआ है, और अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आबू की पहाड़ियों में आग लगती है, जिस प्रकार से आबू का बांस कट कर बाहर जा रहा है, जिस प्रकार से आबू की झाड़ियां काटी जा रही हैं। उसकी जब तक सुरक्षा नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, जो हम चाहते हैं कि आबू हमारा राजस्थान का शिमला है, उसको स्वीटजरलैण्ड बनाने की बात हम कर रहे हैं। वह सारा का सारा सूखा हो जायेगा। उसके लिए आवश्यक है कि उसकी कुछ न कुछ सुरक्षा की जाये और सबसे बड़ी बात इसके अन्दर यह है कि वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य और गेम सेन्चुरी इसके तहत अलग विभाग बनाकर के आबू का प्रशासन अलग देकर डी. एफ. ओ. के अन्तर्गत जो इनका प्रशासन होना चाहिये था या जो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिये थी वह अलग होने के कारण ही सारे प्रश्न पैदा हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी एक सड़क जो आबू से 35 किलोमीटर सिरोही की ओर है, फर्क करने में आड़े आ रही है। शायद कुछ दकियानूसी पुराना एक्ट उसके रूल में आड़े आया या उसके रूल आड़े आये। उन्होंने यह समझा कि सड़क निकल जायेगी, वन खराब हो जायेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, महोदय, यहां से सड़क निकलती है, उसके किनारे तो ज्यादा हरे–भरे होते हैं इसलिए उन दकियानूसी कानून के अन्दर, उस एक्ट के अन्दर कहीं सुधार करना पड़ता हो तो भी कर कराकर ऐसे दकियानूसी कानून के अन्दर संशोधन करना चाहिये और अध्यक्ष महोदय, आबू का वन जिस समय स्थानान्तरण हुआ स्टेट से। जिस समय सरकार को स्थानान्तरित हुआ उस समय उन आदिवासियों का अधिकार उन करोंदों, जामुन, आमों और कैरियों पर था, जिनके कारण उनका पेट पलता था, उस कानून के अन्दर संशोधन हुए बिना उन आदिवासियों को वहां से करोंदा, जामुन और कैरियां लेने पर मनाही कर दी और यह जो सब कुछ हुआ उसके कारण वहां का आदिवासी जो उस पर पलता था, उसका जीवन दूभर हो गया और अभी की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री महोदया भी आबू रोड़

(श्री टीकमचन्द कांत)

और माऊंट आबू पहुंची थीं। इनके सामने भी एक शिकायत आयी थी। वन विभाग की वह कौनसी जेल थी जिसके अन्दर 58 घण्टे तक 13 आदिवासियों को रखा गया था ? भूखे-प्यासे, उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। उनका दोष इतना था कि वह जंगलों के रास्ते चलकर करौंदों के टोकरे भरकर नीचे लाये थे सिर्फ। उसके बाद जब वन मंत्री महोदय को शिकायत की गयी तो मेरा ख्याल है, तुरत-फुरत आबू के अधिकारियों ने, वन के अधिकारियों ने 51–51 रुपए की रसीद फाड़कर उनको भेज दिया। अगर वन मंत्री महोदया चाहेंगी तो मैं उन 13 लोगों के नाम लाकर दूंगा। लेकिन यह कौनसा संविधान है, अध्यक्ष महोदय ? मेरा ख्याल है कि 24 घण्टे के बाद तो कोई भी अभियुक्त होता है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है और 58 घण्टे तक भूखे–प्यासे आदिवासी उन कोठरियों के अन्दर बैठे रहे। कहां तक सम्भव है ? कैसा कानून है यह वन का ? यह जंगल का कानून है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सामुदायिक विकास की थोड़ी–सी बात कहूंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि बड़े गहन, अध्ययनशील और संशोधनयुक्त विचार माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई ने यहां व्यक्त किये। मैं उनके साथ अपनी सम्पूर्ण सम्मति जताता हूं। शायद उस प्रकार का ध्यान वन विभाग कुछ खोज करते हुए उधर लगाये मह तो हमारा भी पनप सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सामुदायिक विकास, उसके बाद दूसरी घण्टी।

अध्यक्ष महोदय, लोक स्वराज्य की बात, ग्राम स्वराज्य की बात, ग्राम पंचायत की बात, सामुदायिक विकास की बात–यह एक आन्दोलन था, श्रीमन् यह विभाग नहीं है। यह आन्दोलन समाप्त प्रायः हो गया। उसके अन्दर ग्राम को स्वराज की तरफ ले जाने वाले लोग नहीं, शासन की भूमिका निभाने वाले लोग बैठे हुए हैं। उस सांचोर में, जहां से मेरे ख्याल से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई, चार लाख रुपए खर्च करता है वहां का सरपंच अपने चुनाव के अन्दर। शासक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति शोषक बनते जा रहे हैं। हमको विचार करना पड़ेगा पूरे विभाग पर एक नये सिरे से। इनको वापस आन्दोलन बनाना पड़ेगा ताकि लोक स्वराज्य हम पैदा कर सकें यहां, हम ग्राम स्वराज्य की स्थापना कर सकें। नहीं तो यह जो भूमिका अभी रही, भ्रष्टाचार-युक्त भूमिका कि जब मालूम पड़ा कि सरकार जा रही है तो इधर से शिक्षा विभाग उनको ट्रांसफर हो गया। जिला परिषदों ने चयन करते वक्त यह नहीं सोचा कि हमको क्या करना है ? जिला पंचायत सिरोही की, जिला परिषद सिरोही की और चयन करती है डाक से चिट्ठियां भेजकर बाहर से लोगों को बुलाकर। चार–चार साल से, तीन–तीन साल से जिन लोगों ने सेवाएं कीं मास्टर के रूप में, जो प्रशिक्षित थे, जिन्होंने कम पैसों में सेवाएं दीं, अध्यक्ष महोदय, उनका चयन नहीं किया। यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस बात पर कि वह लोग....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसकी पालना किस प्रकार कर रहे हैं। एक बात और कहूं, अध्यक्ष महोदय।

(श्री टीकम चन्द कांत)

5–5 साल तक हमारे रेवदर के 36 लड़कों ने, अब तो वह आदमी बन गये हैं, नौकरी लग जाने के बाद परिवार भी कर लिये, बच्चे पैदा हो गये उनके। उनके अब जाकर पंचायत समिति से यह आदेश निकल गये कि घर जाओ, भाइयों, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। चार-चार, पांच-पांच वर्ष तक उन्होंने सेवाएं कीं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यहां से आदेश निकलता है कि अप्रशिक्षित अस्थायी लोगों को नहीं निकाला जाये। पहले मालूम पड़ जाता है कि यहां से यह आदेश निकलने वाला है, एक अधिकारी वहां जाकर पहले से इनको डाक से रिलीव कर देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की मेरी इस बात से कि उन 36 रेवदर के अप्रशिक्षित अध्यापकों को एक बार यह आशा भी बंधायी गयी कि तुमको ग्रुप सचिव में भी लिया जायेगा। मेरा ख्याल है, विभाग के अन्दर, सरकार के अन्दर फाइलें चल रही हैं। माननीय खर्रा साहब, उन 36 लोगों के लिए निवेदन कर रहा हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि उनकी रोजी छिन गयी है, उनके परिवारों में....

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़। (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री टीकम चन्द कांत : मेहरबानी करके उनको जैसे तैसे, किसी न किसी रूप में वापस ले लीजिए सेवाओं में। इतना कहने के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं यह बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पहले हमारे वनों को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। जहां भी वन होते थे वहां एक धार्मिक स्थान होता था। मेरे जिला सवाई-माधोपुर में उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि हमारे गणेश जी को जो महान तीर्थ स्थान है वहां सबसे बड़ा वन था। वही तीर्थ स्थान गणेश जी महाराज सारे वन की रक्षा करते थे और लोग उस देवता के डर के मारे वनों को नहीं काटते थे। इसी प्रकार कैला देवी का महान तीर्थ स्थान है जहां पर बहुत बड़े वन हैं आज। उस देवता के कारण सारी जगह से वन सुरक्षित थे। जहां जहां भी वन थे, पहले वहां सब जगह तीर्थ स्थान थे, देवताओं के मन्दिर। देवताओं के मन्दिर से वनों की रक्षा हो जाती थी। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज सरकार में बड़े-बडे अधिकारी, बडे बड़े देवता जो नियुक्त कर रखे हैं, सभी वनों की रक्षा नहीं करते बल्कि वनों की कटौती करवाते हैं। यही इसका एक कारण है। अगर अधिकारी कर्मचारी और लोगों ने हटाने के बाद प्रकृति पर वनों को छोड़ दिया जाय तो प्रकृति अपने आप ही इनकी रक्षा कर सकती है। प्रकृति पेड़ों को बढ़वा सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि लाखों-करोड़ों का बजट जो नये वृक्ष लगाने के लिए दिया जाता है उसकी बजाय वनों की रक्षा के ऊपर अगर पैसा खर्च किया जाय तो पेड़ तो अपने आप ही पनप जायेंगे, यह निश्चित मान लो आप। जहां भी सुरक्षा हो गयी है पहाड़ों की, जिन पहाड़ों के अन्दर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मवेशी जाने पर रोक लगा दी गयी है। उन पहाड़ों पर आज बड़े बड़े वन खड़े हो गये हैं। कौन रक्षा करता है उनकी ? इसलिए मेरा सुझाव है कि वनों के बारे में सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च किया जाय वह वनों की रक्षा के ऊपर किया जाय। चारों तरफ कांटेदार तार लगाते हैं, बहुत बजट लेते हैं उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारीगण भी बैठे हैं, यहां हमारे मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि अगर इसकी जगह कांटेदार पेड़ लगा दिये जायं तो हमेशा के लिए लकड़ी भी मिलेगी और वनों की सुरक्षा भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के वृक्ष चारों तरफ लगा दिये जायं तो बाड़ का भी काम करेंगे। इस प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनके अन्दर प्रकृति ने बड़े बड़े कांटे दिये हैं। यह कांटेदार वृक्ष इसलिए दिये गये हैं कि वनों की रक्षा हो सके। लेकिन इस सबके लिए हमको एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। आंख-मींचकर पेड़ लगाये जाते हैं, आंख-मींचकर पैसा खर्च किया जाता है। यह नहीं देखा जाता कि कौन वृक्ष कितने काम के हैं, क्या इससे मिलेगा हमको आगे चलकर ? पहले शीशम के पेड़ लगवाये जायं ज्यादा, नीम के वृक्ष के तख्त बनते हैं, वह भी काम आते हैं। यह पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक रहते हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ आजकल सफेदे का चला है। सफेदे के वृक्ष को चारों तरफ लगवा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सफेदे का वृक्ष किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यह जमीन की उर्वरा शक्ति को कम करता है, पानी को खींचता है यह सफेदे का पेड़। लेकिन यह बड़ा सुन्दर लगता है और चारों तरफ लगवा दिया जाता है। मंत्री महोदय और बड़े-बड़े लोग जो निकलते हैं सड़कों के ऊपर होकर, वाहवाही लूटते हैं उनकी, कि पेड़ लग रहे हैं, साहब, चारों तरफ। केवल सड़कों के पास यह लगा दिये जाते हैं। इसके आसपास की भूमि जो कृषि के काम आती है, वह सारी भूमि बेकार हो जाती है फसलें पैदा नहीं होतीं उसके अन्दर। इसलिए ऐसे वृक्षों को नहीं लगाकर उन वृक्षों को लगाया जाय जिनसे हमको बहुमूल्य लकड़ी मिलती है, जिनकी सैकड़ों वर्ष की उम्र होती है। पिछले पेड़ों को आप उठाकर देख लें, बड़ के पेड़ मिलेंगे, नीम के मिलेंगे, शीशम के मिलेंगे। यह सारी हमारी पुरानी वन नीति थी। उन पेड़ों को तो नष्ट किया जा रहा है और वह पेड़ लगा दिये जाते हैं जो संख्या बढ़ाते हैं। एक करोड़ पेड़ लग गये, साहब। आपने यह नहीं देखा कि उन एक करोड़ पेड़ों की उम्र कितनी है ? उनकी उम्र एक साल है, दो साल है, पांच साल है या दस साल है। उसके बाद वह जगह खाली हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाय पेड़ लगाने से पहले, कि उस पेड़ की उम्र कितनी होगी, वह पेड़ आगे चलकर क्या हमको प्राप्त होगा। आम के वृक्ष नहीं लगाये जाते। पहले के जितने भी वन हैं सब जगह आम लगाये जाते थे, आम होते थे। हमारे इतिहास में यह आया है कि भगवान राम को पहले वन जाना पड़ा था और जंगलों के अन्दर जाकर उन्होंने फल-फूल खाये थे। भगवान राम राजा बने उससे पहले जंगल का राज किया था उन्होंने। हम अगर यहां जन प्रतिनिधि बन जाते हैं, आप-हम, सब लोग कसम खाइये कि जन प्रतिनिधि बनने

(श्री रामस्वरूप मीणा)

से पहले हम भी वनों की ओर जायेंगे और वनों में जाकर तपस्या करेंगे चाहे साल भर ही रहें। इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इतिहास से हम प्रेरणा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इतिहास बताता है कि राजा बनने से पहले वन का राज भोगो, वन-सम्पदा की रक्षा के लिए अपना कार्य करो। भगवान राम ने जाकर 14 वर्ष तक वनों की रक्षा की थी, इसलिए हमको भी यह चाहिए कि हम जन प्रतिनिधि बनने से पहले····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कम से कम कुछ समय निकालकर वनों की ओर जायं और वहां की समस्याओं की जानकारी लें। यह मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए।

इसके साथ साथ दूसरी मेरी बात है कि सरकार के सामने आंकड़े पेश कर दिये जाते हैं गड्ढे खोदने के। गड्ढे खोद दिये जाते हैं लेकिन वह कोई नहीं देखता कि जितने गड्ढे खुदे हैं उतने पेड़ हैं या नहीं। इसलिए संख्या गड्ढों से नहीं गिनी जाय, संख्या पेड़ों से गिनी जाय। कितने पेड़ तैयार हुए, यह संख्या रखी जाय न कि उनके ऊपर कि कितने गड्ढे खुदे। आधे से अधिक गड्ढे उनमें ऐसे होते हैं जिनके अन्दर पेड़ नहीं होते हैं, जब सरकार उनके लिए पानी देती है, उनके लिए खाद देती है, उनकी रक्षा के लिए कांटे लगाती है, उनकी रक्षा के लिए वहां आदमी नियुक्त करती है, उसके बाद भी पेड़ नष्ट क्यों हो जाते हैं? इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है उसके बाद भी क्यों नष्ट हो जाते हैं पेड़? इसे अनिवार्य कर दिया जाय और पेड़ों की रक्षा की जाय और गिनती खड्ढों की नहीं, गिनती पेड़ों की की जाय। यह कर दिया जाय इसके अन्दर। एक मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पर जो भी 10 बीघा से ऊपर जमीन है किसान के पास इसके अन्दर भी अनिवार्यता कर दी जाय। 15 बीघा से ऊपर की जो जमीन जिसके पास होगी उसके यहां 1/2 बीघा भूमि में वन लगाना अनिवार्य कर दिया जाय। यह अनिवार्य कर दिया जाय उससे किसान को लाभ भी मिलेगा और उसके साथ-साथ हमारे वनों की पैदावार भी बढ़ेगी और वनों की हमको लकड़ी मिलेगी और उपयोगी सामान भी मिलेंगे। इसलिए वह अनिवार्यता कानून बना करके माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कानून बनाया जाय कि किसान के लिए इतनी भूमि चाहे 10 बीघा एक बिस्वा, 2 बीघा 10 बिस्वा 20 बिस्वा 1 बीघा तक जितनी सरकार उचित समझे, जितनी ज्यादा जमीन जिसके पास होगी उसके पास उतनी ही अनिवार्यता बढ़ा दी जाय जमीन की वन लगायेंगे उसके अन्दर। अनिवार्य कर दिया और यह अनिवार्यता तब होगी जब उनको वनों की शिक्षा भी साथ में अनिवार्य कर दी जाय। विद्यार्थियों को वनों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। वनों के बारे में उनको बताया जाय कि ये वन ही हमारे रक्षक हैं, ये ही हमारे को जल देते हैं, ये ही औषधियां देते हैं, ये ही हमारे देश की रक्षा करते हैं इसलिए वनों के बारे में शिक्षा बच्चों को भी दी जाय और इन वनों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय यह मेरा आपसे सुझाव है।

(175)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे अगर वनों को सरकार बढ़ाना चाहती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनकी रक्षा करना चाहती तो जो लोग इसमें भ्रष्टाचार करते हैं जो पैसा खाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द किशोर शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री किशन गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह भाद्राजुन।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, वन कट रहे हैं, वन काफी साफ हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है इसके बारे में माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिये। इसके बारे में कुछ ऐसे पाइन्ट निवेदन करना चाहूंगा जिससे कि वनों की कटाई कैसे रोकी जाय, इसके अन्दर रुकावट है यह तय की जाय और वन अगर लगाये जा रहे हैं तो उनको किस रूप में लगाये जाय जिससे कि इनको लगाने में व्यक्तिगत लगाव जनता का हो। मैं यह मानता हूं कि वन विभाग वन नहीं लगाता। वन विभाग वन लगाने की तकनीक तो हमको समझा सकता है उसके लगाने का तरीका हमको बता सकता है उसमें पौध तैयार कर सकता है लेकिन वन तो गांवों में रहने वाले लोग ही लगा पायेंगे और वो ही इनको संभाल पायेंगे और उनका व्यक्तिगत लगाव वनों से नहीं होगा, पेड़ से नहीं होगा तब तक वन नहीं पनपेंगे।

एक तो वनों की कटाई होती है वह आवश्यकता की वजह से होती है जैसे गांव का व्यक्ति जिसको रोटी बनानी है उसको खाना पकाना है तो उसको ईंधन चाहिए ही। हमारे पास में इतनी गैस नहीं है, हमारे पास इतना केरोसिन नहीं है कि हम उनको वन कटने देने की बजाय हम उनको केरोसिन और गैस सप्लाई कर दें और वन कटना बन्द हो जाय।

लिहाजा यह जो वन की कटाई होती है वह जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते हैं ईंधन के मामले में तब तक हमें काटने देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ में अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए जो लकड़ी काम में ली जा रही है उसके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। क्या राज्य सरकार ऐसा कानून बनाने का विचार कर सकती है कि मकान बनने के लिए आपको यू. आई. टी. से परमिशन लेनी पड़ती है, मकान बनाने के लिए जब आप अपना प्लान एप्रूव्ड कराते हैं तो उस पर लगने वाली लकड़ी का जो प्रतिशत कोस्ट है उस कोस्ट को भी उस मकान के हिसाब से अंदर जुड़वाया जाय कि अगर आप अपने मकान में 57 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसमें आधा पर्सेन्ट, एक पर्सेन्ट, 2 पर्सेंट या 5 पर्सेन्ट से ज्यादा उसमें बुड या लकड़ी या इमारती लकड़ी काम में नहीं आयेगी। जब तक आप लकड़ी की खपत को रोकेंगे नहीं, जब तक आप लकड़ी के प्रति व्यक्ति के लगाव को रोकेंगे नहीं, तब तक वन की कटाई को आप रोक नहीं सकते। जैसे एल्यूमीनियम है एल्यूमीनियम में दरवाजे, एल्यूमीनियम की खिड़कियां, एल्यूमीनियम की चौखट या पत्थर की चौखट लगा करके आप

(श्री गोपाल सिंह)

वहां से लकड़ी को हटा सकते हैं। आपका सोफा-सैट बन रहा है, कुर्सियां बन रही हैं, मेजें बन रही हैं उनको आप हटा करके आप मेटल से या उसमें ये नये जो ईजाद हुए हैं जो फाइबर और जो सनमाइका वगैरह या ऐसी कोई चीजें या जैसा भी व्यक्ति के हिसाब से हो। मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि लड़की से किसी भी सामान की कीमत कम है अगर आप लकड़ी लगाते हैं तो बहुत एक्सपेन्सिव हो जाती है बहुत पैसा उसमें खर्च होता है और जो इमारती लकड़ी कट रही है और जो जंगल कट रहे हैं जो इसलिए नहीं कट रहे हैं कि गांव वाले सिर्फ उठा करके और बोझ ले जा रहे हैं और अपनी रोटी पका रहे हैं। ये जंगल खत्म इसलिए हो रहे हैं, जंगलों का विनाश इसलिए हो रहा है कि लकड़ी को हमने एक तरह से अपने धन का प्रदर्शन करने का एक तरीका बना लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसके ऊपर कुछ विचार करें। इसके साथ-साथ ये कुछ इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं कुछ जैसे हमारे पाली में, हमारे बालोतरा में ऐसी इण्डस्ट्रीज चल रही हैं इसके अलावा और भी इण्डस्ट्रीज होगी जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसमें ईंधन का प्रयोग होगा है ऐसी इण्डस्ट्रीज को मैं चाहूंगा कि आप रेस्ट्रिक्ट करें, इनको आप रोके कि ऐसी इण्डस्ट्रीज कम से कम समय में लगे जिनके ऊपर ईंधन की ज्यादा आवश्यकता पड़े जिसके अन्दर लकड़ी का उपयोग होता हो जलाने के रूप में या किसी रूप में।

सबसे बड़ी नुकसान करने वाली जो चीज है आरा मशीनें। आरा मशीन ऐसा काम है कि गांवों में जगह-जगह लोग आरा मशीन लगा देते हैं और आदमी को पेड़ काटने की इजाजत तो नहीं है लेकिन कटी हुई और उसके बाद में आरा मशीन की काटी हुई लकड़ी को आप शहर में ले जा सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं। तो आरा मशीन के ऊपर जरूरी है कि जैसे आपने शिकार को बन्द किया, शिकार के साथ में आपने खालों की रंगाई को बन्द किया, खालों की रंगाई के साथ में आपने जिसमें स्टफ कटे हुए जानवरों को जिसके अन्दर जानवरों को मसाला भरकर प्रदर्शन के लिए लोग अपने मकानों के अन्दर रखते थे। उसके ऊपर रोक लगायी तो अपने आप जंगली जानवरों के शिकार बहुत कम हो गए प्रतिशत रूप में। ठीक है ये बढ़ नहीं रहे इसका कारण शिकार नहीं है। अब नहीं बढ़ने का कारण इनका प्रोटेक्शन नहीं रहा। उसके पनपने के लिए हमने ऐसे जंगल ही नहीं छोड़े जहां पर इनके बच्चे बड़े हो सकें या जहां पर वे स्वच्छन्दता के साथ बिहार कर सके, जहां पर वे अपने बच्चों को छिपा सकें।

तो मैं इसमें यह एक निवेदन करूंगा कि इन आरा मशीनों पर भी हमें रोक लगानी चाहिये और जहां तक हो सके कम से कम हो और सरकारी तौर पर ही आरा मशीनें लगायी जाय। इसके अलावा प्राइवेट के किसी व्यक्ति को इस तरह की परमीशन न दी जाय जिससे कि जब कोई काटने के लिए लकड़ी लायेगा तब उसे यह बताना पड़ेगा कि वह कहां से लाया है, क्या परमिट है और किस परमिशन से वह इस लकड़ी को काटकर लाया है और किस आरा मशीन पर आप कटवाते हैं वो तो सरकारी मशीन होगी, तो ऐसा आप करेंगे। इसके अलावा आप कोई दूसरा धंधा बता दें। मैं समझता

(श्री गोपालसिंह)

हूं कि आरा मशीन से कोई पैसा कमाता है तो उसके साथ में पूरे मनुष्य मात्र के साथ में वह नुकसान करके वह अपना पेट भर रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि आरा मशीन हमारे लिए एक बहुत घातक चीज है।

जिस तरह कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि मेरा भी यही सुझाव है कि एक प्रतिशत हमको यह तय करना पड़ेगा कि खेती की जमीन में से कुछ प्रतिशत हमें जंगल लगाने के लिए अलग से निकालनी पड़ेगी जमीन। इसके साथ में मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे काश्तकार को जो इस तरह से खेत लगाता है या इस तरह से जंगल लगाता है अपने खेत में तो उसका लैण्ड रेवेन्यू हमें माफ कर देना चाहिये और इस डेढ़ बीघा, 2 बीघा ढ़ाई बीघा, सवा बीघा जो भी आप तय करें उसका लैण्ड रेवेन्यू उस काश्तकार से नहीं लिया जाय और उसके ऊपर पनपने वाली लकड़ी को वह स्वयं अपने गांव में काटकर दे सकता है, बेच सकता है। लेकिन यह उसके ऊपर अंकुश रहेगा कि वह पूरा खेत नहीं काट सकेगा उसका आधे से ज्यादा नहीं काट सकेगा या चौथाई हिस्से से ज्यादा नहीं काटेगा जिससे हर गांव में छोटी–छोटी वानिकी बन जायेगी और उन छोटी–छोटी वानिकी के रूप में जो वनों का प्रतिशत है, वो बढ़ेगा और उससे बारिश अवश्य आयेगी।

इसके अन्दर मैं चाहता हूं कि सिर्फ फोरेस्ट डिपार्टमेंट को ही यह फोरेस्टरी का काम दिया जाय। अगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पी.डब्ल्यू डी. डिपार्टमेंट है और इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनको भी हमें इस फोरेस्टरी के अन्दर लेना चाहिए और यह कार्डिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये चारों महकमे मिलकर वन लगाने में अपना सहयोग करें। जिससे मैं समझता हूं कि वन लगाने में काफी द्रुत गति में तेजी आयेगी। पेड़ की कटाई के लिए कानून बनना बहुत जरूरी है। अगर आप पेड़ को कटाते हैं, मैं तो कहता हूं एक इन्सान को आप मारिये और पेड़ को काटये इसमें धारा 302 लगाना चहिये इस पेड़ काटने वाले पर।

इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पेड़ की कटाई को आप नहीं रोक सकेंगे तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि किसी न किसी दिन यह मनुष्य जाति भी नहीं रह पायेगी, जिन्दा नहीं रहेगी या वो जिन्दी नहीं रह सकेगी। तो पेड़ की कटाई के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसके लिए हमें बहुत सख्त कानून बनाना पड़ेगा।

इसके अलावा गांवों के अन्दर जैसे पहले हमारे यहां आरण्य हुआ करते थे जिसको हमारी पश्चिमी राजस्थान की भाषा में "ओरण" बोलते हैं, जिसका संस्कृत में वर्ड है 'आरण्य"। आरण्य यह हुआ करती थी जिसमें हर किसी देवता के नाम से वह आरण्य हुआ करता था और गांव के लोग उस आरण्य को जिसको हम ओरण बोलते हैं, उसमें आप किसी को चाहे कह दें वह लकड़ी नहीं काटता। तो हमको फिर से इस तरह के लगाव पैदा करने पड़ेंगे और जो आरण्य या ओरण कट चुके हैं, जहां पर

(श्री गोपाल सिंह)

कम पेड़ पौधे हैं उनमें फिर से वही पेड़ लगाये जाय जो वहां की जलवायु के लिए सही और बाहर से इम्पोर्ट करके तरह-तरह के पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं, ज्यादा पेड़ लगाने के साथ में जो मोर्टेलिटी, पर्सेन्टेज से जो मर रहे हैं, मरने की मोर्टेलिटी का मेन कारण भी यही है कि पेड़ हम वह लगा रहे हैं जो उस क्षेत्र के लिए सही नहीं हैं। तो इसलिये हमें खेजड़ी है, रोयेड़ा हैं, कैर है और जिस इलाके के लिए वह उपयुक्त हों वही लगाइये, और वहां लगायेंगे तो मरेंगे ही नहीं। वह अपने आप पनपेंगे, चाहे 5 साल की जगह 7 साल लग जाय लेकिन कम से कम आपका वह पेड़ तो रह गया। लेकिन आप बाहर से लाकर पेड़ लगाते हैं उसके लिये वह जलवायु ही सहन नहीं हो रही है, वह जमीन सही नहीं है, उसके लिए पानी की मात्रा सही नहीं है लिहाजा उसको आप पनपा नहीं पाते हैं और जितनी मात्रा में आप लगाते हैं उसके 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत में वह उत्पन्न हो पाते हैं।

आखिरी बिन्दु में यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर 3–4 ऐसे मौके हैं जिन पर आदमी काफी सेन्टीमेंटल हो जाता है उनमें एक तो बच्चा पैदा होने के समय, एक शादी के समय और एक मृत्यु के समय या मौत के टाइम पर, जिस वक्त जिसके घर में मौत होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो हमको इन्करकेट करना पड़ेगा, गांव के लोगों में या हर आदमी के यह इन्करकेट करना पड़ेगा कि हर बच्चे की पैदाईश के साथ में एक पेड़ लगाया जाय। और वह उसी वक्त नहीं लगाया जाय, यह उसकी पहली वर्ष गांठ समाप्त हो उसके दरम्यान में पेड़ लगाया जाय, क्योंकि सही समय पर लगाया हुआ पेड़ ही पनपता है। बच्चा गर्मी में भी पैदा होता है, बच्चा सर्दी में भी पैदा हो सकता है, बच्चा ऐसे मौसम में पैदा हो सकता है जिस वक्त आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे के पैदा होते ही कोई ऐसा स्थान घर में मुकर्रर कर दें जहां पर पेड़ लगेगा और वह बच्चा एक वर्ष की उम्र के ऊपर नहीं आ जाय उसके पहले पहले पेड़ लग जाय तो वह हमेशा उसके साथ अटैचमेंट हो जायेगा। गांव वालों को उस बच्चे की उम्र याद नहीं रहेगी लेकिन जब उससे पूछा जायेगा कि बच्चे की क्या उम्र है तो वह यह बतायेगा कि यह पेड़ है जिस वक्त बच्चा हुआ था उस वक्त यह पेड़ लगाया था।.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह लोग क्या करेंगे ? प्रो. केदार क्या करेंगे, डाक्टर साहब क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह बिना मां-बाप के बच्चों के लिए लगा देंगे।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : ऐसी व्यवस्था करिये ना कि प्रो. केदार साहब लगा पायें। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो कि वह भी लगा पायें।

इसके साथ में शादी के समय भी वह पेड़ लगाया जाय, जिस समय जोड़ा आये घर में उस वक्त भी। और मृत्यु के समय भी वह पेड़ लगाया जाय। तो उन पेड़ों के प्रति परिवार के सदस्यों का उम्र भर अटैचमेंट रहेगा और वह अवश्य पनपेंगे यह मैं दावे

(श्री गोपाल सिंह)

के साथ कह सकता हूं । इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि लिहाजा इसमें यह बात देखी जाय पेड़ कट क्यों रहे हैं, उस जगह से उनको हम रुकावट करें तब तो हमें आसानी हो जायेगी तो । अगर ऐसी की ऐसी खपत रखेंगे तो पेड़ को बचाने की हम कोशिश करेंगे मैं समझता हूं कि पेड़ नहीं बचा पायेंगे।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान ।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी....(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष जी, उधर की घड़ी में 12 बज रहे हैं और इधर की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है । इसकी व्यवस्था दीजिये कि कौनसी घड़ी से हमारा सदन चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कहां बज रहे हैं बारह ?

श्री रामकरण सिंह गुर्जर : उधर देख लीजिये 12 बज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसमें अभी आपके 10 मिनट बाकी हैं ।

श्री रामकरण सिंह गुर्जर : 12 बजने में ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री रामकरण सिंह गुर्जर : 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, यह मान लें। यह व्यवस्था मान लें कि 10 मिनट बाकी हैं 12 बजने में ?

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार की घड़ी बन्द हो गयी ।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मेरे से पूर्व वक्ता फोरेस्ट के बारे में काफी कुछ सदन में कह चुके हैं और उन पहलुओं पर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित नहीं कर के भिन्न बिन्दुओं पर अपना विचार प्रकट करूंगा जो मेरे ख्याल से अभी तक ओझल हैं ।

मान्यवर, सबसे पहले मेरी प्रार्थना-याचना आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से यही है कि फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 में पारित किया गया उसके पीछे केवल मात्र केन्द्रीय सरकार का एक ही मकसद था कि जितने भी वन हैं उनकी कटौती में न्यूनता लाई जाय और वनों का प्रभाव बढ़ सके और जिसके कारण से हमारे जीवन का एक आधार बिन्दु है । बहुत अच्छा उद्देश्य था जिसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु साथ-साथ यह भी मानना पड़ेगा कि फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट ने कुछ समस्यायें समाज के सामने पैदा की हैं और उनके लिये मैं यह मानता हूं कि उसके लिये निश्चित रूप से हमें चिन्तन और मनन करना चाहिये। आपके माध्यम से सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उस फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के बाद अभी कई ऐसे स्थान आयेंगे, आपको छोटे से स्कूल

(श्री अर्जुनदास मदान)

के लिये स्थान की जरूरत हो या किसी अस्पताल को बनाने की जरूरत हो, या सड़क के निर्माण की कोई आवश्यकता हो। एक हैक्टेयर भूमि भी आप बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के नहीं ले सकते हैं। मान्यवर, क्या राज्य सरकार आज जो बड़े-बड़े पहलुओं पर विचार करती है, निर्णय लेती है क्या वह एक हैक्टेयर भूमि पर वह अपना निर्णय नहीं ले सकती है। क्या यह अधिकारी जो बड़ी बड़ी योजनायें बनाते हैं क्या वह इतने अक्षम हो जाते हैं एक हैक्टेयर भूमि लेने के लिये, प्राप्त करने के लिये। इस सारी समस्या के लिये मैं आपको, मान्यवर, मेरे क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं एक सड़क है अगर आधा फर्लांग भी, फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को ओझल करते हुऐ मिल जाय तो आज 18 गांव ऐसे है जो मिलते हैं, एक क्षेत्र में सड़क बनी हुई है, दूसरे किनारे पर सड़क बनी हुई है केवल मात्र एक छोटा सा स्थान ऐसा है जिसे हम फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि 18 गांव जोड़ने में लालायित होते हुए, इच्छा रखते हुए भी हम उसका निष्पादन नहीं कर पाये।

आपको स्मरण होगा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अल्मोड़ा में एक ऐसी स्थिति आयी थी। सुन्दरलालजी बहुगुणा ने एक "चिपको आन्दोलन" चलाया था और उसके पीछे उनकी मान्यता यह थी कि मैं एक भी पेड़ काटने नहीं दूंगा। किन्तु "चिपको आन्दोलन" के बाद अल्मोड़ा की पाइप लाइन डलने लगी और लोगों को अपनी प्यास बुझाने का साधन मुहैया हुआ तो स्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने पाइप लाइन नहीं डलने दी, लोग तो चाहते थे किन्तु फोरेस्ट डिपार्टमैण्ट बीच में आ गया, फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 बीच में आ गया। और अल्मोड़ा के लोगों को जो पाइप लाइन नहीं डालने दी तो वह इतने उत्तेजित हो उठे कि उन्होंने जाकर हजारों पेड़ों को काट दिया और परिणाम यह हुआ कि आखिर में पाइप लाइन सरकार को डालनी पड़ी।

मैं केवल मात्र आपके माध्यम से सरकार से और माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को हमको इस बारे में बात करनी चाहिए कि कम से कम ऐसा स्थान जो किसी गांव को प्रगति में बाधक बन रहा है, ऐसी स्थिति जो गांव की प्रगति और उन्नति में सहायक बनती है और उसके उत्थान की प्रगति में साधन बंटोरने में सहायक बनती है तो वहां तो कम से कम फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बीच में नहीं आये। एक पंचायत उस पर निर्णय नहीं ले सकती है एक तहसील उस पर निर्णय नहीं ले सकती है तो क्या राज्य सरकार के अधिकारी भी निर्णय नहीं ले सकते हैं फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के बारे में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी छोटी समस्यायें है जो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट ने पैदा की हैं, जो लोगों के बीच में अड़चन का कारण बना है तो उस पर एक बार चिन्तन और मन्थन करने की आवश्यकता है और जो बाधक बनी है, नहीं तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि कई ऐसे स्थान आयेंगे जहां पर जन आक्रोश के सामने उस कानून को तोड़ा जायेगा, लोग तो कहते हैं कि कानून बनते हैं उनको

(श्री अर्जुनदास मदान)

तोड़ना नहीं चाहिये किन्तु ऐसा कोई कानून जो जीवन में बाधा बने, जो साधक न हो तो निश्चित रूप से समाज तोड़ता है। मान्यवर, मैं केवल मात्र इतना ही निवेदन करूंगा कि, इसके ऊपर राज्य सरकार को अपनी विचारधारा दूसरी ओर लेनी चाहिये, केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहिये कि ऐसे स्थान, जिसको बनाने में केवल मात्र एक हैक्टेयर भूमि की जरूरत हो, ऐसे स्थान जो फोरेस्ट की भूमि में आते हों लेकिन हमको उनकी आवश्यकता हो, सड़क निर्माण में कोई चीज बाधक बन रही हो तो वहां तो कम से कम केन्द्रीय सरकार बाधक नहीं बने। इसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा कि हमको विचार करना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है, मान्यवर, कि आज ग्रामीण विकास प्राधिकरण कई स्थानों पर पेड़ लगाता है, शिड्यूल कास्ट और ट्राईब्स के लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है, पोलीथीन के बैग आते हैं जिनमें मिट्टी भरी जाती है, उसका पैसा वन विभाग नहीं लेता है, यह आर. डी. आर. में आती है तो पैसा नहीं दिया जाता है। दस पैसा प्रति पौधे पर आर. डी. आर. के अन्तर्गत उस मजदूर को दिया जाता है, उस परिवार को दिया जाता है जिस पर वह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जब वह पौधा बन कर तैयार होता है तो खड्ढा खोदकर उसको लगाया जाता है तो 30 पैसे का अनुदान आई. डी. आर. के माध्यम से उस परिवार को मिलता हैं। इस प्रकार एक पौधा लगाने के बाद 50 पैसा राज्य सरकार का आई. डी. आर. के माध्यम से खर्च होता है। मैं यह पूछ सकता हूं कि जयपुर के अन्दर ही आमेर का एक किस्सा आया था, जो 4–5 महीने पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आमेर के चार परिवारों को यह ठेका दे दिया गया है, 50–50 हजार उन चारों परिवारों में बांटे गये। पचास पैसा प्रति पौधे के स्थान पर उन लोगों को उसका पेमेण्ट किया गया। मान्यवर, कोई पूछ सकता है कि उसका हिसाब क्या है? अगर इस प्रकार की कोई योजना बनानी भी है तो क्या यह उचित नहीं होगा, अगर आई. डी. आर. के अन्तर्गत पेड़–पौधे लगाने की हमको आवश्यकता भी है तो वह राज्य सरकार के माध्यम से लगायें ताकि उसका पंजीकरण तो हो सके, यह तो निर्धारित हो सके कि कितने पौधे लगाये गये। वन विभाग में किसी प्रकार का हिसाब–किताब नहीं रहता। मैं केवल इन्हीं दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार पर और भी राज्य सरकारों के माध्यम से दबाव डालें, अपने प्रभाव का उपयोग करें ताकि वह स्थिति जो हमारे जीवन में बाधक बनी है उसका उपयोग भी हम कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मांग संख्या 9 है उसके सिलसिले में, विशेष तौर से गंगानगर जिले में, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में जो अपने विभाग रखा है, जिस तरह की जमीन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

गंगानगर जिले की है, खेती के लिये जिस तरह से इस्तेमाल होती है उसमें सिर्फ एक जगह बचती है वन लगाने की, वह है कैनाल। नहरें और नहरों के जो किनारे हैं उसके चारों तरफ इरिगेशन विभाग ने जो खुद के पेड़ लगा रखे हैं अपने। मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहूंगा, यदि राज्य सरकार यह फैसला करले कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से वह सारी व्यवस्था जो है, नहरों के किनारे वह ले ली जायेगी और आपके डिपार्टमेंट को दे दी जाये। तो निश्चित रूप से गंगानगर जिले में इतने पेड़ लग जायेंगे और इस तरह की व्यवस्था हो जायेगी तीन–चार जिलों की। उसकी प्रपोंशनेटली जो हमारी पेड़ों की तादाद है वह इतनी ज्यादा बढ़ जायेगी। पर अभी तक इरिगेशन डिपार्टमेंट के कहने के बाद भी विभाग ने बार बार लिख दिया उसके बाद भी आपका विभाग इन पेड़ों को ले नहीं रहा, इस भूमि को ले नहीं रहा है। इसका मतलब आपका विभाग दूसरे मकसद से काम कर रहा है। मेरा आपसे दूसरा प्रस्ताव यह है कि हमारे गंगानगर जिले में एक 9 हजार एकड़ में फार्म है, आपका वन लगा हुआ है आर्टिफिशियल वन लगाने का काम, मेरी समझ में वह एक्सपेरीमेंट है जिसमें पिछले चालीस साल से सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और अभी तक पेड़ नहीं लग रहे हैं। उसकी कोई आमदनी नहीं है सरकार को। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि यदि उस सारी 9 हजार एकड़ में बाग लगा दिया जाये, बाग में पेड़ नहीं है क्या? बागों से आपकी वह मंशा पूरी नहीं होती है जो पेड़ लगाने से होती है। बागों पर गंगानगर जिले में अगर कुछ रियायत दे और रियायत न दें तो उस अकेले 9 हजार एकड़ में ही आप बाग लगा लें तो बाग की जो एवरेज प्रोडक्शन है वह पचास हजार रुपया एकड़ है। आपको उस अकेले बाग से चार करोड़ रुपया सालाना आमदनी होगी। अगर आप यह योजना बना देते ही, मैं समझता हूं योजना नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि जिस नौकरशाही ने आपके विभाग को काबू कर रखा है वह यह योजना नहीं बनायेगा। उस नौकरशाही के पास जितने भी कर्मचारी हैं, मैं एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि वह सारे के सारे कर्मचारी, एक भी उनमें से वर्कचार्ज में नहीं है। सब मस्टर-रोल पर हैं। यही विभाग है राजस्थान सरकार का, जिसमें 15–15, 20–20 साल से कर्मचारी मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं। मस्टर–रोल पर काम करने का मतलब यह है कि जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनको मुफ्त के नौकर मिलते हैं। उनके पास रसोइया, उनके बच्चों को ले जाने वाला, उनके बगीचे में काम करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, एक अधिकारी के पास दस दस कर्मचारी काम करते हैं और तनख्वाह उठाते हैं पेड़ लगाने की।

मैं समझता हूं इस डिपार्टमेंट में वाकई आप सीरियस हैं। इस बात की जांच करवायें कि यह मस्टर–रोल पर कर्मचारी क्यों रखते हैं? कोई भी कर्मचारी आप मस्टर–रोल पर मत रखिये। सबको वर्क चार्ज कर दीजिए आपका पेड़ लगाने का काम कल से शुरू हो जायेगा। मुझे इस सिलसिले में यही तीन बातें कहनी हैं।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दूसरी तो मांग संख्या 41 है, वास्तव में यह ऐसा विभाग है, जिस विभाग पर राज्य सरकार ने, इस नई सरकार ने, सबसे पहले उसकी जांच शुरू की है। डी. आर. डी. ए. के एक अधिकारी को पकड़ा है एक करोड़ के घोटाले में। मैं यह कहना चाहूंगा कि डी आर. डी. ए. के अन्दर जो घोटाले हुये हैं, वहां किसी जगह भी काम नहीं है। डी. आर. डी. ए. के अधिकारियों ने जिस तरह से लोन्स दिये हैं, गंगानगर जिले में उन्होंने भेड़ों पर लोन दिया, बकरी पर लोन दिया। ऐसे शहरों में लोन दिया है सादुलशहर के अन्दर, सांगरिया के अन्दर जिस शहर के आस पास कोई भूमि नहीं। गंगानगर जिले में भी मेरी समझ में भूमि नहीं है चरागाह के लिये। वहां अभी तक हजारों बकरियों और हजारों भेड़ों पर लोन दे दिया, उन्हीं की दुबारा गिनती करवाते हैं और लोन ले लेते हैं और लोन हजम कर जाते हैं। वहीं भैंसें हैं उन्हीं भैंसों पर दुबारा लोन ले लेते हैं। एक दिन में एक अधिकारी ने 60 ऊंट गाड़े बढ़ाये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में जिस तरह की परिस्थितियां जिस क्षेत्र में हैं और जिस तरह का रोजगार जिस क्षेत्र में है उसी तरह का रोजगार देना चाहिए। गंगानगर जिले में ऊंट गाड़े पर लोन देते हो। गंगानगर जिले में ऊंट गाड़े का सवाल ही नहीं उठता। गंगानगर जिले में इतना मेकेनाइजेशन हैं कि ट्रैक्टर के बिना कोई सामान नहीं जा सकता। सारा का सारा सामान ढोने की व्यवस्था ट्रैक्टरों से है। आप वाकई लोन देना चाहते हैं तो सामूहिक तौर से गरीब लोगों को मिलकर ट्रैक्टर दे दिया जाये। सामूहिक तौर पर लोगों को मिलाकर गांव के अन्दर ट्रैक्टर की वर्कशाप खोलिये जिससे जो काम शहरों के अन्दर होता है वहां गरीब लोग एक सोसायटी बनाकर उस काम को कर सकें। वह करने के बजाय आपने जो फर्जीवाड़ा कर रखा है, विशेष तौर से इस राज्य में आपने भी, उसी ढर्रे में, उसी काम को चला रखा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास में एक दूसरी चीज मुझे और कहनी है। जिस चीज को हमने सबसे ज्यादा बदनाम किया है वह यह है कि कुछ योजनाएं जो विदेशों में बहुत अच्छी रही, खास तौर से विकासशील देशों में गैर परम्परागत उर्जा का जो स्रोत है उसको इस्तेमाल करने में भी हमारे सामुदायिक विभाग में कुछ योजनाएं बनी हैं। मेरे जिले में मैं कह सकता हूं कि दो योजनाएं हैं। एक तो गोबर गैस प्लाण्ट की और एक ट्यूबलाइट की है, स्ट्रीट लाइट की है। सूरज की ताप बैटरियां चलाकर यह लाइट्स भी दी जायें। पिछले तीन–चार सालों में 12 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार की तरफ से अनुदान में आया। बारह लाख रुपये की ट्यूब लाइट्स सड़कों पर लगी। जिनमे से 80 प्रतिशत ट्यूब लाइटें अब बन्द हो गयी हैं। दो साल के बाद या डेढ़ साल के बाद। जिन ट्यूबलाइट्स पर 12–12 लाख रुपये लगे और वह सारी की सारी बन्द हो गयी। निश्चित तौर पर सिर्फ यह नहीं है कि इससे नुकसान हुआ है हमारा। हमने जनता के अन्दर जो गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत को इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

यह जिस तरह से दूसरे देशों में, खास तौर से मैं ग्रापको जिक्र करना चाहूंगा कि चीन, जो हमारे पड़ौस में एक विकासशील देश है उसमें सारा ऊर्जा का स्रोत, खाने पीने का पूरा का पूरा सिस्टम गैस प्लाण्ट से जोड़ रखा है। पर हमने ग्रपने राजस्थान में ग्रौर गंगानगर जिले में 8 लाख रुपये का ग्रनुदान दिया है। पिछले दो तीन सालों में 8–9 हजार गोबर गैस प्लाण्ट लगाये गये हैं। जिसमें से 60 प्रतिशत तो डिफेक्टिव है चलते नहीं है। एक तहसील पूरी है नोहर भादरा जिसमें सारे के सारे गोबर गैस प्लांट पानी के लिए इस्तेमाल हो रहे रहे हैं। उसमें गोबर गैस का मतलब ही नहीं है। उन्होंने दूसरा सिस्टम बनाया ही नहीं सिर्फ डिग्गी बना ली ग्रौर पानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।

इसी तरह से मैं समझता हूं कि सामुदायिक विकास में जो पंचायतों का रोल है, मैं दो शब्द उस सिलसिले में कहना चाहता हूं। विशेष तौर से इसलिए कि ग्राज हिन्दुस्तान में सबसे ग्रच्छी पंचायतों का रोल रहा है। गांवों के ग्रन्दर ग्रगर किसी ने, किसी व्यवस्था की जड़ें जमाई हैं तो वह हमारा बंगाल प्रदेश है। हम बात तो करते हैं पंचायतों की पर हमारा जो पंचायत का चुनाव सिस्टम है, पंचायत के ग्रन्दर जिस तरह से चुनकर लोग ग्राते हैं, उस व्यवस्था को ग्रगर हम देखें तो गांव के बड़े ग्रसरदार ग्रादमी के सिवाय कोई पंचायत का चुनाव लड़ ही नहीं सकता। पंचायत समिति का चुनाव तो मै ग्राज इस हाउस में चेलेन्ज कर सकता हूं, हमारे में से जितने भी विधान सभा में मैम्बर बैठे हैं, कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता लड़ने की, क्योंकि उसमें दस–दस लाख रुपये चाहिये। सारे वोटरों को कैद रखना पड़ता है दस दिन तक तब जाकर ग्राप चुनाव लडेंगे। इस व्यवस्था को बदलें ग्रौर जिस तरह से वहां सिस्टम है, चुनाव पंच से लेकर

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

जिला परिषद के प्रमुख तक सारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। उनको पूरा विकास का काम सड़कों का, स्कूल का सारे निर्माण के काम उन पंचायतों के जिम्मे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक्सपेरीमेंट जिसके बारे में डर पैदा कर रहे हैं, मेरा यह सुझाव है कि इस मामले में हम एक्सपेरीमेंट करें तो निश्चित तौर पर हम भी कामयाब होंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर। (ग्रनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो यहां पर पहले कह दी गयी हैं। सर्वप्रथम तो मैं ग्रापके माध्यम से सदन से यह कहना चाहूंगा कि इस बार जो हमारी मंत्री महोदया हैं जिनको वनों के बारे में काफी ग्रनुभव है ग्रौर उनके कार्यकाल में वनों की रक्षा नहीं हुई तो कभी होने वाली भी नहीं है। यह मेरी निश्चित मान्यता है। ग्रध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है। ग्राज जो वनों के ऊपर चर्चा हो रही है पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हो रही है।

श्री अध्यक्ष : उनका मातृत्व वनों पर रहेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस विषय पर कम से कम पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर बात कर लें, जिस तरह से वनों में कटाई हो रही है और वनों का विनाश हो रहा है यह बहुत चिन्ता का विषय है । इथोपिया का एग्जाम्पल है, हमारे योरोप के अन्दर, अफ्रीका के अन्दर क्या हाल हो रहा है । खाने को दाने नहीं हैं, बरसों से अकाल पड़ रहा है । सब बरबाद हो रहा है । मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं । वनों की उपयोगिता के बारे में यहां दलीलें दी जाये उससे कोई लाभ नहीं है । लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए आपको कुछ कारगर कदम उठाने पड़ेंगे । जैसा रामस्वरूप जी ने कहा, आपने करोड़ों रुपया वन लगाने पर खर्च कर दिया लेकिन कहीं विजिबल उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है । जितने लगा रहे हैं उससे दुगने तिगुने की कटाई होती चली जा रही है । मैं निवेदन करता हूं कि आज चाहे कांग्रेस की सरकार हो कोई बात आती है हम कहते हैं तो यह ताव देते हैं आपका ढाई बरस का राज्य था आपके राज्य में ऐसा हुआ । किसी अधिकारी को उसके क्षेत्र में वनों के विकास के लिए, वनों की कटाई के लिए सजा दी गयी । आज दिन तक शायद नहीं । आप देख कीजिए ऐसा हुआ तो कहीं नीचे जाकर रेंजर को फंसा दिया होगा, छोटे मोटे किसी वन पालक को, किसी फौरेस्ट गार्ड को फंसा दिया होगा । दूसरी बात मंत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं । किसी का नाम लेकर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । 75 फीसदी अधिकारियों के घरों पर जाकर देख लीजिए बढ़िया से बढ़िया लकड़ी लगी हुई है । आई कहां से लकड़ी । बढ़िया से बढ़िया चुनिन्दा लकड़ी लगी हुई है इसलिए इस बात को कहता हूं कि कम से कम इस बात की जांच हो जाये तो आइन्दा मिसयूज नहीं हो पायेगा ।

दूसरी बात मैं निवेदन करता हूं कि मंत्रिमंडल का निर्णय लेकर आवें यह तय कर दीजिये कि किसी भी सरकारी कार्यालय में, सचिवालय में लकड़ी का सामान नहीं खरीदा जायेगा । इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं । एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, । टीकमचन्द जी कान्त ने माउण्ट आबू के बारे में बहुत बड़ी यहां बात कही । मैं भी इसमें शरीक होता हूं । आबू की जो हालत हो रही है अध्यक्ष महोदय वह किसी से छिपी हुई नहीं है । उसका मूल कारण वनों की कटाई आप रोक नहीं पा रहे हैं । अब एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि जो वहां गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं, होटलें बहुत हैं । पांच लाख यात्री बाहर से आते हैं । वहां पर करीब करीब टूरिस्ट आते हैं । होटल में रहने के लिए आप जो कार्मशियल गैस कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं आज उनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि उन होटलों के अन्दर कार्मशियल गैस की जगह लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं । वहां पर लकड़ी आ रही है, लकड़ी वहां इस्तेमाल हो रही है माउण्ट के ऊपर । मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे मामलों को भारत सरकार के स्तर पर लें और कम से कम जो आपके कामशियल गैस के कनेक्शन हैं और इसी तरीके से घरेलू गैस के कनेक्शन में जिस बेतहाशा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तरीके से कीमत बढ़ाई जा रही है ऐसे में वनों की रक्षा के हिसाब से सुविधा की बात तो अलग है। वनों की रक्षा से इसको जोड़ेंगे ताकि कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हो। जिस तरीके से फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रहे हैं, जितनी आप अन्य चीजों पर सब्सिडी दे रहे हैं अगर गैस को भी सब्सिडाइज करके लोगों को दिया जाये तो लकड़ी के इस्तेमाल, लकड़ी के कन्जम्पशन के ऊपर रोक लगेगी। इसके बारे में मंत्री महोदया, आपको प्रयत्न करने चाहिए।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक और आपसे निवेदन है। आरा मशीन की बात है। गोपालसिंह जी ने कहा यहां पर लकड़ी आ कहां से रही है ? कुछ लोगों को रोजगार के नाम पर पहले सदन में मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। जब वनों की रक्षा की बात आती थी तो कुछ लोग कहते थे सामन्ती प्रवृत्ति का प्रतीक है। वन तो सामन्तों के लिए है इसलिए उनकी रक्षा की बात की जाती है। आदिवासियों के साथ यह हो रहा है, गरीबों के साथ यह हो रहा है। आपको सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट और म्यूनिसिपलिटी बाइ लाज माउण्ट के ऊपर इसके अन्दर अमेण्डमैण्ट करे। वहां के होटलों को आप बिल्कुल बैन कर दें कि वह लकड़ी का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे। इससे आपको फायदा मिलेगा।

दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, विद्युत शव दाह की मशीनें बड़े शहरों के अन्दर लगायी हैं। आज कलकत्ता है, दिल्ली है, बम्बई है, शुरूआत होगी आप किसी को बाध्य न करें....

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर में ऐसा है कि कोई मिल नहीं रहा है इसके उद्घाटन के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह आप चाहें तो मैं तैयार हूं सेक्रीफाइस करने के लिए आप मुझे मार दीजिए, दफना दीजिए उसमें ले चल कर के। मैं इसलिए नहीं कह रहा। एक शुरूआत करने की चीज है। आज कलकत्ता, बम्बई में हाल यह है कि लाइनें लगी हुई हैं। जयपुर में नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है यह सफलता मिले। तो मैं निवेदन कर रहा था इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। अब मैं दो प्रश्न धौलपुर के बारे में माननीय मंत्री महोदया पूछना चाहूंगा। अखबारों के अन्दर आप ट्रान्सफर कर रहे हैं गेम सेन्क्चुअरी का टूरिज्म डिपार्टमेण्ट को। उससे लगे हुये वनों का क्या होगा, उसकी रक्षा का क्या उपाय है सेन्क्चुअरीज के अन्दर। उसका प्रबन्ध किसके पास है ? फलां बिल्डिंग को आप दे रहे हैं यह हमारे कलक्टर ने स्टेटमेण्ट दिया है उसके हवाले से यह खबर अखबारों के अन्दर छपी है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा यहां कह रहा हूं धौलपुर के बारे में। आपने घड़ियाल के नाम पर चम्बल का 20 कि. मी. का तमाम इलाका, कोई घड़ियाल वहां पर है नहीं एक छोटे से इलाके में पड़ रहे हैं तो राजस्थान सरकार को बजरी से जो राजस्व की हानि हो रही है। आप पूछ लीजिए, डिपार्टमेण्ट के लोगों से पूछ लीजिए, पंचायतों को जो हानि हो रही है, राजस्थान के खनिज विभाग को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वहां चम्बल के उस पर, मध्य प्रदेश के अन्दर अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपयों का यह ठेका जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह घड़ियाल नहीं है पर घड़ियाल के नाम पर घड़ियाल प्रोजेक्शन सेन्टर बना दिया है। आप इसको कृपया एग्जामिन कर लें। इस इलाके में उसको ही सुरक्षित कर दें, पूरे इलाके को सुरक्षित न करें यही मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। (अनुपस्थित)

(6:00 सायं)

मांग संख्या 9 का पारण

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती मदन कौर (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वन विभाग की मांगों पर बड़ी रुचि के साथ इस सदन के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसके लिए मैं उन सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं। वन विनाश और उसके दुष्प्रभाव और बिगड़ते हुये प्रदूषण के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। मैं और सारी राज्य सरकार वनों के विनाश के सम्बन्ध में निश्चित रूप से चिन्तित है और जो भाव माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये उससे मैं शत प्रतिशत सहमत भी हूं और राज्य सरकार ही नहीं, ऐसी अमूल्य सम्पदा के विनाश के सम्बन्ध में सारा मानव समाज आज चिन्तित है, लेकिन राज्य सरकार इस प्रश्न की तरफ जागरूक है और इसके साथ-साथ प्रयत्नशील भी कि उसे अपने प्रदेश के जन साधारण की मूलभूत आवश्यकताओं को, जलाऊ लकड़ी, चारा-चराई इसको पूरा करना है और तभी हमारे जंगल सुरक्षित रह सकेंगे और तभी हमारे प्रदेश की जलवायु संरक्षित रह सकेगी। मैं, वन विभाग ने गत वर्षों में क्या किया है इसका लेखा-जोखा सदन के सामने प्रस्तुत करूं और यह बताऊं कि आने वाले समय में, भविष्य में हमारी राज्य सरकार का क्या चिन्तन है, इससे पहले मैं वन विनाश के सम्बन्ध में जो भ्रान्तियां है उसकी चर्चा करना चाहूंगी। जब कभी सड़कों के पार ऊंट गाड़े जाते हैं तो जन साधारण के मन में वह भाव पैदा होता है कि वन कट रहे हैं, वनस्पति कट रही है, विनाश हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह अपशकुन भी होता है।

श्रीमती मदन कौर : यह बात भी आपने ठीक ही कही। लेकिन मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि जो लकड़ी कट कर आ रही है वह सारी की सारी लकड़ी वनों से कटकर आ रही है वह स्थिति नहीं है। उस लकड़ी में अधिकांश लकड़ी तो ऐसी है जो राजस्व भूमि से खातेदारी की जमीनों से आ रही है और उस लकड़ी पर वन विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है····

सच बात तो यह है माननीय अध्यक्ष जी, कि जो लकड़ी खेतों से काटकर लाई जा रही है उस पर अगर रोक लगी रही तो वन विभाग के कृषि वाणिकी कार्यक्रम को बड़ा भारी धक्का लगेगा। जब काश्तकार के यह बात समझ में आयेगी कि उसकी खुद की उपज को उसको काटने का, बेचने का और धन लेने का अधिकार नहीं है तो वह अपने खेत पर पेड़ लगाने की तरफ प्रोत्साहित

(श्रीमती मदन कौर)

नहीं होगा। इसी तरह के विचार केन्द्र द्वारा नियुक्त बंजर भूमि मण्डल ने व्यक्त किये हैं जिसने हमारे सारे पश्चिमी प्रान्तों का अध्ययन किया और उस अध्ययन की समीक्षा के बाद इस नतीजे पर आये कि अगर खेतों पर खड़े वृक्षों की कटाई पर हमने रोक लगाई तो कृषि वानिकी के कार्यक्रम को बड़ा भारी धक्का लगने की संभावना है।

मैं आपके सामने वनों की जो परिभाषा है वह सदन के सामने रखना चाहूंगी। वन क्षेत्र वही हैं जिन्हें सैटलमेन्ट के बाद में बाकायदा वन अधिनियम के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशित करके आरक्षित या रक्षित वन घोषित किया है वही वन हैं अथवा जो अवर्गीकृत क्षेत्र हैं वही वन हैं और इसी जमीन पर, इसी क्षेत्रफल पर वन विभाग का नियन्त्रण है। और ऐसे क्षेत्र आरक्षित या रक्षित या अवर्गीकृत केवल 31 हजार किलोमीटर पर ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे प्रदेश के केवल 9 प्रतिशत भाग पर वन हैं और इस 9 प्रतिशत में भी तीन प्रतिशत मात्र ऐसा क्षेत्रफल है जहां सघन वन हैं। बाकी 6 प्रतिशत भूभाग तो केवल वनों की परिभाषा में आता है लेकिन उन पर कोई वृक्ष नहीं, वनस्पति नहीं, बंजर नंगी पहाड़ियां पड़ी हैं या कोई छोटी-मोटी कंटीली झाड़ियां। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक वनों की सुरक्षा का प्रश्न है यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जो तीन प्रतिशत सघन वन है उनकी भरपूर सुरक्षा की जाय। इसके साथ ही साथ जो 6 प्रतिशत भूभाग आज वनस्पति विहीन पड़ा है उस पर तेजी से ऐसी वनस्पति का विकास किया जाय जिससे यह भी वनों की श्रेणी में आने लायक बने। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जो थोड़ी बहुत वन-सम्पदा हमारे यहां बची है उसे इण्डियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अन्तर्गत लाकर गेम सैंक्चुरी में या वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत लाया जा चुका है जहां से लड़की का काटना एकदम बन्द है। तो मैं ऐसा समझती हूं कि जिन क्षेत्रों को हमने इस एक्ट के तहत ला दिया, कमोबेशी इस इलाके की उन वनों की सुरक्षा की व्यवस्था तो है लेकिन इसके बाहर कुछ वन क्षेत्र ऐसे हैं जो 1972 के वाइल्ड एक्ट के अन्तर्गत नहीं हैं। वहां भी वनों की सुरक्षा करना वन विभाग का कर्त्तव्य है। लेकिन गत वर्षों में मैं राजस्थान के स्वतन्त्रता के इतिहास के पहले के समय में इसी सदन को ले जाना चाहती हूं। उस समय जागीरी व्यवस्था थी, बड़ी कड़ी व्यवस्था थी और जंगल उस समय बचे थे। स्वतन्त्रता के बाद राज्य सरकार ने इस बात की भावना लोगों में बताई चूंकि यह वन-सम्पदा आपकी है और उससे उत्पादन लेने का अधिकार आपका है। छूट दी। इसी के साथ-साथ ठेकेदारी प्रणाली से वनों की कटाई के काम को शुरू किया गया। लेकिन ठेकेदारी प्रथा ने हमारे वनों का जो नुकसान किया वह आज अपूर्णनीय है। 1968 में जब ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में विभागीय प्रणाली से हमारे वनों का दोहन शुरू किया गया। लेकिन उस स्थिति में भी सिर बोझ से जो लकड़ी आती थी वह रियायत हमें देनी पड़ी और इसके साथ ही साथ जो अवैधानिक कटाई होती रही उस

(श्रीमती मदन कौर)

पर भी प्रभावी नियन्त्रण नहीं पाया जा सका। नतीजा यह हुआ कि हमें विभागीय प्रणाली से भी वनों का काटना बन्द करना पड़ा। आज स्थिति यह है कि विभागीय डिपो पर वह लकड़ी आती है जो सूखी झड़ कर गिर पड़ती है या कल्चरल ऑपरेशन्स के माध्यम से जो कटी-छटी लकड़ी आती है वही हमारे विभागीय डिपो में आती है। इसके अलावा किसी तरह के वनों का कटान आज की तारीख में बन्द है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, वन अपराधी बहुत चतुर हो गये। वे सामूहिक रूप से हथियारों से लैस होकर रात-बिरात वहां के स्थानीय जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको साथ लेकर स्वचालित वाहनों से हमारे यहां के जंगलों से लकड़ियां काटते हैं। इस बात की बन विभाग को जानकारी है। इसी के लिए ऐसे संवेदनशील स्थानों पर चैक पोस्ट की व्यवस्था की गई है। जहां ज्यादा अपराध होते हैं वहां जीपों के माध्यम से गश्तीदल पैट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने संपूर्ण वनों की व्यवस्था कर ली है। हमारे पास स्टाफ कम है, राज्य सरकार के साधन सीमित है। जहां वायरलैस सैट की मांग की गई है वहां केवल पैदल या जीप से पैट्रोलिंग करके जैसी सुरक्षा हो पाती है हमारे कर्मचारी करते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य की जनता की ईधन, दूसरी लकड़ी, चारा और चराई की आवश्यकता हमारे सामने है और राज्य सरकार उस तथ्य के प्रति अनभिज्ञ नहीं है। उसे इस दायित्व का बोध भी है कि हमारे यहां की जनता को हमें यह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना है। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में अपने निजी साधनों से केन्द्र सरकार से सहायता लेकर विदेशी सहायता लेकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और चरागाह के काम किए हैं। आने वाले वर्ष में राज्य में 8.75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 4.50 करोड़ वन विभाग अपने माध्यम से लगायेगा और शेष 4.50 करोड़ पौधे दूसरे लोगों को, दूसरी एजेन्सीज को वितरित करके लगाने की व्यवस्था की गई है।

इसी संदर्भ में मैं इस सदन को यह भी बताना चाहती हूं और सदन को यह जानकर प्रसन्नता भी होगी कि हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में खास तौर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण के नये प्लाण्टेशन लगाने के, चारागाह विकास के बड़े उपयोगी काम हुए हैं। और उसके बड़े उत्साहजनक परिणाम हमारे सामने आये हैं। मान्यवर, आज वस्तु स्थिति तो यह है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तृत क्षेत्र सिंचित खेती के लिए उपयोगी है भी नहीं। अगर लम्बे समय तक निरन्तर उस क्षेत्र में खेती की गई, सिंचित खेती की गई तो वहां जमीन के ऊसर होने का खतरा है, वाटर लोगिंग हो सकती है जैसी कि आज समस्या पंजाब में है। और इस क्षेत्र के लिए यह सिफारिश भी की गई है कि यहां वृक्षारोपण के काम व्यापक पैमाने पर कराये जायं। मैं इस सन्दर्भ में माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहती हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जो वृक्षारोपण और चारागाह विकास के काम हुए उसमें किर्लोस्कर कन्सल्टेन्ट्स

(श्रीमती मदन कौर)

ने इस सारे वृक्षारोपण का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद में यहां जो काम हुए हैं उसकी बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। और इसी प्रशंसा के आधार पर इसी सफलता को आंकने के बाद में जापान सरकार ने इसी क्षेत्र में लगभग 107 करोड़ रुपये की सहायता देना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां सघन वन थे वहां भी वनों के पुर्नविकास की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में हमारे यहां जिस तरह की कटाई हुई, जिस तरह से वनों का विनाश हुआ, वहां के डिग्रेडेड फौरेस्ट की पुनः विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और पिछले तीन दशकों से यह काम चल रहा है और अब उसके कुछ अच्छे परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। हाल ही में मैं इसी संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि विश्व खाद्य संगठन के माध्यम से हमारे दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बड़े अच्छे काम हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आदिवासियों के कल्याण की, स्वास्थ सेवा की, शिक्षा की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था इसी खाद्य संगठन के माध्यम से की गई है। और इसी संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की वृक्ष विहीन होने को विदेशी सहायता प्राप्त करने और उसे पुनः हरा भरा करने की गरज से राज्य सरकार ने 129 करोड़ रुपये की एक परियोजना भारत सरकार को प्रस्तुत की है और हमें उम्मीद है कि 129 करोड़ रुपये की योजना की बहुत जल्दी हमें इसकी मंजूरी मिलेगी और इसे हम क्रियान्वित करेंगे। साथ ही साथ चम्बल घाटी कन्दराओं के वीरान विस्तृत क्षेत्र की तरफ भी इस सरकार का ध्यान गया है। कन्दराओं में वृक्षारोपण का काम करना बड़ा विकट है। विकट इसलिए कि वह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और आने जाने के साधन सड़कें कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र को लम्बे समय तक खाली छोड़ना भी हम उचित नहीं समझते। यह कन्दराओं में वृक्षारोपण का काम बहुत महंगा है बड़ा समय लेने वाला है। राज्य सरकार इस फिराक में है, इस सोच में है कि कम समय में, कम खर्चे में हम विस्तृत क्षेत्र में कैसे वृक्षारोपण करें इस बात की तरफ प्रयत्नशील हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम कोई ऐसी तकनीकी निकालेंगे जिससे इन कन्दराओं पर उपयोगी वनस्पति स्थापित की जा सकेगी।

मान्यवर, राजस्थान एक है। मरुस्थल प्रदेश तो है ही साथ ही इसकी जलवायु भी बड़ी शुष्क है। ऐसे क्षेत्र में वन और चारागाह विकसित करना निश्चिय ही एक बड़ी भारी चुनौती है। गत चार दशकों से जिस तरह से इस राज्य में अन्य प्रदेशों की भांति वनस्पति का ह्रास हुआ उससे वृक्षारोपण का काम और भी विकट हो गया है। वनस्पति के अभाव से नियमित वर्षा नहीं होती जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इसके साथ ही साथ जलवायु और और जमीन दोनों ही वनस्पति को पनपाने के लिए कठोर से कठोर होते जा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, प्रकृति हमारे इस प्रान्त के प्रति बहुत ही उदार है। प्रकृति ने इस प्रान्त को जो वनस्पति प्राकृतिक रूप से

(श्रीमती मदन कौर)

दी है वह निश्चित रूप से कल्पतरू है। हमारे दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में जो बांस है वह निश्चित रूप से एक बहुत ही उपयोगी वनस्पति है। बांस के जंगल तो लगाये ही जाते हैं लेकिन बांस की खेती भी की जा सकती है और मेरी ऐसी यह मान्यता है कि अगर जौ, मक्का और ज्वार की खेती के मुकाबले अगर बांस की खेती की जाये तो निश्चय ही लोगों को इससे ज्यादा लाभ होगा। इसके साथ ही साथ मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो एक तरफ जहां चारा देता है, लकड़ी देता है सब्जी देता है उसके साथ ही साथ उसके नीचे जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। और हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जिसकी जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी होगी सेवन घास दोब यह ऐसी घास और झाडियां है जिन पर हमारा पशुधन वर्षों से पलता आया है और यही कारण है वहां के निवासियों के सम्पन्न होने का। मैं बांस, खेजड़ी सेवन और होव हमारे प्रान्त के जो प्राकृतिक वरदान के रूप में हमें मिले हैं हमारे आने वाले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उन चारों स्पीसीज को प्राथमिकता मिलेगी ऐसा मैं मानकर चलती हूं इसकी व्यवस्था हम करेंगे। फिर भी अध्यक्ष जी, काम बहुत बड़ा है और यह वृक्षारोपण का वनस्पति को बढ़ाने का काम अकेले सरकार या प्रशासन के बलबूते का नहीं है। जनता की भागीदारी एक आवश्यक अंग है अगर यह नहीं मिला तो सफलता हमारे से कोसों दूर रहेगी। मैं इस संबंध में एक माननीय सदस्यों के सामने सुझाव रखना चाहूंगी अगर आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाये तो हमारा वृक्षारोपण पर होने वाला खर्चा आधा होगा और सफलता चौगुनी होगी। जिस देश में अध्यक्ष जी, बेरोजगारी ने राक्षसी रूप धारण कर लिया हो और राजनैतिक दलों ने रोजगार के अधिकार को संविधान में जोड़ने की बात कही हो उस देश में आवारा पशु घूमते फिरें उसे हमारी अकर्मन्यता ही कही जा सकेगी और कुछ नहीं कहा जा सकता।....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसके लिए कानून बनाओ, हम तो तैयार हैं।

श्रीमती मदन कौर : मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगी।

श्री मदन दिलावर : यह रोजड़ों, का इन्तजाम कर लेंगे तो ही हम समझेंगे....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये अभी, जब आपका नाम बोला तब तो गायब थे अब खड़े हो गये आप।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : चार पैर वाले का इन्तजाम तो हो जायेगा लेकिन दो पैर वाले का इन्तजाम होना चाहिये।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि वृक्षारोपण और चारागाह के विकास के काम में जनता की भागीदारी....

श्री सम्पतसिंह (नगर) : आपने आवारा पशु, आवारा पशु दो तीन बार क्यों कहा है। एक बार में ही हम समझ गये। हिन्दी में बोल रही हैं आप लेकिन दो दो, तीन तीन बार जोर देकर के क्यों कहा।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि वृक्षारोपण के और चरागाह के विकास के काम में जनता की भागीदारी एक आवश्यक अंग है और राज्य सरकार ने और वन विभाग ने स्वयं ने भी मात्र वृक्षारोपण के काम को वन विभाग की मोनोपोली से निकाल कर दूसरे विभागों को स्वायत्त सेवी संस्थाओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सहकारी संस्थाओं को देने की तैयारी की और कुछ हद तक दिया भी लेकिन अब तक उसके परिणाम नगन्य ही रहे है। इस बारे हम भागीरथी योजना और माईक्रोप्लानिंग का सहारा ले रहे हैं। माईक्रोप्लानिंग का मतलब कि गांव स्तर तक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में, चारागाह विकास के संबंध में आम जनता की सलाह लेकर इनका विकास करना और साथ ही साथ शुरू से लेकर आखिर सम्पादित होने तक उसका लाभ किसको मिले, कितना मिले, कैसे मिले इस सम्बन्ध में गांव के स्तर तक सारे सुझाव लेकर उनको शामिल करके इस काम को करने का फैसला किया है। मैं अन्त में इस सदन के माननीय सदस्यों से हमारे राष्ट्र को, प्रान्त को हरा भरा करने में सहयोग प्रदान करने की अपील करती हूं और इसके साथ ही जो आने वाले वर्ष में मुख्य लक्ष्य है इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में जो प्रस्तावित लक्ष्य है वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के वह क्षेत्र है, 9.45 लाख हैक्टेयर जिसमें वृक्षारोपण और चरागाह विकास के काम किये जायेंगे। कृषि वानिकी हेतु पौध वितरण का 37 करोड़ पौधों का वितरण किया जायेगा। वर्ष 1990–91 के लिये निर्धारित जो लक्ष्य है वृक्षारोपण एवं चरागाह सुधार इसमें पौधे लगेंगे 4.50 करोड़, पौधे वितरण किये जायेंगे जैसाकि मैंने पूर्व में निवेदन किया, 4.25 करोड़, कुल मिला कर 8.75 करोड़ पौधे लगाने का 1990–91 में प्रस्ताव किया है। मैं इस सदन से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जो मांग संख्या 9 वन की 46 करोड़ 68 लाख 7 हजार की मैंने प्रस्तुत की उसे पास किया जाए।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मंत्री महोदया से एक जानकारी चाहता हूं। वर्तमान में नव धनाढ्य लोगों ने अपने मकान बनाने के लिये दीवारों तक में, फर्नीचर तक में, लकड़ी का प्रयोग किया है। इस पर आप कानून बना कर क्या उसी तरह रोक लगाना चाहेंगे जैसे अवैध शराब निर्माण पर कानून बना कर देहातों में रोक लगा रखी है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : कितनी रुक गई ?

श्री सम्पतसिंह : वह कितनी रुकी, नहीं रुकी यह सरकारों की बात है। पिछली सरकार तो निस्संदेह रूप से इस मामले में संवेदनशील नहीं थी लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल आधुनिकीकरण के हिसाब से इससे दो फायदे होंगे एक तो आग लगते वक्त मकानों में बहुत कम नुकसान की गुंजाइश होगी, आग लगेगी भी नहीं। तो क्या इस पर सरकार कानून बनाने का कोई इरादा रखती है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारे परम्परागत पेड़ हैं, नीम है, पीपल है, बबूल

(श्री सम्पतसिंह)

है, खेजड़ा है उन पर तो जो हम इतना जोर नहीं दे पा रहे हैं और यूकेलिप्टस जैसे जो बेकार के पेड़ पर इतना जोर दिया जा रहा है वानिकी में, इस पर क्यों नहीं हम जोर दे रहे और जोर देंगे भविष्य में तो इन पर अनुसंधान कार्य भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ? नहीं हो रहा है तो कब तक करने का विचार है ?

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बबूल के पेड़ को कुछ ग्राम पंचायतों ने खाली भूमि या बंजर भूमि पर लगा दिया । इस बबूल का उपयोग मात्र इतना है कि वह जलाने और बलीते की लकड़ी के उपयोग में आता है । माननीय मंत्री महोदया, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां ग्राम पंचायतों ने रास्ते के दोनों ओर बबूल के पेड़ लगा दिये हैं उनको आपके वन अधिकारी पेड़ मानते हैं । अगर उनको काट दिया जाय और वह बलीते के काम आये या ग्राम पंचायत को इस बात के लिये इजाजत दे दी जाय उदारतापूर्वक कि उनको काट ले, तो दूसरे साल उससे भी दुगुने उत्साह से फूटते हैं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बबूल के पेड़ जो लगाये हैं आपने वानिकी में, उनको काटने की इजाजत ग्राम पंचायतों को या रास्ते के दोनों ओर जिनका भी मालिकाना हक है उनको दें ताकि वह दुगुने उत्साह से फिर फूट सकें । वह खतम नहीं होता है । इससे परेशानी है ग्राम पंचायत को । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिना पूछे ही शुरू कर देते हैं । आप बैठिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं । एक तो, मंत्री महोदया, मैंने प्रश्न उठाया था यह सड़कों के किनारे सौ-सौ वर्ष पुराने वृक्ष हैं, आप भी कार से जाती देखती होंगी । इनको पांच साल से सिस्टेमेटिकली जलाया जा रहा है जान बूझ करके, उसकी छाल उतार देते हैं । सैंकड़ों वृक्ष इस तरह से मेरी नजर में आये हैं और आप भी देखें । इसके बारे में कुछ आप विचार रखती हैं ? यह आपके विभाग में है या पी. डब्ल्यू. डी. में है, किस में है यह ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये, हेतरामजी ।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) : माननीन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । इस प्रश्न का मेरा पूछने का तात्पर्य यह है, लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में अभी 33 गांव महाजन टोप्याबास के लिये खाली कराये गये थे, सन् 1987 में सत्तासर और खाजूवाला दन्तौर पंचायत क्षेत्र और पूगल में उनको भू-आवंटन किया गया था । वह दो साल भूमि काश्त करने के बाद में आपके वन विभाग ने उस काश्त की हुई भूमि पर अचानक तारबंदी करके प्लांटेशन कर दिया । आपने अभी बताया कि हमने जो भी भूमि ली है वह गजट में लाया की है तो क्या यह भूमि भी आपके गजट में लाया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मीणा ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी चर्चा के समय

(श्री हेमराज मीणा)

पांच प्रश्न मंत्री महोदया के सामने रखे थे, पांचों का ही जवाब मुझे मिला नहीं है। माननीय मंत्री महोदया को अगर ध्यान नहीं रहा हो तो मैं दुबारा उनको दोहरा देता हूं। पहला मेरा सवाल है, 1.1.71 के राज्यपाल के आदेश के अनुसार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके नियमन सम्बन्धी मामले का जिक्र इन्होंने नहीं किया। 1967 में जो कमेटी के आधार पर भूमि आवंटन हुई है, फारेस्ट की भूमि, जिनको पट्टे दिये गये हैं उनको फारेस्ट वाले तंग कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदया ने अभी कुछ बताया नहीं है। दूसरा जलाऊ लकड़ी और किसानों की झाड़ बाड़ के लिये पर्ची देने के सम्बन्ध में भी मामला रखा गया था उस सम्बन्ध में भी मंत्री महोदया ने कोई चर्चा नहीं की है, न कोई उसका जवाब दिया है। एक रिजर्व फारेस्ट का मामला था जहां पर अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के लिये कोई भी बात मंत्री महोदया ने नहीं कही है। एक जो योजना थी जिसके अन्दर लाखों रुपये खर्च हुए हैं और केवल 9 किलो या 8 किलो रेशम हमको प्रति वर्ष प्राप्त होती है, हर साल लाखों रुपये हमारे खर्च होते हैं उस सम्बन्ध में भी मंत्री महोदया ने कुछ बताया नहीं है। मेरे यह पांच सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदया कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : हीरासिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी एक दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लेना।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : पहले मैं पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष, महोदय मैंने चर्चा के दौरान दो तीन अहम मुद्दे उठाये थे। एक तो कैटल गार्डस जो वर्षों से वन विभाग के साथ जुड़े हुए हैं और कई बार आन्दोलन कर चुके हैं, मैंने यह भी निवेदन किया था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वह आदेश जा चुके हैं, उनकी सेवाएं नियमित की जायं इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ भी अवगत नहीं कराया। दूसरा, बाक्स फ्रेन्चेज के द्वारा जो जंगलों के विकास होने वाली बात है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। तीसरा, एक बात के बारे में जरूर कहा है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के तहत, वह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आफ रखिये लेकिन रखने के साथ जिन जंगलों की असुरक्षा हो रही है, जिन जंगलों की सुरक्षा नहीं हो रही है उनके बारे में आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं इसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहता हूं कि मैं संतुष्ट होऊं।

श्री अध्यक्ष : उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अभी मंत्री शांति से बैठी हैं, सब पूछेंगे अभी। धीरे धीरे याद आयेगा सबको।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो संदर्भ में दो बात कहना चाहती हूं मंत्री महोदया से, एक तो यह कि पहले वन विभाग की ओर से चौकियां लगी हुई थीं, यहां नाके थे और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वहां से पार-पत्र, टी. पी. लेने के बाद ही गाड़ियां निकलती थीं । अब मैं और कहीं की तो जानती नहीं, जयपुर नगर की जानती हूं । हर सड़क से वह गांव से शहर की ओर आती हैं, ऐसी नौ सड़कें हैं, 6 सीधे मार्ग हैं तीन उप मार्ग हैं उन तीनों पर शाम से लेकर रात भर और सुबह तक लगभग एक एक मार्ग पर 500 गाड़ियां अवैध लकड़ी की कट कर आती हैं जयपुर में और वह कोई मोड़ पड़ी लकड़ी नहीं, वह बड़े बड़े तने वाले लक्कड़, उस पूरी गाड़ी में एक ही लक्कड़ के टुकड़े और वह पूरा पड़ा होता है । मेरा निवेदन है कि इससे क्या हो रहा है ? जंगल की कटाई हो रही है, हमारे यहां 33 पर्सेन्ट से घट कर वन 3 पर्सेन्ट तक था कुछ दिनों पहले अब शायद एक पर्सेन्ट रह गया हो । तो पूरी ऐसी आप व्यवस्था करायें जिससे यह लकड़ियां कट कर न आवें । यह व्यवस्था आप कैसे करेंगी, यह आपके देखने की बात है । दूसरा, मेरा निवेदन, है कि यहां जयपुर से कुछ किलोमीटर कूकस के पास में होती राम सागर करके एक जगह है वहां पर ऐसा स्थान है जहां पर हमारे शेर वगैरह या वाइल्ड लाइफ के पशुओं को रखा जा सकता है, बहुत सुरम्य स्थान है । वह ऐसा लगता है कि वह केवल उसी के लिये बना है । हमारे रामनिवास बाग में उनको पर्याप्त स्थान नहीं है । तो वहां पर अभी एक कोई सड़क बनाने की योजना बनी है । मेरा निवेदन है, सुझाव है मेरा आपको कि आप अपनी तरफ से उस सड़क को वहां से न निकलने दें । सड़क बनें इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं । लेकिन उससे हट कर सड़क बन सकती है । इन दो बातों का ध्यान रखें, यह मेरा आपको सुझाव है तब तो अच्छा रहेगा अन्यथा मैं समझती हूं यह जंगल कटना बंद नहीं होंगे । अब तो भगवान की दया से पानी बहुत आ गया ।....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल कर रही हैं या भाषण दे रही हैं । हो गया आपका सवाल ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर पानी नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका । श्री मदनलाल सैनी । आप सवाल पूछिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो जंगलात लगाएगा, उसको बचाएगा उस मजदूर की चिन्ता नहीं की जा रही है । मजदूरों ने मुकदमा लड़ कर वर्क चार्ज सर्विस रूल्स सुप्रीम कोर्ट से पारित कराया लेकिन आज भी उसका लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा है । पी. एच. ई. डी., पी. डब्ल्यू. डी., सिंचाई, आयुर्वेद सभी में यह लाभ मिल रहा है । 25 वर्ष और तीन दशक इस विभाग को चालू हुए मंत्री महोदया बता रही थी । उनकी सुरक्षा के लिए मंत्री महोदया कोई व्यवस्था करेंगी ?

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि अब तक 60 करोड़ पेड़ जो पिछले 5 वर्षों में लगाये गये उनका अता–पता नहीं है । आठ करोड़ पेड़ इस बार लगाएंगे । क्या कोई नीतियों में परिवर्तन किया है जिससे इन आठ करोड़

(श्री रमाकान्त)

पेड़ लग जायेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि किर्लोस्कर कंसल्टेंट्स को कब से वनों की विशेषज्ञता आ गई, उनसे आपने जो सर्वे करवाया उसका पैसा भी आपने दे दिया होगा। जो रिपोर्ट आई है वह तो आप जो चाहते थे वह आ गई है। तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि टहला की सड़क के बारे में मैंने खास तौर से कहा था। उसका आप जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदया से यह सवाल करना चाहता हूं कि पहले जो सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए होते थे उनकी वन विभाग नम्बरिंग किया करता था खोद करके जिससे पता चल जाता था कि इस नम्बर का पेड़ काटा गया है लेकिन अब नम्बरिंग नहीं किया जाता इससे जैसे अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ कट कर किसान के खेत से आया है या वन विभाग का है या सार्वजनिक जमीन से आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल।

श्री मोहन लाल (जायल) : मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो सड़कों पर वृक्ष लगाये जाते हैं वह अंग्रेजी बबूल लगाते हैं और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सड़कों के किनारे खेजड़ी या नीम के वृक्ष क्या आप लगवायेंगे ?

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो तीन बातें पूछना चाहता हूं।....

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, कौरव-पाण्डवों को कैसे लड़ाया जाता है, आप बहुत खूब जानते हो।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं।

श्री लाल चन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, इत्तफाकन ज्यादा बरसात हुई या आंधी आई तो सड़कों के किनारे 20-25 साल पुराने पेड़ गिर कर रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। मेरा सुझाव यह था कि इतने पुराने जो पेड़ हो गये हैं उनका वैज्ञानिक सर्वे किया जाय और उनको कटा कर उनकी जगह नये पेड़ लगाये जाय ताकि पेड़ भी नये हों और जो पुराने पेड़ हैं उनका पैसा सरकार को मिले।

दूसरा मेरा प्रश्न था कि हमने देखा है कि दो तीन साल से जो जंगलात का काम पंचायतों और पंचायत समितियों को सौंपा है उससे जंगलात के काम का बेड़ा गर्क हो गया है। अतः तुरन्त इन संस्थाओं से लेकर विभाग से इस कार्य को करवायें।

तीसरा, जो चरागाह डेवलप किये गये थे, जिनको बन्द किया गया था पशु चराने के लिए उनको 5-6 साल बाद कम से कम अगले कुछ सालों के लिए स्वयं पशु पालकों के और किसानों के पशु चराने के लिए वह चरागाह खोल दिये जांय।

अगला मेरा प्रश्न था कि जिन सड़कों के किनारे देशी या विलायती कीकरें लगी हुई हैं और वहां का बारानी एरिया केवल बरसात पर निर्भर है वहां यह कीकरें कम से कम आधा आधा बीघा तक किसी फसल को नहीं होने देती। इससे राष्ट्र को पता

(१९८)

(श्री लालचन्द डूडी)

नहीं कितने टन अनाज का नुकसान होता है है और वह जगह भी ऐसी हो जाती है जिसमें कीकर के अलावा कुछ उगता ही नहीं। तो उन कीकरों की बजाय आप खेजड़ी के दरख्त लगायें।

अगला मेरा सुझाव है वृक्षारोपण के बारे में जहां सरकार ने कह दिया था कि इस साल बरसात नहीं होगी। इस वर्ष वृक्ष लगाना ठीक नहीं है उसके बावजूद भी कृषि संरक्षक महोदय ने वहां ढ़ाई करोड़ के वृक्ष बिना मतलब लगाये, सरकार की रोक के बाद भी और वहां ढ़ाई करोड़ का घोटाला हुआ और उसके बाद यह और मांग की कि दरख्त लगा दिये हैं उनके लिए पानी का भी पैसा दिया जाय और पिवाई के लिए और पैसा ले लिया। उसकी जांच भी चल रही है। वह बिल्कुल फर्जी काम था। ढ़ाई करोड़ का पूरा घोटाला हुआ उसकी जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई, इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन दिलवार।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक वानिकी के नाम पर बड़े बड़े लोगों ने मुख्य सड़कों पर 40-40 बीघा जमीन पर एक साथ कब्जा कर लिया है। जहां पथरीली जमीन है, क्या उनसे पौधे लगवाएंगे और नहीं तो क्या उसको निरस्त करेंगे क्योंकि पथरीली जमीन पर पौधे लग नहीं सकते। जैसे फारेस्ट के नाम पर कांग्रेस (आई) के सबसे बड़े नेता हमारे यहां रमेश चन्द्र नवलखा हैं उन्होंने 40 बीघा जमीन हड़प ली है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए। श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने और मनोहरथाने के माननीय विधायक ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को शिकायत की थी कि फारेस्ट विभाग द्वारा झालावाड़ में तेन्दू पत्ते का ठेका दिया गया है उसमें विभाग के जो अधिकारी झालावाड़ के, कोटा के हैं उन्होंने 22 रुपये प्रति मानक बोरा से रिश्वत लेकर 10 या 15 प्रतिशत अधिक उन ठेकों का रेवेन्यु कर दिया जिसकी हमने शिकायत की थी। मुख्य मंत्री जी ने उनके सचिवालय से संबंधित व्यक्ति को बुला कर हमारी बात करवाई और उन्होंने कहा था कि संबंधित मंत्री को यह शिकायत भेज कर जांच करके 15 दिन में आपको बता दिया जाएगा। यह इतना बड़ा आपके विभाग का सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। यदि आप हमारी मदद चाहेंगे तो हम दोनों विधायक मदद करेंगे और इस बात के सबूत पेश करेंगे कि यह डायरेक्ट रिश्वत झालावाड़ के फारेस्ट अधिकारियों और कोटा के कंजरवेटर फारेस्ट ने मिल कर ली है। हो सकता है कि यह पैसा ऊपर तक पहुंचा हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह किस मांग पर चर्चा हो रही है।

श्री अनंग कुमार जैन : क्या इसके बारे में मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह फ्री स्टाइल तो है नहीं। आपको मालूम है तीन मिनट हो गये हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि झालावाड़ जिले में गोंद का ठेका होता था वह सरकार के द्वारा बन्द कर दिया गया है। सारा गोंद एम. पी. में जाकर बिकता है इससे भी सरकार को नुकसान हो रहा है।

तीसरा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो संरक्षित वन हैं उनमें अवैध खनन काफी जोरों से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने सुना होगा कि यह प्रश्न आ चुका है, क्या आपके मुंह से ही आना चाहिए।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, हम शिकायत दे चुके हैं और कोई जवाब नहीं है विभाग द्वारा। तो हम कहां बोलेंगे इस मामले को।

श्री अध्यक्ष : इस दौर में यह सवाल आ चुका है मगर आपके मुंह से ही आना चाहिए। और पूछ लीजिए, सबको रिपीट कर दीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : यह 22 रुपये रिश्वत का कोई बोले क्या साहब, मानक बोरा का मैंने कहा कि 22 रुपये प्रति मानक बोरा यहां के कंजरवेटर फारेस्ट को दिये हैं।

एक मेरा प्रश्न और है कि झालावाड़ जिले में कुछ फारेस्ट विभाग के पेड़ हैं झालावाड़ और सेवन्या में जिसका ठेका वहां के सरपंच देते हैं उनका तीन लाख रुपये साल का चारा वह स्वयं अपने घर में रख कर उनको बेचते हैं इसकी शिकायत भी मुख्य मंत्रीजी को दी, उनका लैटर भी आया कि मैंने वन मंत्री जी को भेज दी है उसमें भी तीन महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका भी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : और हाथ ऊपर करिये, जो भी पूछना चाहते हैं। श्री बंशीलाल जी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह एक सवाल है। यक एक ऐसा रोग है, जिसके जरिये लकड़ी को ले जाने में पुलिस भी मिली हुई है। बार-बार उसका दुरूपयोग होता है तो मैं माननीया मंत्री महोदया से मेरा सवाल यह है कि क्या टी.पी. के काटने में और उसके सुपरविजन में कारगर ढंग से कड़ाई बरती जायेगी ? यदि यह सम्भव हुआ और कड़ाई बरती जायेगी तो मैं समझता हूं कि जंगल काटने में, लकड़ी काटने में और पेड़ काटने में रोकथाम को बल मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजराज जी।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की तहसील दीगोद में भंवरागडेपान, बल्लभपुरा, और पाटड़ी गांव था। उन चार गांवों की करीब दस-बारह सौ बीघा जमीन चम्बल फर्टिलाइजर्स को दे दी गई। वह वन विभाग की जमीन थी। मैं माननीया मंत्री महोदया, से पूछना चाहता हूं कि उस पर कितने पेड़ खड़े हुये थे ? कितना मुआवजा चम्बल फर्टिलाइजर ने दिया या अब तक नहीं दिया है ? जमीन कब्जे में ले ली, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदया का मैं जवाब सुनना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदान साहब।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय, सारे प्रश्न में मैं तो केवल मात्र इतना निवेदन कर रहा था कि मैंने दो पहलू रखे थे मेरे प्रश्न में कि जो आज फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट है····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसके बाद सैकण्ड राउण्ड शुरू हुआ है श्री दिलावर जी से। वह फर्स्ट राउण्ड है।

श्री अर्जुनदास मदान : फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के अन्तर्गत जिसके कारण से जन आक्रोश पैदा हो रहा है, जगह-जगह पर और लोग जान-बूझकर के कानून की अवहेलना करते हैं, तोड़ते हैं उसको। अगर सरकार चाहती है कि कानून की अवहेलना नहीं हो। यदि चाहती है कि कानून, कानून की दृष्टि से समाज में माना जाये तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा एक सुझाव था, उसके बारे में मंत्री महोदया क्या सोचती है ? क्या वह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के खिलाफ या राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिलवाना चाहेगी कि ताकि एक हैक्टेयर भूमि स्कूल के लिए, किसी अस्पताल के लिए या सड़क के निर्माण के लिए राज्य अधिकार क्षेत्र में रहे। दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि जो मैंने पहले निवेदन किया आपको जयपुर का एक उदाहरण देते हुये····।

श्री अध्यक्ष : मैंने काफी समय दिया है आपको बोलने के लिए, फिर दुबारा बोल रहे हैं इसके ऊपर····

श्री अर्जुनदास मदान : ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कम से कम यह जो चल रहा है और जिसके अन्दर कई अनियमिततायें है। मैंने आपको बताया कि चार परिवारों को दो लाख रुपये दिये गये। मैंने पेपर में पढ़ा, उसकी कटिंग भी मेरे पास आज है। आमेर में दो परिवार थे और दो और परिवार थे, जिनके सम्बन्ध में मुझे याद है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि अरावली पहाड़ियां है, उनके संदर्भ में रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि अरावली क्षेत्र के लिए एक बोर्ड बनाये। चूंकि जो अरावली की सारी की सारी की सारी पर्वत शृंखलायें हैं ये एक तरह से नंगी हो गई हैं, सारी की सारी। दूसरा मेरा एक निवेदन यह है कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग है, उसके पास जो जमीन है, जो जंगलात की जमीन भी है और रेवेन्यू बोर्ड भी जमीन भी है, लेकिन उसका स्वामित्व प्राप्त नहीं है तो क्या सरकार इस बात का विचार रखती हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग है, उनको उस जमीन का स्वामित्व दे दिया जावें ? यह मैं जानना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा एक सवाल और है। एक सवाल मेरा यह है कि हमारे यहां पर जो जन जाति निगम है इस जन जाति निगम के माध्यम से जो वनों में उत्पन्न होने वाली वस्तुयें है, उनका भी व्यापार करते है और लैम्बस के माध्यम से और लैम्बस में लगे हुये जो व्यवस्थापक है उनको पांच सौ, छह सौ रुपया दिया जाता

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है और इस तरीके से यह भ्रष्टाचार पनप रहा है, वहां पर अधिकारियों की बहुत बड़ी भीड़ है, कम से कम दो सौ लोग उसमें काम करते है लेकिन उनकी जिस तरह की शिकायतें है। क्या राज्य सरकार उस निगम के कामकाज को देखते हुये, उन अधिकारियों के कामकाज को देख कर के और लैम्बस में जो व्यवस्थापक काम कर रहे है, उनका पैसा बढ़ाने का कोई विचार रखती है ? यहीं मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण जी।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो डेफिनेशन है उसके बारे में राजस्थान हाई कोर्ट के कई परनाउसमेंट एक्ट आये है उसमें खेजड़ी और बबूल की लकड़ी को टिम्बर प्रोड्यूस नहीं माना गया है। इसलिए क्या माननीय मंत्री महोदय इस सत्र में फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन में एमेंडमेंट लाने के लिए सेक्शन 42 में जो इसकी पेनेल्टी है, उसके बारे में और सेक्शन 55 जो फॉरेस्ट एक्ट का है, जिसके तहत तमाम जो भी इसमें काम आते है व्हीकल उनको सीज करने के बारे में क्या कोई एमेंडमेंट का प्रस्ताव लाना चाहती हैं ? बिल लाना चाहती है ? इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और पुलिस वाले.....।

श्री अध्यक्ष : सवाल हो गया पूरा। आप बिल तो पेश नहीं कर रहे है, जिसमें रीजन्स देना पड़ता है।

श्री रामकरण चौधरी : एक एम्बीटूटी क्लीयर करवाने से कई लोगों के मुकदमे होते है और कई ऐसे भी होते जा रहे है। इसलिए यह बड़ा अहम मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि वन विभाग के अधिकारी या सरकार कृषि भूमि में से पेड़ काटने को पाबन्द नहीं कर सकती है। क्योंकि आपने पेड़ यदि किसी प्राइवेट आदमी को देगें तो वह कृषि भूमि में लगायेगा एक पेड़ और वह काटेगा दस पेड़। पहले सरकार की यह नीति थी या यह पहले पाबन्दी थी सरकार की कृषि भूमि से कोई पेड़ नहीं काटेगा। यदि कोई पेड़ काटेगा तो रेवेन्यू अधिकारी से अनुमति लेकर ही काटेगा। पिछली साल सरकार ने अकाल की स्थिति को देखते हुये इस पर छूट दी थी कि जिसके घर में गाड़ी है वह खुद पेड़ काट कर बेच सकता है पर इसको आज लोगों ने बिजनेस बना लिया है। और मंत्री महोदया, आप देखते है कि जयपुर-दौसा मार्ग पर ये सब व्यापारी ऊंट गाड़ियों के मार्फत रोज सैकड़ों हजारों गाड़ियां पेड़ काटकर लाते है। क्या सरकार पहले जो नीति थी कि रेवेन्यू ऐजेन्सी से अनुमति लेकर कोई कृषि भूमि से पेड़ काट सकता है क्या इसको आप दुबारा लागू करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि एक राउण्ड पूरा हो गया है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहस में जितना समय नहीं लगा है उससे भी ज्यादा समय प्रश्नों

(श्री अध्यक्ष)

में लग चुका है। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, पहले मेरी बात सुनिये आप। जो व्यक्तिगत कम्प्लेन्ट्स हैं, उसके लिए यह फोरम नहीं है। कोई भी मंत्री चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, आपकी सारी शिकायतों का जवाब यहां नहीं दे सकता है। सरकार ने नीतिगत रूप से जो आगे के बजट में व्यवस्थायें की हैं वह आपके सामने रखी हैं। आप नीतिगत रूप से जो सजेशन देना चाहे वह दे सकते हैं। सरकार उस पर अपने विचार प्रकट कर सकती है। यदि आप अपने प्रश्नों को इस हद तक सीमित करें तो मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही सही रूप से नियमों के अनुसार और जो आप लोगों के द्वारा बनाये हुये कानून हैं, उनके अनुसार चलेगी अन्यथा आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि नियमों को तोड़कर आपकी इच्छा के अनुसार मैं सदन चलाऊं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप रात को बारह बजे तक बैठें तो लेकिन आप थोड़ा सा नियम और जो व्यवस्थायें हैं उन पर ध्यान रखें। मैं समझता हूं आपका भी समय बचेगा और सदन का भी समय बचेगा और सरकार को जवाब देने में सहूलियत होगी।

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती मदन कौर (वन मंत्री): अध्यक्ष जी, वैसे तो जितने कटौती प्रस्ताव अनुत्तरित रह गये हैं, उनका जवाब माननीय सदस्यों को मिल जायेगा। लेकिन कुछ जो मोटे–मोटे प्रश्न यहां उठाये गये हैं, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी। एक सवाल यहां आया बॉक्स ट्रेंचेज के सम्बन्ध में। तो बॉक्स ट्रेंचेज तो एक मान्य टेक्निक है लेकिन वह सभी जगह सामान्य रूप से काम में ली जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। पहाड़ी इलाकों में जहां थोड़ा ढलावसा है वहां वह टेक्निक निश्चित रूप से कामयाब है और वहीं उसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरा सवाल फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि सड़क के किनारे जो पेड़ है, उनकी छाल उतारना और फिर पेड़ों को सुखाकर गिर जायें, खराब हो जाए और फिर उनको ले जाए। यह निश्चित रूप से एक षड़यंत्र के रूप में काम चल रहा है, यह मेरे भी ध्यान में है और मैं इस बात की जानकारी करूंगी कि कहां–कहां पेड़ किसके चार्ज में है, क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है? उसके बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगी। इसके अलावा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जो वन विकास और चरागाह विकास के जो काम हुए, उस पर अपना संदेह जताया है। मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहती हूं कि वहां किये गये कार्यों की विभिन्न ऐजेंसियों ने मूल्यांकन किया है और किर्लोस्कर कंसलटेंट है यह कोई गवर्नमेंट की ऐजेंसी नहीं है और न ही इसको गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कोई विदेशी सरकार पैसा देने को सहमत होती है तो वह सिर्फ हमारे मूल्यांकन के आधार पर नहीं होती। कोई स्वतंत्र ऐजेंसी इसकी रिपोर्ट दे, तभी वह पैसा देती है। इसके अलावा कोई पैसा मिलता नहीं है। इसलिए वहां जो काम हुआ है वह निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ है और उसी अच्छे काम के आधार पर हमें यहां विदेशी मदद मिल

(श्रीमती मदन कौर)

रही हैं। फर्नीचर में लकड़ी के अलावा, लकड़ी के विकल्प के रूप में एल्युमिनियम और स्टील काम में लिया जाय, यह निश्चित रूप से आपका एक अच्छा सुझाव है और उस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : कानून बनाइये, साहब।

श्रीमती मदन कौर : दूसरा प्रश्न आरा मशीनों के सम्बन्ध में उठाया गया। यह प्रश्न भी राज्य सरकार के विचार में है कि जहां हमारे फोरेस्ट हैं उससे कुछ मील की दूरी पर आरा मशीनें लगे ही नहीं, ऐसा विचार चल रहा है लेकिन अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन वनों को बचाने के लिए हम यहां कुछ फैसला करने का दिमाग बनायेंगे। माउन्ट आबू के सम्बन्ध में यहां सवाल उठाया गया कि वहां बड़े टूरिस्ट आते हैं और गैस की व्यवस्था होनी चाहिए। धीरे-धीरे यह व्यवस्था हो रही है। मैं वहां गई तब मुझे यह जानकारी मिली थी कि जो ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय है वहां बड़ी जलाऊ लकड़ी काम में आती थी। अब उन्हें गैस के कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं और उससे वहां बड़ी भारी लकड़ी की बचत हुई है। यहां विद्युत शव दाहगृह के सम्बन्ध में भी बात की गई, तो हमारे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी उन्नत शव दाहगृह बनाये गये हैं। उसमें भी कम लकड़ी काम में आये और उसके साथ-साथ हमारे यहां की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं लगे, यह काम भी हमने हाथ में लिया है। यहां एक प्रश्न यह भी आया कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में परिपक्व जो वृक्ष हो गये हैं उनका दोहन किया जाय, यह फैसला राज्य स्तर पर हो चुका है और समयबद्ध रूप से इस योजना को लागू किया जायेगा। एक सवाल, फोरेस्ट एरिया में किसी को अलाटमेंट हो गया, उठाया गया। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी करके आपके कट मोशन के आधार पर आपको सही जवाब दिया जायेगा।

श्री सम्पत सिंह : वह तो पुराने हैं साहब, रेगूलराइज करो।

श्रीमती मदन कौर : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक यह भी बात कही थी कि 60 करोड़ पौधे हमने पिछले दस वर्षों में लगा दिये। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर सातवीं योजना के अन्त तक प्रदेश में 40.5 करोड़ पौधे लगाये गये हैं और सिर्फ 10.84 लाख हैक्टेयर ही जमीन इसमें टेकल हुई है। आप कह रहे हैं कि इतने लगा दिये और सारी धरती पर पौधे ही पौधे हो जाने चाहिए थे तो यह सम्भव नहीं है। मेरा खयाल है मैंने कुछ मोटे-मोटे सवालों का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,68,07,000/– । छियालीस करोड़ अड़सठ लाख सात हजार। तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा

(202)

(श्री अध्यक्ष)

अनुदत्त राशि भी सम्मलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(6.50 म. प.)

सूचना

बाड़मेर जिले के बालोतरा एवं सिवाना में बाढ़ के सम्बन्ध में

बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ नई सूचनायें आई हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वह सदन को दें ।

श्री जगमालसिंह यादव : सामुदायिक विकास की मांग तो पास कराओ ।

श्री अध्यक्ष : हो जायेगा, वह आ रहा है । वह करा कर जायेंगे, बीच में नहीं जायेंगे । चिन्ता मत करो आप ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में मानसून की भारी वर्षा से आई बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर सहायता एवं बचाव कार्य किये जा रहे हैं । बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र में गुरूवार को भारी वर्षा होने से बाड़मेर, बालोतरा और सिवाना जाने वाले सभी मार्ग बन्द हो गये हैं । वहां डाली, कल्याणपुरा तथा बराव तिबाड़ा गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं, बालोतरा में बाढ़ से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थित स्कूलों व धर्मशालाओं में ठहरा दिया गया है । बालोतरा का जयपुर और जोधपुर से भी सड़क सम्पर्क टूट गया है । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवायें जोधपुर सम्भाग में वर्षा के कारण अस्त व्यस्त हो गई हैं । सिरोही फालना, जालौर, आबू रोड़ मार्गों पर जोधपुर से संचालन अवरुद्ध हो गया है । जयपुर से जोधपुर के लिए वाहन संचालन शुरू कर दिया गया है । जयपुर–महावीरजी, हिण्डौन महावीरजी मार्ग तालचेड़ी पुल टूट जाने के कारण अवरुद्ध हो गया है । जयपुर–भरतपुर–आगरा मार्ग पूर्व में महुआ के समीप दल्लपुरा पर सड़क टूट जाने के कारण अवरुद्ध हो गया था, वर्तमान में मार्ग पुनः शुरू हो गया है । अन्य मर्गों पर वाहन संचालन यथावत है ।

कल बालोतरा में लूणी नदी के मध्य स्थित चोंच मन्दिर में बाढ़ के पानी से घिरे 200 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है । लूणी नदी का जल स्तर विभिन्न स्थानों पर पांच से दस फीट तक चढ़ा हुआ है । जिले की पचपदरा, गुढ़ामालानी तथा सिवाना तहसील क्षेत्रों के करीब 50 गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं । इससे दो हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं । बाड़मेर के जिला कलक्टर बालोतरा में ही कैम्प किये हुए हैं, और राहत कार्यों व लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्यों की निगरानी कर रहे हैं । बाड़मेर में नावों की व्यवस्था सेना की सहायता से कर ली गई है ।

जोधपुर जिले में ओसिया तहसील का जो क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ है, वहां जिला प्रशासन सेना की मदद से राहत कार्यों में जुटा हुआ है । जहां बाढ़ से घिरे लोगों को हैलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पैकेटों के साथ-साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधायें भी सुलभ कराई जा रही हैं। जोधपुर से हैलीकॉप्टर द्वारा पाली व जालौर जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को खाद्य सामग्री के पांच हजार पैकेट वितरित करवा दिये गये हैं। राहत कार्यों में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थायें और संगठन लगे हुए हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधा भी सुलभ कराई जा रही है।

जालौर जिले में राहत कार्यों की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है इस जिले की सांचौर तहसील के हरियाली गांव में अतिवृष्टि से मरे दो व्यक्तियों के परिजनों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से पांच-पांच हजार रुपये की राशि वितरित की गई है। मृतकों में श्रीमती प्यारी पत्नी श्री सेवाराम तथा कुम्भाराम पुत्र श्री हजारा हैं। सांचोर तहसील के चोरा, हरियाली, बेडरली, जरोसीली आदि गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं। इसके अलावा नेहड़ क्षेत्र के 12 गांवों में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इन सभी स्थानों पर बचाव तथा राहत कार्य चालू हैं। कलक्टर जालौर से प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ के कारण इस जिले में 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। दो व्यक्ति लापता हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु सांचौर तहसील में और शेष की रानीवाड़ा क्षेत्र में हुई है। रानीवाड़ा में दांतावाड़ा एवं करवाड़ा बांध में क्षति होने से यह मृत्यु हुई है। जिला कलक्टर से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने बाढ़ से सांचौर तहसील के 17 रानीवाड़ा के 7 एवं भीनमाल तहसील के 6 गांव प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस जिले में व इस जिले से दूसरे जिले में जाने वाले सारे मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं।

कोटा में अंधेरा तालाब तथा गोरावासा बांध में दरार पड़ गई थी जिसकी मरम्मत कर दी गयी है। सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सरदार समन्द, हेमावास व जवाई तालाबों में पानी अभी तक ओवर-फ्लो नहीं हुआ है। जोजरी नदी में अत्यधिक वर्षा होने से जल का स्तर बढ़ा है। इन तालाबों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

सरदार समन्द- पूर्ण भराव क्षमता-20 फीट, वर्तमान जल स्तर-10 फीट

हेमावास- पूर्ण भराव क्षमता-28 फीट, वर्तमान जलस्तर-19 फीट

जवाई-पूर्ण भराव क्षमता-61.25 फीट, वर्तमान जलस्तर-47.3 फीट

सेई बांध का जल स्तर कुल भराव क्षमता 27 फीट के मुकाबले 22 फीट है और इसका पानी जवाई बांध की तरफ मोड़ दिया गया है। सुमेरपुर से सांडेराव के बीच सिंध बांध के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है।

आज दिनांक 6.7.90 को प्राप्त प्रातः 8.30 बजे तक की सूचना के अनुसार पिछले एक दिन में वर्षा निम्न प्रकार अंकित की गई है:-जोधपुर में 137 मिलीमीटर, पाली में 25 मिली मीटर, अजमेर में 14 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 13 मिलीमीटर अलवर में 10 मिलीमीटर, भरतपुर में 1

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मिलीमीटर, जयपुर में 7 मिलीमीटर, सीकर में 13 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 1 मिली-मीटर, बांसवाड़ा में 73 मिली मीटर, चित्तौड़गढ़ में 1 मिलीमीटर, उदयपुर में 2 मिलीमीटर जहां तक रेल मार्ग का संबंध है। जालौर पाली में जोधपुर पाली नागौर अहमदाबाद पाली, बाड़मेर उदयपुर, एवं पाली जिले में पाली-जालौर-सुमेरपुर मार्ग बंद है, जोधपुर से सूरतगढ़ सड़क मार्ग, पाली में सिरोही, पाली से अजमेर, पाली से देसूरी, पाली से जोधपुर एवं पाली से सुमेरपुर सड़क मार्ग भी प्राप्त सूचना के अनुसार बंद है।

इस समय जोधपुर जिले में जोजरी नदी एवं पाली जिले में खोरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अत्यधिक बारिश से, बाढ़ से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी चिकित्सा विभाग द्वारा पर्याप्त प्रबन्ध किये जा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा भारतीय तेल निगम के समन्वय से पश्चिमी राजस्थान के बाढ़ ग्रस्त पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में डीजल व मिट्टी के तेल की लगातार सप्लाई हेतु निर्देषित किया गया है ताकि जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां पर पानी निकालने हेतु पैट्रोलियम पदार्थों की कमी न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में कुछ माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता जाहिर की थी कि हम उस क्षेत्र में अविलम्ब जाना चाहते हैं। यहां से दो जीपें फोर व्हील की और एक जिप्सी कार उनके लिए उपलब्ध करायी जा चुकी है जिसके माध्यम से कुछ माननीय बन्धु जा चुके हैं और कुछ माननीय बन्धु अभी जाने शेष हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी जोधपुर में है और लगातार उस क्षेत्र में बैठ कर सारे डिवीजन पर चौकसी रखे हुए हैं, इसकी मोनीटरिंग किए हुए हैं।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया था, उस बाबत यहां से जिलाधीश से सम्पर्क किया गया है और उनको यह कहा गया है कि वह जहां पानी भर गया है उनको अविलम्ब सब प्रकार की राहत पहुंचायी जाय। पुराने बने हुए नियम हैं उसके अनुसार पक्का मकान टूटने पर एक हजार रुपए मुहैय्या कराया जाता है, कच्चा मकान टूटने पर पांच सौ रुपये मुहैय्या कराया जाता, छप्पर का मकान अगर टूट जाता है तो उसको दो सौ रुपए मुहैय्या कराया जाता है। जहां-जहां जिस-जिस प्रकार की क्षतियों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वहां इस प्रकार की धनराशि मुहैय्या कराने के प्रयास चालू हैं।

मांग संख्या 41 का पारण

सामुदायिक विकास

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास राज्य मंत्रीजी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (सामुदायिक विकास राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने सामुदायिक विकास पर अपने विचार रखे, सुझाव भी दिये मैंने उनको नोट भी किया है और उन पर अमल करने की कोशिश भी करूंगा।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

जब तक सामुदायिक विकास में ग्रामों का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास सम्भव नहीं है, यह मैं मानता हूं। पंचायत राज में, पंचायतों में काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की भी काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। यहां भी कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें की हैं, उस बाबत मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जन प्रतिनिधि हो, यदि भ्रष्टाचार की शिकायत में लिप्त है, पहले भी जांच पेंडिग है उनमें या जो शिकायतें अब आयेंगी उनमें, उनको बख्शा नहीं जायेगा और निश्चित रूप से उनको सजा दी जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों को विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे पंचायत राज विभाग पंचायतों के बारे में प्रशासनिक अधिकार रखता है पर जो भी पैसा आता है वह स्पेशल स्कीम से आता है और वह उनको मुहैय्या कराता है। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग तो सिर्फ उनका एक प्रशासनिक ढांचा है। जिस तरह से चम्बल से बिजली आती है, वह छोड़ते हैं तब वह पहुंचती है तो उनकी तरफ से पंचायत विभाग तो रखवाली करता है। जो पैसा मिले उसका सही उपयोग हो बस यह रखवाली करता है।

(7.07 सायं)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बाकी जो भी योजनाएं हैं वह सारी स्पेशल स्कीम्स के तहत वरिष्ठ मंत्रीजी के पास है और वह उनकी देखरेख करते हैं।

कुछ योजनाएं जो सीधी पंचायती राज के तहत चलती हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निःशुल्क भू-आवंटन, ग्रामीण आवासीय गृह निर्माण अनुदान योजना, मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण शौचालय एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्पों का संधारण, स्वास्थ्य मार्ग दर्शक योजना, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्रशिक्षण प्रोग्राम। इन योजनाओं में भी और जिनमें सीधा पैसा मिलता है पंचायत राज विभाग को और जिनमें पंचायतों के माध्यम से कार्य होता है उनमें भी जितने लक्ष्य गत साल तय किये गये थे वह सारे के सारे पूरे कर लिये गये थे और लक्ष्यों से भी अधिक कार्य उनमें हुआ है और इस साल भी जितने लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वह भी प्रगति पर हैं। इन दो तीन महीनों में एवरेज के हिसाब से लक्ष्यों से अधिक कार्य हो रहा है। इनके अलावा अभी माननीय सदस्यों ने हैण्ड पम्पों के बारे में और शिक्षा के बारे में कई शिकायतें की। मैं भी यह महसूस करता हूं कि हैण्ड पम्पों का कार्य पंचायतों को दे रखा है वह न तो पूरा कार्य उनको दे रखा है न पी. एच. ई. डी. काम करता है सिर्फ साल में एक या दो बार अभियान चलता है।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

उसमें भी आगे आगे ठीक करते हैं और पीछे खराब होते जाते हैं और पंचायत राज ही उनकी देखरेख करता है। 40–50 हैण्ड पम्पों पर एक मिस्त्री ठेके की तरह रखा जाता है। उसको एवरेज के हिसाब से पैसा मिलता है जो अपर्याप्त होता है। इससे यह व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है कि या तो यह योजना पी. एच. ई. डी. के अधिकार में रहे और यदि वह पंचायत समितियों को दी जाए तो पूरा स्टाफ व पूरा बजट दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य मार्ग दर्शक योजना जो चल रही है उनकी प्रगति सराहनीय रही है।

इसके अलावा शिक्षा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बातें रखीं और बाहर भी गुरुजनों का भी काफी विरोध रहा है। उसमें अभी तक राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय तो नहीं किया है लेकिन उसमें विचार चल रहा है कि प्राथमिक शालाएं जो कि पूर्व सरकार ने पंचायत राज को सौंपी थी, जिनको न तो वित्तीय अधिकार दिये गये थे न वित्तीय साधन दिये, जिससे जो अभी शिकायतें आयी कि मेडिकल बिल व तनख्वाह नहीं मिल रही है, यही परेशानी के कारण सरकार में यह मामला विचाराधीन है। मैं यह समझता हूं और यह विश्वास भी दिलाता हूं कि इसी माह में इस पर निर्णय होकर अंतिम निर्णय किया जायेगा। इसके अलावा अध्यापकों की कमी के बारे में काफी, पहले भी शिकायतें आई हैं और आज माननीय सदस्यों ने भी उठायी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए मैं भी यह महसूस करता हूं कि गत वर्ष अव्यवस्था के कारण अध्यापकों की कमी रही है। पूर्व सरकार ने जाते-जाते शिक्षा केन्द्रों के नाम से कुछ गत वर्ष खोले थे उनको भी, प्राइमरी स्कूलों को भी शिक्षा केन्द्र में परिवर्तित किया और वहां भी मार्च तब कई जगह शिक्षा केन्द्र खुलते रहे और मिडिल स्कूलों को बिना नियमों में परिवर्तन किये, पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में परिवर्तन किये बिना ही इनको पंचायत राज के अधिकार में दे दिया और वित्तीय साधन पूरे नहीं किये और जो चयनित प्रक्रिया थी, वह भी पहले तो मैरिट के आधार पर थी। फिर उसको बदला और फिर 60 और 40 के अनुपात से इन्टरव्यू लिये गये, जिसमें काफी धांधलियां हुई और जब शिकायतें आई हमारे पास तो राज्य सरकार ने उसकी जांच करवायी और अन्त में उन शिकायतों में दम होने कारण उनका अपाइण्टमेण्ट स्थगित करना पड़ा। जिससे यह कठिनाई आई। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अब अध्यापकों की भर्ती के लिए सीधा सा तय करने का विचार रखती है कि जो मैरिट में आये, मैरिट लिस्ट बनाकर उसमें जो आयेगा, उससे उनका चयन किया जायेगा। उसमें भी जिले को और ग्रामीणों को और राजस्थान के निवासियों को प्राथमिकता दी गई है, इससे आगे भी सैशन में अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी। गत सैशन में करीब 6 हजार अध्यापकों की कमी रही थी। अब जल्दी आदेश होने वाले हैं, जिससे इस समस्या का भी समाधान हो जायेगा। दूसरा, राज्य

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

सरकार, जो शिक्षा केन्द्र पूर्व सरकार ने जाते-जाते खोले थे, मैं तो उसको खुला राजनैतिक भ्रष्टाचार कहूंगा कि जिसमें चाहे जहां बिना आबादी के कई-कई स्कूलें ऐसी जगह खोली गई, जहां पहले प्राइमरी स्कूल थे। कई-कई शिक्षा केन्द्र ऐसी जगह खोल दिये जहां कोई ढाणी का नाम नहीं है, तो इस तरह जाते-जाते करीब ढाई हजार शिक्षा केन्द्र खोले और वहां अध्यापकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया तय की, पूर्व में तो वह सरपंच के अधिकार में दी गई लेकिन उसके बाद पूर्व राज्य सरकार ने चार आदमियों की एक कमेटी बनाई, विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच और एस.डी.आई.। लेकिन उस चयन में न तो शिक्षा का कोई मापदण्ड था, न कोई आयु का मापदण्ड था। 500 रुपये में राजनैतिक आधार पर किसी को भी वह उन केन्द्रों में लगा सकते थे और उन केन्द्रों में पढ़ाई के लिए कोई ऐसी व्यवस्था या समय नहीं था कि जिस तरह से और प्राइमरी स्कूल चलते हैं, उसी तरह से चलें। अतः इस पर राज्य सरकार ने विचार किया है और यह चल रहा है कि इन शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दें और पहले की तरह प्राइमरी स्कूल ही खोल दें, जिससे पढ़ाई का स्तर नहीं गिरे। इसके साथ-साथ अभी माननीय सदस्यों ने कुछ मांग भी रखी थी, भ्रष्टाचार के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया कि काफी शिकायतें आ रही हैं और राज्य सरकार तो कृत संकल्प है ही, आप लोगों का भी सहयोग आवश्यक है और अभी दो पंचायतों के बारे में भी शिकायतें आयी थीं, उनको मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि उनकी जांच करके उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो संतुष्ट भी लग रहे हैं, पास करवाइये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : और मुझे यह आशा थी कि इस मांग पर कई माननीय सदस्य अपने सुझाव पंचायत राज के बारे में देंगे। पुनर्गठन की भी योजना चल रही है और क्या कमियां हैं, पंचायत राज में, यह भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो तो सिवाय एक माननीय सदस्य बेनीवाल जी के अलावा किसी भी माननीय सदस्य ने इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बोलने का मौका नहीं मिला, आपको लिखकर दे देंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या गांवों में जो गांधीजी का सपना था, एक साथी ने कहा भी था कि रामराज आये और भाईचारा बढ़े और गांवों का विकास हो, इस एक्ट में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिये। चुनाव में खर्च वाली क्या प्रणाली हो, उसमें क्या परिवर्तन किया जाना चाहिये, आप सुझाव देंगे। इस बारे में पहले भी एम.पीज. वगैरह की मीटिंग हुई थी, मुख्य मंत्रीजी ने ली थी, उसमें भी सुझाव मांगे थे। यदि आप अमूल्य सुझाव देंगे तो उस पर राज्य सरकार परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। अतः इन्हीं शब्दों के साथ सदन मेरी मांगों को स्वीकार करे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इससे ज्यादा तो डिटेल मेरे ख्याल से बहुत कम आती।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि अध्यापकों का चयन मैरिट के आधार पर होगा। इस मैरिट में राजस्थान में शिक्षा का स्तर अन्य प्रदेशों से ज्यादा बेहतर है। शिक्षा में घोटाला भी नहीं है, एडमीशन में भी नहीं है। मध्य प्रदेश में घर बैठे बी. ए. की परीक्षा का सर्टिफिकेट आता है और 70 प्रतिशत मार्क्स से किसी का कम नहीं होता, यहां 70 प्रतिशत शायद ही किसी का होता हो और वहां 70 प्रतिशत से कम किसी का नहीं होता। यदि विशुद्ध मैरिट से आपने या मार्क्स के हिसाब से तो मध्य प्रदेश के जो फर्जी सर्टिफिकेट आ रहे हैं, उन लोगों का चयन होगा और राजस्थान के लोग इससे वंचित रह जायेंगे।

श्री हेमराज मीणा : मध्य प्रदेश की डिग्री का अवश्य ध्यान रखा जाये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष जी, उसमें राज्य सरकार यह तय करने जा रही है कि राजस्थान के निवासी को 10 प्रतिशत बोनस अंक मिलेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 10 प्रतिशत तो कम हैं :

श्री हरलाल सिंह खर्रा : इस प्रकार राजस्थान के निवासी को 20 प्रतिशत बोनस अंक मिलेंगे। 05 प्रतिशत जिले के और 20 प्रतिशत बोनस अंक मिलेंगे तो कम्पीटीशन में आ जायेंगे, वह लोग 10 प्रतिशत राजस्थान के, 5 प्रतिशत जिले के और 5 प्रतिशत ग्राम के मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 28,67,27,000 (अंके रुपए अठ्ठाइस करोड़ सड़सठ लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 9 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.22 बजे सोमवार दिनांक 9 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 183 की सूची

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में जिलेवार आवंटित राशि एवं उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 1990–91 के लिए आवंटित राशि	प्रथम किश्त में उपलब्ध कराई राशि
1	2	3	4
1.	अजमेर	264.71	66.17
2.	अलवर	412.50	103.12
3.	बांसवाड़ा	679.19	169.80
4.	बाड़मेर	697.58	174.39
5.	भरतपुर	286.66	71.67
6.	भीलवाड़ा	350.37	87.60
7.	बीकानेर	367.96	92.00
8.	बूंदी	188.35	47.09
9.	चित्तौड़गढ़	352.95	88.24
10.	चूरू	603.36	150.84
11.	धौलपुर	116.16	29.04
12.	डूंगरपुर	477.67	119.41
13.	श्री गंगानगर	488.99	122.25
14.	जयपुर	606.64	151.66
15.	जैसलमेर	229.01	57.25
16.	जालौर	308.12	77.03
17.	झालावाड़	276.04	69.02
18.	झुंझुनू	707.55	176.89
19.	जोधपुर	750.86	107.72
20.	कोटा	518.05	129.50

(210)

1	2	3	4
21.	नागौर	1004.91	251.23
22.	पाली	811.57	202.89
23.	सवाई माधोपुर	589.75	147.43
24.	सीकर	252.06	63.01
25.	सिरोही	241.38	60.34
26.	टोंक	268.01	67.01
27.	उदयपुर	954.88	238.72
	योग—	12805.28	3201.32

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 188 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	कम किये गये बोगस/ फर्जी राशन कार्डों की संख्या	यूनिट्स जो कम किये गये
1	2	3	4
1.	अजमेर	605	5002
2.	अलवर	267	3201
3.	बाड़मेर	—	—
4.	बून्दी	17	811
5.	बांसवाड़ा	—	—
6.	भरतपुर	—	—
7.	भीलवाड़ा	1573	—
8.	बीकानेर	4500	22500
9.	चूरू	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	—	406
11.	डूंगरपुर	60	1420
12.	श्रीगंगानगर	3053	17335
13.	जयपुर	32	10823
14.	जोधपुर	34	6671
15.	जैसलमेर	—	1639
16.	जालोर	41	700
17.	झुन्झुनूं	362	9152
18.	झालावाड	4	751
19.	कोटा	730	3490
20.	नागौर	—	2135

212

1	2	3	4
21.	पाली	—	19
22.	सीकर	2	210
23.	सवाई माधोपुर	69	1577
24.	सिरोही	25	5079
25.	टोंक	—	2238
26.	उदयपुर	385	7787
27.	धौलपुर	—	432
	योग	11759	103378

परिशिष्ट—3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि का लेखा-जोखा

189. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू व्यवस्था के अनुसार राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि खातों में प्रति माह की जा रही अनिवार्य कटौती की कोई रसीद नहीं दी जाती है जिससे उक्त कटौतियों की जानकारी उन्हें नहीं रहती है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कारगर व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

(2) उक्त दोनों के खातों में पृथक पृथक कुल कितनी राशि प्रतिवर्ष राज्य कोष में जमा होती है ?

(3) विभाग में उक्त खातों के अन्तिम भुगतान के कुल कितने मामले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया हैं और क्यों ?

(4) सरकार लम्बित प्रकरणों का कब तक निपटारा करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि खातों का कटौती विवरण प्रतिवर्ष भेजा जाता है। प्रावधायी निधि के कटौती विवरण पत्र वर्ष 1986–87 तक के सभी जिलों द्वारा जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 1987–88 के कटौती विवरण पत्र लगभग 50% तक जारी किये जा चुके हैं। बीमा निधि से सम्बन्धित वार्षिक कटौती विवरण पत्र वर्ष 1987–88 तक के सभी कर्मचारियों को भेजे जा चुके हैं। वर्ष 1988–89 का खाताबंदी का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही वर्ष 1988–89 के वार्षिक कटौती विवरण पत्र जारी कर दिये जायेंगे।

(2) यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। वर्ष 1989–90 में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 88.15 करोड़ रुपये एवं सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 130 करोड़ रुपये राज्य कोष में जमा होने का अनुमान है।

(3) विभाग में दिनांक 1–6–90 तक अन्तिम भुगतान के बीमा योजना के अन्तर्गत 4209 मामले एवं सामान्य प्रावधायी निधि के 1726 मामले बकाया हैं। ये मामले मुख्यत. सम्बन्धित विभाग/कर्मचारी से स्वत्व प्रपत्रों की पूर्ति होकर प्राप्त न होने या अन्य वांछित सूचनायें समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण निर्णित नहीं हो पाये हैं।

(2१४)

(राज्य बीमा मंत्री)

(4) बकाया मामलों के निस्तारण हेतु विभाग में एक योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आशा की जा सकती है कि इस विभाग के स्तर पर बकाया मामलों का निस्तारण चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो जायेगा।

नगरपालिका मालपुरा के वार्डों का परिसीमन

190. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मालपुरा (टोंक) में वार्डों के परिसीमन के लिये प्रशासन द्वारा तैयार किये गये प्रारूप में श्री प्रवीण चन्द जैन व अन्य द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां सभी 16 वार्डों के सम्बन्ध में एक प्रकार से नया ड्राफ्ट का रूप थी ? आपत्तियों की मूल प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त सभी आपत्तियों को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार को की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका में संभावित संशोधन/परिवर्तन के विषय में कोई टिप्पणी नहीं मांगी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से बिना नगरपालिका से कोई टिप्पणी लिये व बिना ड्राफ्ट को विचार में लिये प्रस्तुत आपत्तियों के अनुसार ड्राफ्ट में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन के रूप में लिये पूर्ण रूप से ड्राफ्ट को आपत्तियों से रिप्लेस/परिवर्तित कर दिया गया, जो पूर्णतया अवैध है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) वार्डों के परिसीमन के पश्चात् आपत्तियों के रूप में प्रस्तुत प्रारूप एवं अन्तिम प्रकाशन में क्या अन्तर है ? दोनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के प्रारूप को आपत्ति की परिभाषा में लिया जा सकता है ?

उत्तर

(1) वार्डों की सीमाओं से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रकाशन के बाद ही उनके विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह आपत्तियां अलग-अलग वार्डों के लिए अलग-अलग होती हैं। जो आपत्तियां प्राप्त हुई, उनकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3–4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संभावित संशोधनों के विषय में टिप्पणी मांगने का कोई भी प्रावधान नहीं है तथा राज्य सरकार परिसीमन के प्रारम्भिक प्रकाशन के प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियां एवं उनके बारे में दी गई टिप्पणियों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने में सक्षम है।

(निर्वाचन मंत्री)

(5) वार्डों की सीमा के सम्बन्ध में अंतिम प्रकाशन प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही किया जाता है। दोनों की प्रतियां संलग्न हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन उपज की खरीद

191. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम की जनजाति समुदाय के उन्नयन की दिशा में मुख्यतः क्या–क्या गतिविधियां हैं ? क्या सरकार ने उक्त समुदाय को पहुंचे लाभ की समीक्षा करवाई है ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम उदयपुर में वनों से प्राप्त होने वाली जड़ी–बूटियों एवं फलों को खरीदता है ? यदि हां, तो वर्ष 1988–89 और 1989–90 में कितनी और क्या–क्या खरीद की गई और निगम को इससे कितना लाभ हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि जंगल की उपज को सस्ती दर पर खरीद कर निगम आदिवासियों का शोषण कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार उचित मूल्य दिलाने की दिशा में कब तक क्या कार्यवाही का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजससंघ जनजाति समुदाय के उन्नयन की दिशा में जो मुख्यतः गतिविधियां चला रहा है, वे निम्न हैं।—

1. आदिवासियों को नियंत्रित एवं अनियंत्रित उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध कराना।

2. आदिवासी कृषकों को समय पर रसायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराना।

3. आदिवासियों द्वारा संग्रहित लघु–वन उपज उचित मूल्य पर क्रय करना।

4. उपयोजना क्षेत्र के "अ" श्रेणी के जलाशयों में आदिवासियों द्वारा मत्स्याखेट कराना।

5. आदिवासियों को आर्थिक उपकरण व गतिविधियां चलाने हेतु बैंकों से ऋण व्यक्तिगत अथवा समिति के रूप में दिलवाना।

राजससंघ द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है एवं योजनाओं को लाभकारी पाया गया है।

(2) जी हां आदिवासियों द्वारा संग्रहित जड़ी–बूटियों एवं फलों को राजससंघ द्वारा वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में खरीदे गये हैं जिसकी सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राजससंघ आदिवासियों द्वारा संग्रहित लघु वन उपज के मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उन्हें अधिक से अधिक वन उपज का विक्रय मूल्य प्राप्त हो सके।

परिशिष्ट "अ"

मात्रा क्विंटल में एवं राशि लाख रु. में

क्रम. सं.	नाम उपज	प्रारम्भिक स्टॉक 88–89 मात्रा	प्रारम्भिक स्टॉक 88–89 राशि	प्रारम्भिक स्टॉक 89–90 मात्रा	प्रारम्भिक स्टॉक 89–90 राशि	क्रय 88–89 मात्रा	क्रय 88–89 राशि	क्रय 89–90 मात्रा	क्रय 89–90 राशि	विक्रय 88–89 मात्रा	विक्रय 88–89 राशि	विक्रय 89–90 मात्रा	विक्रय 89–90 राशि	सकल लाभ/हानि 88–89	सकल लाभ/हानि 89–90
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	शतावरी	16.15	0.15	5.96	0.008	—	—	—	—	10.19	0.08	2.50	0.012	+0.01	+0.02
2.	चित्रकछाल	1.41	0.008	0.09	0.001	—	—	—	—	1.32	0.002	—	—	+0.01	—
3.	मूसली	—	—	0.03	0.003	1.44	0.13	—	—	1.41	0.28	—	—	+0.16	—
4.	आंवला	148.00	0.29	6.67	0.01	81.48	0.14	720.00	2.89	222.81	0.55	100.00	0.60	+0.13	+0.22
5.	बहेड़ा	6.10	0.01	2.36	0.004	1.09	0.001	50.40	0.03	4.83	0.01	—	—	+0.004	+0.006
6.	डोलमा	—	—	110.08	0.99	288.45	1.66	723.00	6.78	178.37	1.25	473.81	3.70	+0.58	—0.70
7.	कराज	251.15	0.76	37.56	0.12	71.75	0.29	516.25	1.73	285.34	1.16	368.70	1.40	+0.23	—0.07
8.	अरीठा	280.10	0.93	5.15	0.02	25.40	0.08	318.50	1.07	300.35	0.95	—	—	+0.08	—0.01
9.	रतनजोत	—	—	2288.10	8.78	2288.10	8.78	3140.00	11.56	—	—	1782.00	5.95	—	—0.96

(217)

सिरोही जिले के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

192. श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की नीति के तहत विधान सभा क्षेत्र सिरोही की ऐसी कितनी पंचायतें अभी तक सड़क से नहीं जोड़ी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पंचायतों को कब तक सड़क से जोड़ने का सरकार का इरादा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्राम लखमावास बड़ा, लखमावास छोटा, केराल, रोवाड़ा, वूडेरी, गोला, आल्पा मोचाल, वाडका, अमेटा, उम्मेद गर्डा, लोटीवास अकापुरा, खारल, सबली, संतापुरा सम्पर्क सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं तथा ये स्थान पंचायत मुख्यालय भी नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के सभी पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की सड़कों से जुड़े हुए है परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के प्रश्नान्तर्गत उल्लेखित 15 गांवों में से 1 गांव डामर सड़क से तथा 9 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े है। 5 गांव किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। सूचना परिशिष्ट "ब" संलग्न है। ये उल्लेखित गांव आल्पा व रोवाडा को जोड़कर ग्राम पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। शेष 5 गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के पंचायत मुख्यालयों से जुड़ी हुई सड़कों की सूची

क्र. सं	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत मुख्यालय	जनसंख्या 1971	सड़क प्रकार			
				डामर	मेटल	ग्रेवल	नहीं जुड़े
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	सिरोही	नरादरा	905	हां	—	—	—
2.		मनादर	3740	हां	—	—	—
3,		कैलाशनगर	4244	हां	—	—	—
4.		झाडूली	1594	हां	—	—	—
5.		वान	34	—	—	हां	—
6.		आलपा	1265	—	—	हां	—
7.		जोगापुरा	1859	—	—	हां	—

(218)

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	सिरोही	जोयला	2031	—	हां	—	—
9.		रोवाड़ा	758	—	—	हां	—
10.		जैतपुरा	832	हां	—	—	—
11.		ओड़ा	1336	—	—	हां	—
12.		अणदोर	1266	हां	—	—	—
13.		मोरली	731	हां	—	—	—
14.		पालडी	3563	हां	—	—	—
15.		वागसीन	2240	हां	—	—	—
16.		अरठवाड़ा	2724	हां	—	—	—
17.		ऊथमण	2012	हां	—	—	—
18.		फोसालिया	3599	हां	—	—	—
19.		छीबा गांव	818	—	—	हां	—
20.		चूली	1035	—	—	हां	—
21.		बड़गांव	1538	हां	—	—	—
22.		केसरपुरा	930	हां	—	—	—
23.		धुरबाणा	590	हां	—	—	—
24.		बालदा	390	—	—	हां	—
25.		बरलूट	2019	हां	—	—	—
26.		ऊड़	1846	हां	—	—	—
27.		गोल	1318	हां	—	—	—
28.		गोयली	2324	हां	—	—	—
29.		मनोरा	1516	हां	—	—	—
30.		भूतगांव	1136	हां	—	—	—
31.		जावल	5045	हां	—	—	—
32.		वराड़ा	1629	हां	—	—	—
33.		मण्डावरिया	1391	हां	—	—	—
34.		नवारा	979	—	—	हां	—
35.		मोहब्बत नगर	2280	हां	—	—	—
36.		पुगली	775	—	—	हां	—

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	सिरोही	तबरी	1408	हां	—	—	—
38.		बैलागरी	1964	हां	—	—	—
39.		वान्ता	869	—	—	हां	—
40.		खांबल	918	—	—	हां	—
41.		रामपुरा	1353	हां	—	—	—
42.		पाडीव	3980	हां	—	—	—
43.		कालदरी	4572	हां	—	—	—
44.		डोडूआ	1158	हां	—	—	—

प्रश्न संख्या 3 के गांवों की सूचना

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	सम्पर्क सड़क प्रकार			
			डामर	मेटल	ग्रेवल	नहीं जुड़ी
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखमावास (बड़ा)	540	—	—	—	हां
2.	लखमावास (छोटा)	525	—	—	—	हां
3.	केराल	862	—	—	हां	—
4.	रोवाड़ा	758	—	—	हां	—
5.	वूडेरी	338	—	—	हां	—
6.	गोला	250	—	—	हां	—
7.	आल्पा	1265	—	—	हां	—
8.	मोचाल	846	—	—	—	हां
9.	वाडका	330	—	—	हां	—
10.	तलेटा	477	—	—	—	हां
11.	उम्मेदगढ़	276	—	—	हां	—
12.	लोटीवाल	275	—	—	हां	—
13.	अकापुरा खुर्द	363	—	—	—	हां
14.	सेवाली	598	हां	—	—	—
15.	सन्तापुरा	315	—	—	हां	—
			1	—	9	5

अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ जीवन धारा योजना

193. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लाभार्थ जीवन धारा योजना में सन् 1988-89 में कितने लक्ष्य निर्धारित थे ?

(2) किस-किस जिले में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की गयी और किस-किस में नहीं, और क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं मुक्त बंधुवा मजदूर जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, के लाभार्थ वर्ष 1988-89 में जीवन-धारा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 27 जिलों में 20,000 कुओं का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों में से 10,000 कुएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं 10,000 कुओं का निर्माण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना था।

(2) किसी भी जिले में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गई, जिसके कारण निम्न लिखित थे :—

1. यह एक नयी योजना थी। इसकी स्वीकृति एवं निर्देशों को पहुंचने में कुछ समय लगना स्वाभाविक था।

2. नया कार्यक्रम होने व क्रियान्वित करने में भी समय लग गया।

3. कार्यक्रम वर्ग विशेष के लिए था, अतः लक्षित समूह को चिन्हित कर चयन कर उनके आवेदन तैयार कर स्वीकृति जारी होने में समय लगा।

4. कई स्थानों पर कठोर चट्टान आने के कारण बोरिंग की सुविधा न मिल पाने से विलम्ब हुआ।

5. कृषकों को कूप निर्माण हेतु समय पर सीमेंट लोहा इत्यादि न मिलना।

6. आरम्भ में प्रति कुओ इकाई लागत कम थी जिसको बाद में बढाया गया जिससे कुछ विलम्ब हुआ।

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधायें

194. **श्री पूनम चन्द बिश्नोई** (फलौदी) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ये सुविधायें सन् 1959 में तय की गई थीं और वर्तमान में भी उसी स्तर पर दी जा रही हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उनको दी जाने वाली पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं उनकी लड़कियों की शादी के लिये अनुदान आदि में वृद्धि करेगी ?

उत्तर

(1) व (2) राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेन्शन नियम, 1959 के

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित सुविधाएं देय हैं :—

1. आजीवन न्यूनतम पेन्शन 450/ रु. मासिक।

2. स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा की मृत्यु की तिथि से आजीवन न्यूनतम पेन्शन 450/ रु. मासिक।

3. कारोबार, उद्योग या कृषि कार्य प्रारम्भ करने के प्रयोजनार्थ 3,000/ रु. तक का प्रतिभूति अथवा अप्रतिभूति ऋण ब्याज सहित अथवा बिना ब्याज के।

4. वित्तीय वर्ष में स्वतंत्रता सेनानी/विधवा पत्नी को 2,000/रु. तक का चिकित्सा अनुदान।

5. स्वतंत्रता सेनानी एवं उसकी विधवा को उनकी पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की या पूर्व मृत भ्राता की पुत्री या आश्रित बहन के विवाह हेतु 2000/– रु. का अनुदान।

6. स्वतंत्रता सेनानी के देहावसान पर उनके दाह संस्कार के लिए 500/रु. की राशि का अनुदान उनके निकटतम रिश्तेदार को।

7. स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों और पौत्र-पौत्रियों को स्कूलों तथा महाविद्यालयों में किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी।

8. सरकारी सेवा में प्रवेश संबंधी निर्बन्धनों का शिथिलीकरण :—

(क) राजनैतिक आन्दोलन के संबंध में या उसे आगे बढाने के लिये सिलसिले में किये गये किसी अपराध के लिए ठहरायी गई दोष–सिद्धि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए बाधक नहीं होगी।

(ख) राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेना एक प्रकार से अतिरिक्त अर्हता मानी जावेगी और अन्य बातें समान होने पर, उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जावेगी, जिन्होंने ऐसे किसी आन्दोलन में भाग लिया हो।

(9) स्वतंत्रता सेनानियों/विधवाओं को दी जाने की पेन्शन/चिकित्सा सुविधा एवं उनकी लड़कियों की शादी के लिए दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी नियम 14(6) के तहत गठित समिति विशेष प्रकरण में अधिक अनुदान की सिफारिश करेगी तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

टी बी क्षेत्र में मंडी यार्ड

195. **श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या टी.बी. तहसील के ग्राम टी.बी. में पर्याप्त एवं मुख्यत: कृषि क्षेत्र होते हुए भी कृषि उपज मण्डी द्वारा मण्डी यार्ड का निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार वहां कृषि मण्डी कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, यहां पर्याप्त व्यापार न होने के कारण फ़िलहाल मण्डी यार्ड निर्माण कराये जाने का विचार नहीं है।

(2) वर्तमान में यहां कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ के अन्तर्गत गौण मण्डी यार्ड घोषित है, किन्तु इस गौण मण्डी यार्ड की मण्डी शुल्क की वार्षिक औसत आय राज्य सरकार द्वारा पृथक से कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने के निर्धारित 4.00 लाख रु. के मापदण्ड को परिपूर्ण नहीं करती है। अतः यहां पृथक से मण्डी कायम नहीं की जा सकती है।

उदयपुर रेल्वे स्टेशन का पर्यटन सूचना केन्द्र

196. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लगभग डेढ़ वर्ष से उदयपुर सिटी रेल्वे स्टेशन पर सरकार का पर्यटन सूचना केन्द्र बंद पड़ा है जिसके अभाव में पर्यटकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसे पुनः चालू करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(2) क्या सरकार पर्यटकों को आकृष्ट करने की दृष्टि से मोती मगरी से फतहसागर-सज्जनगढ तक रोपवे का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि, हां, तो इसे कब तक शुरू किया जावेगा ?

(3) क्या सरकार पर्यटन विकास की दृष्टि से उदयपुर से जैसलमेर–माउन्ट आबू-रणकपुर–बीकानेर के मध्य वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने के लिये केन्द्र सरकार से पेशकश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जी हां, वित्त विभाग से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने तक विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करदी गई है।

(2) जी हां, विभाग मोती मंगरी को रोपवे से जोड़ने का विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में नगर परिषद्, उदयपुर से जानकारी चाही गई है। यह रोपवे कब तक शुरू हो जावेगा, इस सम्बन्ध में नगर परिषद उदयपुर की जानकारी आने के बाद कहा जा सकता है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार से वार्ता जारी है।

श्री डूंगरगढ़ में मुंसिफ न्यायालय

197. **श्री किशनाराम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में किसानों एवं हरिजनों को सस्ता न्याय दिलाने हेतु प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो श्री डूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय का स्वीकृत न्यायालय अभी तक रतनगढ़ में रहने का क्या कारण है ?

(श्री किशनाराम)

(3) क्या उक्त न्यायालय को श्री डूंगरगढ़ में लगाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। सरकार के पास श्री डूंगरगढ़ में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हेतु भवन एवं न्यायाधीश हेतु आवासीय भवन की व्यवस्था नहीं है तथा श्रीडूंगरगढ़ में एम. जे. एम. रतनगढ़ के कैम्प में कोर्ट की व्यवस्था कर दी गई है, जो पर्याप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित वस्तुओं का वितरण

198. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नियन्त्रित वस्तुओं की वितरण व्यवस्था में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में असमानता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितने ग्राम चीनी का माहवार वितरण किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में केरोसिन तेल, चावल, पाम-आयल व अन्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे उपरोक्त वस्तुएें जन साधारण में वितरण हेतु उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ग्रामीण क्षेत्र में नियन्त्रित एवं जन उपयोगी वस्तुओं के पर्याप्त वितरण हेतु सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह लेवी चीनी का वितरण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी, नहीं। राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियंत्रित वस्तुओं का वितरण समान दर से केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर कराती है। पर्याप्त वितरण हेतु सरकार केन्द्र सरकार से और अधिक आवंटन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।

शिव (बाड़मेर) के चिकित्सीय स्टाफ के लिये भवन

199. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के मुख्यालय पर स्थापित मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सीय स्टाफ के रहने के लिए कोई भवन नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब

(224)

(श्री अमीन खां)

तक उक्त केन्द्र एवं स्टाफ के लिये भवन निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरानी डिस्पेंसरी के भवन में चल रहा है। जो अनुपयुक्त है। चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्टाफ के लिए आवास गृह उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाना संभव हो सकेगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या 200 स्थगित)

(तारांकित प्रश्न संख्या 201 स्थगित)

चाकसू में मंडी टैक्स की चोरी

202. श्री प्रकाशचन्द बैरवा(फागी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति चाकसू ने पिछले पांच वर्षों में कितने व्यापारियों के खिलाफ मण्डी टैक्स चोरी के मुकदमे दर्ज किये ? क्या ऐसे व्यापारियों का न्यायालय में चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत झाडला एवं ग्राम दतूली के कृषकों की फसल को मण्डी समिति (गौण कृषि उपज मण्डी) माधोराजपुरा तक पहुंचाने के लिए सम्पर्क सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इन ग्रामों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) मंडी समिति द्वारा गत पांच वर्षों में मंडी शुल्क अपवंचन के 88 मामले दर्ज किये गये इनमें से 7 मामलों का चालान सक्षम न्यायालय में तथा 30 मामलों में मंडी स्तर पर वाद शमन किया गया। शेष रहे 51 मामले मंडी समिति स्तर पर विचाराधीन हैं।

(2) मंडी की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वर्तमान में सड़कों के निर्माण हेतु कोई विचार नहीं है।

भीलवाड़ा जिले में राहत कार्य

203. डा. रतनलाल (सहाड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में कितने ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(2) अकालग्रस्त घोषित ग्रामों में रोजगार, पेयजल व पशुओं के लिए चारा आदि की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(3) अकालग्रस्त ग्रामों में रोजगार हेतु किस तरह के कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अकालग्रस्त ग्रामों में कितने व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है और कितने श्रमिक और रोजगार पर लगाया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 269 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं।

(2) अकालग्रस्त घोषित ग्रामों में रोजगार की व्यवस्था हेतु जवाहर रोजगार योजना अकाल, जवाहर रोजगार योजना तथा विभागीय कार्यों के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

पेयजल की व्यवस्था हेतु नये हैण्डपम्प ट्यूबवैल खुदवाये गये हैं। सार्वजनिक कुईयां गहरी करवाई, पुराने हैण्डपम्प ठीक करवाये गये तथा टैंकरों द्वारा जल सप्लाई की गई।

पशुओं के लिए चारे की कमी की स्थिति नहीं होने से और चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं हुई।

(3) अभावग्रस्त ग्रामों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तालाब, एनीकट, स्कूल भवन, नाड़ी, चारागाह विकास एवं वन विकास संबंधी कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अकालग्रस्त ग्रामों में 2614 व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले की अधिकतम श्रमिक सीमा दी जाती है। विधान सभा क्षेत्र के अनुसार श्रमिक सीमा नहीं दी जाती। इस सीमा के आधार पर श्रमिकों को मजदूरी हेतु लगाया जाता है। भीलवाड़ा जिले की अधिकतम श्रमिक सीमा मई, 90 के लिये 10,000 व जून, 90 के लिए 20,000 निर्धारित की गई थी।

हाड़ेचा (जालौर) ग्राम में पशु चिकित्सालय

204. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जालौर जिले के हाड़ेचा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जालौर जिले के हाड़ेचा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने का दिनांक 13.4.90 का प्रस्ताव पास हुआ है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में नये पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं का कोटा

205. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)
एवं
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष राज्य में कितनी चीनी, कोयला, सीमेन्ट, करोसिन, कपड़े का कोटा आवंटन किया गया था ? उसमें से कितना कोटा उठाया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(226)

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह सही है कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने से उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई रही ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आवश्यक सामग्री के समय पर वितरण की समुचित व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) गत वर्ष राज्य में लेवी चीनी, करोसीन एवं नियंत्रित कपड़े का कितना कोटा आवंटित हुआ एवं उनमें से जितना–जितना कोटा उठाया गया, उसका जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया दिया गया है। सीमेन्ट को केन्द्र सरकार ने 1-3-1989 से नियंत्रण से मुक्त कर दिया है इसलिये आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। कोयले का वर्ष 1989 में घरेलू उपयोग के लिये 150 वैगन रेल परिवहन से एवं 1500 मै. टन सड़क परिवहन से प्रति माह आवंटन हुआ था किन्तु घरेलू उपयोग के कोयले की मांग नहीं होने से आवंटित कोयला नहीं मंगाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) उपभोक्ताओं को नियंत्रित वस्तुयें प्राप्त करने में कोई कठिनाई ही नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पचपदरा क्षेत्र के ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

206. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ग्रामीण चिकित्सा के कितने स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में कहां–कहां चल रहे हैं ? क्या उक्त केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुपात में पर्याप्त स्टाफ लगा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्वीकृत पद एवं पदस्थापित स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में गत दो वर्षों में कितनी राशि की औषधियां उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां एवं स्टाफ नहीं होने से लोगों को भयंकर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? राज्य सरकार इसकी समुचित व्यवस्था हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में 54 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं।

प्रत्येक उपकेन्द्र पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद सृजित होता है।

(चिकित्सा मंत्री)

–14 उपकेन्द्रों पर महिला स्वाथ्य कार्यकर्ता पदस्थापित है एवं 40 उप केन्द्रों पर पद रिक्त है।

(2) उपकेन्द्रों की सूची कार्यरत एवं रिक्त पदों के साथ सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरना संभव हो सकेगा।

(3) प्रत्येक उप केन्द्र पर 2000 रु. प्रति वर्ष के हिसाब से औषधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वर्ष 1988-89 में भारत सरकार द्वारा औषधियां उप केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं कराई गई परन्तु वर्ष 1989-90 में रु. 1120/—मात्र की औषधियां प्रति उप केन्द्र उपलब्ध कराई गई।

(4) जी हां, विभाग द्वारा रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जाना संभव हो सकेगा। तथा औषधियों की मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक उपकेन्द्र पर उपलब्ध रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

क्र. संख्या	उपकेन्द्र का नाम	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4
1.	कुडी	कार्यरत	—
2.	कोरणा	—	रिक्त
3.	कनाना	कार्यरत	—
4.	सरबडी	कार्यरत	—
5.	टापरा	—	रिक्त
6.	ब्लाउजाटी	—	रिक्त
7.	गोदावास	कार्यरत	—
8.	वडनामजागीर	—	रिक्त
9.	असाडा	—	रिक्त
10.	बागावास	कार्यरत	—
11.	मूलजी की ढाणी	—	रिक्त
12.	काकराला	कार्यरत	—
13.	उमरलाई	—	रिक्त
14.	भीमरलाई	—	रिक्त
15.	अराबाचौहान	—	रिक्त
16.	डोली	कार्यरत	—
17.	खारडी	—	रिक्त
18.	मोहनपुरा	—	रिक्त
19.	चांदेसरा	—	रिक्त

228

1	2	3	4
20.	आसोतरा	कार्यरत	—
21.	तिलवाडा	—	रिक्त
22.	पिंडारन	कार्यरत	—
23.	पातासर	—	रिक्त
24.	गोपडी	—	रिक्त
25.	सुरपुरा	कार्यरत	—
26.	रिछोली	—	रिक्त
27.	मेवानगर	कार्यरत	रिक्त
28.	चांदेसरा-II	—	रिक्त
29.	रिछोली	—	रिक्त
30.	मूंगडा	—	रिक्त
31.	जागसा	—	रिक्त
32.	जानीमाना	—	रिक्त
33.	भडियालवास	—	रिक्त
34.	सराणा	—	रिक्त
35.	कितपाला	—	रिक्त
36.	गोल	—	रिक्त
37.	नगाना	—	रिक्त
38.	कल्याणपुरा	कार्यरत	—
39.	बागुडी	—	रिक्त
40.	साजीयाली	—	रिक्त
41.	खेड	—	रिक्त
42.	कीटनोट	कार्यरत	—
43.	खुडीवाडा	कार्यरत	—
44.	दुदवा	—	रिक्त
45.	कालेवा	—	रिक्त
46.	सिवली जागीर	—	रिक्त
47.	पुकलिया	—	रिक्त
48.	परऊ	—	रिक्त
49.	सन्तरा	—	रिक्त
50.	खारापारा	—	रिक्त
51.	गिदा	—	रिक्त
52.	खोखासर	—	रिक्त
53.	हीरा की ढाणी	—	रिक्त
54.	सोऊडा	—	रिक्त

जयपुर ग्रामीण विकास अभिकरण में भारी घपला

207. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कुछ समय पूर्व जयपुर ग्रामीण विकास अभिकरण में हुए लगभग एक करोड़ के घपले का मामला प्रकाश में आया है ?

(2) यदि हां, तो इसमें प्रथम दृष्टया कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी लिप्त पाये गये तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इसकी जांच के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ने कार्यवाही हेतु इस प्रकरण को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को निर्दिष्ट किया है ? यदि हां, तो क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस मामले में प्रथम दृष्टया निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी लिप्त पाये गये जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है ।

1. श्री बी. के. मीणा, आई. ए. एस. भूतपूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डी. आर. डी. ए. जयपुर जो इस समय न्यायिक हिरासत में है ।

2. श्री बी. एस. वर्मा, आर. ए. एस. भूतपूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर, (स्काईट) डी.आर. डी. ए. जयपुर । अदालत के आदेश पर जमानत पर हैं ।

3. श्री देवकीनन्दन गुप्ता, आर.ए.एस जो डी. आर. डी. ए. में प्रोजेक्ट अधिकारी (माडा) थे और 31.8.89 को सेवा निवृत हो गये । अदालत के आदेश से जमानत पर है ।

4. श्री रामपाल मीणा, लेखाधिकारी डी. आर. डी. ए. जयपुर जो अदालत के आदेश से जमानत पर हैं ।

5. श्री ए. के. गुप्ता, विषय विशेषज्ञ डी. आर. डी. ए. जयपुर हाल उप निदेशक उद्योग कोटा जो न्यायिक हिरासत में है ।

6. श्री राम कुमार स्वामी, क. लेखाकार डी. आर. डी. ए. जयपुर जो न्यायिक हिरासत में है ।

7. श्री वीर बहादुर, क. लेखाकार, डी. आर. डी. ए. जयपुर जो न्यायिक हिरासत में है ।

8. श्री कान्ता प्रसाद भू. पूर्व प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक शाला, रूपारामपुरा, टोंक फाटक जयपुर जो न्यायिक हिरासत में है ।

(3) जी, हां । अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है ।

(4) महानिदेशक पुलिस की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत इस मामले की तपतीश की जा रही है ।

भू-संरक्षण के भौतिक लक्ष्य

208. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भू-संरक्षण (कृषि) विभाग में क्या इकाईवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं ? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या इसे इसी वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया जायेगा ?

(2) विभाग द्वारा राज्य में कराये गये कुल कार्यों का कितने प्रतिशत भू-संरक्षण कार्य कृषि विधियों पर आधारित होता है तथा इन पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च होता है ? कृपया वर्ष 1988-89 के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भू-संरक्षण के आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी तभी हटाई/खिसकाई जानी चाहिए जबकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा हो ? क्या विभाग इसके प्रतिकूल मिट्टी हटाने/खिसकाने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करता ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कर दोषियों को दण्डित किया गया ?

(4) क्या विभाग द्वारा बनाई जा रही सभी संरचनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में कोई भू-संरक्षण नहीं होता है ? यदि हो रहा है तो राजकोष से इतना भारी व्यय व्यर्थ में क्यों किया जा रहा है ? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) भू-संरक्षण इकाई के यूनिट पर वित्तीय लक्ष्य रखें जाते हैं, उस सीमा में जितना भौतिक कार्य हो पाता है वह सम्पादित कर दिया जाता है।

(2) भू-संरक्षण के कार्य कराने पश्चात उनमें कृषि विधियां एवं शु. खे. इत्यादि हेतु कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कृषि विधियां अपनाने पर राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय प्रावधान नहीं रखा जाता।

(3) भू-संरक्षण कार्यों में मिट्टी खिसका कर एक ही ऊंचाई रेखा पर डोली बनाई जाती है। ऊंचाई रेखा पर डोली बनाये बिना भू-संरक्षण की विधि विद्यमान नहीं है।

(4) भू-संरक्षण कार्यों से भू-संरक्षण पर रोकथाम लगती है। इन कार्मों से राजकोष में अपव्यय होने की कोई सूचना नहीं है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

हाईकोर्ट की बेंच

209. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एक बैंच जयपुर में स्थापित किये जाने के विरुद्ध जोधपुर के वकील पिछले कई वर्षों से आन्दोलनरत हैं एवं प्रत्येक माह के अन्तिम दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपना विरोध प्रदर्शित करते रहे हैं ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) क्या राज्य सरकार जोधपुर से वकीलों की इस मांग पर विचार करने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता है। यह मामला भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र का है। राज्य सरकार इस मांग को औचित्यपूर्ण नहीं मानती है। क्योंकि इससे जयपुर में कई समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी व जयपुर की जनता को सस्ता व सुलभ न्याय नहीं मिल पायेगा।

जिला उपभोक्ता फोरम स्थापना

210. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम स्थापना के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) यह उपभोक्ता फोरम कहां-कहां और कब तक गठित कर दिये जावेंगे ?

(3) प्रान्त में उपभोक्ता फोरम का गठन कब हुआ ? यदि हुआ था, तो इसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

(4) क्या अन्य राज्यों की भांति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की पालना करने के लिए उपभोक्ता अदालत का गठन करने पर भी सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या प्रदेश के सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम गठित करने का सरकार विचार रखती है यदि हां, तो कब तक गठन कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी जिलों में जिला फोरम स्थापना के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति, जिला फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की माननीय उच्च न्यायालय से सहमति प्राप्त करने एवं जिला फोरमों में सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिलों से नामों के प्रस्ताव मंगाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई है।

(2) सभी जिला मुख्यालयों पर यथाशीघ्र गठित कर दिए जायेंगे।

(3) प्रान्त में संभागीय 6 जिला मुख्यालयों पर उपभोक्ता फोरम का गठन 4.8.1988 को हुआ है। इन फोरमों में कुल 5746 परिवार दर्ज हुए हैं जिनमें 2576 परिवादों का निर्णय हो चुका है।

(4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता अदालत गठन करने का कोई प्रावधान ही नहीं है और न ही उपभोक्ता अदालत के गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन ही है। अधिनियम में उपभोक्ता फोरम के गठन का प्रावधान है।

(खाद्य मंत्री)

(5) जी, हां । राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । यथाशीघ्र इन फोरमों का गठन करने की संभावना है ।

अन्ता–सांगोद सड़क निर्माण

211. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) :—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले में अन्ता-सांगोद बाबा खजूरान एक महत्वपूर्ण मार्ग है ?

(2) क्या इस मार्ग पर सड़क बनाने के लिए विभाग ने पूर्व में कुछ धनराशि व्यय की है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या इस मार्ग पर अकाल राहत में भी कुछ काम हुआ है ?

(4) क्या इस मार्ग पर सड़क बनाने के सम्बन्ध में क्षेत्र के व्यक्तियों ने मांग की है ? क्या कोटा स्टेट के समय इस मार्ग पर कुछ सड़क बनी हुई थी ?

(5) क्या इस मार्ग के महत्व को देखते हुए विभाग सड़क बनाने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, रुपये 22·47 लाख ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां, कच्ची सड़क एवं कुछ खरंजे (रपट) बने हुये थे ।

(5) जी हां, इस सड़क का निर्माण योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धि पर सम्भव है ।

कोलिया डीडवाना ग्राम में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण

212. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोलिया पंचायत, पंचायत समिति डीडवाना (नागौर) में सन् 1986 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में प्राथमिक विद्यालय कोलिया में कमरों का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो कितने कमरे व कितनी-कितनी पट्टियों के कमरों का निर्माण किया गया ?

(2) क्या उक्त विद्यालय में पूर्व के नये कमरों को तोड़कर प्रधान श्री चैनाराम, श्री बालूराम प्रधानाध्यापक व तत्कालीन सरपंच की मिलीभगत से यह कार्य करवाया गया जिसमें पुरानी सामग्री का उपयोग कर नई सामग्री फर्जी बताई गई ? यदि नहीं, तो पूर्व भवन की कितनी पट्टियां, कितनी चौखटें, जंगले, किवाड़ व अन्य सामग्री काम में ली गई और कितनी सामग्री कहां-कहां से नई खरीदी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह निर्माण कार्य दि. 15–7–1986 में पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र ओवरसीयर द्वारा जारी किया गया जबकि कार्य दि. 20–8–1986 को सम्पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो क्या विद्यालय हेतु लाई गई सीमेन्ट व अन्य सामग्री दि. 15–6–1986 के पूर्व आ चुकी थी ? यदि हां तो क्या-क्या सामग्री किस–किस तारीख को और कहां–कहां से खरीदी

(श्री उम्मेदसिंह)

गई ? वाउचर संख्या, तारीख व रकम कितनी-कितनी लगी व पंचायत द्वारा कब-कब भुगतान किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में कमरों के निर्माण हेतु करीब पच्चीस हजार रुपये की राशि जन सहयोग से प्राप्त हुई थी तथा कमरों पर दानदाताओं के नाम लगाने का प्रस्ताव भी लिया हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकारी धन खर्च के बाद भी नाम पृथक् से लगाया जा सकता है ? क्या यह भी सही है कि फर्म सुरेश कुमार दिनेश कुमार डीडवाना से उक्त विद्यालय निर्माण कार्य हेतु दिनांक 18-7-1986 व दि. 22-7-1986 को सामग्री नकद व उधार खरीदी गई थी ? यदि हां, तो उक्त सामग्री का उपयोग 15-7-1986 के पूर्व ही कर लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्या ओवरसीयर व अन्य फर्जी रिकार्ड तैयार किया ? यदि हां, तो क्या सरकार, इस प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि कोलिया पंचायत, पंचायत समिति डीडवाना में सन् 1986 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय कोलिया में कमरों का निर्माण कराया गया। कुल 5 कमरों का निर्माण कराया गया। जिनकी साइज निम्नानुसार है।

2 कमरे—15.5"×15 फुट	32+34 = 66 पट्टीयां
3 कमरे— 14×12 फुट	16+16+17 = 49 पट्टीयां
	कुल 115 पट्टीयां

(2) यह सही नहीं है कि प्रधान चेनाराम, प्रधानाध्यापक बालूराम व तत्कालीन सरपंच की मिली भगत से पूर्व के नये कमरों को तोड़कर यह कार्य कराया गया, बल्कि पूर्व के बने हुए कमरे जीर्ण अवस्था में होने के कारण ग्राम पंचायत कोलिया द्वारा बाद में कमरों का निर्माण कराया गया, पूर्व के भवन से जो सामग्री जिस कार्य पर ली गई, वह निम्नानुसार है :—

1. पट्टियां -50
2. चौखट व जंगले-11
3. दरवाजे व किवाड़-3
4. जंगले किवाड-7

5. पत्थर सम्पूर्ण कार्य पर पुराना पत्थर काम में लिया गया। जो सामग्री नई खरीदी गई उसका विवरण निम्न प्रकार है

(239)

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

अ. सुरेश कुमार दिनेश कुमार, डीडवाना

1. लोहे के गार्डर -5 रु. 6,098/-
2. लोहे के एंगल आदि रु. 290.50
3. आयरन फिटिंग रु. 153.55

ब: सैनी सीमेण्ट एजेन्सी, डीडवाना

1. सीमेण्ट 70 थैले- रु. 4550

स. मोहम्मद इलीयास पुत्र नूरमोहम्मद, जोधपुर

1. पट्टीयां 10 फुटी नग 65 रु. 3250
2. कातला 25 नग रु. 500

योग रु. 3750

द. गुलशेर गुलाम रसूल, डीडवाना

1. सीमेण्ट चौखट 2 तथा सीमेण्ट जंगला रु. 215

य. रतनलाल डालूराम कोलिया

1. दरवाजा किवाड-2 रु. 1200
2. जंगला रु. 1600

रु. 2800

र. आसुराम ग्यारसीलाल, डीडवाना

1. बालू 500 मन रु. 3500

ल. अजीम खां जमाल खां, बाखड़ी

1. चूना 150 मन रु. 1050

रु. 4550

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(3) हां यह सही है कि यह निर्माण कार्य 15.7.86 को पूर्ण हो चुके थे न कि 20.8.86 को। जिसका प्रमाण-पत्र ओवरसियर द्वारा जारी किया गया था यह सामग्री 15.7.86 तक आ चुकी थी जो कि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में क्रय की गई सामग्री की कुल 10 वाउचर में से 8 का भुगतान 15.7.86 को होना बताया गया है तथा 2 वाउचर का भुगतान 25.8.86 को हुआ जो कि सामग्री का भुगतान जन सहयोग से प्राप्त राशि से ही किया जाना था। दिनांक 15.7.86 तक जन सहयोग से 18,000/- रु. प्राप्त हुए जिसमें से सामग्री बिलों का चुकारा निम्नानुसार किया गया है :—

वाउचर नंबर	राशि	दिनांक
26	6098	15.7.86
27	290.50	,,
28	80.50	,,
29	73.05	,,
30	4550.00	,,
31	3750.00	,,
32	215.00	,,
	17857.05	,,

25.8.86 को जन सहयोग की राशि 4000 रु. प्राप्त होने के बाद शेष भुगतान निम्नानुसार किया गया :—

35	3500.00	25.8.86
36	1050.00	25.8.86
योग	4550	

कुल जन सहयोग प्राप्त हुआ	22000.00
पंचायत कोष से भुगतान	407.05
कुल सामग्री भुगतान हुआ रु.	22407.05

(4) हां यह सही है कि उक्त विद्यालय कमरों के निर्माण हेतु 22000/- जन सहयोग से प्राप्त हुए थे। दानदाताओं के नाम लगाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.7.86 को लिया गया था चूंकि कुल लागत का 75 प्रतिशत दानदाताओं द्वारा वहन करने पर ही नाम लिखा जा सकता है जबकि इस कार्य पर दानदाताओं द्वारा कुल लागत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ही दिया गया। अतः उनका नाम शाला में नहीं लिखा गया। मै. सुरेशकुमार दिनेशकुमार डीडवाना से उक्त विद्यालय निर्माण हेतु उधार व नकद सामग्री खरीदी गई जिसका भुगतान 15.7.86 को किया गया।

236

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 251 का विवरण

पंचायत समिति–किशनगढ़ एवं शाहबाद में इन्दिरा आवास योनान्तर्गत स्वीकृत आवासों एवं राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	पं. समिति	ग्राम	स्वीकृत आवासों की संख्या	राशि जो उपलब्ध कराई
1	2	3	4	5	6
1.	87–88	किशनगंज	भंवरगढ़	20	2,40,000/–
2.	,,	,,	खण्डेला	20	2,40,000/– 10 मकानों के कब्जे दे दिए गए हैं।
3.	88–89	,,	भंवरगढ	6	72,000/–
4.	,,	,,	जलवाड़ा	20	2,40,000/–
5.	89–90	—	—	—	—
	योग :—			66	7,92,000/–

1	2	3	4	5	6
1.	87–88	शाहबाद	कस्बा थाना	12	1,44,000/–
2.	,,	,,	भागर	12	1,44,000/–
3.	,,	,,	पहाड़ी	15	1,80,000/–
4.	,,	,,	महुराई	20	2,40,000/–
5.	,,	,,	बैंठा	20	2,40,000/–
6.	,,	,,	चोराखेडी	20	2,40,000/–
7.	,,	,,	सिरसोद	20	2,40,000/–
8.	88–89	,,	समरानिया	20	2,40,000/–
9.	,,	,,	खुशालपुरा	10	1,20,000/–
10.	89–90	,,	पीपलखेड़ी	20	2,40,000/–
	योग :—			169	20,28,000/–

238

परिशिष्ट– 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

पंचायत समिति केशोरायपाटन क्षेत्र में स्वीकृत इंदिरा आवास गृहों पर आवंटित राशि एवं कालोनी निर्माण की स्थिति

क्र. सं.	ग्राम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	आवंटित राशि	आवास संख्या	स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	आवासीय जाति	निवास कर रहे परिवारों की संख्या
1.	सुन्दरनगर	बाबई	1986–87	58500	15	पूर्ण	अनु. जाति	15 व्यक्ति निवास कर रहे हैं।
2.	लबान	लबान	1986–87	187200	24	पूर्ण	अनु. जनजाति	24 व्यक्ति निवास कर रहे हैं।
3.	पापड़ी	पापड़ी	1987–88	109200	14	अपूर्ण	अनु. जनजाति	—
4.	चहींचा	दईखेड़ा	1987–88	101400	13	अपूर्ण	अनु. जनजाति	—
5.	मुरजादपुरा	चाणदाखुर्द	1987–88	156000	20	अपूर्ण	अनु. जाति	—
6.	बालापुरा	मोहनपुरा	1987–88	101400	13	अपूर्ण	अनु. जाति	—
7.	प्रतापगढ़	उतराना	1989–90	126000	14	अपूर्ण	अनु. जाति	—
8.	गेण्डोली	गेण्डोली	1989–90	108000	12	अपूर्ण	अनु. जाति	—
				947700	125			

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 267 की सूची

देवस्थान विश्रान्ति गृह के वर्ष 1988–89 एवं 89–90

के आय–व्यय का विवरण

आय

वर्ष	कमरों की आय	दुकानों की आय	अन्य आय	योग
1988–90	1,65,604,00	57,045.00	772.00	2,23,421.00
1989–90	308,206.00	89,706.00	902.00	3,98.814.00

व्यय

वर्ष	संवेतन	यात्रा भत्ता	चिकित्सा व्यय	कार्यालय व्यय	जायदाद का अनुरक्षण	योग
1988–89	207,150/-	1680/-	4760/-	70410/-	--	2,84,000.00
1989–90	2,35,800/-	2040/-	4570/-	69990/-	3200/-	3,156,00/-

(२५७)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 269 की सूची

गेहूँ (मात्रा मे. टनों में.)

क्र. सं.	माह	आवंटन	उठाव
1.	अप्रैल, 88	510	370
2.	मई, 88	400	224
3.	जून, 88	450	450
4.	जुलाई, 88	400	400
5.	अगस्त, 88	400	400
6.	सितम्बर, 88	200	200
7.	अक्टूबर, 88	200	150
8.	नवम्बर, 88	100	85
9.	दिसम्बर, 88	100	90
10.	जनवरी, 89	100	100
11.	फरवरी, 89	50	50
12.	मार्च, 89	50	50
13.	अप्रैल, 89	100	60
14.	मई, 89	50	25
15.	जून, 89	100	निल
16.	जुलाई, 89	100	100
17.	अगस्त, 89	100	100
18.	सितम्बर, 89	80	80
19.	अक्टूबर, 89	150	100
20.	नवम्बर, 89	150	120
21.	दिसम्बर, 89	150	50
22.	जनवरी, 90	150	150
23.	फरवरी, 90	200	150
24.	मार्च, 90	150	25
25.	अप्रैल, 90	150	125
26.	मई, 90	150	निल

लेवी चीनी (मात्रा क्विन्टलों में)

क्र. सं.	माह	आवंटन	उठाव की तिथि
1.	अप्रेल, 88	720	2–5–88
2.	मई, 88	717	4–7–88
3.	जून, 88	720	3–8–88
4.	जुलाई, 88	705	28–9–88
5.	अगस्त, 88	705	5–10–88
6.	सितम्बर, 88	705	9–12–88
7.	अक्टूबर, 88	720	15–3–89
8.	नवम्बर, 88	720	24–3–89
9.	दिसम्बर, 88	720	5–4–89
10.	जनवरी, 89	705	17–4–89
11.	फरवरी, 89	705	20–4–89
12.	मार्च, 89	720	5–4–89
13.	अप्रेल, 89	705	16–5–89
14.	मई, 79	705	25–5–89
15.	जून, 89	720	18–7–89
16.	जुलाई, 89	705	1–8–89
17.	अगस्त, 89	720	16–9–89
18.	सितम्बर, 89	705	29–9–89
19.	अक्टूबर, 89	705	13–10–89
20.	नवम्बर, 89	705	28–12–89
21.	दिसम्बर, 89	705	19–1–90
22.	जनवरी, 90	705	14–2–90
23.	फरवरी, 90	705	26–3–90
24.	मार्च, 90	720	23–4–90
25.	अप्रेल, 90	705	16–5–90
26.	मई, 90	705	6–6–90

(2412)

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची

पंचायत समित, झाडोल, जिला उदयपुर में वर्ष 1988-89, 1989-90 व 1990-91 में अकाल राहत के तहत सिचाई विभाग के स्वीकृत कार्यों की सूची व विवरण :—

1. क्र. सं.	नाम कार्य	पंचायत का नाम	अनुमानित लागत (लाखों मे)	स्वीकृत राशि लाखों में	स्वीकृत श्रमिक संख्या	कार्य पर व्यय की राशि	कार्य पूर्ण हुआ या अपूर्ण रहा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		वर्ष 1988-89 (1.4.88 से 30.3.89 तक)						
1.	खेजडी एनीकट	जेंकडा	5.00	2.00	100	0.46	अपूर्ण रहा	—
2.	नला एनीकट	कंथारिया	3.00	2.00	100	0.54	,,	—
3.	तरवटी वेलाएनी	बागपुरा	3.00	2.00	100	0.51	पूर्ण हो गया	—
4.	गरणवास एनीकट	सीगरी	3.00	2.00	100	0.42	अपूर्ण रहा	—
		योग	14.00	8.00	400	1.93		

2. वर्ष 1989-90 (1.4.89 से 30.3.90) में कोई कार्य अकाल राहत के तहत स्वीकृत नहीं किया गया हैं।

3. **वर्ष 1990-91 (दिनांक 1.4.90 से अब तक)**

1.	नला एनीकट	कंथारिया	5.00	2.00	200	—	—	(पुराना कार्य)
2.	जामून का नाका	पीपलवारा	5.00	2.00	200	—	—	,,
3.	उपरेटा एनीकट	पीपलवाडा	5.00	2.00	200	—	—	,,
4.	पीपलवारा तालाब	पीपलवारा	2.39	2.00	100	—	—	,,
		योग	17.39	8.00	700	—	—	

ह./-
कलक्टर (सहायता),
उदयपुर

(243)

पंचायत समिति, झाडोल, जिला उदयपुर में वर्ष 1990–91 में अकाल राहत के तहत सिंचाई विभाग के स्वीकृत कार्यों की सूची व विवरण :–

वर्ष 1990–91 (दिनांक 1.4.90 से अब तक)

(1) 1. नला एनीकट	कंथारिया	5.00	2.00	200	—	—	(पुराना कार्य
2. जामून का नाका	पीपलवारा	5.00	2.00	200	—	—	,,
3. उपरेटा एनीकट	थोबावाडा	5.00	2.00	200	—	—	,,
4. पीपलवारा तालाव	पीपलवारा	2.39	2.00	100	—	—	,,
	योग	17.39	8.00	700	—	—	

ह./–
कलक्टर (सहायता)
उदयपुर

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न सं. 274 की सूची

संवत् 2044 में राज्य में खुदवाये गये कुओं का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	किसानों की संख्या	सं. 2044 में खुदवाए गए कुओं की संख्या	सं. 2044 में खोदे गए कुओं के लिए दी गई राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	अजमेर	3031	3031	219.32	
2.	अलवर	572	572	45.20	
3.	बांसवाड़ा	4836	4836	431.76	अपूर्ण कुए 1800
4.	बाड़मेर	5064	5064	321.13	अपूर्ण कुए 2286
5.	भरतपुर	236	236	8.18	
6.	भीलवाड़ा	7580	7580	428.77	
7.	बीकानेर	278	278	41.87	अपूर्ण कुए 198
8.	बून्दी	1991	1991	97.30	
9.	चित्तौड़गढ़	2057	2057	83.26	
10.	चूरू	1551	1551	138.79	अपूर्ण कुए 668
11.	धौलपुर	234	234	22.28	
12.	डूंगरपुर	—	—	—	सूचना प्राप्त की जा रही है।
13.	गंगानगर	निल	निल	निल	
14.	जयपुर	3039	3039	221.92	
15.	जैसलमेर	756	756	112.45	
16.	जालौर	5508	5508	258.38	अपूर्ण कुए 464
17.	झालावाड़	5234	5234	498.08	
18.	झुंझुनू	2423	2423	188.80	अपूर्ण कुए 419
19.	जोधपुर	1992	1992	142.99	
20.	कोटा	603	603	39.28	
21.	नागौर	6692	6692	609.49	अपूर्ण कुए 2083

22. पाली	2055	2055	225.80
23. सवाई माधोपुर	601	601	58.42
24. सीकर	2060	2060	198.82
25. सिरोही	1077	1077	95.10
26. टौंक	1792	1792	125.35
27. उदयपुर	3507	3507	368.24
योग	64769	64769	5080.98

टिप्पणी—1. जोधपुर जिले में नये कुए 1225 एवं गहरे करवाये गये कुओं की संख्या 747 है।

2. जालौर जिले में 2325 कुए एवं 3183 कुए गहरे करवाये गये हैं।

3. बांसवाड़ा जिले में 4836 कुओं में से 637 पुराने कुओं को गहरा कराने का कार्य शुरू किया गया जो अपूर्ण रहे।

(246)

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 288 की सूची

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा संपादित कार्यों का विवरण

क्र. सं. जिले का नाम	आयोजित बैठकों की सं			प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों की संख्या			निस्तारित अभियोगों की संख्या		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
1. अजमेर	8	8	7	28	27	25	53	47	46
2. अलवर	9	11	5	18	19	17	300	183	65
3. बांसवाड़ा	11	12	9	15	17	2	64	38	13
4. बाड़मेर	6	4	5	3	17	8	2	36	29
5 भरतपुर	8	6	7	20	15	11	41	32	23
6. भीलवाड़ा	7	6	4	11	7	22	32	27	42
7. बीकानेर	5	6	6	180	212	187	39	110	88
8. बूंदी	5	8	6	43	7	29	48	39	45
9. चित्तौड़गढ़	9	7	5	19	43	4	130	93	28
10. चूरू	7	7	3	8	15	15	14	26	33
11. धौलपुर	10	4	2	31	12	17	122	39	44
12. डूंगरपुर	6	6	2	34	14	103	41	35	119
13. गंगानगर	7	7	3	483	145	262	2914	1289	770
14. जयपुर	5	5	3	30	45	71	130	132	162
15. जैसलमेर	5	7	7	194	184	5	188	209	13
16. जालौर	10	8	6	79	36	23	156	62	39
17. झालावाड़	8	5	5	20	7	6	53	5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	झुन्झुनू	10	9	3	3	21	1	43	33	4
19.	जोधपुर	5	7	6	177	170	136	585	60	61
20.	कोटा	7	6	5	8	11	7	15	44	52
21.	नागौर	2	8	–	27	17	32	21	69	20
22.	पाली	5	5	7	28	23	19	24	45	46
23.	सवाई माधोपुर	1	3	3	23	130	16	75	294	19
24.	सीकर	4	9	6	4	1	3	6	5	6
25.	सिरोही	10	10	9	16	20	13	114	2	49
26.	टौंक	6	5	3	8	8	6	16	6	11
27.	उदयपुर	6	2	2	20	14	11	198	9	29
		182	181	129	1530	1237	1051	5354	3019	1858

परिशिष्ट "क"

जन अभियोग निराकरण विभाग

राज्य सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण विभाग का गठन वर्ष 1971 में किया गया था। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम वेतन शृंखला के अधिकारी को रखा गया है, जो आयुक्त एवं शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है। विभाग में एक उपायुक्त, एक सहायक आयुक्त, चार अनुभाग अधिकारी एवं अन्य लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं।

248

परिशिष्ट (ख)

जन अभियोग निराकरण विभाग

वर्ष	प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या	वांछित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को असल ही भेजे गये	विभाग में खोली गई पत्रावलियों की संख्या	वर्ष में विभागीय स्तर पर किये गये निस्तारित अभ्यावेदनों की संख्या
1987	3193	1983	1210	544
1988	2362	1455	907	643
1989	1987	1404	583	432
	7542	4842	2700	1619

प्रधान मंत्री कार्यालय के मार्फत प्राप्त अभ्यावेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण

1987	389	134	7	389
1988	123	79	3	123
1989	473	102	30	311
	985	315	40	823

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 292 की सूची

पंचायत समिति, कुचामनसिटी (नागौर) में सत्र 1988–89 व 1989–90 में फीडर विद्यालयों की सूची :—

क्र. सं.	फीडर विद्यालय का नाम व स्थान	ग्राम पंचायत का नाम	प्रा. विद्यालय का नाम जिसकी फीडर है	चालू होने की तिथि/सन्
1	2	3	4	5
1.	नाका की ढाणी	शिम्भूपुरा	रा. प्रा. वि. बरजन	88–89
2.	रैगरियां की ढाणी	भांव्रता	,, ,, ,, हरिपुरा	88–89
3.	देऊ की ढाणी	पांचवा	,, ,, ,, शीशम का बास	88–89
4.	बुरड़कों की ढाणी	चितावा	,, ,, ,, दौलतपुरा	88–89
5.	नेता की तलाई	चितावा	,, ,, ,, दौलतपुरा	88–89
6.	शाहीदपुरा	गुढा साल्ट	,, ,, ,, गुढासाल्ट	88–89
7.	छिलानिया नाडा	चावण्डिया	,, ,, ,, कालोली	88–89
8.	बासडा (पांचौता)	पांचौता	,, ,, ,, जोशियों की ढाणी	88–89
9.	भीव्नरों की ढाणी/दुनाली नाडी	टोडास	,, ,, ,, श्राडली–नाडी (ढाणी चितावा)	88–89
10.	डाबसी	गोविन्दी	,, ,, ,, धूतों की ढाणी	89–90
11.	पालाड़ा प्याऊ	पालाडा	,, ,, ,, मण्डावरा	89–90
12.	गूजरी तलाई	जीजीठ	,, ,, ,, भिलाल	89–90
13.	रिक्शा	रसाल	,, ,, ,, राणासर	89–90
14.	शिवश्राथूणा	शिव	,, ,, ,, शिवश्रगुणा	89–90

1	2	3	4	5
15.	आवास	भगवानपुरा	रा. प्रा. वि. हेमा की ढाणी	89–90
16.	हनुमानपुरा	सरगोठ	,, ,, ,, पदमपुरा	89–90
17.	भूण्डों की ढाणी	कुकनवाली	,, ,, ,, कुकनवाली	89–90
18.	रेल्वे स्टेशन मीठड़ी	मीठड़ी	,, ,, ,, मीठड़ी	89–90
19.	उदयपुरा	जीलियां	,, ,, ,, पंचायत राशि केन्द्र में परिवर्तित क्र. एफ 5/16/ग्राविप/शि./89-177 दिनांक 17-1-90.	

नोट:— क्रमांक 1 से 9 तक फीडर शालाएं वर्ष 88–89 सत्रारम्भ से वर्ष 89–90 सत्रांत तक चली।

ह./–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद नागौर।

कार्यालय जिला परिषद, नागौर

पंचायत समिति, कुचामनसिटी (नागौर) की फीडर स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची

क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2	नाम अध्यापक 3	विशेष विवरण 4
1.	श्री शिव आथूना	श्री रामनिवास	
2.	भीचरों की ढाणी/ दुनियाता तलाई	,, उमाराम	मार्च 90 से विद्यालय बन्द है।

(251)

1	2	3	4
3.	गुजरी तलाई	श्री गणेशराम जेठू	
4.	रिड़ाा (राणासर)	, हेमराज	
5.	भूण्डों की ढाणी	,, दुलीचन्द	
6.	छिलारिया नाड़ा	,, जगदीश राम	
7.	तेता की तलाई	,, बालूराम	
8.	कुरड़कों की ढाणी	,, भोमाराम	
9.	आवास (हेमा की ढाणी)	,, नटवर लाल	
10.	डाबसी	,, प्रकाश चन्द्र	
11.	नाका की ढाणी	,, गोपाल लाल	
12.	शहीदपुरा	,, गोपाल राम रैगर	मार्च 90 से विद्यालय बन्द है।
13.	देव की ढाणी	,, सोहन लाल	
14.	बासड़ा पांचौता	,, बंशी लाल	
15.	रेलवे स्टेशन मीठडी	,, दिलीप कुमार	
16.	हनुमानपुरा	,, चन्द्रसिंह	
17.	पलाड़ा प्याऊ	,, वल्लूसिंह, चैनाराम	
18.	रेबारियों की ढाणी	,, गुमानसिंह	

ह./–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, नागौर

(252)

पंचायत समिति कुचामनसिटी में वर्ष 1989–90 में खोले गये पंचायत शिक्षा केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत शिक्षा केन्द्र	पंचायत	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक
1.	श्री उदयपुरा	जिलियां	एफ 5/16 ग्राविप/शिक्षा/89/177 दिनांक 17-1-90
2.	पांचवा (कन्या)	पांचवा	एफ (16) ग्राविप/शिक्षा/89/ 1736 दिनांक 11–10–89
3.	मीण्डा (कन्या)	मीण्डा	,, ,,
4.	श्यामगढ़ (कन्या)	श्यामगढ़	,, ,,
5.	केरिया (बालक)	मारोठ	,, ,,
6.	रैगर बस्ती पांचवा	पांचवा	,, ,,
7.	खारिया उत्तरी	हिराणी	,, ,,
8.	सामौता की ढाणी	श्यामगढ़	,, ,,
9.	खातियों की ढाणी	कुकनवाली	एफ क्रमांक 5 (16) ग्राविप/ शिक्षा/90/635 दिनांक 12–4–90
10.	दुनियाता तलाई	टोडास	

ह./–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, नागौर।

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर के विधान सभा क्षेत्र में शेरगढ़ में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	राशि (लाखों में)
	नवीन सड़कें वर्ष 1988 :–		
1.	सम्पर्क सड़क सोइन्तरा	1.50	2.75
2.	सम्पर्क सड़क गढ़ा	4.00	6.00
3.	सम्पर्क सड़क चांदसमा उठवाडिया	6.00	9.00
4.	सम्पर्क सड़क उठवाड़िया फलोदी रोड	6.00	9.00
5.	सम्पर्क सड़क जाटी भान्डू	1.50	4.00
	नवीन सड़कें वर्ष 1989 :–		
1.	सम्पर्क सड़क कलाऊफाटा से कलाऊ ग्राम	3.00	3.40
2.	सम्पर्क सड़क चोरड़िया से असरलाई	3.00	5.40
3.	सम्पर्क सड़क भियानी रोड (मालियों की ढाणी)	5.00	9.00
4.	सम्पर्क सड़क 54 मील केतुफाटा से रायसर	5.00	9.00
	अधूरी सड़कें वर्ष 1989 :–		
1–	सम्पर्क सड़क गढ़ा	2.30	4.15
2–	सम्पर्क सड़क फलोदी रोड़ से उठावडिया	5.00	9.00

परिशिष्ट--13

अतारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची

2--. वर्ष 1989--90 में सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा एवं इ. गा. न. प. बीकानेर में विकास के लक्ष्य व उपलब्धियां निम्न प्रकार रही :--

विवरण	इकाई	लक्ष्य	प्रगति
(अ) चम्बल परियोजना, कोटा			
1. सिंचाई व्यवस्था :--			
(1) नहर पक्की करने का कार्य	किमी.	4.00	1.40
(2) नहर क्षमता बढ़ाने का कार्य	किमी.	26.00	22.11
(3) ए. पी. एम. आउटलेट्स	संख्या	97	149
(4) विविध ढांचे	संख्या	10	14
(5) बाराबन्दी	हैक्टेयर	4000	1500
2 जलोत्सरण कार्य :--			
(1) मेन ड्रेन/सब ड्रेन	किमी.	2.50	4.71
(2) केरियर ड्रेन	किमी.	50.00	24.08
(3) सिपेज ड्रेन	किमी.	40.00	23.67
(4) स्लेब टाइप/पाइप वाटर वीआरबी	संख्या	10.00	18.00
(5) सीपेज ड्रेन रोड	किमी.	50.00	34.48
(6) कलवर्ट	संख्या	380.00	81
(7) जन उपयोगी कार्य	संख्या	3	6
3-- स्पेशल रिपेयर्स :--			
(1) डी सिल्टींग आफ केनाल्स	किमी.	241.00	212.69
(2) प्रोटेक्शन वर्क्स	संख्या	15	15
(3) रेस्टोरेशन आफ चेनल्स	किमी.	150	124.35

255

(4) भूमि विकास कार्य

(क) सर्वेक्षण	हैक्टेयर	3000	572
(ख) योजना	„	5000	539
(ग) निर्माण	„	4000	1624

(ब) इ. गा. न. प. बीकानेर

1. वन विकास कार्य

(1) नहर किनारे वृक्षारोपण	आर. के. एम.	2185	2298
(2) ब्लाक प्लांटेशन	है.	488	488

2. सड़क निर्माण –:

(1) मुख्य जिला सड़कें	किमी.	20.00	35.16
(2) मुख्य जिला सड़कों का सुधार	„	80.00	43.11
(3) ग्रामीण सड़कें	„	63.80	87.46
(4) ग्रामीण जन प्रदाय योजनायें	संख्या	8	7

3– भूमि विकास कार्य :–

(1) सर्वेक्षण एवं योजना	है.	80,000	84,699
(2) पक्के खालों का निर्माण	है.	60,000	62,168

(256)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची

विधान सभा क्षेत्र, सिवाना में 21 उप केन्द्रों के रिक्त पदों की सूची :-

क्र. सं.	उप केन्द्र का नाम	क्र. सं.	उप केन्द्र का नाम
1.	कुन्डल	12.	खेजडियाली
2.	तेलपाड़ा	13.	गोलिया
3.	रातड़ी	14.	नासिर
4.	धीरा	15.	अरजनियाली
5.	धारजा	16.	बिरडिया
6.	रामपुरा	17.	सिणेर
7.	फूलन	18.	नई कोठड़ी
8.	मोतीसरा	19.	कांखी
9.	गुढ़ा	20.	मवड़ी
10.	काठाली	21.	तेलपाड़ा
11.	छियाली		

257

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	3	18	म ननीय	माननीय
2.	4	23	(वाली)	(बाली)